उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर-दिसंबर, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अरविन्द कुमार और एक अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	453
एस. एम. कटवाल **बनाम** वीरभद्र सिंह और एक अन्य	594
चन्द्रशेखर चिनारा **बनाम** निलनीप्रवा शाहू **उर्फ** चिनारा और एक अन्य	537
जितेन्द्र सिंह राठौर **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	480
झारू और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	523
तेजा **उर्फ** तेज सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य	561
विरेन्दर सिंह **बनाम** अनीता रानी और एक अन्य	630
सतीश कुमार और अन्य **बनाम** झारखंड राज्य	543
हनीफ खान और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	501
संसद् के अधिनियम	
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(1) – (20)

अक्तूबर-दिसंबर, 2014 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

सहायक संपादक
विनोद कुमार आर्य

महत्वपूर्ण निर्णय

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20ख(ii)(ग) – विनिषिद्ध वस्तु की बरामदगी संदेहपूर्ण – यदि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है तथा अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु संदेहपूर्ण प्रतीत होती है तो अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

जितेन्द्र सिंह राठौर बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 480

संसद् के अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (20) क्रमशः

पृष्ठ संख्या 453 – 640 **(2014) 2 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – अक्तूबर-दिसंबर, 2014 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 453 – 640)

संपादक-मंडल

डा. संजय सिंह,
सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

प्रो. डा. वैभव गोयल,
सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ
विधि विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक, वि.सा.प्र.

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ला और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

पृष्ठ संख्या

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53)

– धारा 2(ज) और 24 [सपठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 2(ट), 18 और 20] – किशोरों का विचारण – जहां किसी एक अपराध में किशोर और किशोर से भिन्न व्यक्तियों का संयुक्ततः विचारण किया जाता है वहां विचारण न्यायालय किशोर अपचारियों के विचारण हेतु उनके मामले किशोर न्यायालय को सौंपेगा, अतः किशोर और किशोर से भिन्न व्यक्तियों का संयुक्ततः विचारण किया जाना उचित और विधिसम्मत नहीं है ।

सतीश कुमार और अन्य बनाम **झारखंड राज्य** 543

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 125 और 127 – भरणपोषण – वृद्धि – पक्षकारों की आय, उनकी आवश्यकता और वर्तमान निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए, पत्नी के भरण-पोषण की रकम को मासिक 400/- रुपए से बढ़ाकर 3,500/- रुपए और अध्ययन कर रहे 12 वर्ष के बालक हेतु भरणपोषण की रकम को 300/- रुपए से बढ़ाकर 4,000/- रुपए किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

चन्द्रशेखर चिनारा बनाम **निलनीप्रवा शाहू** उर्फ **चिनारा और एक अन्य** 537

– धारा 397 – पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग – सेशन न्यायालय द्वारा अवर दांडिक न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की परीक्षा किया जाना – पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नैत्यिक और संयोगिक रीति में नहीं किया जा सकता बल्कि केवल ऐसी स्थिति में किया जा सकता है जब यह दर्शित कर दिया जाए कि दांडिक कार्यवाही या आरोप की विरचना या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथाकथित

पृष्ठ संख्या

तथ्यों को देखने से और उनको समग्रता से स्वीकार किए जाने पर वह अपराध गठित नहीं होता जिसके बाबत अभियुक्त को आरोपित किया गया ।

एस. एम. कटवाल बनाम **वीरभद्र सिंह और एक अन्य** 594

– धारा 482, 320 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 498क] – उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता – विवाह संबंधी विवादों से संबंधित अशमनीय अपराधों में भी यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकारों ने किसी दबाव के बिना सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को सुलझा लिया है तो न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के अधीन उक्त अपराधों की बाबत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद या पश्चात्वर्ती आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित किया जा सकता है ।

विरेन्दर सिंह बनाम **अनीता रानी और एक अन्य** 630

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 148, 341, 323 और 307/149 – हत्या का प्रयत्न – अभियुक्त – अपीलार्थियों द्वारा घातक आयुधों से पीड़ित पर क्षतियां कारित किया जाना – यदि आशय के साथ उसे निष्पादित करने हेतु स्पष्ट कृत्य मौजूद हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि का औचित्य सिद्ध करने हेतु यह पर्याप्त होगा – यह आवश्यक नहीं है कि कारित की गई क्षति मृत्यु कारित करने में सक्षम हो – भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोपित अभियुक्त को केवल इस आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है कि पीड़ित को पहुंचाई गई क्षति केवल सामान्य उपहति की प्रकृति की थी ।

तेजा उर्फ **तेज सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य** 561

पृष्ठ संख्या

– धारा 302/34 और 376 – हत्या और बलात्संग – अभियोजन पक्ष समस्त साक्षियों और परिस्थितियों के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में असफल रहा कि हत्या और बलात्संग का कथित अपराध अपीलार्थीगण द्वारा किया गया था – अपीलार्थीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित न होने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के पात्र हैं ।

अरविन्द कुमार और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 453

– धारा 302, 436, 429, 148, 302/149, 436/149, 329/149 और 147 – हत्या – विधिविरुद्ध जमाव – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा आगजनी करके सामूहिक हत्या किया जाना – जहां मामले की परिस्थितियों, साक्ष्य तथा दो साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा आगजनी करके सामूहिक हत्याएं की गईं और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है वहां अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

झारू और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 523

– धारा 323 और 147 – घोर उपहति – सामान्य उद्देश्य – जहां अभिलेख और क्षतिग्रस्त तथा अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित होता है कि अपीलार्थियों ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घोर उपहति कारित की वहां अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित और न्यायसंगत है ।

हनीफ खान और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 501

पृष्ठ संख्या

– धारा 499 और 500 [सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 199] – मानहानि व्यक्तियों के समूह और समूह के प्रत्येक सदस्य का मानहानि के विरुद्ध परिवाद फाइल करने का अधिकार यदि व्यक्तियों के किसी समूह के विरुद्ध लांछन लगाए गए हों, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को ऐसे लांछनों द्वारा, यदि असत्य हों, युक्तियुक्त रूप से अपमानित हुआ माना जा सकता है ।

एस. एम. कटवाल बनाम **वीरभद्र सिंह और एक अन्य** 594

– धारा 499 और 500 – मानहानि – परिस्थितियां – यदि विद्यमान परिस्थितियां उस व्यक्ति की पहचान स्पष्ट निश्चितता के साथ उजागर करती है जिसकी मानहानि आशयित थी तो मानहानि का निष्कर्ष निकाला जाना पर्याप्त होगा ।

एस. एम. कटवाल बनाम **वीरभद्र सिंह और एक अन्य** 594

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 81 – समाचारपत्र में प्रकाशित विवरण की विधिक साक्ष्य में स्वीकार्यता – समाचारपत्र में प्रकाशित विवरण विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य गठित नहीं करते – मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य के अभाव में समाचारपत्र में प्रकाशित विवरण का कोई महत्व नहीं होता ।

एस. एम. कटवाल बनाम **वीरभद्र सिंह और एक अन्य** 594

– धारा 102 – मानहानि – सबूत का भार – कोई ऐसा लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण में है, तो इसे साबित करने का भार उसी पर होगा जिसने लांछन लगाया ।

एस. एम. कटवाल बनाम **वीरभद्र सिंह और एक अन्य** 594

पृष्ठ संख्या

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 20ख(ii)(ग) – विनिषिद्ध वस्तु की बरामदगी संदेहपूर्ण – यदि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है तथा अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु संदेहपूर्ण प्रतीत होती है तो अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

जितेन्द्र सिंह राठौर बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 480

———————

अरविन्द कुमार और एक अन्य*

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 22 मई, 2013

न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति बच्चू लाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 और 376 – हत्या और बलात्संग – अभियोजन पक्ष समस्त साक्षियों और परिस्थितियों के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में असफल रहा कि हत्या और बलात्संग का कथित अपराध अपीलार्थीगण द्वारा किया गया था – अपीलार्थीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित न होने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के पात्र हैं ।

अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह यादव (ग्राम प्रधान तिपरा जिला आजमगढ़) ने दिनांक 20 जुलाई, 2009 को समय प्रातः 6.20 बजे थाना मेंहनाजपुर में एक लिखित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत किया कि आज दिनांक 19-20 जुलाई, 2009 की रात में उसके ग्राम सभा तिपरा के ग्राम अकबालपुर के हरिजन बस्ती में रात के अज्ञात समय में किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने चन्द्रधारी राम पुत्र राम करन व कुमारी पूनम पुत्री चन्द्रधारी राम की हत्या कर दिया है तथा अशरफी पत्नी चन्द्रधारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है । आज सूचना पाकर वह मौके पर गया देखा कि दोनों मृतकों के शव मौके पर पड़े हैं । इस बारे में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए । वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर उक्त थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 302, 308 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया । तत्पश्चात् मामले की विवेचना थानाध्यक्ष, मेंहनाजपुर (श्री शिव शंकर सिंह अभियोजन साक्षी सं. 8) को

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

सौंपी गई । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-29 तथा मुकदमा कायमी से संबंधित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-30 है । विवेचनाधिकारी श्री शिव शंकर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि चारपाई पर मृतका कुमारी पूनम मृत अवस्था में तथा बगल की चारपाई पर, पूनम की मां श्रीमती अशरफी देवी जीवित एवं घायल तथा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है । बगल की मंडई में चन्द्रधारी राम का भी शव चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है । तत्पश्चात् विवेचनाधिकारी ने अपने हमराही उप-निरीक्षक श्री राम समुझ यादव को मृतकों का पंचायतनामा तैयार करने हेतु निर्देशित किया तथा चुटैल (श्रीमती अशरफी देवी) को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया । उप-निरीक्षक राम समुझ यादव ने मृतक चन्द्रधारी राम का पंचायतनामा तथा उससे संबंधित संलग्नक प्रपत्र चालान लाश, फोटो नाश, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी तथा चिट्ठी आर. आई. प्रदर्श क-8, प्रदर्श क-10, प्रदर्श क-11 तथा प्रदर्श क-14 तैयार किया । तत्पश्चात् मृतका कुमारी पूनम का भी पंचायतनामा तैयार किया तथा उससे संलग्नक प्रपत्र चालान लाश, फोटो नाश, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिट्ठी आर. आई. तैयार किया । दोनों मृतकों के शव को सर्व मोहर हालत में शव विच्छेदन हेतु भिजवाया । तत्पश्चात् मृतक चन्द्रधारी राम के शव के पास से खून आलूदा तथा सादी मिट्टी को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द तैयार किया फिर मृतका कुमारी पूनम के शव के पास से खून आलूदा तथा सादी मिट्टी को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द तैयार किया । घटनास्थल से ही एक अदद सरिया को पुलिस कब्जा में लेकर सर्व मोहर करने के पश्चात् उसकी फर्द तथा मृतका कुमारी पूनम के शव के नीचे का बिस्तर जिस पर वीर्य का दाग धब्बा दिखाई दे रहा था को काट कर पुलिस कब्जा में लेकर उसकी फर्द तैयार किया । घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिकारीगण से डाग स्कवायड की मांग पर लगभग 9 बजे प्रातः वाराणसी से डाग हैण्डलर दिनेश कुमार चौहान डाग शक्ति को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे । डाग शक्ति को घटनास्थल पर प्राप्त सामानों को सुंघाकर छोड़ा गया । डाग शक्ति घटनास्थल के पश्चिम उत्तर के कोने की आबादी के क्षेत्र में बने घरों में से एक घर के बरामदे में जाकर बैठ गया । डाग हैण्डलर ने बताया कि कुत्ता सूंघने के बाद कई घरों को छोड़कर इस घर में बैठा है निश्चित रूप से इस घर में घटना से संबंधित कोई वस्तु अवश्य बरामद होगी । घर की तलाशी लेने पर अंतिम कमरे के पलंग के नीचे से एक अदद सफेद हाफ पैंट जिसके दाहिने जेब में खून लगा बरामद हुई तथा दाहिने जेब से ही

मोबाइल नोकिया माडल 1100 जिसका नम्बर 9838361653 है बरामद हुआ । यह घर अभियुक्त/अपीलार्थी राम अवतार के पिता नारायन का था । विवेचनाधिकारी ने बरामद पैंट व मोबाइल को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द तथा बरामदगी स्थल का मानचित्र तैयार किया एवं विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल का मानचित्र भी तैयार किया । तत्पश्चात् विवेचनाधिकारी ने साक्षियों के बयान अंकित करने के पश्चात् उसी दिन अभियुक्त राम अवतार को तिपरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया । पूछताछ करने पर अभियुक्त राम अवतार ने अपना जुर्म इकबाल किया तथा उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट घर के पास स्थित पोखरी के पास रास्ते के बगल से बरामद किया । जिसकी फर्द तथा बरामदगी स्थल का मानचित्र तैयार किया । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का घटनाक्रम गलत है तथा उनके कब्जे से कुछ बरामद नहीं हुआ तथा उन्हें रंजिश वश झूंठा फंसाया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया । विद्वान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाते हुए मृत्यु दंड तथा धारा 308/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 376/114 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष योजित की है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संबंध में अशरफी तथा दीपक को परीक्षित कराया गया है । अशरफी ने अपने बयान में कहा है कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है । वह अपना निशानी अंगूठा लगाती है । उसका एक घर गांव में है तथा दूसरा मकान गांव से बाहर सिवान में पूरब तरफ उसके पति ने बनाया है । सिवान में जो मकान बना है उसमें वह अपने परिवार के साथ रहती है । घटना हुए लगभग साल भर हुआ । रात के दो बजे के समय मकान में करकट लगा हुआ था तथा वह अपने नाती के साथ चारपाई पर सोई हुई थी । उसकी लड़की कुमारी पूनम उसके बगल में अलग चारपाई पर सोई हुई थी । उसके पति मकान के बाहर

मंडई में सोए हुए थे उसके गांव के राम अवतार उसकी लड़की को मकान में घुसकर मुंह दबाकर पकड़ लिए । वह चिल्लाई और उसकी नींद टूट गई । उसने मोबाइल की रोशनी में देखा कि राम अवतार उसको पकड़ कर उसका मुंह दबाए थे । वह चिल्लाने लगी, उसके चिल्लाने पर उसके पति जाग गए जिस पर अरविन्द जो राम अवतार के साथ थे, ईंट से मारकर सिर कुचल दिए । उसके चिल्लाने पर राम अवतार ने उसे भी ईंट से मारा चोट लगी लेकिन वह बेहोश नहीं हुई थी । उसकी लड़की कुमारी पूनम के सिर पर राम अवतार ने ईंट से मारा जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई । उसके पति की जहां चोट लगी थी उनकी भी वहीं मृत्यु हो गई । जिस समय यह घटना घटी उस समय उसका नाती दीपक भी उसके साथ सोया हुआ था । घटना के समय जग गया था और उसने पूरी घटना को देखा है । राम अवतार तथा अरविन्द ने उसके नाती को धमकी दिया था कि घटना के बारे में किसी को बताओगे तो तुम्हें जान से मार कर फेंक दिया जाएगा । इस साक्षी को काफी चोट लगी थी लोग उठाकर सदर अस्पताल ले गए । वहीं पर डाक्टर ने चोट अधिक लगने के कारण वाराणसी रेफर कर दिया । चोट लगने के बाद से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है और वह अक्सर बातें भूल जाती है । एक डेढ़ महीना बाद दरोगा जी ने उसका बयान लिया था । उस समय वह अस्पताल से घर वापस आ गई थी । जिरह में कहा है कि जो बात उसने अदालत में आज बताई है इससे पहले वह किसी को नहीं बताई है । वह तारीख, महीना तथा उसे नहीं जानती है । दरोगा जी ने उसके बयान में तारीख, घटना, महीना व सन् कैसे लिख दिया वह नहीं बता सकती । घटना की रात उसके पति अलग मंडई में सोए थे जो तीन मंडई एक जगह हैं वह टिनशेड के मकान में सोई हुई थी । उसके दक्षिण तीन मंडई वाला वह अलग मकान है जिसमें उसके पति घटना वाली रात सोए हुए थे । घटना की रात अंधेरी थी । उसके पति को जो मारे उसने उनको देखा है । उसने उसी टिनशेड से घटना देखी है जहां पर वह सोई थी । मंडइयों के उत्तर में दो नीम का पेड़ भी है जो उसके टिनशेड से करीब 20 कदम दूर होगा । तीनों मंडइयां दीवाल पर हैं । उन तीनों मंडइयों के दरवाजे उत्तर की ओर खुलते हैं । इस पूरब वाली मंडई में उसके पति सोए थे । उसका असली पुश्तैनी मकान गांव में है । यह मकान जहां पर घटना हुई है दो फर्लांग की दूरी पर सिवान में है । उसने घटना देखी है । यह भी कहा है कि सिवान में मकान होने के नाते वहां पर न कोई पहुंचा न घटना देखी । जिरह में

यह भी बताया कि घटना के साल दो साल पहले उसका पुश्तैनी मकान जो गांव में था गिर गया । मुलजिमान के मकान में रहने लगी जिस जमीन में हम लोगों ने मकान बनाया है वह मुलजिमान का नहीं है । हम लोगों की है । मुलजिमान जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे कि जमीन मेरी है और कोई रंजिश मुलजिमानों से हमारी नहीं है । जब उसने कहा कि कौन है तब उसके ऊपर हमला हुआ । उस समय वह बेहोश नहीं थी । जब उसे मारा तब बह बेहोश हुई । बहुत देर में बेहोश हुई । उसके घर में उजाला करने की कोई चीज नहीं थी । उसे वाराणसी में दौरा आया । इस तरह से साक्षी ने अपने बयान में मुलजिमान द्वारा कथित घटना कारित करने की बात कही है लेकिन न्यायालय के विचार में इस साक्षी का कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि घटना की रात अंधेरी थी । यद्यपि इस साक्षी ने यह बताया है कि मोबाइल की रोशनी में घटना देखी थी लेकिन मौके से कोई मोबाइल बरामद नहीं किया गया है । दीपक ने बयान में यह बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम अवतार मोबाइल की टार्च चलाए थे । न्यायालय के विचार से अपीलार्थी/राम अवतार द्वारा घटना के समय मोबाइल से रोशनी करके कथित घटना कारित करना स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी अपराधी अपने आपको पहचाने जाने के डर से मौके पर मोबाइल की रोशनी नहीं करेगा । ऐसी दशा में अपीलार्थी राम अवतार द्वारा कथित घटना के समय मोबाइल के टार्च से रोशनी करना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है । यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब अशरफी (चुटैल) मेडिकल कालेज वाराणसी में भर्ती थी तभी विवेचनाधिकारी इस साक्षी से पूछताछ करके उसका बयान अंकित कर सकते थे । यद्यपि उनके द्वारा इस साक्षी का बयान घटना के तुरन्त बाद अंकित नहीं किया गया बल्कि घटना के करीब डेढ़ माह बाद अंकित किया गया है । इस प्रकार भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता इस घटना में संदेह से परे सिद्ध नहीं होती है । इस साक्षी ने अपने बयान में यह अभिकथित किया है कि उसके पति को अपीलार्थी अरविन्द ने ईंट से मारा था । न्यायालय के विचार से इस साक्षी का उक्त कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस साक्षी ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि घटना की रात वह अलग मंडई में अपने नाती के साथ सोई हुई थी तथा बगल में दूसरी चारपाई पर उसकी लड़की कुमारी पूनम सोई हुई थी । इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में

यह भी कथन किया है कि जिस मंडई में उसके पति सोए हुए थे वे तीन मंडई एक ही जगह हैं और तीनों मंडई दीवाल पर हैं तथा तीनों के दरवाजे उत्तर की तरफ खुलते हैं । विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का मानचित्र भी बनाया गया है जो पत्रावली पर है । घटनास्थल के मानचित्र के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचनाधिकारी ने मानचित्र में ए स्थान पर चन्द्रधारी राम की पत्नी अशरफी को चारपाई पर मंडई में सोने का उल्लेख किया है । बी स्थान पर मृतका पूनम को चारपाई पर सोना दर्शाया गया है । सी स्थान पर मृतक चन्द्रधारी राम का शव चारपाई के नीचे जमीन पर पड़ा होने का उल्लेख किया गया है । सी स्थान वाली मंडई में मृतक चन्द्रधारी राम का शव पाया गया है जो अशरफी एवं मृतका कुमारी पूनम की सोने वाली, मंडई से अलग है । जहां पर मृतक चन्द्रधारी राम का शव पाया गया उस मंडई का दरवाजा मानचित्र में उत्तर की तरफ दर्शाया गया है तथा चुटैल साक्षी ने अपने बयान में इस मंडई को दीवाल पर बने होने का उल्लेख किया है । न्यायालय के विचार से ए वाले स्थान से अशरफी द्वारा उसके पति चन्द्रधारी राम की हत्या करने वाले को देखना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि चन्द्रधारी राम का शव जिस मंडई में पाया गया है उसका दरवाजा उत्तर की तरफ है और यह मंडई दीवाल पर बनी हुई है । ऐसी स्थिति में दूसरी मंडई के अंदर से इस मंडई के अंदर मृतक चन्द्रधारी राम की हत्या होते हुए अशरफी द्वारा देखना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी सं. 1 द्वारा अपने बयान में यह कहीं भी नहीं बताया गया है कि वह अपने टिनशेड वाली मंडई से निकल कर बाहर आई हो तथा जिस समय चन्द्रधारी राम की हत्या हुई वहां पहुंच कर उसने घटना देखी हो बल्कि इस साक्षी ने यह कहा है कि उसने घटना को उसी टिनशेड वाले मंडई से देखा जहां पर वह सोई हुई थी । उससे यह स्पष्ट होता है कि यह साक्षी अपने सोने वाली मंडई से बाहर नहीं निकली । ऐसी स्थिति में इस साक्षी के द्वारा घटना देखना स्वाभाविक नहीं लगता । ऐसी दशा में इस साक्षी ने अपने पति की हत्या जो अभियुक्त अरविन्द द्वारा करने की बात कही है वह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है तथा इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है एवं इस साक्षी की साक्ष्य से अपीलार्थीगण द्वारा कथित घटना कारित करना संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है । यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह साक्षी एक अवयस्क बालक है और कथित घटना के समय उसकी आयु 6-7 साल बताई जाती है । इस साक्षी का कथन भी किसी प्रकार से स्वाभाविक

एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस साक्षी का बयान विवेचनाधिकारी ने घटना के ही दिन दिनांक 20 जुलाई, 2009 को अंकित किया है । इस साक्षी ने विवेचनाधिकारी को दिए गए अपने बयान में किसी भी अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं किया है । शिव शंकर सिंह, थानाध्यक्ष ने अपने जिरह में स्वीकार किया है कि उन्होंने दीपक का बयान लिया था जिसमें इस साक्षी ने यह बयान नहीं दिया कि अभियुक्त राम अवतार और अरविन्द घर में घुसे थे । उसने यह भी बयान नहीं दिया था कि उसके बाबा को अरविन्द ने मारा । इस साक्षी ने यह भी नहीं बताया कि उसकी बुआ और दादी को अभियुक्त राम अवतार ने मारा था । मोबाइल की टार्च की रोशनी में उसने देखा था कि राम अवतार मोबाइल का टार्च जलाए थे । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस साक्षी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में अपीलार्थीगण के नाम का उल्लेख नहीं किया है तथा न ही उसने विवेचनाधिकारी के समक्ष अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा अपने दादा, दादी एवं बुआ को मारने का उल्लेख किया है । ऐसी दशा में इस साक्षी का कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में स्वीकार किया है कि वह अपने पापा मम्मी के साथ दिल्ली में रहता है और उसे अपने क्लास टीचर का नाम नहीं मालूम है तथा न ही अपने गांव के प्रधान या उप-प्रधान का नाम ही जानता । गांव में किसी का नाम नहीं जानता । ऐसी स्थिति में जब यह साक्षी गांव के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जानता तब इस साक्षी को मात्र अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के ही नाम याद रहे यह स्वाभाविक नहीं लगता है । इस साक्षी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि वह अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को कैसे जानता व पहचानता था । ऐसी दशा में इस साक्षी को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के नाम की जानकारी होना स्वाभाविक नहीं लगता बल्कि यह प्रतीत होता है कि यह एक सिखाया हुआ साक्षी है तथा किसी के सिखाने के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करने की बात कही है । इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में यह भी स्वीकार किया है कि वह रात में जान गया कि बाबा को मारे थे । जब वह गया तो बाबा मरे पड़े थे उसने मारते नहीं देखा । बदमाश लोग घर में से बक्शा खोलकर सामान ले गए थे । उपरोक्त परिस्थिति में भी इस साक्षी की साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती

है एवं अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करना सिद्ध नहीं पाया जाता है । अपीलार्थी राम अवतार के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद होने की बात कही गई है तथा यह भी कहा गया है कि उक्त ईंट में खून लगा हुआ था । हमारे विचार से उक्त बरामदगी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है क्योंकि कथित बरामदगी के बारे में कोई जन साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है । उक्त बरामदगी खुले स्थान पर होना बताई गई है तथा यह कहा गया कि अपीलार्थी राम अवतार के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट घर के पास स्थित पोखरी के पास रास्ते के बगल से बरामद की गई थी । जिस जगह से ईंट की बरामदगी दर्शाई गई उसे नक्शा नजरी में घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर खुले स्थान पर घटना में प्रयुक्त खून आलूदा ईंट को फेंकना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । ऐसी दशा में कथित बरामदगी की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है । यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि मृतका कुमारी पूनम के बिस्तर के टुकड़े जिन पर वीर्य के धब्बे दिखाई दे रहे थे को पुलिस कब्जा में लेकर रासायनिक परीक्षण को भेजने की बात कही गई है परंतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-23 में मृतका पूनम के कपड़े तथा कथरी के टुकड़े एवं अपीलार्थी राम अवतार के घर से बरामद हाफ पैंट पर कोई भी वीर्य एवं शुक्राणु नहीं पाए गए । राजेन्द्र सिंह यादव वादी मुकदमा है । इस साक्षी ने अपने बयान में यह बताया है कि घटना दिनांक 19/20 जुलाई, 2009 के रात्रि की है । उसे सुबह सूचना मिली कि हरिजन बस्ती में रात को किस समय बदमाशों ने चन्द्रधारी राम पुत्र रामकरन व कुमारी पूनम पुत्री चन्द्रधारी की हत्या कर दी है और अशरफी पत्नी चन्द्रधारी गम्भीर रूप से घायल है । सूचना पाकर वह मौके पर गया था । दोनों शव मौके पर अलग-अलग पड़े थे । इसकी सूचना उसने थाने पर लिख कर दिया । इस साक्षी ने लिखित तहरीर को साबित किया है । यह भी कहा है कि पुलिस आई और शव का पंचायतनामा उसके सामने किया । चन्द्रधारी राम के सिर पर चोटें थीं । कान, नाक से खून निकला हुआ था । कुमारी पूनम के शव का भी पंचायतनामा उसके सामने हुआ था । उसके सिर पर काफी चोटें थीं । उसके मुंह से झाग निकल रहा था । इस साक्षी ने मृतक के पंचायतनामा पर भी अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है । इस साक्षी ने जिरह में यह कहा है कि उसने घटना की पूरी जानकारी किया लेकिन किसी ने भी राम अवतार व अरविन्द का नाम घटना कारित करने में नहीं बताया । पंचायतनामा के समय भी अज्ञात लोगों का नाम

बताया गया । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि इस साक्षी मात्र वादी मुकदमा है । उसने घटना की लिखित सूचना थाने पर दाखिल किया था । जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई थी । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट इस साक्षी द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी । इस साक्षी ने अपनी जिरह में स्पष्ट बताया है कि घटना की पूरी जानकारी उसने किया लेकिन किसी ने भी राम अवतार व अरविन्द का नाम घटना कारित करने में नहीं बताया । ऐसी दशा में स्पष्ट है कि इस साक्षी के बयान में ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे अपीलार्थीगण को कथित घटना या अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके । अन्य साक्षी औपचारिक प्रकृति के हैं तथा उनके बयान में भी ऐसी कोई खास बात नहीं आई है जिससे कि अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्राप्त हो सके । (पैरा 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35 और 37)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की कैपिटल दांडिक अपील सं. 7099.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री कुंअर सिद्धार्थ सिंह, टी. बी. पांडेय, जी. एस. चतुर्वेदी और प्रशांत व्यास

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने दिया ।

न्या. लाल – अपीलार्थीगण अरविन्द कुमार तथा राम अवतार ने यह अपील श्री बुद्धिराम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 4 आजमगढ़ द्वारा सत्र परीक्षण सं. 34 वर्ष 2010 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18/19 नवंबर, 2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की है । जिसके द्वारा उन्हें धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि के आधार पर मृत्यु दंड तथा धारा 308/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 376/114 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और बीस-बीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है । अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में वे छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड भुगतेंगे ।

2. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्यु दंड के पुष्टि हेतु संदर्भ

सं. 18 वर्ष 2011 प्रेषित किया गया है ।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह यादव (ग्राम प्रधान तिपरा जिला आजमगढ़) ने दिनांक 20 जुलाई, 2009 को समय प्रातः 6.20 बजे थाना मेंहनाजपुर में एक लिखित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत किया कि आज दिनांक 19-20 जुलाई, 2009 की रात में उसके ग्राम सभा तिपरा के ग्राम अकबालपुर के हरिजन बस्ती में रात के अज्ञात समय में किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने चन्द्रधारी राम पुत्र राम करन व कुमारी पूनम पुत्री चन्द्रधारी राम की हत्या कर दिया है तथा अशरफी पत्नी चन्द्रधारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है । आज सूचना पाकर वह मौके पर गया देखा कि दोनों मृतकों के शव मौके पर पड़े हैं । इस बारे में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए ।

4. वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-31 के आधार पर उक्त थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 302, 308 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया । तत्पश्चात् मामले की विवेचना थानाध्यक्ष, मेंहनाजपुर (श्री शिव शंकर सिंह अभियोजन साक्षी सं. 8) को सौंपी गई । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-29 तथा मुकदमा कायमी से संबंधित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-30 है ।

5. विवेचनाधिकारी श्री शिव शंकर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि चारपाई पर मृतका कुमारी पूनम मृत अवस्था में तथा बगल की चारपाई पर, पूनम की मां श्रीमती अशरफी देवी जीवित एवं घायल तथा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है । बगल की मंडई में चन्द्रधारी राम का भी शव चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है । तत्पश्चात् विवेचनाधिकारी ने अपने हमराही उप-निरीक्षक श्री राम समुझ यादव को मृतकों का पंचायतनामा तैयार करने हेतु निर्देशित किया तथा चुटैल (श्रीमती अशरफी देवी) को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया । अभियोजन साक्षी सं. 7 उप-निरीक्षक राम समुझ यादव ने मृतक चन्द्रधारी राम का पंचायतनामा प्रदर्श क-5 तथा उससे संबंधित संलग्नक प्रपत्र चालान लाश, फोटो नाश, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी तथा चिट्ठी आर. आई. प्रदर्श क-8, प्रदर्श क-10, प्रदर्श क-11 तथा प्रदर्श क-14 तैयार किया ।

6. तत्पश्चात् मृतका कुमारी पूनम का भी पंचायतनामा प्रदर्श क-6 तैयार किया तथा उससे संलग्नक प्रपत्र चालान लाश प्रदर्श क-7, फोटो नाश प्रदर्श क-9, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदर्श क-12 एवं चिट्ठी आर.

आई. प्रदर्श क-15 तैयार किया । दोनों मृतकों के शव को सर्व मोहर हालत में शव विच्छेदन हेतु भिजवाया । तत्पश्चात् मृतक चन्द्रधारी राम के शव के पास से खून आलूदा तथा सादी मिट्टी को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क-16 तैयार किया फिर मृतका कुमारी पूनम के शव के पास से खून आलूदा तथा सादी मिट्टी को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क-17 तैयार किया । घटनास्थल से ही एक अदद सरिया को पुलिस कब्जा में लेकर सर्व मोहर करने के पश्चात् उसकी फर्द प्रदर्श क-18 तथा मृतका कुमारी पूनम के शव के नीचे का बिस्तर जिस पर वीर्य का दाग धब्बा दिखाई दे रहा था को काट कर पुलिस कब्जा में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क-19 तैयार किया ।

7. घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिकारीगण से डाग स्कवायड की मांग पर लगभग 9 बजे प्रातः वाराणसी से डाग हैण्डलर दिनेश कुमार चौहान डाग शक्ति को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे । डाग शक्ति को घटनास्थल पर प्राप्त सामानों को सुंघाकर छोड़ा गया । डाग शक्ति घटनास्थल के पश्चिम उत्तर के कोने की आबादी के क्षेत्र में बने घरों में से एक घर के बरामदे में जाकर बैठ गया । डाग हैण्डलर ने बताया कि कुत्ता सूंघने के बाद कई घरों को छोड़कर इस घर में बैठा है निश्चित रूप से इस घर में घटना से संबंधित कोई वस्तु अवश्य बरामद होगी । घर की तलाशी लेने पर अंतिम कमरे के पलंग के नीचे से एक अदद सफेद हाफ पैंट जिसके दाहिने जेब में खून लगा बरामद हुई तथा दाहिने जेब से ही मोबाइल नोकिया माडल 1100 जिसका नम्बर 9838361653 है बरामद हुआ । यह घर अभियुक्त/अपीलार्थी राम अवतार के पिता नारायन का था । विवेचनाधिकारी ने बरामद पैंट व मोबाइल को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क-22 तथा बरामदगी स्थल का मानचित्र प्रदर्श क-23 तैयार किया एवं विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल का मानचित्र भी प्रदर्श क-24 तैयार किया । तत्पश्चात् विवेचनाधिकारी ने साक्षियों के बयान अंकित करने के पश्चात् उसी दिन अभियुक्त राम अवतार को तिपरा मोड के पास से गिरफ्तार किया । पूछताछ करने पर अभियुक्त राम अवतार ने अपना जुर्म इकबाल किया तथा उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट घर के पास स्थित पोखरी के पास रास्ते के बगल से बरामद किया । जिसकी फर्द प्रदर्श क-26 तथा बरामदगी स्थल का मानचित्र प्रदर्श क-25 तैयार किया ।

8. तत्पश्चात् मामले में धारा 376 भारतीय दंड संहिता की बढ़ोतरी

दिनांक 20 जुलाई, 2009 के रपट सं. 26/18.30 बजे की जी. डी. में अंकित किया । जी. डी. की नकल प्रदर्श क-27 है ।

9. दिनांक 20 जुलाई, 2009 को समय करीब 4.50 सायं पर मृतका कुमारी पूनम का शव विच्छेदन अभियोजन साक्षी सं. 4 डाक्टर ए. के. मिश्रा द्वारा किया गया । मृतका की आयु लगभग 16 वर्ष थी तथा मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व की थी ।

बाह्य परीक्षण – मृतका औसत कद काठी की थी, आंखें बंद थी, मुंह आधा खुला हुआ था । दाहिने कान से एवं नाक से खून आ रहा था । जमा हुआ खून दाहिने तरफ चेहरे पर मौजूद था । मुंह से सलाइबा निकल रहा था । मृत्यु के पश्चात् शरीर के निचले हिस्से में अकड़न मौजूद थी । मृत्यु पूर्व आई चोटें :–

"1. फटा घाव 2 से. मी. x 1 से. मी. हड्डी की गहराई तक दाहिने आंख के भौंह पर ।

2. कन्ट्यूजन 20 से. मी. x 10 से. मी. सिर में ऊपरी हिस्से में ।

आन्तरिक परीक्षण – दाहिने पेराइटल, आक्सीपिटल एवं फ्रान्टल बोन टूटी हुई थी । मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली फटी थी । मस्तिष्क में हिमेटोमा मौजूद था ।

लेविया मेजोरा और माइनोरा वेजाइना के दोनों तरफ फटा हुआ था । वेजाइना के ऊपर की झिल्ली फटी थी एवं सूजन थी ।

लगभग 10 एम. एल. वेजाइनल वाश को जार में सैम्पल सील करके कांस्टेबल को सौंप दिया गया । मृतका की मृत्यु, सदमा, मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण हुई ।"

10. उसी दिन सायं 4.10 बजे पर मृतक चन्द्रधारी राम के शव का शव विच्छेदन किया गया ।

बाह्य परीक्षण – मृतक औसत कद काठी का था । आंख व मुंह बंद था, बाएं कान, नाक एवं मुंह से खून आ रहा था । शरीर के निचले हिस्से में मृत्यु के पश्चात् अकड़न मौजूद थी ।

मृत्यु पूर्व आई चोटें – कन्ट्यूजन 10 से. मी. x 10 से. मी. बाएं तरफ सिर में पिछले हिस्से में बाएं कान से 5 से. मी. नीचे की तरफ ।

आन्तरिक परीक्षण – आक्सीपिटल बायां पेराइटल एवं टैम्पोरेल हड्डी टूटी हुई थी । मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली फटी थी । मस्तिष्क में हिमेटोमा मौजूद था । मृतक की मृत्यु सदमा, मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण हुई ।

11. दिनांक 20 जुलाई, 2009 को समय 10.15 बजे सुबह चुटैल श्रीमती अशरफी देवी का चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल आजमगढ़ में अभियोजन साक्षी सं. 6 डाक्टर पी. बी. प्रसाद द्वारा किया गया । जिसके शरीर पर परीक्षण के समय निम्नलिखित चोटें पाई गईं :–

> "1. कन्ट्यूजन सूजन 10 से. मी. x 6 से. मी. बाईं आंख को कवर करते हुए मौजूद थी । जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई ।
>
> 2. दाहिने कान से खून बह रहा था, घाव को निगरानी में रखा गया ।"

12. चोटें किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से आना संभव हैं तथा ताजी हैं । इस साक्षी ने अपने परीक्षण में चुटैल की रिपोर्ट प्रदर्श क-20 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया तथा इस साक्षी ने एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर चुटैल की पूरक चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क-21 तैयार किया है ।

13. दिनांक 25 अगस्त, 2009 को चुटैल अशरफी देवी पत्नी चन्द्रधारी के सिर का एक्सरे जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में अभियोजन साक्षी सं. 3 डा. के. एन. पांडेय वरिष्ठ परामर्शदाता के निर्देशन में किया गया । उस वक्त तैयार एक्सरे प्लेट में पुराना सामने की हड्डी (Forntal Bone) में टूटन मौजूद थी । इस साक्षी ने एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-1 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की है । एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1 एवं 2 हैं ।

14. अभियोजन साक्षी सं. 8 (विवेचनाधिकारी) ने विवेचना के दौरान साक्षियों के बयान अंकित किया तत्पश्चात् दिनांक 23 जुलाई, 2009 को अपीलार्थी/अभियुक्त अरविन्द को उन्होंने गिरफ्तार किया तथा उसका बयान अंकित किया । तत्पश्चात् इस मामले की अग्रिम विवेचना उप-निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 11) के द्वारा सम्पादित की गई । उन्होंने विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302, 308 और 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।

15. तत्पश्चात् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आजमगढ़ ने अपने आदेश

दिनांक 22 जनवरी, 2010 के द्वारा इस मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया ।

16. विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302/34, 308/34 एवं 376/114 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार करते हुए परीक्षण की मांग की ।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी देवी (चुटैल), अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक (बालक), अभियोजन साक्षी सं. 3 डा. के. एन. पांडेय, अभियोजन साक्षी सं. 4 डा. ए. के. मिश्रा, अभियोजन साक्षी सं. 5 आरक्षी दिनेश कुमार चौहान (डाग स्कवायड हैण्डलर), अभियोजन साक्षी सं. 6 डा. पी. बी. प्रसाद (वरिष्ठ आर्थोसर्जन), अभियोजन साक्षी सं. 7 राम समुझ यादव (उप-निरीक्षक), अभियोजन साक्षी सं. 8 शिव शंकर सिंह थानाध्यक्ष, अभियोजन साक्षी सं. 9 दयाशंकर उपाध्याय, आरक्षी/मुहर्रिर, अभियोजन साक्षी सं. 10 राजेन्द्र सिंह यादव (वादी मुकदमा) तथा अभियोजन साक्षी सं. 11 बृजेश कुमार सिंह उप-निरीक्षक/विवेचनाधिकारी को परीक्षित कराया गया ।

18. अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी चुटैल है तथा अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक एक बालक है । उपरोक्त दोनों साक्षियों को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना बताया गया है । अभियोजन साक्षी सं. 3 डा. के. एन. पांडेय ने चुटैल अशरफी के सिर का एक्सरे अपने निर्देशन में कराया था । इस साक्षी ने एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-1 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथा एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1 व वस्तु प्रदर्श-2 है । अभियोजन साक्षी सं. 4 डा. ए. के. मिश्रा ने मृतका कुमारी पूनम तथा मृतक चन्द्रधारी राम के शवों का शव विच्छेदन किया था । इस साक्षी ने मृतका कुमारी पूनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-2 तथा मृतक चन्द्रधारी राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना साबित किया है । अभियोजन साक्षी सं. 5 आरक्षी डाग हैण्डलर दिनेश कुमार चौहान, डाग शक्ति को लेकर मौके पर आए थे । डाग शक्ति घटनास्थल पर पड़े सामान एवं वस्तु को सूंघने के पश्चात् उत्तर पश्चिम दिशा में भागते हुए 300 मीटर की दूरी पर स्थित नारायन के घर में घुस कर बैठ गया था । उक्त मकान से एक अदद सफेद रंग की हाफ पैंट बरामद हुई थी जिसके दाहिने जेब में खून लगा था तथा उसी जेब से एक

नोकिया मोबाइल माडल 1100 भी बरामद हुआ था । उक्त डाग स्कवायड की कार्यवाही के संबंध में इस साक्षी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को दी गई थी । इस साक्षी ने उक्त रिपोर्ट प्रदर्श क-4 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । अभियोजन साक्षी सं. 6 डा. बी. पी. प्रसाद द्वारा चुटैल अशरफी का डाक्टरी परीक्षण किया गया था । इस साक्षी ने चुटैल अशरफी की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क-20 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । इस साक्षी ने एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर चुटैल की पूरक चिकित्सीय आख्या तैयार की थी । जिसे इस साक्षी द्वारा प्रदर्श क-21 के रूप में साबित किया गया है । अभियोजन साक्षी सं. 7 राम समुझ यादव, उप-निरीक्षक ने पूर्व विवेचनाधिकारी/थानाध्यक्ष शिव शंकर सिंह के निर्देश पर मृतक चन्द्रधारी राम तथा मृतका कुमारी पूनम के पंचायतनामा तैयार किया था । इस साक्षी ने मृतकों के पंचायतनामा तथा उनसे संबंधित संलग्न प्रपत्रों को प्रदर्श क-5 लगायत प्रदर्श क-15 के रूप में साबित किया है तथा घटनास्थल से खून आलूदा एवं सादी मिट्टी की फर्द प्रदर्श क-16 एवं प्रदर्श क-17 तथा मौके से बरामद एक अदद सरिया जिसे कब्जा पुलिस में लेकर सर्व मोहर किया गया था की फर्द प्रदर्श क-18 तथा मृतका कुमारी पूनम के बिस्तर के नीचे वीर्य के दाग एवं धब्बे दिखाई दे रहे थे जिसे काट कर पुलिस कब्जे में लिया गया था, उसकी फर्द प्रदर्श क-19 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । मृतका कुमारी पूनम के शव के पास से लिया गया खून आलूदा व सादी मिट्टी को वस्तु प्रदर्श-3 एवं प्रदर्श-4 तथा मृतक चन्द्रधारी राम के शव के पास से लिया गया खून आलूदा व सादी मिट्टी को वस्तु प्रदर्श-5 एवं प्रदर्श-6 तथा बरामद सरिया को वस्तु प्रदर्श-7 के रूप में साबित किया है । अभियोजन साक्षी सं. 8 शिव शंकर सिंह, थानाध्यक्ष इस मामले के प्रारंभिक विवेचक हैं । उन्होंने अपने द्वारा की गई विवेचना तथा विवेचना के दौरान तैयार किए गए कागजात, फर्द एवं कब्जा में लिए एक अदद हाफ पैंट तथा नोकिया मोबाइल माडल 1100 प्रदर्श क-22 तथा बरामदगी स्थल का मानचित्र प्रदर्श क-23 को साबित किया है । इस साक्षी द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी भी तैयार किया गया था । इस साक्षी के द्वारा घटनास्थल के मानचित्र प्रदर्श क-24 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में बताते हुए साबित किया गया है तथा अपीलार्थी राम अवतार की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट की बरामदगी से संबंधित फर्द प्रदर्श क-26 एवं बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-25 को अपने लेख एवं

हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । यह भी कहा है कि धारा 376 भारतीय दंड संहिता की बढ़ोतरी का इंदराज नकल रपट 26/1830 रोजनामचा आम दिनांक 20 जुलाई, 2009 को किया है । जिसे हेड मुहर्रिर के लेख में बताते हुए प्रदर्श क-27 के रूप में साबित किया है तथा अभियुक्त अरविन्द की गिरफ्तारी के संबंध में जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-28 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रमाणित किया है तथा घटना में प्रयुक्त बरामद ईंट को वस्तु प्रदर्श-9 तथा बरामद मोबाइल को वस्तु प्रदर्श-10 के रूप में साबित किया है ।

19. अभियोजन साक्षी सं. 9 आरक्षी दयाशंकर उपाध्याय ने वादी राजेन्द्र सिंह यादव की तहरीर के आधार पर चिक प्रथम सूचना अंकित की थी । इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-29 तथा मुकदमा कायमी से संबंधित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-30 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में बताते हुए साबित किया है । अभियोजन साक्षी सं. 10 राजेन्द्र सिंह यादव वादी मुकदमा है जिन्होंने लिखित तहरीर प्रदर्श क-31 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में बताते हुए साबित किया है । अभियोजन साक्षी सं. 11 बृजेश कुमार सिंह, उप-निरीक्षक इस मुकदमे के अंतिम विवेचक हैं । जिन्होंने विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है । इस साक्षी ने आरोप पत्र प्रदर्श क-32 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है ।

20. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का घटनाक्रम गलत है तथा उनके कब्जे से कुछ बरामद नहीं हुआ तथा उन्हें रंजिश वश झूंठा फंसाया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया ।

21. विद्वान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाते हुए मृत्यु दंड तथा धारा 308/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 376/114 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष योजित की है ।

22. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री गोपालस्वरूप चतुर्वेदी तथा उनके सहायक के रूप में श्री टी. बी. पांडेय एवं श्री प्रशांत व्यास एवं राज्य की ओर से विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना ।

23. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने हमारे सम्मुख मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाई गई बरामदगी गलत एवं फर्जी है । अपीलार्थी राम अवतार द्वारा विवेचनाधिकारी को घटना में प्रयुक्त कोई भी ईंट बरामद नहीं कराई गई । विवेचनाधिकारी ने गलत कहानी बनाकर फर्जी ढंग से ईंट की बरामदगी दिखाई है । अपीलार्थी अरविन्द से कोई बरामदगी नहीं बताई जाती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र डाग स्कवायड के आधार पर अपीलार्थीगण की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । पुलिस द्वारा मौके पर डाग स्कवायड मंगाया गया था । जिससे स्पष्ट होता है कि हमलावर अज्ञात थे तथा किसी ने घटना होते नहीं देखी थी । अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी तथा अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं । उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य से कथित अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । विवेचनाधिकारी ने अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी का बयान काफी विलंब से दिनांक 12 सितंबर, 2009 को अंकित किया है तथा अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में अपीलार्थीगण के नाम का उल्लेख नहीं किया है । यदि अपीलार्थीगण द्वारा कथित घटना कारित की गई होती तो अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी तथा अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक उनका नाम पुलिस के समक्ष तुरन्त लेते लेकिन अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में अपीलार्थीगण के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण को महज रंजिशन झूंठा फंसाया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से अपीलार्थीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हैं । विद्वान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन नहीं किया गया । ऐसी दशा में विद्वान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन नहीं किया गया । ऐसी दशा में विद्वान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18-19 नवंबर, 2011 अपास्त किए जाने योग्य है तथा अपीलार्थीगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं ।

24. विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा इसके विपरीत यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है तथा अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक एक अवयस्क बालक है और घटना के समय अभियोजन साक्षी सं. 1 श्रीमती अशरफी देवी (चुटैल) के साथ सो रहा था । उसने कथित घटना को मोबाइल के टार्च की रोशनी में देखा है और अपीलार्थीगण को पहचाना है । अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी देवी चुटैल साक्षी है उसने भी कथित घटना अपीलार्थीगण द्वारा कारित करने का उल्लेख किया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से अपीलार्थीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हैं एवं विद्वान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया निर्णय एवं आदेश साक्ष्य पर आधारित है एवं प्रश्नगत निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है ।

25. अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी तथा अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक को परीक्षित कराया गया है । अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी ने अपने बयान में कहा है कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है । वह अपना निशानी अंगूठा लगाती है । उसका एक घर गांव में है तथा दूसरा मकान गांव से बाहर सिवान में पूरब की तरफ उसके पति ने बनाया है । सिवान में जो मकान बना है उसमें वह अपने परिवार के साथ रहती है । घटना हुए लगभग साल भर हुआ । रात के दो बजे के समय मकान में करकट लगा हुआ था तथा वह अपने नाती के साथ चारपाई पर सोई हुई थी । उसकी लड़की कुमारी पूनम उसके बगल में अलग चारपाई पर सोई हुई थी । उसके पति मकान के बाहर मंडई में सोए हुए थे उसके गांव के राम अवतार उसकी लड़की को मकान में घुसकर मुंह दबाकर पकड़ लिए । वह चिल्लाई और उसकी नींद टूट गई । उसने मोबाइल की रोशनी में देखा कि राम अवतार उसको पकड़ कर उसका मुंह दबाए थे । वह चिल्लाने लगी, उसके चिल्लाने पर उसके पति जाग गए जिस पर अरविन्द जो राम अवतार के साथ थे, ईंट से मारकर सिर कुचल दिए । उसके चिल्लाने पर राम अवतार ने उसे भी ईंट से मारा चोट लगी लेकिन वह बेहोश नहीं थी । उसकी लड़की कुमारी पूनम के सिर पर राम अवतार ने ईंट से मारा जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई । उसके पति की जहां चोट लगी थी उनकी भी वहीं मृत्यु हो गई । जिस समय यह घटना घटी उस समय उसका नाती दीपक भी उसके साथ सोया हुआ था । घटना के समय जग गया था और उसने पूरी घटना को देखा है ।

राम अवतार तथा अरविन्द ने उसके नाती को धमकी दिया था कि घटना के बारे में किसी को बताओगे तो तुम्हें जान से मार कर फेंक दिया जाएगा । इस साक्षी को काफी चोट लगी थी लोग उठाकर सदर अस्पताल ले गए । वहीं पर डाक्टर ने चोट अधिक लगने के कारण वाराणसी रेफर कर दिया । चोट लगने के बाद से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है और वह अक्सर बातें भूल जाती है । एक डेढ़ महीना बाद दरोगा जी ने उसका बयान लिया था । उस समय वह अस्पताल से घर वापस आ गई थी । जिरह में कहा है कि जो बात उसने अदालत में आज बताई है इससे पहले वह किसी को नहीं बताई है । वह तारीख, महीना तथा सन नहीं जानती है । दरोगा जी ने उसके बयान में तारीख, घटना, महीना व सन कैसे लिख दिया वह नहीं बता सकती । घटना की रात उसके पति अलग मंडई में सोए थे जो तीन मंडई एक जगह हैं वह टिनशेड के मकान में सोई हुई थी । उसके दक्षिण तीन मंडई वाला वह अलग मकान है जिसमें उसके पति घटना वाली रात सोए हुए थे । घटना की रात अंधेरी थी । उसके पति को जो मारे उसने उनको देखा है । उसने उसी टिनशेड से घटना देखी है जहां पर वह सोई थी । मंडइयों के उत्तर दो नीम का पेड़ भी है जो उसके टिनशेड से करीब 20 कदम दूर होगा । तीनों मंडइयां दीवाल पर हैं । उन तीनों मंडइयों के दरवाजे उत्तर की ओर खुलते हैं । इस पूरब वाली मंडई में उसके पति सोए थे । उसका असली पुश्तैनी मकान गांव में है । यह मकान जहां पर घटना हुई है दो फर्लांग की दूरी पर सिवान में है । उसने घटना देखी है । यह भी कहा है कि सिवान में मकान होने के नाते वहां पर न कोई पहुंचा न घटना देखी । जिरह में यह भी बताया कि घटना के साल दो साल पहले उसका पुश्तैनी मकान जो गांव में था गिर गया । मुलजिमान के मकान में रहने लगी जिस जमीन में हम लोगों ने मकान बनाया है वह मुलजिमान का नहीं है । हम लोगों की है । मुलजिमान जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे कि जमीन मेरी है और कोई रंजिश मुलजिमानों से हमारी नहीं है । जब उसने कहा कि कौन है तब उसके ऊपर हमला हुआ । उस समय वह बेहोश नहीं थी । जब उसे मारा तब वह बेहोश हुई । बहुत देर में बेहोश हुई । उसके घर में उजाला करने की कोई चीज नहीं थी । उसे वाराणसी में दौरा आया । इस तरह से साक्षी ने अपने बयान में मुलजिमान द्वारा कथित घटना कारित करने की बात कही है लेकिन हमारे विचार से इस साक्षी का कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि

घटना की रात अंधेरी थी । यद्यपि इस साक्षी ने यह बताया है कि मोबाइल की रोशनी में घटना देखी थी लेकिन मौके से कोई मोबाइल बरामद नहीं किया गया है । अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक ने बयान में यह बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम अवतार मोबाइल की टार्च जलाए थे । हमारे विचार से अपीलार्थी/राम अवतार द्वारा घटना के समय मोबाइल से रोशनी करके कथित घटना कारित करना स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी अपराधी अपने आपको पहचाने जाने के डर से मौके पर मोबाइल की रोशनी नहीं करेगा । ऐसी दशा में अपीलार्थी राम अवतार द्वारा कथित घटना के समय मोबाइल के टार्च से रोशनी करना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है ।

26. दूसरा यह कि इस साक्षी का बयान विवेचनाधिकारी ने काफी विलंब से घटना के करीब डेढ़ माह बाद दिनांक 12 सितंबर, 2009 को अंकित किया है । यदि इस साक्षी ने घटना देखी होती तो निश्चित रूप से यह साक्षी अपीलार्थीगण के नाम का उल्लेख विवेचनाधिकारी के समक्ष अवश्य करती तथा विवेचनाधिकारी इस साक्षी से वास्तविक अपराधियों की जानकारी हेतु पूछताछ करते क्योंकि अपीलार्थीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं थे परंतु इतने विलंब से इस साक्षी का बयान अंकित करना भी घटना में अपीलार्थीगण की संलिप्तता को संदिग्ध बना देता है । यद्यपि इस साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि वह घटना के समय बेहोश हो गई थी । पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है वह घटना के बाद कब तक तथा कितने दिन तक बेहोश रही और उसे कब होश आया । इस साक्षी का डाक्टरी परीक्षण अभियोजन साक्षी सं. 6 डा. बी. पी. प्रसाद द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2009 को सुबह 10.15 बजे जिला अस्पताल आजमगढ़ में किया गया था तथा उनके द्वारा चुटैल की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श क-20 तैयार की गई थी । इस इंजरी रिपोर्ट में डाक्टर ने चुटैल अशरफी के बेहोश होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्षी सं. 1 चुटैल अशरफी के बेहोश होने के तथ्य भी संदेह से परे साबित नहीं होते हैं । यदि यह मान भी लिया जाए कि वह घटना के समय चोट लगने के कारण बहोश हो गई थी तो कब तक बेहोश रही । इस बारे में कोई भी चिकित्सीय प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में कहा है कि उसे काफी चोटें लगी थीं उसे लोग उठाकर सदर अस्पताल ले गए वहां पर डाक्टर ने चोट अधिक लगने के कारण वाराणसी रेफर कर दिया ।

27. यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी (चुटैल) मेडिकल कालेज वाराणसी में भर्ती थी तभी विवेचनाधिकारी इस साक्षी से पूछताछ करके उसका बयान अंकित कर सकते थे । यद्यपि उनके द्वारा इस साक्षी का बयान घटना के तुरन्त बाद अंकित नहीं किया गया बल्कि घटना के करीब डेढ़ माह बाद अंकित किया गया है । इस प्रकार भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता इस घटना में संदेह से परे सिद्ध नहीं होती है । इस साक्षी ने अपने बयान में यह अभिकथित किया है कि उसके पति को अपीलार्थी अरविन्द ने ईंट से मारा था । मेरे विचार से इस साक्षी का उक्त कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस साक्षी ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि घटना की रात वह अलग मंडई में अपने नाती के साथ सोई हुई थी तथा बगल में दूसरी चारपाई पर उसकी लड़की कुमारी पूनम सोई हुई थी । इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में यह भी कथन किया है कि जिस मंडई में उसके पति सोए हुए थे वे तीन मंडई एक ही जगह हैं और तीनों मंडई दीवाल पर हैं तथा तीनों के दरवाजे उत्तर में खुलते हैं । विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का मानचित्र भी बनाया गया है जो पत्रावली पर प्रदर्श क-24 है । घटनास्थल के मानचित्र के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचनाधिकारी ने मानचित्र में ए स्थान पर चन्द्रधारी राम की पत्नी अशरफी को चारपाई पर मंडई में सोने का उल्लेख किया है । बी स्थान पर मृतका पूनम को चारपाई पर सोना दर्शाया गया है । सी स्थान पर मृतक चन्द्रधारी राम का शव चारपाई के नीचे जमीन पर पड़ा होने का उल्लेख किया गया है । सी स्थान वाली मंडई में मृतक चन्द्रधारी राम का शव पाया गया है जो अशरफी एवं मृतका कुमारी पूनम की सोने वाली, मंडई से अलग है । जहां पर मृतक चन्द्रधारी राम का शव पाया गया उस मंडई का दरवाजा मानचित्र में उत्तर की तरफ दर्शाया गया है तथा चुटैल साक्षी ने अपने बयान में इस मंडई को दीवाल पर बने होने का उल्लेख किया है । हमारे विचार से ए वाले स्थान से अशरफी द्वारा उसके पति चन्द्रधारी राम की हत्या करने वाले को देखना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि चन्द्रधारी राम का शव जिस मंडई में पाया गया है उसका दरवाजा उत्तर की तरफ है और यह मंडई दीवाल पर बनी हुई है । ऐसी स्थिति में दूसरी मंडई के अंदर से इस मंडई के अंदर मृतक चन्द्रधारी राम की हत्या होते हुए अशरफी द्वारा देखना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ।

28. अभियोजन साक्षी सं. 1 द्वारा अपने बयान में यह कहीं भी नहीं बताया गया है कि वह अपने टिनशेड वाली मंडई से निकल पर बाहर आई हो तथा जिस समय चन्द्रधारी राम की हत्या हुई वहां पहुंच कर उसने घटना देखी हो बल्कि इस साक्षी ने यह कहा है कि उसने घटना को उसी टिनशेड वाले मंडई से देखा जहां पर वह सोई हुई थी । उससे यह स्पष्ट होता है कि यह साक्षी अपने सोने वाली मंडई से बाहर नहीं निकली । ऐसी स्थिति में इस साक्षी के द्वारा घटना देखना स्वाभाविक नहीं लगता । ऐसी दशा में इस साक्षी ने अपने पति की हत्या जो अभियुक्त अरविन्द द्वारा करने की बात कही है वह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है तथा इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है एवं इस साक्षी की साक्ष्य से अपीलार्थीगण द्वारा कथित घटना कारित करना संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है ।

29. अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक जो एक बालक है जिसकी आयु घटना के समय 6-7 साल बताई गई है । उसने कथित घटना के समय अभियोजन साक्षी सं. 1 अपनी दादी (अशरफी) के पास सोने का उल्लेख किया है । इस साक्षी ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि उसके यहां जब घटना घटी थी तब वह घर में अपनी दादी के पास सोया था । उसकी बुआ बगल में अलग चारपाई पर सोई हुई थी । बाबा थोड़ी दूर पर मंडई में सोए थे । रात में राम अवतार व अरविन्द घर में घुसे । एक पैंट शर्ट पहना था एक कच्छा बनियान पहने था । वे लोग घुसे बाबा को भी मारे, दादी को भी मारे और बुआ को भी मारे । इस साक्षी ने बाबा को अरविन्द द्वारा मारने का उल्लेख किया है । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसकी बुआ व दादी को राम अवतार ने ईंट से मारा था । मोबाइल के टार्च की रोशनी में उसने देखा था कि राम अवतार मोबाइल का टार्च जलाए थे । राम अवतार और अरविन्द ने उससे कहा था कि तू बोलेगा तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा । उसकी बुआ का नाम पूनम था । दरोगा जी ने उससे पूछताछ किया था । चोट लगने के कारण बुआ और बाबा मर गए तथा दादी घायल हो गई । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में स्वीकार किया है कि वह अपने पापा-मम्मी के साथ दिल्ली में रहता है और उसे अपने क्लास टीचर का नाम नहीं मालूम है तथा न ही अपने गांव के प्रधान या उप-प्रधान का नाम ही जानता है । गांव में किसी का नाम नहीं जानता ।

30. यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह साक्षी एक

अवयस्क बालक है और कथित घटना के समय उसकी आयु 6-7 साल बताई जाती है । इस साक्षी का कथन भी किसी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस साक्षी का बयान विवेचनाधिकारी ने घटना के ही दिनांक 20 जुलाई, 2009 को अंकित किया है । इस साक्षी ने विवेचनाधिकारी को दिए गए अपने बयान में किसी भी अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं किया है । अभियोजन साक्षी सं. 8 शिव शंकर सिंह, थानाध्यक्ष ने अपने जिरह में स्वीकार किया है कि उन्होंने दीपक का बयान लिया था जिसमें इस साक्षी ने यह बयान नहीं दिया कि अभियुक्त राम अवतार और अरविन्द घर में घुसे थे । उसने यह भी बयान नहीं दिया था कि उसके बाबा को अरविन्द ने मारा । इस साक्षी ने यह भी नहीं बताया कि उसकी बुआ और दादी को अभियुक्त राम अवतार ने मारा था । मोबाइल की टार्च की रोशनी में उसने देखा था कि राम अवतार मोबाइल का टार्च जलाए थे । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस साक्षी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में अपीलार्थीगण के नाम का उल्लेख नहीं किया है तथा न ही उसने विवेचनाधिकारी के समक्ष अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा अपने दादा, दादी एवं बुआ को मारने का उल्लेख किया है । ऐसी दशा में इस साक्षी का कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ।

31. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में स्वीकार किया है कि वह अपने पापा-मम्मी के साथ दिल्ली में रहता है और उसे अपने क्लास टीचर का नाम नहीं मालूम है तथा न ही अपने गांव के प्रधान या उप-प्रधान का नाम ही जानता । गांव में किसी का नाम नहीं जानता । ऐसी स्थिति में जब यह साक्षी गांव के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जानता तब इस साक्षी को मात्र अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के ही नाम याद रहे यह स्वाभाविक नहीं लगता है । इस साक्षी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि वह अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को कैसे जानता व पहचानता था । ऐसी दशा में इस साक्षी को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के नाम की जानकारी होना स्वाभाविक नहीं लगता बल्कि यह प्रतीत होता है कि यह एक सिखाया हुआ साक्षी है तथा किसी के सिखाने के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करने की बात कही है । इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में यह भी स्वीकार किया है कि वह रात में जान गया कि बाबा को मारे थे । जब वह गया तो बाबा मरे पड़े थे

उसने मारते नहीं देखा । बदमाश लोग घर में से बक्शा खोलकर सामान ले गए थे । उपरोक्त परिस्थिति में भी इस साक्षी की साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है एवं अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करना सिद्ध नहीं पाया जाता है ।

32. प्रस्तुत मामले में मौके पर डाक स्कवायड बुलाए जाने की बात कही गई है । अभियोजन साक्षी सं. 5 आरक्षी डाग हैण्डलर दिनेश कुमार चौहान डाग स्कवायड वाराणसी द्वारा डाग शक्ति को सरकारी जीप से लेकर ग्राम तिपरा अकबालपुर थाना मेंहनाजपुर जिला आजमगढ़ में 11.30 बजे दिन में पहुंचे । वहां पर ग्रामीणों की भीड़ थी और पुलिस के लोग भी थे । सभी लोगों के सामने डाग शक्ति को घटनास्थल पर शव के आस-पास पड़ी हुई लोहे की छड़ तथा ईंट को सुंघाया उसके बाद डाग शक्ति ने गंध लेकर उत्तर-पश्चिम दिशा में भागते हुए 300 मीटर की दूरी पर स्थित नरायन के घर में घुसकर बैठ गया तब डाक हैण्डलर ने बताया कि इस मकान के भीतर घटना में प्रयुक्त की गई कोई न कोई वस्तु अवश्य है तथा तलाशी लेने पर बरामद हो सकती है । तत्पश्चात् पुलिस और ग्रामीणों के सामने ही उसके पूरे घर की तलाशी ली गई तो तीसरे कमरे में पलंग के नीचे एक अदद सफेद रंग की हाफ पैंट खून लगा हुआ मिला जिसकी जेब से नोकिया मोबाइल माडल 1100 जिसका नम्बर 9838361653 है । जिसके जलाने पर टार्च जैसी रोशनी की व्यवस्था भी थी । उक्त हाफ पैंट डाग शक्ति के सुगंध के आधार पर बरामद होना कहा जाता है । यह बरामदगी जनता के समक्ष होना कही जाती है परंतु कथित बरामदगी के संबंध में कोई भी जनता का साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है । पत्रावली पर इस तरह का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जो हाफ पैंट अपीलार्थी राम अवतार के पिता नरायन के घर से बरामद हुई है उसे अपालार्थी राम अवतार पहनता था तथा घटना के दिन वह उसे पहने था या घटना से पहले पहनता था । अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी ने अपने साक्ष्य में यह कहीं नहीं कहा कि कथित घटना की रात अपीलार्थी राम अवतार उक्त हाफ पैंट पहने था । अभियोजन साक्षी सं. 1 अशरफी द्वारा कथित घटना के समय अपीलार्थी राम अवतार को उक्त हाफ पैंट पहनने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अभियोजन साक्षी सं. 2 दीपक ने अपने बयान में बताया है कि अभियुक्तगण में से एक पैंट-शर्ट तथा दूसरा कच्छा बनियान

पहने हुए थे परंतु यह उल्लेख नहीं किया गया कि कथित पैंट हाफ थी या फुल थी । इसका कोई उल्लेख इस साक्षी के साक्ष्य में भी नहीं है । ऐसी स्थिति में कथित घटना के समय अपीलार्थी राम अवतार के द्वारा कथित बरामद हाफ पैंट पहनना सिद्ध नहीं है तथा हाफ पैंट के दाहिने जेब से जो नोकिया मोबाइल 1100 बरामद होना कहा गया है उसका सिम किसके नाम का था इस बारे में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ।

33. अपीलार्थी राम अवतार के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद होने की बात कही गई है तथा यह भी कहा गया है कि उक्त ईंट में खून लगा हुआ था । हमारे विचार से उक्त बरामदगी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है क्योंकि कथित बरामदगी के बारे में कोई जन साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है । उक्त बरामदगी खुले स्थान पर होना बताई गई है तथा यह कहा गया कि अपीलार्थी राम अवतार के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट घर के पास स्थित पोखरी के पास रास्ते के बगल से बरामद की गई थी । जिस जगह से ईंट की बरामदगी दर्शाई गई उसे नक्शा नजरी में घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर खुले स्थान पर घटना में प्रयुक्त खून आलूदा ईंट को फेंकना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । ऐसी दशा में कथित बरामदगी की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है ।

34. अभियोजन साक्षी सं. 5 आरक्षी डाग हैण्डलर दिनेश कुमार चौहान डाग स्कवायड वाराणसी ने अपने बयान में यह बताया है कि जब वह कुत्ता लेकर मौके पर गया था तब मौके पर लोहे की छड़ तथा ईंट दरोगा जी ने उसे दिया था जिन पर खून के दाग थे । जिन्हें जाते समय इस साक्षी ने दरोगा जी को वापस कर दिया था । यह सामग्री उसके पास पांच मिनट रही । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि घटनास्थल से मात्र एक अदद सरिया की बरामदगी दिखाई गई है ईंट की बरामदगी नहीं दिखाई गई है । यदि मौके पर लोहे की सरिया एवं ईंट पड़े थे और उनमें खून लगा था तथा उक्त दोनों वस्तुओं को डाग हैण्डलर को दिया गया था जिसे उसने पुलिस को वापस भी कर दिया था तो उनमें से मात्र लोहे की छड़/सरिया की बरामदगी ही क्यों दिखाई गई ईंट की बरामदगी क्यों नहीं दिखाई गई । यहां पर यह कहना समीचीन होगा कि जब मौके पर खून आलूदा ईंट पड़ा था तब निश्चित रूप से उसकी भी बरामदगी घटनास्थल से दिखाया जाना चाहिए था । मौके से खून आलूदा ईंट कहां गई उसको पुलिस कब्जा में क्यों नहीं लिया गया इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन

साक्ष्य में उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी राम अवतार के निशानदेही पर जो खून आलूदा ईंट की बरामदगी की बात कही गई है वह संदेह से परे विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है । उक्त बरामदगी खुले मैदान से बताई जाती है इसके बारे में कोई भी जन साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी राम अवतार द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अदद खून आलूदा ईंट बरामद कराना संदेह से परे साबित नहीं पाया जाता है ।

35. यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि मृतका कुमारी पूनम के बिस्तर के टुकड़े जिन पर वीर्य के धब्बे दिखाई दे रहे थे को पुलिस कब्जा में लेकर रासायनिक परीक्षण को भेजने की बात कही गई है परंतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-23 में मृतका पूनम के कपड़े तथा कथरी के टुकड़े एवं अपीलार्थी राम अवतार के घर से बरामद हाफ पैंट पर कोई भी वीर्य एवं शुक्राणु नहीं पाए गए ।

36. अभियोजन साक्षी सं. 10 राजेन्द्र सिंह यादव वादी मुकदमा है । इस साक्षी ने अपने बयान में यह बताया है कि घटना दिनांक 19/20 जुलाई, 2009 के रात्रि की है । उसे सुबह सूचना मिली कि हरिजन बस्ती में रात को किसी समय बदमाशों ने चन्द्रधारी राम पुत्र रामकरन व कुमारी पूनम पुत्री चन्द्रधारी की हत्या कर दी है और अशरफी पत्नी चन्द्रधारी गम्भीर रूप से घायल है । सूचना पाकर वह मौके पर गया था । दोनों शव मौके पर अलग-अलग पड़े थे । इसकी सूचना उसने थाने पर लिख कर दिया । इस साक्षी ने लिखित तहरीर प्रदर्श क-31 को साबित किया है । यह भी कहा है कि पुलिस आई और शव का पंचायतनामा उसके सामने किया । चन्द्रधारी राम के सिर पर चोटें थीं । कान, नाक से खून निकला हुआ था । कुमारी पूनम के शव का भी पंचायतनामा उसके सामने हुआ था । उसके सिर पर काफी चोटें थीं । उसके मुंह से झाग निकल रहा था । इस साक्षी ने मृतक के पंचायतनामा पर भी अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है । इस साक्षी ने जिरह में यह कहा है कि उसने घटना की पूरी जानकारी किया लेकिन किसी ने भी राम अवतार व अरविन्द का नाम घटना कारित करने में नहीं बताया । पंचायतनामा के समय भी अज्ञात लोगों का नाम बताया गया । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि इस साक्षी मात्र वादी मुकदमा है । उसने घटना की लिखित सूचना थाने पर दाखिल किया था । जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई थी । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट इस साक्षी द्वारा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी । इस

साक्षी ने अपनी जिरह में स्पष्ट बताया है कि घटना की पूरी जानकारी उसने किया लेकिन किसी ने भी राम अवतार व अरविन्द का नाम घटना कारित करने में नहीं बताया । ऐसी दशा में स्पष्ट है कि इस साक्षी के बयान में ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे अपीलार्थीगण को कथित घटना या अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके । अन्य साक्षी औपचारिक प्रकृति के हैं तथा उनके बयान में भी ऐसी कोई खास बात नहीं आई है जिससे कि अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्राप्त हो सके ।

37. उपरोक्त समस्त साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थीगण अरविन्द कुमार एवं राम अवतार के द्वारा कथित घटना कारित करना संदेह से परे सिद्ध नहीं है । अभियोजन पक्ष अपने कथानक को अपीलार्थीगण के विरुद्ध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अपीलार्थीगण अरविन्द कुमार एवं राम अवतार के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 302/34, 308/34 तथा 376/114 भारतीय दंड संहिता संदेह से परे सिद्ध नहीं है । ऐसी दशा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 4, आजमगढ़ द्वारा अपीलार्थीगण अरविन्द कुमार एवं राम अवतार के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि, मृत्यु दंड तथा कारावास का दंडादेश स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है । तद्नुसार यह अपील स्वीकार की जाती है । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 4, आजमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 18/19 नवंबर, 2011 निरस्त किया जाता है । अपीलार्थीगण अरविन्द कुमार तथा राम अवतार को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 302/34, 308/34 तथा 376/114 भारतीय दंड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थीगण जेल में निरुद्ध हैं । यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों तो उन्हें अविलम्ब रिहा किया जाए ।

38. संदर्भ सं. 18 वर्ष 2011 निरस्त किया जाता है ।

39. निर्णय की प्रति एवं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाए ।

दिनांक 22.5.2013

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

जितेन्द्र सिंह राठौर

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 8 जनवरी, 2014

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20ख(ii)(ग) – विनिषिद्ध वस्तु की बरामदगी संदेहपूर्ण – यदि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है तथा अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु संदेहपूर्ण प्रतीत होती है तो अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 4 अगस्त, 1999 को इत्तिला देने वाला एम. पी. सिंह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जीप सं. यू पी 77 6474 और जिप्सी सं. यू पी 77 6557 में अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ गश्त ड्यूटी पर था । जब वे अकबरपुर इंटर कालेज पर पहुंचे उन्होंने इत्तिला देने वाले से गुप्त सूचना प्राप्त की कि एक व्यक्ति रूरा सड़क पर मजार से लगभग 50 कदम की दूरी पर बैठा हुआ है और वह सफेद थैले के बंडल के ऊपर बैठा हुआ था जिसमें विनिषिद्ध वस्तु अर्थात् चरस थी । उक्त सूचना प्राप्त करने पर गश्ती दल उक्त इत्तिला देने वाले के साथ उक्त दिशा की ओर अग्रसर हुए । उक्त स्थान पर पहुंचकर इत्तिला देने वाले ने उक्त व्यक्ति की ओर इशारा किया और जीप से उतर गया । इसके पश्चात् गश्ती दल ने 1.30 बजे अपराह्न उक्त व्यक्ति को रोका और उससे पूछताछ की गई जिस पर उसने अपना नाम जितेन्द्र सिंह राठौर और पिता का नाम लाल सिंह राठौर बताया तथा बलरामपुर पुलिस थाना मंगलापुर, जिला कानपुर देहात का अपने को रहने वाला बताया । गश्ती दल ने अपीलार्थी को यह बताया कि उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई है कि वह कुछ विनिषिद्ध वस्तु अपने थैले में ले जा रहा है और यदि उसकी इच्छा है तो उसकी नजदीक के मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी के समक्ष तलाशी की जा सकती है जिस पर अपीलार्थी ने यह कथन किया कि जब उसे उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया तब उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और वे उसकी तलाशी ले सकते हैं जिस पर इत्तिला देने

वाले ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) धारा 50 के अधीन ज्ञापन तैयार किया गया और उक्त ज्ञापन पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी कराए गए और इसके पश्चात् पुलिस अधिकारियों द्वारा उसकी तलाशी ली गई । तलाशी लेने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी सफेद थैले में विनिषिद्ध वस्तु अर्थात् चरस के 29 पैकेट रखकर ले जा रहा था । अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया और उसी दिन लगभग 3.10 बजे अपराह्न पुलिस थाना अकबरपुर, जिला कानपुर देहात में अधिनियम की धारा 18/20 के अधीन 1999 का मामला दर्ज किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन के बारे में तथ्य को साधारण डायरी में भी पृष्ठांकित किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और न्यायालय के आदेशों के अधीन बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु से नमूना लिया गया था और रासायनिक विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला लखनऊ उसे भेजा गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला, लखनऊ की रिपोर्ट प्राप्त की गई । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान एकत्र साक्ष्य के आधार पर अर्थात् बरामद की गई वस्तु और अधिनियम की धारा 50 के अधीन ज्ञापन तैयार किया गया और न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया । विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18/20 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र विरचित किए थे जिन आरोपों के बारे में अपीलार्थी ने इनकार किया था और न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील यह है कि विनिषिद्ध वस्तु का कोई नमूना घटनास्थल पर नहीं लिया गया था और न उस पर कोई हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी नहीं लिया गया था, इससे यह बात सही प्रतीत होती है कि जैसाकि अभिलेख से प्रकट है कि अभि. सा. 1 ने वस्तु को बरामद किया था और घटनास्थल पर विनिषिद्ध वस्तु के नमूनों को लिए बिना अपीलार्थी को गिरफ्तार किया था और उसे संबंधित पुलिस थाने के मालखाने में जमा कर दिया गया था और जमा करने के लिए अभि. सा. 4 को उसे सौंपा गया, इसलिए, पुलिस दल द्वारा किस रीति में नमूना लिया गया था, उसे साबित नहीं किया गया है । अभिलेख से यह भी सुस्पष्ट है कि अभिकथित नमूने पर अपीलार्थी का कोई हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया गया । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के अधीन अपराध एक तकनीकी अपराध है और अधिनियम में यह रक्षोपाय

के लिए पूर्ण अनुपालन अपेक्षित है । अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य में यह दर्शित करने में विफल हुए हैं जब नमूना उसी विनिषिद्ध वस्तु से लिए गए थे तब अभियोजन पक्षकथन की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है । मोहरबंद थैले में अभियुक्त के हस्ताक्षर के अभाव के संबंध में अपीलार्थी के कब्जे से विनिषिद्ध वस्तु की बरामदगी के बारे में संदेह उत्पन्न होता है । यह भी उल्लेखनीय है कि चरस के 29 पैकेट जिनका भार लगभग 25 किलोग्राम था उसके बारे में अपीलार्थी से बरामद किया जाना कहा गया है परंतु प्रश्नगत नमूना जिसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष ले जाया गया था उसमें यह प्रकट नहीं है कि क्या सफेद थैले से अपीलार्थी से बरामद किए गए सभी 29 पैकेट से नमूने लिए गए थे और अभि. सा. 3 द्वारा उन्हें रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था जिससे यह भी संदेह प्रकट होता है कि क्या 29 पैकेट जिन्हें बरामद किया गया था उनमें चरस थी क्योंकि रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट के अनुसार यह दर्शित होता है कि उसने कपड़े में मोहरबंद एक थैले को प्राप्त किया था जिसमें चरस पाई गई थी । अभियोजन पक्ष अभिलेख पर यह दर्शित करने में विफल हुआ है कि विनिषिद्ध वस्तुओं से इतने नमूने लिए गए थे जो अपीलार्थी से बरामद किया गया था और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । अंततः, अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि सील का कोई नमूना नमूने के साथ नमूने पर लगाई गई मोहर की तुलना के प्रयोजन के लिए रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था अतः, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे समाधान रूप से यह साबित होता हो कि मोहर वास्तव में वही मोहर थी जिसे विनिषिद्ध वस्तु के अभिग्रहण के पश्चात् नमूने थैले पर लगाई गई थी । अभियोजन पक्षकथन में प्रकट हुई इन कमियों पर राजस्थान राज्य बनाम गुरमैल सिंह वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । यद्यपि विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को न्यायसंगत ठहराने की कोशिश की परंतु वे अभिलेख से न्यायालय को यह नहीं बता सके कि क्या पुलिस दल ने अपीलार्थी से बरामद की गई वस्तु अर्थात् चरस के वास्तविक भार को तौला गया था कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा यह दर्शित करने के लिए मालखाना रजिस्टर पेश किया गया था कि वस्तु जिसे अभि. सा. 1 द्वारा संबंधित पुलिस थाने के मालखाने में जमा किया गया था, उसे अभि. सा. 4 को सौंपा गया था और यह वही वस्तु थी जिसे तारीख 23 अगस्त, 1999 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था और रसायन विश्लेषक के पास

भेजा गया था । इसके अतिरिक्त, उसके द्वारा इस तथ्य पर भी विवाद नहीं किया जा सका कि सफेद थैले से बरामद किए गए सभी 29 पैकेटों से नमूना नहीं लिया गया था जिस पर अपीलार्थी बैठा हुआ था और विनिषिद्ध वस्तु के केवल एक नमूना लिया गया था जिसे रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । इस प्रकार अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु संदेहपूर्ण प्रतीत होती है और अभियोजन पक्ष ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के पूर्ण अनुपालन में अपीलार्थी के विरुद्ध बरामद की गई वस्तु को साबित करने के लिए अपीलार्थी के प्रतिकूल युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित नहीं किया है । इसलिए, अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश विधि की दृष्टि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है । (पैरा 27, 28, 29 और 30)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2004) (सप्ली.) ए. सी. सी. 300 : **लाला राम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	20
[2012]	ला (एस. सी.) - 2012-12-55 : **किशन चन्द** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	16
[2011]	ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (सप्ली.) 787 : **कुलदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	22
[2011]	(2011) 11 एस. एस. सी. 559 : **राजस्थान राज्य** बनाम **तारा सिंह** ;	26
[2005]	(2005) 51 ए. सी. सी. 904 : **मथुरा प्रसाद** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	22
[2005]	(2005) 51 ए. सी. सी. 928 : **राजस्थान राज्य** बनाम **गुरमैल सिंह** ;	21,28
[2003]	(2003) 46 ए. सी. सी. 701 : **बेनी प्रसाद** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	22
[2002]	जे. टी. 2002 (8) एस. सी. 292 : **उड़ीसा राज्य** बनाम **सितांशु शेखर, कानूनगो** ;	21

[2001] (2001) 42 ए. सी. सी. 476 (एस. सी.) :
गुरूबक्श सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 20

[1994] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 117 :
वलसाला बनाम **केरल राज्य** । 21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 4509.

अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं. 8, कानपुर देहात द्वारा तारीख 7 अगस्त, 2006 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री जी. सी. सक्सेना, यू. सी. मिश्रा, ए. एस. वत्स, पी. के. सिंह, एस. सी. तिवारी, अचल सिंह, राजीव गुप्ता, सेनेगर विनीत सिंह, अग्नि पाल सिंह (सुश्री) प्रतिमा सिंह और कविता

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा – यह वर्तमान अपील 1999 के सेशन विचारण सं. 164 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश न्यायालय सं. 8 कानपुर देहात द्वारा तारीख 7 अगस्त, 2006 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसमें अपीलार्थी को धारा 20ख(ii)(ग) के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया जिसके अंतर्गत 15 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 1 लाख रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 4 अगस्त, 1999 को इत्तिला देने वाला एम. पी. सिंह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जीप सं. यू पी 77 6474 और जिप्सी सं. यू पी 77 6557 में अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ गश्त ट्यूटी पर था । जब वे अकबरपुर इंटर कालेज पर पहुंचे उन्होंने इत्तिला देने वाले से गुप्त सूचना प्राप्त की कि एक व्यक्ति रूरा सड़क पर मजार से लगभग 50 कदम की दूरी पर बैठा हुआ है और वह सफेद थैले के बंडल के ऊपर बैठा हुआ था जिसमें विनिषिद्ध वस्तु अर्थात् चरस थी । उक्त सूचना प्राप्त करने पर गश्ती दल उक्त इत्तिला देने वाले के साथ उक्त दिशा की ओर अग्रसर हुए । उक्त स्थान पर पहुंचकर इत्तिला देने वाले ने उक्त व्यक्ति की ओर इशारा किया और जीप से उतर

गया । इसके पश्चात् गश्ती दल ने 1.30 बजे अपराह्न उक्त व्यक्ति को रोका और उससे पूछताछ की गई जिस पर उसने अपना नाम जितेन्द्र सिंह राठौर और पिता का नाम लाल सिंह राठौर बताया तथा बलरामपुर पुलिस थाना मंगलापुर, जिला कानपुर देहात का अपने को रहने वाला बताया । गश्ती दल ने अपीलार्थी को यह बताया कि उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई है कि वह कुछ विनिषिद्ध वस्तु अपने थैले में ले जा रहा है और यदि उसकी इच्छा है तो उसकी नजदीक के मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी के समक्ष तलाशी की जा सकती है जिस पर अपीलार्थी ने यह कथन किया कि जब उसे उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया तब उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और वे उसकी तलाशी ले सकते हैं जिस पर इत्तिला देने वाले ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 50 के अधीन ज्ञापन तैयार किया गया और उक्त ज्ञापन पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी कराए गए और इसके पश्चात् पुलिस अधिकारियों द्वारा उसकी तलाशी ली गई ।

3. तलाशी लेने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी सफेद थैले में विनिषिद्ध वस्तु अर्थात् चरस के 29 पैकेट रखकर ले जा रहा था । अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया और उसी दिन लगभग 3.10 बजे अपराह्न पुलिस थाना अकबरपुर, जिला कानपुर देहात में अधिनियम की धारा 18/20 के अधीन 1999 का मामला अपराध सं. 487 दर्ज किया गया था जिसे प्रदर्श क-4 द्वारा चिह्नांकित किया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन के बारे में तथ्य को साधारण डायरी सं. 30 में भी पृष्ठांकित किया गया था जिसकी कार्बन प्रति को प्रदर्श क-5 से चिह्नित किया गया । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया जिस पर प्रदर्श क-6 चिह्न डाला गया था और न्यायालय के आदेशों के अधीन बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु से नमूना लिया गया था और रासायनिक विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला लखनऊ उसे भेजा गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला, लखनऊ की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिसे प्रदर्श क-7 से चिह्नित किया गया । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान एकत्र साक्ष्य के आधार पर अर्थात् बरामद की गई वस्तु जिसे प्रदर्श क-1 से चिह्नित किया गया था और अधिनियम की धारा 50 के अधीन ज्ञापन तैयार किया गया जिसे प्रदर्श क-2 से चिह्नित किया गया और न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया जिसे प्रदर्श क-8 से चिह्नित किया गया था ।

4. विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18/20 के अधीन

अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र विरचित किए थे जिन आरोपों के बारे में अपीलार्थी ने इनकार किया था और न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 5 अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 निरीक्षक/थाना अधिकारी, नरसिंह पाल, अभि. सा. 2 उप-निरीक्षक गजेन्द्र सिंह, अभि. सा. 3 कांस्टेबल अमर सिंह, अभि. सा. 4 हेड कांस्टेबल पुलिस दौलत राम और अभि. सा. 5 उप-निरीक्षक रतन सिंह मामले के अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा करवाई ।

6. अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है और यह कथन किया है कि साक्षियों ने उसके विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है । उसने यह कथन किया है कि तारीख 3/4 अगस्त, 1999 की मध्य रात्रि में अकबरपुर पुलिस थाने के पुलिस कार्मिक उसे उसके घर से बलपूर्वक ले गए थे, उसका मकान ग्राम बलरामपुर, सिंघल पर स्थित है । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 4 अगस्त, 1999 को उसके पिता लाल सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन, नई दिल्ली को फैक्स के माध्यम से एक पत्र भी भेजा था जिसमें अपीलार्थी को तंग किए जाने और गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी गई थी । अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा में उक्त पत्र की प्रति फाइल की जिसे प्रदर्श 57ख द्वारा चिह्नित किया गया था । अपीलार्थी ने अपने पिता लाल सिंह की विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में भी परीक्षा कराई थी ।

7. अभि. सा. 1 निरीक्षक/थाना अधिकारी, नरसिंह पाल ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन कहानी को दोहराया है जैसाकि उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वृत्तांत दिया गया है । उसने यह कथन किया है कि उसने उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/बरामदगी ज्ञापन जिसे उप-निरीक्षक ब्रह्मानंद द्वारा तैयार किया गया था, प्राप्त किया और उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु को थैले में मोहरबंद किया गया था और नमूना वस्तु के रूप में तैयार किया गया था जिसे प्रदर्श क-1 से चिह्नित किया गया और जिसे अपनी लेख में तैयार किया गया था और उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे । उसने बरादमगी ज्ञापन (नमूना वस्तु) प्रदर्श क-1 को साबित किया तथा उसकी पहचान भी की । उसने यह भी कथन किया कि उसने उप-निरीक्षक ब्रह्मानंद द्वारा लिखित में सहमति ज्ञापन (तलाशी ज्ञापन) प्रदर्श

क-2 भी प्राप्त किया जिस पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और उप-निरीक्षक ब्रह्मानंद द्वारा बरामदगी ज्ञापन भी तैयार किया गया था जिसे प्रदर्श क-3 से चिह्नित किया गया था । अपीलार्थी को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में भी बताया गया था और इसके पश्चात् उसके कुटुंब के सदस्य को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया था । अपीलार्थी को बरामद की गई वस्तु के साथ पुलिस थाना ले जाया गया था जहां वर्तमान मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी ।

8. अभि. सा. 2 उप-निरीक्षक, गजेन्द्र सिंह जो छापामार दल का सदस्य था, उसकी विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षा की गई, उसने अभियोजन पक्षकथन को दोहराया जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तथा अभि. सा. 1, नरसिंह पाल द्वारा कथन किया गया है ।

9. अभि. सा. 3 कांस्टेबल, अमर सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 24 अगस्त, 1999 को वह पुलिस थाना अकबरपुर में तैनात था । उसने अन्वेषक अधिकारी रतन सिंह द्वारा बरामद की गई वस्तु का नमूना लिया और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया । न्यायालय के आदेश के अंतर्गत उसने डोकेट भी तैयार किया और वस्तु तथा अन्य कागजातों को मोहरबंद दशा में न्यायालयिक प्रयोगशाला, लखनऊ ले जाया गया था ।

10. अभि. सा. 4 हेड कांस्टेबल पुलिस, दौलत राम ने घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साबित की तथा यह कथन किया है कि उसने उसे अपने हस्तलेख में लिखा था तथा उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे जिसे प्रदर्श क-4 से चिह्नित किया गया है । उसने साधारण डायरी सं. 30 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का भी पृष्ठांकन किया है जिसे कार्बन प्रति के रूप में प्रदर्श क-5 डालकर केस किया गया था ।

11. अभि. सा. 5 उप-निरीक्षक, रतन सिंह जो मामले का अन्वेषक अधिकारी है, ने यह कथन किया है कि उसे 4 अगस्त, 1999 को अन्वेषण सौंपा गया था । उसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया तथा उसे प्रदर्श क-6 के रूप में भी साबित किया । उसने आगे यह कथन किया है कि तारीख 23 अगस्त, 1999 को न्यायालय की अनुज्ञा से उसने न्यायालयिक प्रयोगशाला, लखनऊ विनिषिद्ध वस्तु का नमूना भेजे जाने के लिए उसे कांस्टेबल, अमर सिंह को सौंप दिया था । उसने मालखाना से न्यायालय ले जाने के लिए मोहरबंद दशा में नमूना भी लिया था जिसे कांस्टेबल, अमर सिंह द्वारा लिया गया था । अन्वेषण के पश्चात् उसने अपीलार्थी के विरुद्ध

आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रदर्श क-8 से चिह्नित किया गया था और उसके द्वारा उसे साबित किया गया ।

12. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अग्नि पाल सिंह जिनकी सुश्री प्रतिमा सिंह, श्री अचल सिंह वत्स द्वारा सहायता की गई थी और राज्य की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता आर. के. मौर्य को सुना गया ।

13. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार यह बात स्वीकार्य योग्य है कि पुलिस दल द्वारा विनिषिद्ध वस्तु का भार नहीं लिया गया था और अपीलार्थी के कथन के आधार पर ही यह बात प्रकट हुई थी कि उक्त वस्तु का भार 25 किलोग्राम था, जो चरस थी । 25 किलोग्राम चरस होने की बात पर विश्वास किया गया था जिसे घटनास्थल पर नरसिंह पाल (अभि. सा. 1) द्वारा मोहरबंद किया गया था तथा अभि. सा. 1 द्वारा घटनास्थल पर विनिषिद्ध वस्तु का कोई नमूना नहीं लिया गया था । उक्त वस्तु को अभि. सा. 1 द्वारा संबंधित पुलिस थाने के मालखाने में जमा किया गया था और उक्त पुलिस थाने के हेड मुहर्रिर अभि. सा. 4 अर्थात् दौलत राम को सौंपा गया था । उसने अभि. सा. 1 निरीक्षक एम. पी. सिंह के कथन की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसका कथन तारीख 11 अक्तूबर, 2002 को अभिलिखित किया गया था जिसे निम्नानुसार उत्कथित किया गया है :–

> "बरामद माल वे नमूना माल सर्वे मोहर हालात में न्यायालय में मौजूद है जिसे न्यायालय के समक्ष खोला गया ।"

14. उन्होंने तारीख 24 दिसंबर, 2003 को अभि. सा. 1 की प्रतिरक्षा की ओर न्यायालय का ध्यान भी दिलाया जो इसमें नीचे उत्कथित है :–

> "जब मुझे मुखबिरी हुई थी मैंने वायरलैस द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दी थी । इस प्रकार साहवन 42 स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का पूर्वनियोजन नहीं हो सका । मौके पर मैंने चरस को तोला नहीं था ।
>
> चरस बरामद कर थाना अकबरपुर के तत्कालीन हेड मुहर्रिर को सौंप दिया था जिन्होंने मालखाने में रखा होगा ।"

15. उन्होंने यह निवेदन किया है कि अभि. सा. 1 के कथन के अनुसार यह स्पष्ट है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा के आज्ञापक उपबंधों का तनिक भी अनुपालन नहीं किया गया

इसलिए उक्त बरामदगी संदेहपूर्ण हो गई है और मामले के इस पहलू पर विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधि के स्थापित प्रतिपादना के अनुकूल है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है । उन्होंने अपने निवेदन के समर्थन में उप-निरीक्षक गजेन्द्र सिंह के अभिसाक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान भी दिलाया जिनकी अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की गई थी जिसे निम्न प्रकार उत्कथित किया गया है :–

> "मुखबिर से सूचना मिलते समय पुलिस पार्टी में ड्राइवर के अलावा 12 लोगों । वायरलैस साथ में था । मुखबिर से सूचना मिलने के बाद इस सूचना को लेखबद्ध नहीं किया गया है और न ही वायरलैस से थाने को कोई सूचना दी गई और न ही किसी उच्च अधिकारी को सूचना दी गई ।"

16. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के उक्त साक्ष्य के आधार पर यह दलील दी गई थी कि जहां पुलिस अधिकारी ने तनिक भी सूचना अभिलखित नहीं की और विनिषिद्ध वस्तु की बरामदगी के बारे में तनिक भी उच्चतर अधिकारियों को सूचना नहीं दी गई । यह बात स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के अतिक्रमण की कोटि में आता है । अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने **किशन चन्द** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] के निर्णय के पैरा 12 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया जिसे निम्न प्रकार उत्कथित किया गया है :–

> "12. हमारा विचारित मत यह है कि यह संविवाद और निर्णीत विषय नहीं रहा है और **करनैल सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ का निर्णय द्वारा उत्तर दिया गया है । इस निर्णय में न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित पैरा उल्लेख किया है कि अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी **बनाम** गुजरात राज्य (2000) 2 एस. सी. सी. 513 वाले मामले में न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन आज्ञापक है और लिखित में सूचना को लिखने में विफल होने पर तथा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना अभियुक्त के प्रतिकूल हो सकता है तथापि, **साजन इब्राहिम** (उपरोक्त) वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पुनः यह अभिनिर्धारित किया है

---

[1] ला (एस. सी.) - 2012-12-55.

कि यह उपबंध आज्ञापक नहीं है और सारभूत अनुपालन पर्याप्त है । न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि यदि अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों का पूर्णतया अननुपालन किया जाता है तो इससे अभियोजन पक्षकथन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा और इस सीमा तक ऐसा करना आज्ञापक है परंतु यदि कोई विलंब होता है क्या ऐसा करना असाम्यिक था या क्या उस बात का स्पष्टीकरण दिया गया था या नहीं । यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न होगा । निर्णय के पैरा 35 में निम्न प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया है –

> 35. जो कुछ भी उल्लेख किया गया है उसका निष्कर्ष यह है कि अब्दुल राशिद ने अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) की अध्यपेक्षाओं का शब्दशः अनुपालन की अपेक्षा नहीं की गई और न **सजान इब्राहिम** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 42(1) और धारा 42(2) की अध्यपेक्षा तनिक भी पूरा किया जाना जरूरी नहीं समझा गया । दो विनिश्चयों का प्रभाव निम्न प्रकार है –
>
> > (क) सूचना प्राप्त करने वाला अधिकारी [धारा 42 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की सूचना] जो किसी व्यक्ति से मिली है उसे संबंधित रजिस्टर में लिखित में अभिलिखित करना पड़ता है और उसके द्वारा उसकी प्रति तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजी जानी होती है जो धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के निबंधनों में कार्यवाही करने से पूर्व 1(ख) परंतु यदि सूचना प्राप्त की गई थी जब पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में नहीं था परंतु जबकि वह या तो गश्त ड्यूटी पर चल रहा था या मोबाइल फोन या अन्य साधन को प्रयोग में ला रहा था और सूचना में तुरंत कार्यवाही करने के लिए कहा गया था तथा इसमें कोई विलंब हो जाता है तो इससे एक अच्छा साक्ष्य विनिष्ट हो जाता है, यह सुविधाजनक या व्यावहारिक नहीं होगा कि उसको दी गई सूचना को लिखित में लिखा जाए ऐसी स्थिति में वह धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार कार्यवाही कर सकता है और इसके पश्चात् उसके लिए शीघ्र ही यह व्यावहारिक होगा कि सूचना को लिखित में लेखबद्ध करें और ऐसी सूचना की वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दें । (ग) दूसरे शब्दों में प्राप्त की गई सूचना को लिखे जाने के बारे में धारा 42(1) और 42(2) की अध्यपेक्षा

का अनुपालन तथा जिसकी प्रति वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे जाने के लिए साधारणतया प्रविष्टि किए जाने के अग्रसर होगा तथा अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी तथा अभिग्रहण का काम किया जाए परंतु विशेष परिस्थितियों में जिसमें आकस्मिक परिस्थितियां भी अंतर्वलित हैं तथा सूचना को लिखित में अभिलिखित करना और उसकी प्रति वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाना युक्तियुक्त अवधि के अंतर्गत स्थगित की जा सकती है अर्थात् तलाशी प्रविष्टि और अधिग्रहण के पश्चात् । यह अति आवश्यकता का प्रश्न है । (घ) धारा 42 की उपधारा (1) और (2) की अध्यपेक्षाओं का पूर्णतया अननुपालन अननुज्ञेय है, विलंब के बारे में समाधानप्रद स्पष्टीकरण के अनुपालन में विलंब होने पर धारा 42 का अनुपालन स्वीकार्य योग्य होगा । उदाहरणार्थ, यदि कोई विलंब अभियुक्त के भागने या माल या साक्ष्य को नष्ट करने के परिणामस्वरूप होता है तब प्राप्त की गई सूचना लिखित में लेखबद्ध नहीं की जाती है और वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल ऐसी सूचना की प्रति नहीं भेजा जाना या कार्यवाही प्रारंभ नहीं किया जाना धारा 42 का अतिक्रमण माना जाएगा परंतु यदि सूचना प्राप्त की जाती है जब पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में होता है तब उसके पास कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त समय होता है और यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त की गई सूचना को लिखित में लेखबद्ध करने में असफल होता है या उसकी प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने में असफल होता है तब यह संदेहास्पद परिस्थितियां होंगी और इस पर अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट अतिक्रमण माना जाएगा । इसी तरह, जहां पुलिस अधिकारी कोई भी सूचना अभिलिखित नहीं करता है और पुलिस अधिकारी को तनिक भी सूचना नहीं देता है तब अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट अतिक्रमण माना जाएगा चाहे धारा 42 के अनुपालन का पर्याप्त और सारभूत अनुपालन हुआ है या नहीं । यह तथ्य का प्रश्न नहीं है और इसका प्रत्येक मामले में विनिश्चय किया जाना चाहिए । उपरोक्त स्थिति धारा 42 (2001) का अधिनियम सं. 9 के संशोधन को बल देता है ।

राजेन्द्र सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की

न्यायपीठ में दिए गए उपरोक्त निर्णय का अनुपालन करते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का पूर्णतया अननुपालन अननुज्ञेय है और विलंब के लिए समाधानप्रद स्पष्टीकरण के अनुपालन में हुआ विलंब स्वीकार्य योग्य हो सकता है ।"

17. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा तब यह दलील दी गई थी कि अभि. सा. 1 और 2 के थैले पर कोई हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे जिसमें अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु थी और इस संबंध में उन्होंने अभि. सा. 2 गजेन्द्र सिंह के विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित प्रतिपरीक्षा में किए गए बयान की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसे निम्न प्रकार उत्कथित किया गया :–

"जो माल हम लोगों ने बरामद किया था वह बोरी में मेरे समक्ष है । बोरी पर जो लिखा गया था वह स्याही से लिखा था वह मिट चुका है । बोरी पर मुलजिम के कोई हस्ताक्षर नहीं बनाए गए थे ।"

18. उक्त कथन के आधार पर यह निवेदन किया गया है स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 57 के उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया और यह कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 57 के अनुपालन को दर्शित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष दैनिक रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई और विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 57 के अनुपालन के संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष विधि की दृष्टि में गलत हैं इसलिए, इस न्यायालय द्वारा इसे अपास्त किया जाना चाहिए ।

19. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दूसरी यह दलील दी है कि अभि. सा. 1 द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के पश्चात् उसने उससे बरामद की गई वस्तु को मोहरबंद किया और पुलिस थाना अकबरपुर के मालखाने में उसे जमा कर दिया और संबंधित पुलिस थाने के हेड मुहर्रिर दौलत राम (अभि. सा. 4) को भी उसे सौंप दिया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 4 अक्तूबर, 2004 को लेखबद्ध किए गए दौलत राम (अभि. सा. 4) की प्रतिपरीक्षा की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया गया जिसे निम्न प्रकार उत्कथित किया गया है :–

"दरोगा जी मुलजिम के साथ 25 किलो चरस लाए थे मैंने इसको सर्वे मोहर हालात में अपनी अभिरक्षा में लिया था और उसको मालखाने में अपनी अभिरक्षा में रखा । इस माल में जो मोहर लगी थी

वह इंस्पेक्टर साहब के नाम, पद की थी अथवा थाने की थी ये मुझे याद नहीं है । मोहर को मैंने देखा था । मोहर किसकी थी मुझे इस समय ध्यान नहीं है । तीन महीने तक मैंने उपरोक्त माल को अपनी अभिरक्षा में रखा था ।"

20. यह निवेदन किया गया था कि अभि. सा. 4 के उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए यह सुस्पष्ट है कि विनिषिद्ध वस्तु तीन महीने की अवधि तक मालखाना भारसाधक की अभिरक्षा में रही इसलिए विनिषिद्ध वस्तु जिसे तारीख 23 अगस्त, 1999 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था वैसी ही नहीं थी क्योंकि उस तारीख को मालखाना की अभिरक्षा में थी इस प्रकार इस बारे में संदेह पैदा होता है कि क्या उस वस्तु को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था या नहीं । उसने यह निवेदन किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य को कार्यवाहियों में साबित करने की जरूरत नहीं है जो पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं ने सुनवाई के समय पर स्वीकार्य करने के लिए सहमत हुए । यह निवेदन किया गया था कि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार यह अपेक्षित है कि जब कभी कोई व्यक्ति कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है उसे ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के पश्चात् 48 घंटे के भीतर अपने वरिष्ठ पदधारी को सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट देनी होगी । उन्होंने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी किसी सामग्री के अभाव में अधिनियम की धारा 57 के उपबंध का अनुपालन किया गया था, विनिषिद्ध वस्तु की अभिकथित बरामदगी संदेहपूर्ण हो गई । उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में **लाला राम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया जो **गुरूबक्श सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है ।

21. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई थी कि स्वीकृततः अभियोजन पक्ष ने पुलिस थाने अकबरपुर के मालखाना रजिस्टर को पेश नहीं किया जहां अभि. सा. 1 द्वारा विनिषिद्ध वस्तु को जमा किए जाने का कथन किया गया था और अभि. सा. 4 ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे माल सौंपा गया था और उसने उसे मालखाने में रख दिया था

---

[1] (2004) (सप्ली.) ए. सी. सी. 300.

[2] (2001) 42 ए. सी. सी. 476 (एस. सी.)

जिससे इस बारे में संदेह पैदा होता है कि क्या वस्तु जिसे अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया था, न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था और जिसे बाद में रसायन विश्लेषक के पास भेजा गया था । इस संबंध में उन्होंने **वलसाला** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य का अभाव है कि अभिग्रहण और न्यायालय में अभिगृहीत वस्तु को पेश करने के बीच की लंबी अवधि है जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की अभिरक्षा में था और उसे मोहर लगाकर रखा गया था । यह संदेहपूर्ण है कि क्या वही वस्तु जिसे अभिगृहीत किया गया था, रसायन परीक्षक के पास भेजा गया था । **उड़ीसा राज्य** बनाम **सितांशु शेखर, कानूनगो**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मालखाना रजिस्टर में माल को पेश नहीं किया जाना महत्वपूर्ण कड़ी को विलुप्त करता है अन्य कारक जिन्हें मालखाना रजिस्टर में पेश न किया जाना दिखाया गया है इससे अभियोजन पक्षकथन पर घातक प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार, यह दलील दी गई थी कि मालखाना रजिस्टर को पेश नहीं किए जाने से यह दर्शित होता है कि क्या प्रश्नगत बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु मालखाने के भारसाधक की सुरक्षा में रखा गया था, इसलिए, अधिनियम की धारा 55 का गंभीर रूप से अतिक्रमण हुआ है । उन्होंने **राजस्थान राज्य** बनाम **गुरमैल सिंह**[3] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मालखाने रजिस्टर को पेश नहीं किए जाने से विनिषिद्ध वस्तु को अभिग्रहण करने के संबंध में अभियोजन पक्षकथन को साबित किया जाना घातक है और अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है ।

22. तब यह भी दलील दी गई थी कि घटनास्थल पर कोई नमूना नहीं लिया गया था और न बरामद किए गए नमूने पर कोई हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया गया था जिससे अपीलार्थी से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु के बारे में भी संदेह पैदा होता है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा अभिलेख के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई नमूना

---

[1] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 117.

[2] जे. टी. 2002 (8) एस. सी. 292.

[3] (2005) 51 ए. सी. सी. 928.

घटनास्थल पर लिया गया था । उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में **कुलदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिग्रहण के प्रारंभिक प्रक्रम पर नमूने एकत्रित नहीं किया जाना एक त्रुटि है जिसका किसी रीति में भी उपचार नहीं किया जा सकता है जिसमें थैले को खोलकर ऐसा किया गया था जिसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा माल की अंतर्वस्तु को मिश्रित करके मोहरबंद किया गया था । उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में **मथुरा प्रसाद** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया और एक अन्य निर्णय **बेनी प्रसाद** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी अवलंब लिया जिसमें चरस के नमूने जिनके बारे में अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किए जाने का कथन किया गया है/अभिग्रहण किया जाना अभिकथित है और उनके बारे में घटना के स्थान पर उन्हें लेकर मोहरबंद किया जाना अभिकथित है परंतु यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि मोहरबंद पैकेटों में अभियुक्त अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं कराए जिससे अभिकथित बरामदगी के बारे में संदेह उत्पन्न होता है ।

23. इसके विपरीत, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय जिसमें अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है, उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है इसलिए, उसकी दोषसिद्धि को कायम रखा जाना चाहिए और अपील में गुणागुण की कमी है और इसे खारिज किया जाना चाहिए । उन्होंने यह भी दलील दी कि जहां तक स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के अनुपालन का संबंध है, स्वीकृततः अपीलार्थी की गिरफ्तारी और उससे विनिषिद्ध माल का अभिग्रहण सार्वजनिक स्थान से किया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 42 के अनुपालन का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है और विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष पूर्णतया न्यायसंगत है, इसलिए अपीलार्थी

---

[1] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (सप्ली.) 787.

[2] (2005) 51 ए. सी. सी. 904.

[3] (2003) 46 ए. सी. सी. 701.

के विद्वान् काउंसेल की दलील कि धारा 42 के आज्ञापक उपबंधों का छापामार दल द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, यह बात तर्कसंगत नहीं है । इसी तरह, उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि धारा 57 के उपबंध का अनुपालन किया गया है और विचारण न्यायालय ने उस संबंध में निष्कर्ष भी अभिलिखित किए हैं जिन पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।

24. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया गया ।

25. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने प्रथम निवेदन यह किया है कि अभि. सा. 1 और 2 के साक्ष्य से यह सुस्पष्ट है कि स्वीकृततः छापामार दल द्वारा विनिषिद्ध वस्तु सहित अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था यद्यपि ऐसी गिरफ्तार सार्वजनिक स्थान से की गई थी परंतु उनके पास वायरलैस सैट भी था परंतु उन्होंने अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों का आंशिक रूप से अनुपालन करने का कोई प्रयास नहीं किया, यह बात सत्य प्रतीत होती है जैसाकि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य से प्रकट है । उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने विनिषिद्ध माल सहित अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दी और न उन्होंने संबंधित पुलिस थाने के साधारण डायरी में उसे निगमित करने का कोई भी प्रयास किया जब वे अपीलार्थी तथा बरामद की गई वस्तु के साथ संबंधित पुलिस थाने पर पहुंचे थे । वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 42 के आज्ञापक उपबंधों का पूर्णतया अनुपालन न करने के बारे में प्रकट होता है । उच्चतम न्यायालय के विभिन्न सुनाए गए निर्णयों के अनुसार और ऐसा मामला जिसे अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत किया गया है अर्थात् **किशन चन्द** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ये मामले अधिनियम की धारा 42 के आंशिक अनुपालन को प्रकट करते हैं जहां छापामार दल द्वारा ऐसा कार्य किया गया था तब गिरफ्तारी और अभिग्रहण से अभियोजन पक्षकथन दूषित रूप से प्रकट नहीं हुआ था परंतु वहां पर अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) के उपबंधों का पूर्णतया अनुपालन नहीं हुआ और जिससे अभियोजन पक्षकथन को साबित करना घातक हो सकता है । इस प्रकार, वर्तमान मामले के साक्ष्य से यह सुस्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जाना जो अननुज्ञेय था और जिससे यह दर्शित होता है कि

अधिनियम की धारा 42 वर्तमान मामले में लागू नहीं था और विचारण न्यायालय द्वारा इस बारे में लेखबद्ध निष्कर्ष युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील में बल प्रकट होता है कि अधिनियम की धारा 42 के आज्ञापक उपबंध का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु और उसकी गिरफ्तारी संदेहपूर्ण हो जाती है ।

26. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अगली यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मालखाना रजिस्टर पेश नहीं किया गया था जो बात अभि. सा. 4 के कथन से भी सुस्पष्ट है जिसे तारीख 4 अगस्त, 1999 को अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु को सौंपा गया था और अभि. सा. 1 द्वारा उसे जमा करने के लिए दिया गया था, इससे यह भी सही बात प्रतीत होती है जो अभिलेख पर लाई गई है क्योंकि अभि. सा. 1 के साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि उसने बरामद वस्तु अभि. सा. 4 को सौंप दिया था जिसने संबंधित पुलिस थाने के मालखाना में उसके द्वारा रखा गया होगा । अभि. सा. 4 ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त विनिषिद्ध वस्तु लगभग तीन मास से उसकी अभिरक्षा में थी परंतु उसने अपीलार्थी के कब्जे से अभिगृहीत की गई वस्तु की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्षकथन की सम्पुष्टि के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष मालखाना रजिस्टर पेश नहीं किया । अभिलेख से यह भी प्रकट हुआ है कि तारीख 4 अगस्त, 1999 को उक्त विनिषिद्ध वस्तु बरामद की गई थी और अभि. सा. 1 द्वारा मालखाना में जमा किया गया था तथा तारीख 23 अगस्त, 1999 को उक्त विनिषिद्ध वस्तु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात अर्थात् अभिकथित बरामदगी के 19 दिन पश्चात् पेश की गई थी । तारीख 25 अगस्त, 1999 को उप-निरीक्षक रतन सिंह (अभि. सा. 5) अन्वेषक अधिकारी से उक्त नमूना लिया गया था और विश्लेषण के लिए रासायनिक विश्लेषक को भेजे जाने हेतु अमर सिंह (अभि. सा. 3) को दिया गया था और दूसरी ओर अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि 3 मास से उक्त विनिषिद्ध वस्तु उसकी अभिरक्षा में पड़ी हुई थी । इन परिस्थितियों के अंतर्गत यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या विनिषिद्ध वस्तु जिसे तारीख 23 अगस्त, 1999 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, वही थी जो अभि. सा. 4 के अभिरक्षा में थी या नहीं, इसलिए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अधिनियम की धारा 55 का अनुपालन नहीं किया गया है

और न्यायालय के समक्ष मालखाना रजिस्टर को पेश न करना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक साबित हुआ है जिससे अपीलार्थी के बारे में विनिषिद्ध वस्तु की बरामदगी दूषित हुई है । **वलसाला** बनाम **हरियाणा राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वस्तु जिसे मोहरबंद किया गया था या अभिरक्षा में रखा गया था और काफी विलंब के पश्चात् रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था, यह बात अत्यधिक संदेहपूर्ण हो गई है इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता । इस संदर्भ में, **राजस्थान राज्य** बनाम **तारा सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी जिसमें स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित अभियोजन चलाया गया था, इस बारे में यह प्रश्न पैदा होता है कि नमूने कहां पर और कैसे संगृहीत किए गए थे या किसके द्वारा उसे भेजा गया था या प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया था यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इन मामलों में अंतर्वलित अत्यधिक शास्ति को संज्ञान में लेने के लिए । इस प्रकार, इस विषय पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि को विधि की दृष्टि में कायम योग्य नहीं ठहराया गया था ।

27. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील यह है कि विनिषिद्ध वस्तु का कोई नमूना घटनास्थल पर नहीं लिया गया था और न उस पर कोई हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी नहीं लिया गया था, इससे यह बात सही प्रतीत होती है कि जैसाकि अभिलेख से प्रकट है कि अभि. सा. 1 ने वस्तु को बरामद किया था और घटनास्थल पर विनिषिद्ध वस्तु के नमूनों को लिए बिना अपीलार्थी को गिरफ्तार किया था और उसे संबंधित पुलिस थाने के मालखाने में जमा कर दिया गया था और जमा करने के लिए अभि. सा. 4 को उसे सौंपा गया, इसलिए, पुलिस दल द्वारा किस रीति में नमूना लिया गया था, उसे साबित नहीं किया गया है । अभिलेख से यह भी सुस्पष्ट है कि अभिकथित नमूने पर अपीलार्थी का कोई हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया गया । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के अधीन अपराध एक तकनीकी अपराध है और अधिनियमन में यह रक्षोपाय के लिए पूर्ण अनुपालन अपेक्षित है । अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य में यह दर्शित करने में विफल हुए हैं जब नमूना उसी विनिषिद्ध वस्तु

---

[1] (2011) 11 एस. सी. सी. 559.

से लिए गए थे तब अभियोजन पक्षकथन की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है । मोहरबंद थैले में अभियुक्त के हस्ताक्षर के अभाव के संबंध में अपीलार्थी के कब्जे से विनिषिद्ध वस्तु की बरामदगी के बारे में संदेह उत्पन्न होता है ।

28. इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह भी प्रकट है कि अभियोजन का स्पष्ट मामला यह है कि 29 पैकेट सफेद थैले से बरामद किए गए थे जिस पर अपीलार्थी को बैठा हुआ देखा गया था और अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि विनिषिद्ध वस्तु चरस का भार लगभग 25 किलोग्राम था । परंतु अभि. सा. 1 जिसने अपीलार्थी की गिरफ्तारी और उससे चरस का अभिग्रहण किया था और अपीलार्थी से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु को तौला नहीं था और अपीलार्थी के केवल कथन पर विश्वास किया गया था कि 25 किलोग्राम चरस थी तथा अभि. सा. 1 द्वारा कोई वास्तविक भार उसका नहीं लिया गया था जिससे यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि क्या अभिकथित विनिषिद्ध वस्तु वही थी जिसे अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया था और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । यह भी उल्लेखनीय है कि चरस के 29 पैकेट जिनका भार लगभग 25 किलोग्राम था उसके बारे में अपीलार्थी से बरामद किया जाना कहा गया है परंतु प्रश्नगत नमूना जिसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष ले जाया गया था उसमें यह प्रकट नहीं है कि क्या सफेद थैले से अपीलार्थी से बरामद किए गए सभी 29 पैकेट से नमूने लिए गए थे और अभि. सा. 3 द्वारा उन्हें रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था जिससे यह भी संदेह प्रकट होता है कि क्या 29 पैकेट जिन्हें बरामद किया गया था उनमें चरस थी क्योंकि रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट के अनुसार यह दर्शित होता है कि उसने कपड़े में मोहरबंद एक थैले को प्राप्त किया था जिसमें चरस पाई गई थी । अभियोजन पक्ष अभिलेख पर यह दर्शित करने में विफल हुआ है कि विनिषिद्ध वस्तुओं से इतने नमूने लिए गए थे जो अपीलार्थी से बरामद किया गया था और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । अंततः, अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि सील का कोई नमूना नमूने के साथ नमूने पर लगाई गई मोहर की तुलना के प्रयोजन के लिए रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था अतः, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे समाधान रूप से यह साबित होता हो कि मोहर वास्तव में वही मोहर थी जिसे विनिषिद्ध वस्तु के अभिग्रहण के पश्चात् नमूने थैले पर लगाई गई थी । अभियोजन पक्षकथन में प्रकट हुई इन कमियों पर **राजस्थान राज्य** बनाम **गुरमैल सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की

दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है ।

29. यद्यपि विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को न्यायसंगत ठहराने की कोशिश की परंतु वे अभिलेख से न्यायालय को यह नहीं बता सके कि क्या पुलिस दल ने अपीलार्थी से बरामद की गई वस्तु अर्थात् चरस के वास्तविक भार को तौला गया था कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा यह दर्शित करने के लिए मालखाना रजिस्टर पेश किया गया था कि वस्तु जिसे अभि. सा. 1 द्वारा संबंधित पुलिस थाने के मालखाने में जमा किया गया था, उसे अभि. सा. 4 को सौंपा गया था और यह वही वस्तु थी जिसे तारीख 23 अगस्त, 1999 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था और रसायन विश्लेषक के पास भेजा गया था । इसके अतिरिक्त, उसके द्वारा इस तथ्य पर भी विवाद नहीं किया जा सका कि सफेद थैले से बरामद किए गए सभी 29 पैकेटों से नमूना नहीं लिया गया था जिस पर अपीलार्थी बैठा हुआ था और विनिषिद्ध वस्तु के केवल एक नमूना लिया गया था जिसे रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था ।

30. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा और अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई विनिषिद्ध वस्तु संदेहपूर्ण प्रतीत होती है और अभियोजन पक्ष ने स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के पूर्ण अनुपालन में अपीलार्थी के विरुद्ध बरामद की गई वस्तु को साबित करने के लिए अपीलार्थी के प्रतिकूल युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित नहीं किया है । इसलिए, अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश और अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है । अपील मंजूर की जाती है ।

31. अपीलार्थी के बारे में वर्तमान मामले में कारागार में होना कथित है । यह निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

———

हनीफ खान और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 16 जनवरी, 2014

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 323 और 147 – घोर उपहति – सामान्य उद्देश्य – जहां अभिलेख और क्षतिग्रस्त तथा अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित होता है कि अपीलार्थियों ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घोर उपहति कारित की वहां अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित और न्यायसंगत है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि ग्राम के उत्तर की ओर उसिया के निवासी लगभग 100 लठ्ठास की दूरी पर निवास करते थे और वहां पर चक सं. 1702 जो जाहिद खान से संबंधित है, स्थित था । इस चक में पुराने भूखंड सं. 8491 और 8492 तथा जिनकी नाप 2 बिस्वा 17 धुर्स सम्मिलित था । गांव की कृषि भूमि पर प्राथमिक विद्यालय भी था । प्राथमिक विद्यालय की कृषि जमीन जो भूखंड सं. 8486 जिसकी नाप लगभग 8 या 9 बिस्वा थी, जाहिद खान के चक के पश्चिमी ओर क्षेत्र पर स्थित थी । भूखंड सं. 8486 के पश्चिमी ओर दिनिया विद्यालय मौजूद था जिसे फजलुर रसूल के नाम से जाना जाता था । तसद्दुक खान और दाउद खान के बारे में अभियुक्त हनीफ के कुटुंब से संबंधित होना अभिकथित है जो इस संस्था के क्रमशः अध्यक्ष और प्रबंधक कहे जाते थे । दिनिया विद्यालय के हितबद्ध व्यक्ति भूखंड सं. 1702 जो जाहिद खान से संबंधित है तथा कृषि जमीन को हथियाना चाहते थे । इस घटना के 5 या 6 मास पूर्व जाहिद खान ने अपने भूखंड सं. 1702 की नाप-जोत करने के लिए आवेदन पेश किया था और दिनिया विद्यालय के प्रबंधक दाउद खान ने कृषि भूमि जो भूखंड सं. 8486 के ऊपर बने अपनी संस्था पर नाम अभिलिखित करने के लिए आवेदन भी पेश किया था । यह कहा गया है कि दाउद खान का उक्त आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था । यह अभिकथन किया गया है कि घटना के समय पर जाहिद खान से संबंधित

भूखंड सं. 1702 में प्याज बोया गया था और 14 मई, 1981 को लगभग 5.30 बजे अपराह्न वह अपने पुत्र इस्तियाक, एजाज, युनुस, अबरार और अपने पुत्रों के चचेरे भाई मिराज के साथ अपने उक्त खेत से प्याज निकालने के लिए गया था और जब उन्होंने यह देखा कि अभियुक्त हनीफ खान, खलील खान, शकीर खान, अबुल खान, निसार खान, शमसुद्दीन और असलम खान उसके भूखंड सं. 1702 पर अतिक्रमण करके उसके चारों ओर दीवार खड़ी कर रहे हैं । वह और उसका पुत्र इस्तियाक अभियुक्त के पास गए और उन्हें दीवार का निर्माण किए जाने को रोकने के लिए कहा जिस पर अभियुक्त हनीफ खान ने उससे चुप रहने के लिए कहा । इस पर जाहिद खान ने अभियुक्त से कहा कि उसने अपने भूखंड की नाप-जोत करने के लिए आवेदन पेश किया है परंतु अभियुक्त ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दीवार का निर्माण करने के लिए अपनी बात को दोहराया । इस पर उनके बीच वाक्-कलह प्रारंभ हो गया और पूर्वोक्त सभी अभियुक्त जाहिद खान और इस्तियाक पर टूट पड़े और उन्हें पीटने लगे । आहत व्यक्तियों ने चीख-पुकार की जिस वजह से युनुस खान, अबरार खान, एजाज खान और मिराज खान का ध्यान घटनास्थल की ओर गया जिन पर भी अभियुक्त द्वारा उन पर हमला किया गया और पीटा गया । कुछ अन्य साक्षी निसार पुत्र इजराइल, नसीर पुत्र रज्जाक, दोस्त मोहम्मद, सुभान खान, रियाज खान भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मामले पर हस्तक्षेप किया । घटना के दौरान साक्षियों में से एक निसार पुत्र इजराइल को भी अभियुक्तों द्वारा पीटा गया । अभियुक्त अबुल खान ने इस्तियाक पर लाठी से प्रहार किया जो जमीन पर गिर गया था । पीड़ित युनुस खान, अबरार खान और एजाज खान ने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में लाठी घुमाना उनके बारे में कहा गया है । इबरार द्वारा घुमाई गई लाठी पर खन्ती का लगा होना अभिकथित है । अभियुक्त जब घटनास्थल से भाग रहे थे तब उन्होंने अपने साथ इबरार खान को भी ले गए । पुलिस थाना दिलदार नगर में इस मामले का रजिस्ट्रीकरण करने के पश्चात् उप-निरीक्षक राम बहल सिंह जो तारीख 14 मई, 1981 को पुलिस थाना, दिलदार नगर पर तैनात था को इस मामले का अन्वेषण सौंपा गया । वह तत्काल कार्यवाही करने के लिए तत्पर हुआ और राज्य एलोपैथिक डिस्पेंसरी, दिलदार नगर पर गया तथा एजाज खान, इस्तियाक, युनुफ खान और निसार खान के कथनों को अभिलिखित किया । इसके पश्चात् वह घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ और उसी रात्रि उसने उस स्थान का

निरीक्षण किया तथा घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । तारीख 16 मई, 1981 को वह इबरार से मिला और उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा । उसी बीच में आहत इस्तियाक जिसे गाजीपुर भेजा गया था, उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था । उसकी मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु की सूचना का ज्ञापन तारीख 19 मई, 1981 को पुलिस थाना, दिलदार नगर पर प्राप्त किया गया था जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा 304 के अधीन मामले को परिवर्तित किया गया था । तारीख 8 जुलाई, 1981 को उसने साक्षी सुभान और अन्य व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए । जांच के दौरान उसने अभियुक्त द्वारा किए गए अवैध सन्निर्माण के बारे में बनाए गए कतिपय कागजात भी बनाए और तारीख 10 जुलाई, 1981 को जांच पूरी करने के पश्चात् उसने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । यह अपील 1982 के सेशन विचारण सं. 86 राज्य बनाम हनीफ खान और अन्य में तारीख 10 सितंबर, 1982 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन छः मास का कठोर कारावास, धारा 304(2) सपठित धारा 149 के अधीन 4 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 323/149 के अधीन 3 मास के कठोर कारावास द्वारा दंडादिष्ट किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विधि में यह सुस्थापित है कि गुटीय संघर्ष में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे हितबद्ध हैं या अपने कथनों में सुधार किए हैं । ऐसा कोई मामला मुश्किल से होता है जहां साक्षी अपने साक्ष्य में सुधार नहीं करते हैं । गुटीय संघर्ष में साधारणतया हितबद्ध साक्षी जो आगे बढ़ते हैं और असंबद्ध साक्षी साक्ष्य देने के लिए अनिच्छुक होते हैं । इस प्रकार साधारणतया ये दोनों साक्षी हितबद्ध साक्षी होते हैं और उनमें कुछ सुधार होना पाया जाता है तथा उनके साक्ष्य को पूर्णतया अस्वीकार करना न्यायसंगत नहीं होगा । ऐसे मामलों में न्यायालय के सतर्क दृष्टिकोण के मुकाबले विधि पर जोर दिया जाता है और सच्चाई का सार निकालने के लिए उनके साक्ष्य को सावधानीपूर्वक स्थानांतरित किया जाता है । प्रतिरक्षा पक्ष ने निर्णयों की दो प्रतियां फाइल की हैं जिनमें यह दर्शित है कि निसार खान उन मामलों में अभियुक्त बनाया गया है और इन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिरक्षा पक्ष ने निसार खान के परिसाक्ष्य को दोषारोपित करने की कोशिश की है जिसके बारे में यह कहा गया है कि इन मामलों में उसके अभियुक्त रहते हुए उस

तथ्य से अभिकथित रूप से इनकार किया गया है । यह देखने में आता है कि निसार खान ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 8 में अभियुक्त होने से इनकार किया है । इस मामले में पुलिस कार्मिक द्वारा उसे पीटा गया था । उसने हरिजनों से पीटे जाने से भी इनकार किया है । इन दोनों दस्तावेजों के आधार पर उसके साक्ष्य पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि इन दोनों मामलों में निसार खान को दोषमुक्त कर दिया गया और इन मामलों में पुलिस कार्मिक के बारे में पीड़ित होना नहीं कहा गया है । इन दोनों साक्षियों ने घटना के तात्विक विशिष्टियों पर एक-दूसरे की सम्पुष्टि की है । इसके अतिरिक्त जाहिद खान और निसार खान का साक्ष्य जो घटना के दो तथ्यात्मक साक्षी हैं अभियोजन पक्ष ने अन्वेषक अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में अभिलिखित मृतक इस्तियाक के कथन का भी अवलंब लिया है । यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन इस्तियाक के कथन उसकी मृत्यु से संबंधित है और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन ग्राह्य है । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने विभिन्न आधारों पर मृत्युकालिक कथन को आक्षेपित किया है और निम्नलिखित कारणों से इसके अवलंब लेने को असुरक्षित माना है । साधारणतया अपने कथन में किसी ने भी अपने नाम का संबोधन नहीं किया है परंतु मृतक इस्तियाक के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन का परिशीलन करने पर जिसे उप-निरीक्षक राम बहल सिंह द्वारा साबित किया गया है, घोषक द्वारा अपने नाम को प्रकट किया जाना पाया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन का सुसंगत सार जैसाकि उप-निरीक्षक राम बहल सिंह द्वारा साबित किया गया है जिसमें इस्तियाक के बारे में यह कथन किया जाना पाया गया है कि इस्तियाक को काफी चोटें हैं । केस डायरी का परिशीलन करने पर भी यह दर्शित हुआ है कि अन्वेषक अधिकारी का आचरण बहुत ही संदेहास्पद है । उसने अपनी केस डायरी में यह लिखा है कि उसने इत्तिला देने वाले और साक्षियों के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण किया है परंतु अपने साक्ष्य के प्रक्रम पर उसने इत्तिला देने वाले की मौजूदगी से इनकार किया है । इत्तिला देने वाला घटनास्थल पर भी मौजूद नहीं हो सका क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से आहत हुए व्यक्ति की तारीख 15 मई, 1981 को 00.30 के आप-पास दिलदार नगर पर उसकी चिकित्सीय परीक्षा की गई थी जब अन्वेषक अधिकारी के बारे में घटनास्थल की निरीक्षण किया जाना कहा गया है । इसके अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल पर दोपहर 2.00 बजे लिखा जाना स्वीकार किया है जिससे कतिपय रूप

से समय इंगित होता है जब घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके द्वारा दिया गया समय एक चूक है । केस डायरी का परिशीलन करने से भी यह दर्शित होता है कि उप-निरीक्षक राम बहल सिंह ने तारीख 14 मई, 1981 को रात्रि 11.00 बजे अन्वेषण प्रारंभ किया था और डिस्पेंसरी, दिलदार नगर को अग्रसर होने के पश्चात् उसने मौजूद आहत से उनकी चिकित्सा परीक्षा के संबंध में पूछताछ की । उसके बारे में इन आहतों के कथन 8-9 पृष्ठों में अभिलिखित किया जाना पाया गया है । स्वीकृततः ग्राम उसिया घटनास्थल से लगभग 4 मील की दूरी पर है । इस बात पर मुश्किल से विश्वास किया जाता है कि 1-1/2 घंटे के अंदर अन्वेषक अधिकारी ने 8-9 पृष्ठ के अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किया होगा और तब उसने घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए 4 मील की दूरी 00.30 घंटे पर तय की होगी जैसाकि उसके द्वारा कथन किया गया है । पुलिस के उप-निरीक्षक से यह आशा नहीं की जाती है कि वह गंवारू व्यक्ति की भांति व्यवहार करे । उसने कई मामलों का अन्वेषण किया होगा और अपने जीवन में कई मामलों में साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत हुआ होगा और इस तथ्य की भी अवहेलना नहीं की जाती कि जब तारीखों में बदलाव आता है । केस डायरी के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण घटना के दिन अर्थात् 14 मई, 1981 को किया गया था । क्या निरीक्षण 00.30 घंटे के अंदर किया गया था, अन्वेषण अधिकारी को तारीख 15 मई, 1981 की तिथि को रखना चाहिए था । अपनी भद्दे हस्तलिखित का फायदा लेकर उसने यह दलील दी है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल के नक्शे पर तारीख 15 मई, 1981 की तारीख रखी गई है न कि 14 मई, 1981 । इस तथ्य को केस डायरी के परिशीलन करने से झूंठा ठहराया गया है जो अन्वेषक अधिकारी द्वारा बनाई गई थी । तारीख 16 मई, 1981 को जब अन्वेषक अधिकारी ने इस मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया तब उसने तारीख 16 मई, 1981 को केस डायरी में इस बात का उल्लेख करना चाहिए था कि उसके द्वारा तारीख 14 मई, 1981 को प्रथम पर्चा पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था । कोई भी व्यक्ति इस बात को समझने में असमर्थ है कि यदि अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 15 मई, 1981 को 00.30 घंटे में घटनास्थल का निरीक्षण किया तब तारीख 14 मई, 1981 को प्रथम पर्चा कैसे प्रस्तुत किया जा सका तब निरीक्षक के टिप्पण में भी उल्लेख किया गया है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभियुक्त को पकड़ा नहीं जा सका ।

डा. आर. सी. पुरोहित के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि प्रतिरक्षा पक्ष के कुछ आहतों की तारीख 14 मई, 1981 को 11.00 बजे अपराह्न और 15 मई, 1981 को 12.10 बजे पूर्वाह्न के बीच राज्य एलोपैथिक डिस्पेंसरी, दिलदार नगर पर चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । क्या अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 14 मई, 1981 को 11.00 बजे अपराह्न दिलदार नगर डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया था जब उसके बारे में अभियोजन पक्ष के इस्तियाक और अन्य आहतों के कथनों को अभिलिखित किया जाना कहा गया है । उसने डिस्पेंसरी पर इस मामले के अभियुक्तों को ठीक ही स्थिति में पाया । इन सभी बातों से यह दर्शित होता है कि उप-निरीक्षक राम बहल सिंह द्वारा किया गया अन्वेषण ढोंग है इसलिए उप-निरीक्षक राम बहल सिंह द्वारा अभिकथित रूप से अभिलिखित किया गया मृतक इस्तियाक का कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । तथापि, इससे अभियोजन पक्षकथन की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी । यह तथ्य शेष रह जाता है कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जाहिद खान और निसार खान का मौखिक साक्ष्य है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि अभियुक्त/अपीलार्थी अबुल खान द्वारा घटना का प्रतिवृत्तांत दर्ज किया गया था और अभियुक्तों की ओर से चार व्यक्ति अर्थात् नसीम, अबुल खान, जोखन और शमसुद्दीन को घटना में क्षतियां पहुंची थीं । अभियुक्तों की क्षतियों के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से दर्ज किए गए प्रतिवृत्तांत पर अविश्वास प्रकट करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित किए, यह बात गलत है और विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष को अभिलिखित करने में गलती की है कि वे अभियुक्त थे जो आक्रमक थे । इसलिए, विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए और अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना चाहिए । विचारण न्यायालय ने दोनों पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की छानबीन की और यह निष्कर्ष निकाला कि एक प्रतिरक्षा साक्षी जोखन खान जिसे प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा वृत्तांत के बारे में साक्ष्य देने के लिए पेश किया गया था, उसने दीवार के निर्माण के बारे में एक शब्द का भी कथन नहीं किया है या दिनिया विद्यालय की पूर्वी चारदीवारी को देखे जाने का कथन नहीं किया है और यह दीवार भूखंड सं. 1702 पर नहीं बनाई गई है । विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिरक्षा साक्षी जोखन का पुत्र अर्थात् असलम वर्तमान मामले में अभियुक्त भी है और उक्त कारण से घटना का प्रतिवृत्तांत साबित करने के लिए प्रकट हुआ था । विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष

निकाला कि प्रतिरक्षा पक्ष ने अभियोजन पक्ष के पीड़ित व्यक्तियों को पहुंची क्षतियों के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिरक्षा वृत्तांत पर विश्वास करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित किए गए और कोई दोष नहीं पाया क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से आहत इबरार खान जिसे घटना के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ले जाया गया था उसके शरीर पर पांच क्षतियां कायम हुई थीं । इसके अतिरिक्त, उक्त आहत की अपनी क्षतियों के कारण तारीख 17/18 मई, 1981 की रात्रि में 1.40 बजे पूर्वाह्न मृत्यु हो गई थी और उसका शवपरीक्षण तारीख 18 मई, 1981 को किया गया था जिससे यह दर्शित होता है कि उसकी मृत्यु क्षति सं. 1 के परिणामस्वरूप हुई थी जिसे अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा कारित किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अंतिम प्रक्रम पर यह निवेदन किया है कि क्षति सं. 1 जिसके कारण आहत इबरार खान की मृत्यु हुई जिस क्षति को अभियुक्त अबुल खान द्वारा कारित किया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर की गई थी न कि अभिलेख के साक्ष्य के विरुद्ध प्रतीत होती है । अबुल खान पुत्र हनीफ खान जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष है, नसीम खान पुत्र खलील खान जिसकी आयु लगभग 42 वर्ष है और असलम खान पुत्र जोखन खान जिसकी आयु लगभग 46 वर्ष है । यह घटना 33 वर्ष पुरानी है और 32 वर्ष के पश्चात् यह अपील सुनवाई के लिए प्रकट हुई है । अपीलार्थी अपने कुटुंबों के साथ रह रहे हैं और ऐसे में यह अत्यधिक कठिनाई होगी यदि अपीलार्थियों को इतने वर्षों के पश्चात् कारागार भेजा जाए । अपीलार्थी विचारण के दौरान लगभग 3 मास कारागार में पहले ही रहे हैं और विचारण न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि के पश्चात् उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है और अपील के लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत पर निर्मुक्त किया गया था । इसलिए अपीलार्थियों की बाकी दंड की अवधि को जुर्माने में सम्परिवर्तित किया जाना चाहिए और इसे दंड की बढ़ोतरी के रूप में नहीं माना जाएगा । इस प्रकार, अभिलेख और आहत और अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से न्यायालय ने कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला है जिससे उनके परिसाक्ष्य को त्यक्त किया जा सके और इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपने मामले को साबित किया है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा जाता है । (पैरा 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1982 की दांडिक अपील सं. 1898.

1982 के सेशन विचारण सं. 86 में गाजीपुर से चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री सी. एस. सरन, अमर सरन, एजाज अहमद खान, वी. पी. श्रीवास्तव और संजय विक्रम सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता सर्वश्री अहमद खान, अमित मिश्रा, एम. ए. खान, विरेश मिश्रा और संदीप कुमार दुबे

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा – विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. पी. श्रीवास्तव जिनकी सहायता अपीलार्थी सं. 4, 5 और 7 के विद्वान् काउंसेल श्री संजय विक्रम सिंह द्वारा की गई, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विरेश मिश्रा जिनकी सहायता परिवादी के विद्वान् काउंसेल श्री संदीप कुमार दुबे द्वारा की गई और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. यह अपील 1982 के सेशन विचारण सं. 86 राज्य बनाम हनीफ खान और अन्य में तारीख 10 सितंबर, 1982 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन छः मास का कठोर कारावास, धारा 304(2) सपठित धारा 149 के अधीन 4 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 323/149 के अधीन 3 मास के कठोर कारावास द्वारा दंडादिष्ट किया गया ।

3. तारीख 17 नवंबर, 2013 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार जिसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी रिपोर्ट तारीख 5 दिसंबर, 2012 में यह रिपोर्ट दी गई थी कि अपीलार्थी सं. 1 हनीफ खान पुत्र युसुफ खान अपीलार्थी सं. 2 खलील खान पुत्र हनीफ खान की वर्ष 2009 में मृत्यु हुई थी और जहां पर अपीलार्थी सं. 3 शकीर खान पुत्र हनीफ खान की वर्ष 2000 में मृत्यु हुई थी तथा अपीलार्थी सं. 6 शमसुद्दीन पुत्र अलियार खान की वर्ष 1990 में मृत्यु हुई थी, इसलिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी अपीलों का उपशमन किया गया ।

4. अभियुक्त व्यक्तियों के अनुसार उनके परस्पर संबंध इस प्रकार हैं कि अभियुक्त खलील खान और शकीर खान तथा अबुल खान अभियुक्त हनीफ खान के पुत्र हैं । अभियुक्त नसीम खान अभियुक्त अबुल खान का पुत्र है । इस प्रकार ये सभी 5 अभियुक्त एक ही कुटुंब से संबंधित हैं । यद्यपि इस बात से इनकार किया गया है परंतु अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि 2 अन्य अभियुक्त शमशुद्दीन और असलम खान एक ही कुटुंब से संबंधित हैं और अभियुक्त हनीफ खान का गन्तव्य स्थान वही था । अभियोजन पक्ष की ओर से आहत हुए व्यक्ति और अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि वे ग्राम उसिया से संबंधित हैं जो पुलिस थाना, दिलदार नगर के पूर्व की ओर लगभग 4 मील की दूरी पर स्थित है ।

5. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि ग्राम के उत्तर की ओर उसिया के निवासी लगभग 100 लठ्ठास की दूरी पर निवास करते थे और वहां पर चक सं. 1702 जो जाहिद खान से संबंधित है, स्थित था । इस चक में पुराने भूखंड सं. 8491 और 8492 तथा जिनकी नाप 2 बिस्वा 17 धुर्स सम्मिलित था । गांव की कृषि भूमि पर प्राथमिक विद्यालय भी था । प्राथमिक विद्यालय की कृषि जमीन जो भूखंड सं. 8486 जिसकी नाप लगभग 8 या 9 बिस्वा थी, जाहिद खान के चक के पश्चिमी ओर क्षेत्र पर स्थित थी । भूखंड सं. 8486 के पश्चिमी ओर दिनिया विद्यालय मौजूद था जिसे फजलुर रसूल के नाम से जाना जाता था । तसद्दुक खान और दाउद खान के बारे में अभियुक्त हनीफ के कुटुंब से संबंधित होना अभिकथित है जो इस संस्था के क्रमशः अध्यक्ष और प्रबंधक कहे जाते थे । दिनिया विद्यालय के हितबद्ध व्यक्ति भूखंड सं. 1702 जो अभि. सा. 1 जाहिद खान से संबंधित है तथा कृषि जमीन को हथियाना चाहते थे । इस घटना के 5 या 6 मास पूर्व जाहिद खान ने अपने भूखंड सं. 1702 की नाप-जोत करने के लिए आवेदन पेश किया था और दिनिया विद्यालय के प्रबंधक दाउद खान ने कृषि भूमि जो भूखंड सं. 8486 के ऊपर बने अपनी संस्था पर नाम अभिलिखित करने के लिए आवेदन भी पेश किया था । यह कहा गया है कि दाउद खान का उक्त आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था । यह अभिकथन किया गया है कि घटना के समय पर अभि. सा. 1 जाहिद खान से संबंधित भूखंड सं. 1702 में प्याज बोया गया था और 14 मई, 1981 को लगभग 5.30 बजे अपराह्न वह अपने पुत्र इस्तियाक, एजाज, युनुस, अबरार और अपने पुत्रों के चचेरे भाई मिराज के साथ अपने उक्त खेत से प्याज निकालने के लिए गया था और जब उन्होंने यह देखा कि

अभियुक्त हनीफ खान, खलील खान, शकीर खान, अबुल खान, निसार खान, शमसुद्दीन और असलम खान उसके भूखंड सं. 1702 पर अतिक्रमण करके उसके चारों ओर दीवार खड़ी कर रहे हैं । वह और उसका पुत्र इस्तियाक अभियुक्त के पास गए और उन्हें दीवार का निर्माण किए जाने को रोकने के लिए कहा जिस पर अभियुक्त हनीफ खान ने उससे चुप रहने के लिए कहा । इस पर अभि. सा. 1 जाहिद खान ने अभियुक्त से कहा कि उसने अपने भूखंड की नाप-जोत करने के लिए आवेदन पेश किया है परंतु अभियुक्त ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दीवार का निर्माण करने के लिए अपनी बात को दोहराया । इस पर उनके बीच वाक्-कलह प्रारंभ हो गया और पूर्वोक्त सभी अभियुक्त जाहिद खान और इस्तियाक पर टूट पड़े और उन्हें पीटने लगे । आहत व्यक्तियों ने चीख-पुकार की जिस वजह से युनुस खान, अबरार खान, एजाज खान और मिराज खान का ध्यान घटनास्थल की ओर गया जिन पर भी अभियुक्त द्वारा उन पर हमला किया गया और पीटा गया । कुछ अन्य साक्षी निसार पुत्र इजराइल, नसीर पुत्र रज्जाक, दोस्त मोहम्मद, सुभान खान, रियाज खान भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मामले पर हस्तक्षेप किया । घटना के दौरान साक्षियों में से एक निसार पुत्र इजराइल को भी अभियुक्तों द्वारा पीटा गया । अभियुक्त अबुल खान ने इस्तियाक पर लाठी से प्रहार किया जो जमीन पर गिर गया था । पीड़ित युनुस खान, अबरार खान और एजाज खान ने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में लाठी घुमाना उनके बारे में कहा गया है । इबरार द्वारा घुमाई गई लाठी पर खन्ती का लगा होना अभिकथित है । अभियुक्त जब घटनास्थल से भाग रहे थे तब उन्होंने अपने साथ इबरार खान को भी ले गए ।

6. घटना के पश्चात् अभि. सा. 1 जाहिद खान ने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-7) प्राप्त की जो घटनास्थल पर जमील खान द्वारा बोल कर लिखाई गई थी । वह कुछ आहतों के साथ तत्काल पुलिस थाना दिलदार नगर की ओर अग्रसर हुआ और अपनी लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-7) उसने बनाई तथा अभि. सा. 6 सरनाथ मिश्रा को सौंप दी जो वहां पर तैनात था । कांस्टेबल सरनाथ मिश्रा ने उसके बदले में चिक रिपोर्ट प्रदर्श क-23 तैयार की और जी. डी. सं. 33 मामला 10.15 बजे अपराह्न रजिस्ट्रीकृत की और तारीख 14 मई, 1981 को (प्रदर्श क-24) भी तैयार की । उसने 4 आहत व्यक्तियों अजाज, निसार, युनुस और इस्तियाक जो पुलिस थाने पर मौजूद थे, उन चारों को चिकित्सा परीक्षा के लिए भी भेजा और इन आहत

व्यक्तियों की उसी रात्रि डा. आर. सी. पुरोहित (अभि. सा. 4) जो राज्य एलोपैथिक डिस्पेंसरी, दिलदार नगर में तैनात थे, उनके द्वारा उनकी चिकित्सीय परीक्षा की गई जिन्होंने इन आहत व्यक्तियों के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं ।

पीड़ित व्यक्ति एजाज खान की तारीख 15 मई, 1981 को 12.30 बजे पूर्वाह्न चिकित्सीय परीक्षा की गई थी जिनकी क्षतियां निम्नलिखित हैं :–

> "बाएं कान के शीर्ष पर 12 से. मी. परवर्ती भाग के सिर के बाईं ओर पश्चकपाल क्षेत्र पर 1 से. मी. x 1 से. मी. की खरोंच । रक्त का थक्का मौजूद था ।
>
> क्षति कठोर और कुंद आयुध द्वारा कारित की गई थी । प्रकृति में साधारण थी और ताजा क्षति प्रतीत हो रही थी ।"

आहत निसार खान की तारीख 15 मई, 1981 को 12.45 बजे पूर्वाह्न चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी और उसकी क्षतियां निम्न प्रकार हैं :–

> 1. बाएं कान के शीर्ष पर 4 से. मी. ऊपर सिर के बाईं ओर 2 से. मी. x 1 से. मी. की खरोंच । रक्त का थक्का मौजूद था ।
>
> क्षति कठोर और कुंद आयुध से कारित की गई थी । प्रकृति में साधारण थी और ताजा प्रतीत हो रही थी ।

आहत युनुस खान की तारीख 15 मई, 1981 को 1.00 बजे पूर्वाह्न चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी और उसकी क्षतियां निम्न प्रकार हैं :–

> 1. बाईं कोहनी के 5 से. मी. नीचे परवर्ती सतह पर क्षैतीज बाएं प्रबाहु पर 3 से. मी. x 2 से. मी. का गुमटा और रंग में रक्तिम था ।
>
> 2. दाहिनी कलाई के 3 से. मी. नीचे क्षैतीज भाग पर बाएं हथेली के पृष्ठीय सतह पर 5 से. मी. x 4 से. मी. का गुमटा, रंग में रक्तिम था ।
>
> 3. दाहिनी तर्जनी के 1 से. मी. नीचे दाहिनी हथेली के पृष्ठीय सतह पर 1 से. मी. x 0.5 से. मी. की खरोंच, रक्त का थक्का मौजूद था ।

क्षतियां कठोर और कुंद आयुध से कारित की गई थीं और ताजा थीं । क्षति सं. 2 के बारे में एक्सरे किए जाने की सलाह दी गई ।

इस्तियाक खान की क्षति जिसकी 15 मई, 1981 को 1.20 बजे पूर्वाह्न चिकित्सा परीक्षा की गई थी :–

1. बाएं कान के शीर्ष के 7 से. मी. ऊपर ऊर्ध्वोधर सिर के बाईं ओर 7 से. मी. x 2.5 से. मी. का गुमटा, रंग में रक्तिम था ।

2. बाईं कलाई संधि के 2 से. मी. नीचे क्षैतीज बाईं हथेली के पृष्ठीय सतह पर 5 से. मी. x 4 से. मी. का गुमटा और रंग में रक्तिम था ।

3. बाईं चुचूक के 3 से. मी. नीचे वक्ष के बाईं ओर 1 से. मी. की खरोंच । रक्त का थक्का मौजूद था । क्षतियां कठोर और कुंद आयुध से कारित की गई थीं । क्षति सं. 1 और 2 के बारे में एक्सरे करने की सलाह दी गई थी ।

4. इबरार खान जो आहतों में से एक आहत था जिसे अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ले जाया गया था और बाद में वापस लौट चुका था, उसे भी चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था और डा. आर. सी. पुरोहित द्वारा तारीख 16 मई, 1981 को 4.30 बजे अपराह्न उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई थी । उसने उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं ।

इबरार खान की क्षतियां जिसकी तारीख 16 मई, 1981 को 4.30 बजे अपराह्न चिकित्सा परीक्षा की गई थी, उसकी क्षतियां निम्नलिखित हैं :–

1. दाहिने कान के शीर्ष के 4 से. मी. ऊपर अर्ध्वोधर सिर के दाहिनी ओर 4 से. मी. x 2 से. मी. का गुमटा । रंग में लालिमा लिए हुए था ।

2. बाईं कोहनी के परवर्ती सतह पर 3 से. मी. नीचे क्षैतीज बाएं प्रबाहु पर 3 से. मी. x 2 से. मी. का गुमटा । रंग में लालिमा लिए हुए था ।

3. बाएं अंशफलक के निचले अंतिम छोर के 3 से. मी. नीचे क्षैतीज पीठ के बाईं ओर 4 से. मी. x 2.5 से. मी. का गुमटा, रंग में लालिमा लिए हुए था ।

4. घुटने की संधि के अग्रवर्ती सतह पर बाएं घुटने पर 2 से. मी. x 2 से. मी. की खरोंच । रक्त का थक्का मौजूद था ।

5. घुटने की संधि के अग्रवर्ती सतह पर बाएं घुटने पर 1 से. मी. x 1 से. मी. की खरोंच । रक्त का थक्का मौजूद था ।

क्षतियां कठोर और कुंद आयुध से कारित की गई थीं । प्रकृति में साधारण थीं और लगभग 1-1/2 दिन के समय की प्रतीत होती हैं ।

7. यह प्रतीत हुआ है कि आहत इस्तियाक को गाजीपुर भेजा गया था और जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां डा. पी. सी. श्रीवास्तव (अभि. सा. 3) द्वारा तारीख 16 मई, 1981 को उसके सिर की क्षति का एक्सरे किया गया । इसके पश्चात् उसे जिला अस्पताल में भी भर्ती किया गया था और उसकी लगभग 1.40 बजे पूर्वाह्न मृत्यु हो गई । तारीख 17/18 मई, 1981 को रात्रि के दौरान डा. एस. के. श्रीवास्तव जो उस समय अपनी ड्यूटी पर थे, उन्होंने ज्ञापन प्रदर्श 9 कोतवाली पुलिस को सूचना देते हुए भेजा था जहां पर उप-निरीक्षक को मृत्यु समीक्षा कार्यवाही करने के लिए तैनात किया गया था । मृतक इस्तियाक के मृत्यु समीक्षा कागजात जैसाकि प्रतिरक्षा द्वारा स्वीकार किया गया है जिसमें मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श क-18, फोटो नाश प्रदर्श क-19, चालान नाश प्रदर्श क-20 और शव परीक्षण के लिए पत्र प्रदर्श क-21 सम्मिलित किए गए हैं । इस्तियाक के शव को मोहरबंद किया गया था और जिसे पुलिस कोतवाली के कांस्टेबल कृष्णा रत्ना द्वारा पेश किया गया था और जिसने तारीख 10 मई, 1981 को डा. पी. सी. श्रीवास्तव (अभि. सा. 3) के समक्ष अपना शपथपत्र फाइल किया था जिसने मृतक की शिनाख्ती के पश्चात् तारीख 16 मई, 1981 को 2.00 बजे अपराह्न शव-परीक्षा के लिए उसे रखा था और निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की है ।

आयु लगभग 20 वर्ष । मृत्यु लगभग 1/2 दिन पूर्व हुई थी । शरीर पर ऊपरी और निचले छोर पर शव काठिन्य मौजूद था । आंखें बंद थीं ।

मृत्युपूर्व क्षतियां –

1. बाएं कान के 7 से. मी. ऊपर उर्ध्वोधर दिशा पर खोपड़ी के बाईं ओर 7 से. मी. x 2.5 से. मी. का गुमटा ।

2. बाईं कलाई संधि के 2 से. मी. नीचे बाईं हथेली के पृष्ठ भाग पर 5 से. मी. x 4 से. मी. का गुमटा ।

3. बाएं चुचूक के 3 से. मी. नीचे छाती के बाईं ओर 5 बजे की आकृति में 1 से. मी. x 1 से. मी. की खरोंच ।

आंतरिक परीक्षा करने पर । बाईं पार्श्विक अस्थि के अस्थिभंग का पता चला है । उसके अनुसार मृतक की खाल (झिल्लियां) पर अंतक्षति थी और उसका मस्तिष्क संकुचित था । उसने मस्तिष्क गुहिका में 2 औंस रक्त का थक्का मौजूद देखा था । मृतक का आमाशय खाली था और बृहत्त और छोटी आंतें मल पदार्थ और गैस से भरा हुआ था । उसके अनुसार मृतक की मृत्यु मृत्युपूर्व क्षति सं. 1 के परिणामस्वरूप आघात और रक्तस्राव के कारण हुई थी ।

8. पुलिस थाना दिलदार नगर में इस मामले का रजिस्ट्रीकरण करने के पश्चात् उप-निरीक्षक राम बहल सिंह जो तारीख 14 मई, 1981 को पुलिस थाना, दिलदार नगर पर तैनात था को इस मामले का अन्वेषण सौंपा गया । वह तत्काल कार्यवाही करने के लिए तत्पर हुआ और राज्य एलोपैथिक डिस्पेंसरी, दिलदार नगर पर गया तथा एजाज खान, इस्तियाक, युनुस खान और निसार खान के कथनों को अभिलिखित किया । इसके पश्चात् वह घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ और उसी रात्रि उसने उस स्थान का निरीक्षण किया तथा घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श क-16 तैयार किया । तारीख 16 मई, 1981 को वह इबरार से मिला और उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा । उसी बीच में आहत इस्तियाक जिसे गाजीपुर भेजा गया था, उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था । उसकी मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु की सूचना का ज्ञापन तारीख 19 मई, 1981 को पुलिस थाना, दिलदार नगर पर प्राप्त किया गया था जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा 304 के अधीन मामले को परिवर्तित किया गया था । तारीख 8 जुलाई, 1981 को उसने साक्षी सुभान और अन्य व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए । जांच के दौरान उसने अभियुक्त द्वारा किए गए अवैध सन्निर्माण के बारे में बनाए गए कतिपय कागजात भी बनाए और तारीख 10 जुलाई, 1981 को जांच पूरी करने के पश्चात् उसने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श क-17) प्रस्तुत किया ।

9. अभियुक्त हनीफ खान, खलील खान और शाकिर खान ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और दुश्मनी की वजह से मिथ्या फंसाया जाना बताया । अभियुक्त नसीम खान ने यह कथन किया कि उसके चाचा अबुल खान ने प्रति मामला किया है इसलिए, उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अभियुक्त शमसुद्दीन का यह मामला है कि उसके

द्वारा मार-पीट में हस्तक्षेप करने के कारण उसे भी फंसाया गया था और उसने और अभियुक्त असलम खान ने यह कथन किया कि वह नसीम खान और अबुल खान तथा अन्य लोगों के चीख-पुकार करने पर उसका ध्यान जाहिद के दरवाजे की ओर गया तथा जब शमशाद, जाहिद आदि ने उस पर तथा अन्य साक्षियों पर हमला किया तब उसने अपनी प्रतिरक्षा में लाठी भी घुमाई थी । अभियुक्त अबुल खान जो घटना के प्रतिवृत्तांत का मुख्य रचयिता है, उसने अपनी प्रतिरक्षा मामले में यह अभिवाक् किया कि जब वह दिनिया विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण कर रहा था तब उस पर इस्तियाक, युनुस, इबरार, शमशाद, हुसैन, अशफाक, निसार और जाहिद द्वारा हमला किया गया था और हमलावरों ने चारदीवारी को गिराने का काम किया । उसने आगे यह भी कथन किया है कि अपने को बचाने के लिए वह जोखन खान के दरवाजे की ओर भागा जहां इस्तियाक और अन्य लोगों ने उसको पीटा था और उसके चीख-पुकार करने पर जब जोखन शमशुल खान और असलम उसे बचाने के लिए पहुंचे उन्हें भी पीटा गया । उसके अनुसार मकबूल खान, फियाज खान और अन्य लोगों ने घटना में हस्तक्षेप किया था ।

10. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए इत्तिला देने वाला अभि. सा. 1 जाहिद खान, आहत अभि. सा. 2 निसार खान जो तथ्य के दो साक्षी हैं की परीक्षा की । डा. पी. सी. श्रीवास्तव अभि. सा. 3 जिन्होंने तारीख 16 मई, 1981 को मृतक इस्तियाक की खोपड़ी का एक्सरे किया जिससे यह पता चला कि पार्श्विक अस्थि का अस्थि भंग हुआ है और तारीख 18 मई, 1981 को 2 बजे अपराह्न शव परीक्षा रखी गई थी, डा. आर. सी. पुरोहित अभि. सा. 4 जिन्होंने आहत एजाज, निसार, युनुस, इस्तियाक और इबरार की चिकित्सा परीक्षा की । अभियोजन पक्ष की ओर से उप-निरीक्षक राम बहल सिंह (अभि. सा. 5) इस मामले का अन्वेषण अधिकारी और कांस्टेबल सरनाथ मिश्रा (अभि. सा. 6), औपचारिक साक्षी जिन्होंने चिक रिपोर्ट, साधारण डायरी और पत्रों आदि को तैयार किया । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने कांस्टेबल कृष्ण रत्ना का शपथपत्र भी फाइल किया था जो तारीख 18 मई, 1981 को कोतवाली में तैनात था तथा मुर्दाघर पर इस्तियाक के शव को ले गया था और उसने डा. पी. सी. श्रीवास्तव (अभि. सा. 3) के समक्ष इसकी शिनाख्त भी की थी । सभी इन तीनों साक्षियों की निभाई गई भूमिका के बारे में अभियोजन पक्षकथन का वृत्तांत देते हुए पहले ही कथन किया गया है ।

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के अधीन अभियुक्तों को दोषमुक्त नहीं किया गया था और उन्हें अपनी प्रतिरक्षा देने के लिए बुलाया गया था । अभियुक्तों ने कतिपय दस्तावेजों को फाइल करने के बावजूद प्रतिरक्षा साक्षी 1 जोखन खान की घटना के प्रतिवृत्तांत को साबित करने के लिए परीक्षा की ।

12. साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण करने पर यह दर्शित होता है कि घटना का तथ्य और घटना का दिन और समय को पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया है । दोनों पक्षकार घटना के अपने-अपने वृत्तांत को देने के लिए सामने आए और दोनों के अनुसार घटना तारीख 14 मई, 1981 को 5.30 बजे अपराह्न के आस-पास ग्राम उसिया में घटी थी जो स्थान जिला गाजीपुर के पुलिस सर्किल, दिलदार नगर के अंतर्गत आता है । घटना के मार-पीट के स्थान के बारे में दो वृत्तांतों के बीच भिन्नता और उसमें कई लोगों की भागीदारी किया जाना प्रकट हुआ है ।

13. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने दो तथ्यात्मक साक्षी अभि. सा. 1 जाहिद खान और अभि. सा. 2 निसार खान को पेश किया । किसी स्वतंत्र साक्षी को पेश न करने पर जोर दिया गया तथा इन साक्षियों के अपने साक्ष्यों में किए गए अभिकथित कुछ सुधारों पर जोर दिया है । विधि में यह सुस्थापित है कि गुटीय संघर्ष में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे हितबद्ध हैं या अपने कथनों में सुधार किए हैं । ऐसा कोई मामला मुश्किल से होता है जहां साक्षी अपने साक्ष्य में सुधार नहीं करते हैं । गुटीय संघर्ष में साधारणतया हितबद्ध साक्षी जो आगे बढ़ते हैं और असंबद्ध साक्षी साक्ष्य देने के लिए अनिच्छुक होते हैं । इस प्रकार साधारणतया ये दोनों साक्षी हितबद्ध साक्षी होते हैं और उनमें कुछ सुधार होना पाया जाता है तथा उनके साक्ष्य को पूर्णतया अस्वीकार करना न्यायसंगत नहीं होगा । ऐसे मामलों में न्यायालय के सतर्क दृष्टिकोण के मुकाबले विधि पर जोर दिया जाता है और सच्चाई का सार निकालने के लिए उनके साक्ष्य को सावधानीपूर्वक स्थानांतरित किया जाता है ।

14. प्रतिरक्षा पक्ष ने निर्णयों की दो प्रतियां फाइल की हैं जिनमें यह दर्शित है कि निसार खान (अभि. सा. 2) उन मामलों में अभियुक्त बनाया गया है और इन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिरक्षा पक्ष ने अभि. सा. 2 निसार खान के परिसाक्ष्य को दोषारोपित करने की कोशिश की है जिसके बारे में यह कहा गया है कि इन मामलों में उसके अभियुक्त रहते हुए उस

तथ्य से अभिकथित रूप से इनकार किया गया है । यह देखने में आता है कि निसार खान ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 8 में अभियुक्त होने से इनकार किया है । इस मामले में पुलिस कार्मिक द्वारा उसे पीटा गया था । उसने हरिजनों से पीटे जाने से भी इनकार किया है । इन दोनों दस्तावेजों के आधार पर उसके साक्ष्य पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि इन दोनों मामलों में निसार खान को दोषमुक्त कर दिया गया और इन मामलों में पुलिस कार्मिक के बारे में पीड़ित होना नहीं कहा गया है । इन दोनों साक्षियों ने घटना के तात्विक विशिष्टियों पर एक-दूसरे की सम्पुष्टि की है ।

15. इसके अतिरिक्त अभि. सा. 1 जाहिद खान और अभि. सा. 2 निसार खान का साक्ष्य जो घटना के दो तथ्यात्मक साक्षी हैं अभियोजन पक्ष ने अन्वेषक अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में अभिलिखित मृतक इस्तियाक के कथन का भी अवलंब लिया है । यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन इस्तियाक के कथन उसकी मृत्यु से संबंधित हैं और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन ग्राह्य है । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने विभिन्न आधारों पर मृत्युकालिक कथन को आक्षेपित किया है और निम्नलिखित कारणों से इसके अवलंब लेने को असुरक्षित माना है । साधारणतया अपने कथन में किसी ने भी अपने नाम का संबोधन नहीं किया है परंतु मृतक इस्तियाक के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन का परिशीलन करने पर जिसे अभि. सा. 5 उप-निरीक्षक राम बहल सिंह द्वारा साबित किया गया है, घोषक द्वारा अपने नाम को प्रकट किया जाना पाया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन का सुसंगत सार जैसाकि अभि. सा. 5 उप-निरीक्षक राम बहल सिंह द्वारा साबित किया गया है जो प्रदर्श क-15 है जिसमें इस्तियाक के बारे में यह कथन किया जाना पाया गया है कि इस्तियाक को काफी चोटें हैं । केस डायरी का परिशीलन करने पर भी यह दर्शित हुआ है कि अन्वेषक अधिकारी का आचरण बहुत ही संदेहास्पद है । उसने अपनी केस डायरी में यह लिखा है कि उसने इत्तिला देने वाले और साक्षियों के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण किया है परंतु अपने साक्ष्य के प्रक्रम पर उसने इत्तिला देने वाले की मौजूदगी से इनकार किया है । इत्तिला देने वाला घटनास्थल पर भी मौजूद नहीं हो सका क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से आहत हुए व्यक्ति की तारीख 15 मई, 1981 को आधे घंटे के आप-पास दिलदार नगर पर उसकी चिकित्सीय परीक्षा की गई थी जब अन्वेषक अधिकारी के बारे में

घटनास्थल का निरीक्षण किया जाना कहा गया है । इसके अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल पर दोपहर 2.00 बजे लिखा जाना स्वीकार किया है जिससे कतिपय रूप से समय इंगित होता है जब घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके द्वारा दिया गया समय एक चूक है । केस डायरी का परिशीलन करने से भी यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 5 उप-निरीक्षक राम बहल सिंह ने तारीख 14 मई, 1981 को रात्रि 11.00 बजे अन्वेषण प्रारंभ किया था और डिस्पेंसरी, दिलदार नगर को अग्रसर होने के पश्चात् उसने मौजूद आहत से उनकी चिकित्सा परीक्षा के संबंध में पूछताछ की । उसके बारे में इन आहतों के कथन 8-9 पृष्ठों में अभिलिखित किया जाना पाया गया है । स्वीकृततः ग्राम उसिया घटनास्थल से लगभग 4 मील की दूरी पर है । इस बात पर मुश्किल से विश्वास किया जाता है कि 1-1/2 घंटे के अंदर अन्वेषक अधिकारी ने 8-9 पृष्ठ के अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किया होगा और तब उसने घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए 4 मील की दूरी आधे घंटे पर तय की होगी जैसाकि उसके द्वारा कथन किया गया है । पुलिस के उप-निरीक्षक से यह आशा नहीं की जाती है कि वह गंवारू व्यक्ति की भांति व्यवहार करे । उसने कई मामलों का अन्वेषण किया होगा और अपने जीवन में कई मामलों में साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत हुआ होगा और इस तथ्य की भी अवहेलना नहीं की जाती कि जब तारीखों में बदलाव आता है । केस डायरी के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण घटना के दिन अर्थात् 14 मई, 1981 को किया गया था । क्या निरीक्षण आधे घंटे के अंदर किया गया था, अन्वेषण अधिकारी को तारीख 15 मई, 1981 की तिथि को रखना चाहिए था ? अपने भद्दे हस्तलिखित का फायदा लेकर उसने यह दलील दी है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल के नक्शे पर तारीख 15 मई, 1981 की तारीख रखी गई है न कि 14 मई, 1981 । इस तथ्य को केस डायरी के परिशीलन करने से झूंठा ठहराया गया है जो अन्वेषक अधिकारी द्वारा बनाई गई थी । तारीख 16 मई, 1981 को जब अन्वेषक अधिकारी ने इस मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया तब उसे तारीख 16 मई, 1981 को केस डायरी में इस बात का उल्लेख करना चाहिए था कि उसके द्वारा तारीख 14 मई, 1981 को प्रथम पर्चा पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था । कोई भी व्यक्ति इस बात को समझने में असमर्थ है कि यदि अन्वेषक अधिकारी

ने तारीख 15 मई, 1981 को आधे घंटे में घटनास्थल का निरीक्षण किया तब तारीख 14 मई, 1981 को प्रथम पर्चा कैसे प्रस्तुत किया जा सका तब निरीक्षक के टिप्पण में भी उल्लेख किया गया है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभियुक्त को पकड़ा नहीं जा सका । डा. आर. सी. पुरोहित के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि प्रतिरक्षा पक्ष के कुछ आहतों की तारीख 14 मई, 1981 को 11.00 बजे अपराह्न और 15 मई, 1981 को 12.10 बजे पूर्वाह्न के बीच राज्य एलोपैथिक डिस्पेंसरी, दिलदार नगर पर चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । क्या अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 14 मई, 1981 को 11.00 बजे अपराह्न दिलदार नगर डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया था जब उसके बारे में अभियोजन पक्ष के इस्तियाक और अन्य आहतों के कथनों को अभिलिखित किया जाना कहा गया है ? उसने डिस्पेंसरी पर इस मामले के अभियुक्तों को ठीक ही स्थिति में पाया । इन सभी बातों से यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 5 उप-निरीक्षक राम बहल सिंह द्वारा किया गया अन्वेषण ढोंग है इसलिए अभि. सा. 5 उप-निरीक्षक राम बहल सिंह द्वारा अभिकथित रूप से अभिलिखित किया गया मृतक इस्तियाक का कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । तथापि, इससे अभियोजन पक्षकथन की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी । यह तथ्य शेष रह जाता है कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 1 जाहिद खान और अभि. सा. 2 निसार खान का मौखिक साक्ष्य है ।

16. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि अभियुक्त-अपीलार्थी सं. 4 अबुल खान द्वारा घटना का प्रतिवृत्तांत दर्ज किया गया था और अभियुक्तों की ओर से चार व्यक्ति अर्थात् नसीम, अबुल खान (अपीलार्थी सं. 43) जोखन और शमसुद्दीन को घटना में क्षतियां पहुंची थीं । अभियुक्तों की क्षतियों के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से दर्ज किए गए प्रतिवृत्तांत पर अविश्वास प्रकट करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित किए, यह बात गलत है और विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष को अभिलिखित करने में गलती की है कि वे अभियुक्त थे जो आक्रामक थे । इसलिए, विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए और अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

17. यह दलील जिसे अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अभियुक्त अबुल खान की ओर से दर्ज की गई घटना का प्रतिवृत्तांत पर अविश्वास

करने के बारे में दलील दी गई थी, यहां पर यह उल्लेख करना भी ध्यान देने योग्य है कि विचारण न्यायालय ने दोनों पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की छानबीन की और यह निष्कर्ष निकाला कि एक प्रतिरक्षा साक्षी डी. डब्ल्यू. 1 जोखन खान जिसे प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा वृत्तांत के बारे में साक्ष्य देने के लिए पेश किया गया था, उसने दीवार के निर्माण के बारे में एक शब्द का भी कथन नहीं किया है या दिनिया विद्यालय की पूर्वी चारदीवारी को देखे जाने का कथन नहीं किया है और यह दीवार भूखंड सं. 1702 पर नहीं बनाई गई है । विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिरक्षा साक्षी 1 जोखन का पुत्र अर्थात् असलम वर्तमान मामले में अभियुक्त भी है और उक्त कारण से घटना का प्रतिवृत्तांत साबित करने के लिए प्रकट हुआ था । विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि प्रतिरक्षा पक्ष ने अभियोजन पक्ष के पीड़ित व्यक्तियों को पहुंची क्षतियों के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिरक्षा वृत्तांत पर विश्वास करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित किए गए और कोई दोष नहीं पाया क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से आहत इबरार खान जिसे घटना के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ले जाया गया था उसके शरीर पर पांच क्षतियां कायम हुई थीं । इसके अतिरिक्त, उक्त आहत की अपनी क्षतियों के कारण तारीख 17/18 मई, 1981 की रात्रि में 1.40 बजे पूर्वाह्न मृत्यु हो गई थी और उसका शवपरीक्षण तारीख 18 मई, 1981 को किया गया था जिससे यह दर्शित होता है कि उसकी मृत्यु क्षति सं. 1 के परिणामस्वरूप हुई थी जिसे अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा कारित किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अंतिम प्रक्रम पर यह निवेदन किया है कि क्षति सं. 1 जिसके कारण आहत इबरार खान की मृत्यु हुई जिस क्षति को अभियुक्त अबुल खान द्वारा कारित किया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर की गई थी न कि अभिलेख के साक्ष्य के विरुद्ध प्रतीत होती है । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करके ठीक ही किया है और अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अन्य अपराधों के साथ-साथ दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के साथ पठित धारा 149 के अधीन अपराध के लिए उन्हें दोषसिद्ध करने में पहले ही उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था जिन अपराधों के लिए उन्हें आरोपित किया गया था ।

18. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने अंतिम यह दलील दी कि

अपीलार्थी सं. 4 अबुल खान पुत्र हनीफ खान जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष है, अपीलार्थी सं. 5 नसीम खान पुत्र खलील खान जिसकी आयु लगभग 42 वर्ष है और अपीलार्थी सं. 7 असलम खान पुत्र जोखन खान जिसकी आयु लगभग 46 वर्ष है । यह घटना 33 वर्ष पुरानी है और 32 वर्ष के पश्चात् यह अपील सुनवाई के लिए प्रकट हुई है । अपीलार्थी अपने कुटुंबों के साथ रह रहे हैं और ऐसे में यह अत्यधिक कठिनाई होगी यदि अपीलार्थियों को इतने वर्षों के पश्चात् कारागार भेजा जाए । अपीलार्थी विचारण के दौरान लगभग 3 मास कारागार में पहले ही रहे हैं और विचारण न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि के पश्चात् उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है और अपील के लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत पर निर्मुक्त किया गया था । इसलिए अपीलार्थियों की बाकी दंड की अवधि को जुर्माने में सम्परिवर्तित किया जाना चाहिए और इसे दंड की बढ़ोतरी के रूप में नहीं माना जाएगा ।

19. दूसरी ओर शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल और विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके ठीक ही किया है और आहत साक्षी का साक्ष्य अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के संबंध में पर्याप्त था । विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दर्ज किया गया प्रति मामला जिसे अभियुक्त अबुल खान द्वारा आहत व्यक्तियों, मृतक और अन्य के विरुद्ध सेशन विचारण सं. 87/1981 राज्य बनाम जाहिद और अन्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी अबुल खान ने प्रतिमामले के अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल नहीं किया था ।

20. इस प्रकार, अभिलेख और आहत और अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से मैंने कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला है जिससे उनके परिसाक्ष्य को त्यक्त किया जा सके और इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपने मामले को साबित किया है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा जाता है ।

21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अपीलार्थियों के काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए कि यह घटना 33 वर्ष पुरानी है

और यह अपील सुनवाई के लिए 32 वर्ष के पश्चात् सामने आई है और उस तारीख पर अपीलार्थियों की स्थिति के बारे में यह निदेश दिया गया है कि अपीलार्थी सं. 4 अबुल खान के बारे में शेष दंड को 1 लाख रुपए के जुर्माने में सम्परिवर्तित किया जाता है और अपीलार्थी सं. 5 और 7 अर्थात् नसीम खान और असलम खान के शेष दंड को अलग-अलग 10 हजार रुपए के जुर्माने में सम्परिवर्तित किया जाता है और यह राशि अपीलार्थियों द्वारा आज से 3 मास के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के न्यायालय में जमा की जाएगी । 1 लाख 20 हजार रुपए की कुल रकम में से 1 लाख रुपए बराबर अनुपात में मृतक के विधिक वारिस को दिए जाने का निदेश दिया जाता है और 10 हजार रुपए चार आहत व्यक्तियों या उनके विधिक वारिस को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा तथा 10 हजार रुपए राज्य के पास जमा किए जाएंगे । जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर जैसाकि ऊपर निदेश दिया गया है अपीलार्थियों को दंडादेश भोगने के लिए अभिरक्षा में लिया जाएगा जैसाकि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है ।

22. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अपील भागतः मंजूर की जाती है ।

23. कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को अनुपालन के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर को भेजी जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

झारू और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 5 फरवरी, 2014

न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति (श्रीमती) विजय लक्ष्मी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 436, 429, 148, 302/149, 436/149, 329/149 और 147 – हत्या – विधिविरुद्ध जमाव – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा आगजनी करके सामूहिक हत्या किया जाना – जहां मामले की परिस्थितियों, साक्ष्य तथा दो साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा आगजनी करके सामूहिक हत्याएं की गईं और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है वहां अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि इत्तिला देने वाले छोटे लाल के बच्चों तथा मृतक अपीलार्थी सुकुल के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था जब वे तारीख 2 मई, 1980 को दिन के समय खेल रहे थे । दोपहर के बाद छोटे लाल की पत्नी सुकुल के मकान पर विरोध जताने के लिए गई थी । तब मुकुट की पत्नी बितानी और अशोक की पत्नी धनवती परघन की पत्नी तुलसा और परघन की पुत्री राम कली ने छोटे लाल की पत्नी को गालियां दीं । जब इत्तिला देने वाला छोटे लाल जो डिबियापुर बाजार में था शाम को वापस लौटने पर उसकी पत्नी ने उसे दोपहर की घटना के बारे में बताया । तदुपरि इत्तिला देने वाला छोटे लाल अपने भाई लाल सिंह भगवान दीन के साथ अपीलार्थियों के मकान पर विरोध जताने के लिए गया । तब अपीलार्थियों में से अधिकांश गांव मोहन नागला के आशा के पूर्वा से संबंधित हैं जहां यह घटना घटित हुई थी और अपीलार्थियों में से एक मुकुद सिंह जो कंचन का पूर्वा से संबंधित है और अपीलार्थी बीजू लाल जो गानू का पूर्वा से संबंधित है लाठी लेकर बाहर आए और इत्तिला देने वाले और उसके भाइयों का पीछा किया । जब वे अपने मकान के अंदर छुप गए लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न परघन, झारू और मुकुट ने भगवान दीन के मकान पर आग लगा दी जिस कारण दो अन्य झोपड़ियां भी जल गईं ।

इत्तिला देने वाले का पुत्र मृतक भूरा जिसकी आयु 7 वर्ष है, लाल सिंह की पुत्री मीना जिसकी आयु 8 वर्ष है, लाल सिंह का पुत्र रतन लाल जिसकी आयु 7 वर्ष है और सूरज की पुत्री सोमवती जिसकी आयु 6 वर्ष है, भाग कर लाल सिंह के मकान में छुप गए । उसी बीच में अग्निकांड हो गया जो लाल सिंह के मकान तक पहुंच गई । चार बच्चों, तीन बकरियों के उस मकान में जलने के कारण मृत्यु हो गई । इत्तिला देने वाले द्वारा चीख-पुकार करने पर साक्षी कांस्टेबल लखन जो उसी गांव का निवासी था मलिक लाल, छींदन, मुरली, भगवान दास और अन्य व्यक्ति वहां पर पहुंचे और उन्होंने आग बुझाई । अपीलार्थी जो लाठियों और बरछी से लैस थे वहां पर पहुंचे और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को जो भागने की कोशिश करेगा जला दिया जाएगा । जब इत्तिला देने वाले और साक्षियों ने भागने की कोशिश की तब शिवनाथ की पत्नी चन्द्रावती, सुकुल की पत्नी बितानी, अशोक की पत्नी धनवती, परघन की पत्नी तुलसा और परघन की पुत्री राम कली ने ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं । साक्षी भागने में सफल रहे और पड़ोसियों ने आग बुझाई थी तब इत्तिला देने वाला अपनी साइकिल पर पुलिस थाना फफुंद पर पहुंचा और 8.05 बजे अपराह्न रिपोर्ट दर्ज कराई । हेड कांस्टेबल श्रवन कुमार ने चिक रिपोर्ट तैयार की । इसके पश्चात् शिव दयाल उप-निरीक्षक पुलिस थाना फफुंद घटनास्थान पर पहुंचे और 4 बच्चों की लाशों को एकत्रित किया । क्योंकि शाम का समय हो गया था, इसलिए उसने अगले दिन मृत्यु समीक्षा की और चारों शवों को शवपरीक्षण के लिए भेजा जिनकी डा. एस. के. जैन द्वारा 5 मई, 1980 को शव-परीक्षण किया गया था । चारों मृतक बच्चे कुमारी मीना, रतन लाल, कुमार सोमवती और भूरा को 100 प्रतिशत जली हुई क्षतियां हुई थीं और उनके शवों के आंतरिक अंग जल गए थे । उपरोक्त दो उल्लिखित साक्षी शिव दयाल सिंह प्रथम अन्वेषक अधिकारी और श्रवण कुमार, हेड कांस्टेबल के अतिरिक्त मोहम्मद मुईन जो दूसरा अन्वेषक अधिकारी था ने आरोप पत्र पेश किया, किशोरी लाल यह साबित करने के लिए परीक्षा की गई कि चिक रिपोर्ट दिनांक 8 नवंबर, 1981 इस प्रभाव की है कि उक्त तारीख को मानिक पुत्र पुताई द्वारा सुखबासी, झारू, सुकुल और परघन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी । मामले में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अंतिम परिस्थिति से भी संदेह प्रकट होता है कि क्या वास्तव में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 2 मई, 1980 को 8.05 बजे अपराह्न घटना की तारीख को दर्ज की गई थी जैसाकि अभिकथन किया गया है या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस व अन्य लोगों के साथ परामर्श से तैयार की गई थी और पूर्व दिनांकित और पूर्व समयांकित तैयार की गई थी कि बच्चे आग लगने के पश्चात् आश्रय लेने के लिए लाल सिंह की झोपड़ी में चले गए थे जहां वे जल गए और उनकी मृत्यु हो गई और यह बात पता थी जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 8.05 बजे अपराह्न दर्ज की गई थी क्योंकि इस तथ्य को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया था । यह असंभव था कि बच्चों को ढूंढा गया होगा क्योंकि छोटे लाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया है और उनके शव अगले दिन प्रातः लाल सिंह की झोपड़ी में पाए जाएंगे । यदि बच्चों के अते-पते के बारे में ज्ञात था जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई तब प्रथम बात से यह प्रकट होता है कि बच्चों को ढूंढा जाए जैसाकि स्वीकार किया गया है । वहां पर कोई भय नहीं था क्योंकि रात्रि में लगभग 10.00 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पुलिस मौजूद थी और उनके शव तत्काल ढूंढ लिए गए थे । लाल सिंह की झोपड़ी में बच्चों के शव को ढूंढने के लिए अगली प्रातः तक इंतजार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । यह परिस्थिति तारीख 2 मई, 1980 को 8.05 बजे अपराह्न पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की विद्यमानता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है । शवों की ऐसी झुलसी हुई दशा देखकर जैसाकि बच्चों की शव-परीक्षा रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के बच्चों के अते-पते के बारे में कोई विचार नहीं आया, यह अभिकथन किया गया है कि यह बात जानकारी में थी कि बच्चे लाल सिंह के मकान में फंसे हुए हैं । इत्तिला देने वाले और अन्य साक्षियों की प्रथम प्रतिक्रिया बच्चों को बचाने की होनी चाहिए थी चाहे उनको अपने जीवन का जोखिम क्यों न उठाना पड़े । वे वहां नहीं गए और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना चले गए । विशेष रूप से जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि गांववासी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे इसलिए वे सभी घटनास्थल से कहीं नहीं गए थे । यह भी असंभव है कि महिला अभियुक्त ने ईंट फेंक कर ऐसी घटना में भागीदारी की होगी जब उनके घरों में विवाह अनुष्ठान की तैयारी चल रही थी और अधिक संख्या में उनके नातेदार मौजूद थे । ईंट पत्थरों का मात्र मौजूद होना जैसाकि घटनास्थल के नक्शे में दिखाया गया है का यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई महत्व नहीं है कि इस प्रकार के पत्थर के टुकड़े

और टाइल्स गरीब लोगों के देहाती निवास क्षेत्रों पर बिखरे पड़े रहते हैं । अभियुक्त द्वारा लाए गए अभिकथित ईंट, पत्थर और लाठियों से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने की सम्पुष्टि नहीं हुई है । न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त का वृत्तांत कि जब अपने कुटुंब में विवाह के अवसर पर अपने मकान के बाहर खाना बना रहे थे तो उस वक्त कुछ आग की चिंगारियां निकलीं जिससे अभियुक्तों या उनके नजदीक रहने वालों की झोपड़ियों पर आग पकड़ गई और तब कुल मिलाकर 12 झोपड़ियां प्रचंड गर्मी के थपेड़ों के कारण जल गई थीं और दुर्भाग्यवश लाल सिंह की झोपड़ी में चार बच्चों की मृत्यु हो गई । यह बात अधिक संभव प्रतीत होती है कि अभियोजन का यह वृत्तांत कि तीन अभियुक्तों ने जानबूझकर भगवान दीन की झोपड़ी पर आग लगा दी जिससे अन्य झोपड़ियों पर आग फैल गई और इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कुछ शरारती गांव के बैरिस्टर राम गोपाल की भांति दस्तकारी के कारण जो भूमि को अधिभोग में लेने के लिए हितबद्ध हो सकते हैं और अभियुक्तों को गांव से पलायन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं या कुछ पक्षकारों के बीच विद्यमान छोटे-मोटे झगड़े होने के कारण केवल दो समर्थित साक्षियों को परोक्ष उद्देश्य हेतु इस्तेमाल किया जाना (जैसाकि पूर्ववर्ती प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 17 मार्च, 1980 प्रदर्श क-32क से प्रकट है) । इस अभिकथित अपराध के लिए 19 व्यक्तियों का नामनिर्दिष्ट किया जिन्होंने वास्तव में कभी भी भाग नहीं लिया था । इस मामले के साक्ष्य और परिस्थितियों पर सम्पूर्ण रूप से विचार करने पर हमारी यह राय है कि केवल दो समर्थित साक्षियों का परिसाक्ष्य से यह विश्वास नहीं होता है कि विश्वास की मात्र निर्विवाद रूप से विश्वासयोग्य नहीं है जबकि विचारण न्यायाधीश द्वारा 19 व्यक्तियों की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सका । न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है । (पैरा 14, 15, 16, 17 और 18)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1982 की दांडिक अपील सं. 3118.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री जी. पी. दीक्षित और अतुल कुमार सिंह
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री एस. के. अनवर, अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अमर सरन ने दिया ।

न्या. सरन – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा और ओरई की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् आज पारित आदेश द्वारा 9 अपीलार्थी झारू, सुकुल, सरदार, भजन लाल, चन्द्रावती, बितानी, साहब लाल, सुखवासी और मुकुट सिंह को मृत घोषित किया गया । हमने उक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध अपील का उपशमन किया । वर्तमान में हमने 10 जीवित अपीलार्थियों के मामले की परीक्षा की ।

2. यह दांडिक अपील 1980 के सेशन विचारण सं. 270 में चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, इटावा द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 1982 को पारित किए गए निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई है जिसमें 19 अपीलार्थियों को सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया गया था । अपीलार्थी परघन मृतक अपीलार्थी झारू, सुकुल और मानसिंह को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन साधारणतया आजीवन कारावास से सिद्धदोष किया गया, दंड संहिता की धारा 429 के अधीन 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । मृतक अपीलार्थी झारू को दंड संहिता की धारा 148 के अधीन 1 वर्ष के कठोर कारावास से भी दोषसिद्ध किया गया । अन्य 8 जीवित अपीलार्थी मानसिंह कलक्टर, झनक, भजन लाल, अशोक, श्रीमती धनवती, राम कली और भगवान दास तथा अन्य 7 मृतक अपीलार्थी (जिनकी अपील ऊपर उपशमन की गई है) को दोषसिद्ध किया गया था और दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आजीवन कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया, दंड संहिता की धारा 436/149 के अधीन 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा दंड संहिता की धारा 329/149 के अधीन 2 वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया गया । सभी अपीलार्थी और झारू से भिन्न मृतक अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 147 के अधीन 6 मास के कठोर कारावास से भी दोषसिद्ध किया गया था ।

3. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि इत्तिला देने वाले छोटे लाल के बच्चों तथा मृतक अपीलार्थी सुकुल के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था जब वे तारीख 2 मई, 1980 को दिन के समय खेल रहे थे । दोपहर के बाद छोटे लाल की पत्नी सुकुल के मकान पर विरोध जताने के लिए गई थी । तब मुकुट की पत्नी बितानी और अशोक की पत्नी धनवती, परघन की पत्नी तुलसा और परघन की पुत्री राम कली ने छोटे लाल की पत्नी को गालियां दीं । जब इत्तिला देने वाला छोटे लाल जो डिबियापुर बाजार में था शाम को वापस लौटने पर उसकी पत्नी ने उसे दोपहर की घटना के

बारे में बताया । तदुपरि इत्तिला देने वाला छोटे लाल अपने भाई लाल सिंह भगवान दीन के साथ अपीलार्थियों के मकान पर विरोध जताने के लिए गया । तब अपीलार्थियों में से अधिकांश गांव मोहन नागला के आशा के पूर्वा से संबंधित हैं जहां यह घटना घटित हुई थी और अपीलार्थियों में से एक मुकुद सिंह जो कंचन का पूर्वा से संबंधित है और अपीलार्थी बीजू लाल जो गानू का पूर्वा से संबंधित है लाठी लेकर बाहर आए और इत्तिला देने वाले और उसके भाइयों का पीछा किया । जब वे अपने मकान के अंदर छुप गए लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न परघन, झारू और मुकुट ने भगवान दीन के मकान पर आग लगा दी जिस कारण दो अन्य झोपड़ियां भी जल गईं । इत्तिला देने वाले का पुत्र मृतक भूरा जिसकी आयु 7 वर्ष है, लाल सिंह की पुत्री मीना जिसकी आयु 8 वर्ष है, लाल सिंह का पुत्र रतन लाल जिसकी आयु 7 वर्ष है और सूरज की पुत्री सोमवती जिसकी आयु 6 वर्ष है, भाग कर लाल सिंह के मकान में छुप गए । उसी बीच में अग्निकांड हो गया जो लाल सिंह के मकान तक पहुंच गई । चार बच्चों, तीन बकरियों के उस मकान में जलने के कारण मृत्यु हो गई । इत्तिला देने वाले द्वारा चीख-पुकार करने पर साक्षी कांस्टेबल लखन जो उसी गांव का निवासी था मलिक लाल (अभि. सा. 2), छींदन, मुरली, भगवान दास और अन्य व्यक्ति वहां पर पहुंचे और उन्होंने आग बुझाई । अपीलार्थी जो लाठियों और बरछी से लैस थे वहां पर पहुंचे और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को जो भागने की कोशिश करेगा जला दिया जाएगा । जब इत्तिला देने वाले और साक्षियों ने भागने की कोशिश की तब शिवनाथ की पत्नी चन्द्रावती, सुकुल की पत्नी बितानी, अशोक की पत्नी धनवती, परघन की पत्नी तुलसा और परघन की पुत्री राम कली ने ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं । साक्षी भागने में सफल रहे और पड़ोसियों ने आग बुझाई थी तब इत्तिला देने वाला अपनी साइकिल पर पुलिस थाना फफुंद पर पहुंचा और 8.05 बजे अपराह्न रिपोर्ट दर्ज कराई । हेड कांस्टेबल श्रवन कुमार (अभि. सा. 6) ने चिक रिपोर्ट तैयार की । इसके पश्चात् शिव दयाल (अभि. सा. 5) उप-निरीक्षक पुलिस थाना फफुंद घटनास्थान पर पहुंचे और 4 बच्चों की लाशों को एकत्रित किया । क्योंकि शाम का समय हो गया था, इसलिए उसने अगले दिन मृत्यु समीक्षा की और चारों शवों को शवपरीक्षण के लिए भेजा जिनकी डा. एस. के. जैन (अभि. सा. 6) द्वारा 5 मई, 1980 को शव-परीक्षण किया गया था । चारों मृतक बच्चे कुमारी मीना, रतन लाल, कुमार सोमवती और भूरा को 100 प्रतिशत जली हुई क्षतियां हुई थीं और उनके शवों के आंतरिक अंग जल गए थे ।

4. उपरोक्त दो उल्लिखित साक्षी अभि. सा. 5 शिव दयाल सिंह प्रथम अन्वेषक अधिकारी और अभि. सा. 6 श्रवण कुमार, हेड कांस्टेबल के अतिरिक्त अभि. सा. 4 मोहम्मद मुईन जो दूसरा अन्वेषक अधिकारी था ने आरोप पत्र पेश किया, अभि. सा. 3 किशोरी लाल यह साबित करने के लिए परीक्षा की गई कि चिक रिपोर्ट दिनांक 8 नवंबर, 1981 इस प्रभाव की है कि उक्त तारीख को मानिक पुत्र पुताई द्वारा सुखबासी, झारू, सुकुल और परघन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी ।

5. तथ्य के केवल दो साक्षी जिन्हें इस मामले में पेश किया गया था अभि. सा. 1 छोटे लाल और अभि. सा. 2 मलिक हैं ।

6. छोटे लाल (अभि. सा. 1) ने उपरोक्त अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की पुष्टि की है और उसमें उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख किया है । उसने यह भी उल्लेख किया है कि अभियुक्त ईंट, लाठियां और बरछे लेकर दौड़ते हुए आए थे । अपीलार्थी झारू बरछा लेकर आया था जबकि महिला अभियुक्त ईंटें लेकर आई थीं । बाकी अभियुक्त व्यक्ति लाठियों से लैस थे । उनके द्वारा पीछा करने पर वह मकान के अंदर चला गया और उसके दो साथी भगवान दीन तथा सुर्जन अपने बचाव के लिए गांव की ओर भाग गए । तब सुकुल, परघन और झारू उनके मकान में घुस गए और चिल्लाए कि उनके मकान को जला दिया गया है । तब इत्तिला देने वाला छोटे लाल अपनी झोपड़ी से भागा और महिलाओं का समूह पहले ही भाग चुका था । अभियुक्त व्यक्ति परघन, सुकुल और झारू ने भगवान दीन के मकान पर आग लगा दी और आग लगाने के परिणामस्वरूप भगवान दीन के मकान के अतिरिक्त ननकू, ज्ञान सिंह, लराइती और लाल सिंह के मकान भी जल गए । चारों मृतक बच्चे लाल सिंह के मकान में जल गए थे । इस साक्षी का मकान भी जल गया था । जब इत्तिला देने वाला और अन्य साक्षियों ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की तब उनको भी यह धमकी दी गई थी कि उन्हें भी जला दिया जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा । महिला अभियुक्तों ने ईंटें फेंकी इसलिए वे बच्चों और तीन बकरियों को बचा नहीं सके जो घर में बुरी तरह जल गए थे । इसके पश्चात् उसने राम शंकर द्वारा लिखी गई रिपोर्ट प्रदर्श क-1 पुलिस थाने पर दी और उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था । इसके पश्चात् अन्वेषक अधिकारी गांव में पहुंचा जहां उसने चार पुरुष अभियुक्तों और चार महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार किया । उसने पूर्ववर्ती रिपोर्ट प्रदर्श क-32क दर्ज करने का दावा किया है जो इत्तिला देने वाले द्वारा तारीख 17 मार्च, 1980 को आवेदन के

रूप में पुलिस अधीक्षक इटावा को दी गई थी कि अभियुक्तों ने उससे कहा था कि वे गांव से चले जाएं अन्यथा वे इत्तिला देने वाले और उसके नातेदारों के घर को जला देंगे ।

7. अभि. सा. 2 मलिक ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रश्नगत घटना उसके द्वारा न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के 2 वर्ष 4 मास से पूर्व घटी थी । वह घटना की तारीख को अपने मकान में था क्योंकि मोहल्ले में बारात आने वाली थी जहां उसे मदद करनी थी । घटना की तारीख को इत्तिला देने वाला छोटे लाल अपने भाई लाल सिंह, भगवान दीन और सुर्जन के साथ डिबियापुर बाजार गया हुआ था और उस तारीख को छोटे लाल की पत्नी मुकुट की पत्नी बितानी और अशोक की पत्नी धनवती, परघन की पत्नी तुलसा तथा परघन की पुत्री राम कली के बीच बच्चों के खेलने के दौरान हुए झगड़े पर वार्तालाप हुई थी । उस समय वह कुंए से पानी भर रहा था । छोटे लाल और अन्य लोग लगभग 5.00 बजे अपराह्न वापस लौटे तब उनकी पत्नियों ने उनको यह बताया कि उनके बीच कुछ गर्मा-गर्म बातें हुई थीं । उसने अपने मकान से इस वाद-विवाद को सुना था । कुछ समय के पश्चात् छोटे लाल की पत्नी और लाल सिंह की पत्नी ने अपने पतियों के जीवन को बचाने के लिए चीख-पुकार की । तदुपरि, साक्षी मलिक, लखन, छिद्दन, मुरली और भरत दास इत्तिलाकर्ता छोटे लाल के दरवाजे पर दौड़ते हुए आए । अभियुक्त व्यक्तियों ने छोटे लाल के मकान को चारों तरफ से घेर रखा था । झारू बरछा लेकर आया था और महिला अभियुक्त चन्द्रावती, बितानी, राम कली, धन देवी और तुलसा अपने हाथों में ईंटें लेकर आए थे । अन्य अभियुक्त व्यक्ति परघन, सुकुल, कलक्टर, अशोक, मानसिंह, साहिब लाल, झनक, भगवान दास, सरदार, भजन लाल, सुखवासी, मुकुट और बैजू लाठियों से लैस थे । परघन और सुकुल यह कह रहे थे कि वे उसके मकान पर आग लगा देंगे । तब छोटे लाल अपने घर से बाहर आया और इस साक्षी के दिशा की ओर दौड़ता हुआ गया था । तब अपीलार्थी झारू, परघन और सुकुल ने अपने जेब से माचिस निकाली और भगवान दीन की झोपड़ी पर आग लगा दी । आग लगाने के परिणामस्वरूप भगवान दीन की झोपड़ी, ज्ञानी, ननकू, लराईती, लाल सिंह की झोपड़ियां पर भी आग लग गई और इसके पश्चात् छोटे लाल का मकान भी जल गया । 4 बच्चों की लाश मीना, रतन लाल, सोमवती और भूरा, लाल सिंह की झोपड़ी से बाहर निकाले गए थे तथा 2 जली हुई बकरियां भी वहां से बाहर निकाली गई थीं । जब इस साक्षी तथा अन्य

लोगों द्वारा उनके मदद करने की कोशिश की गई तब अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें धमकाया कि यदि कोई व्यक्ति उनकी मदद करेगा तो उसके साथ भी वैसा व्यवहार होगा । महिलाओं ने ईंटें फेंकी थीं जिसकी वजह से मृतकों को बचाना असंभव हो गया था । छोटे लाल पुलिस थाना गया और 9 या 10 बजे अपराह्न उसने रिपोर्ट दर्ज की । पुलिस ने गांववासियों की मदद से आग को भी बुझाया था । अगले दिन बच्चों के 4 शव लाल सिंह की झोपड़ी से निकाले गए थे और उनकी मृत्यु समीक्षा की गई थी । अभियुक्त और इत्तिला देने वाले छोटे लाल की बीच पूर्व दुश्मनी थी । अभियुक्त व्यक्ति उसे धमकाया करते थे कि वह गांव से चला जाए अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाए और उसके मकान को जला दिया जाएगा । घटना के पश्चात् इस साक्षी ने पुलिस थाने पर आवेदन दिया था ।

8. अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथनों में घटना होने से इनकार किया है और शत्रुतावश मामले में मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया गया । अपीलार्थी परघन ने यह कथन किया है कि घटना से कुछ समय पूर्व उसकी दो पुत्रियों का विवाह हुआ था और पुत्रियों में से एक पुत्री का विदाई समारोह इस घटना से 3 दिन पूर्व हुआ था और उसकी दूसरी पुत्री का विदाई समारोह 1 दिन पूर्व हुआ था । सभी कुटुंब के सदस्य इकट्ठा हुए थे और मकान के बाहर खाना बना रहे थे और हवा के चलने की वजह से चिंगारी उसकी झोपड़ी के ऊपर गिरी जिससे आग लग गई थी और जो उसके पड़ोसियों के समीपस्थ झोपड़ियों पर पहुंच गई और जिसके कारण अपीलार्थी परघन, सुकुल और कलक्टर सहित कई झोपड़ियों पर आग लग गई । छोटे लाल और अन्य लोगों को तहसीलदार द्वारा जांच करने के उपरांत प्रतिकर दिया गया था । अभियुक्त व्यक्तियों को भी प्रतिकर दिया गया था । इस स्थिति का फायदा लेकर छोटे लाल ने राम दत्त के उकसाने पर इस मामले में इन अपीलार्थियों और नातेदारों को मिथ्या रूप से फंसाया था । तथापि, उसने प्रतिरक्षा में किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की ।

9. हमने अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री जी. पी. दीक्षित और शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल श्री एस. के. अनवर तथा विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री आनन्द तिवारी को सुना और विचारण न्यायालय का निर्णय और अभिलेख का परिशीलन किया ।

10. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री जी. पी. दीक्षित ने यह दलील दी कि दुर्घटनावश आग लगी थी और पक्षकारों के बीच पूर्व शत्रुता

थी, 19 अभियुक्त व्यक्तियों को इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था ।

11. शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल श्री एस. के. अनवर तथा दूसरी ओर विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री आनन्द तिवारी ने यह अनुरोध किया कि प्रश्नगत घटना लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न घटी थी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट शीघ्रता से 8.05 बजे अपराह्न पुलिस थाना, फफुंद पर दर्ज की गई थी जो स्थान 5 मील की दूरी पर था । साक्षी अभि. सा. 2 पूर्णतया स्वतंत्र साक्षी है, घटना के समय और स्थान चुनौती नहीं दी गई है । इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि झोपड़ियां नहीं जली थीं या मृतक बच्चे लाल सिंह की झोपड़ी में नहीं पाए गए थे । घटना के स्थान से ईंटें एकत्रित की गई थीं जिनके बारे में महिला अभियुक्त द्वारा फेंका जाना कहा गया है । छोटे लाल द्वारा पूर्ववर्ती रिपोर्ट की गई थी जो प्रदर्श-32क तारीख 17 मार्च, 1980 की है जिसे इत्तिला देने वाले द्वारा पुलिस अधीक्षक, इटावा को दी गई थी जिसमें हत्या करने के धमकी की कहानी तथा उनका मकान जलाने के बारे में अपीलार्थियों द्वारा वृत्तांत दिया गया था । यदि छोटे लाल और उसके नातेदार गांव को नहीं छोड़ते जिन्हें वर्तमान घटना में भी ऐसी धमकियां मिली थीं ।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया । निर्णायक प्रश्न जो इस मामले में हमारे समक्ष विचार के लिए आया है यह है कि क्या 4 मृतक बच्चों को वास्तव में 19 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा जलाया गया था या क्या उनकी मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी जो अचानक आग लगने का कारण था जब अपीलार्थी अपने मकान के बाहर खाना बना रहे थे और कुछ चिंगारियां हवा के चलने से उन झोपड़ियों पर गिर गई थी और इसके पश्चात् तेज गर्म हवाओं के कारण चिंगारियां फैल गईं और अपीलार्थी परघन, सुकुल और कलक्टर की तीन झोपड़ियों सहित 12 झोपड़ियों पर आग लग गई और इन झोपड़ियों में से एक जो लाल सिंह की थी वह भी जल गई और चार छोटे बच्चे जिन्होंने उन झोपड़ियों में शरण ले रखी थी, लाल सिंह की तीन बकरियों सहित भी जल गए थे । अभि. सा. 1 छोटे लाल और अभि. सा. 2 मानिक सहित किसी भी साक्षी ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि तीन अभियुक्त व्यक्तियों की झोपड़ियां जल गई थीं और तहसीलदार, बिधुना द्वारा जांच करने के पश्चात् सभी व्यक्ति जिनकी झोपड़ियां जली थीं (तीन अपीलार्थियों सहित) प्रतिकर दिया गया था । यद्यपि शिकायतकर्ता के

विद्वान् काउंसेल ने यह दलील देने की कोशिश की कि अभियुक्त ने अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा करने के लिए अपनी स्वयं की झोपड़ियों में आग लगाना हो सकता है परंतु हमने व्यक्तियों के इस वृत्तांत में यह पाया कि प्रतिरक्षा सृजित करने के लिए अपनी सम्पत्ति को गंभीर हानि पहुंचाई गई हो यह बात निगलते नहीं बनती खासतौर पर वर्तमान मामले की परिस्थितियों में । पुलिस और साक्षियों के तत्काल जानकारी में जली हुई झोपड़ियां आई थीं और अभियुक्तों के लिए कोई ऐसा अवसर नहीं था कि वे मिथ्या प्रतिरक्षा देने के लिए अपने स्वयं की झोपड़ियों पर आग लगा दें जबकि इत्तिला देने वाला और अन्य साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह बात प्रकट की है कि केवल भगवान दीन की झोपड़ी को अभियुक्त झारू, सुकुल और परघन द्वारा आग लगाए जाना माना गया था । इस बारे में कोई विनिर्दिष्ट बात प्रकट नहीं है कि किसने अपीलार्थी की तीन झोपड़ियों सहित अन्य झोपड़ियों पर आग लगाई थी । भगवान दीन मुख्य व्यक्ति नहीं था जिसके बच्चे और महिलाओं का समूह उस दिन पूर्ववर्ती झगड़े में शामिल था क्योंकि अभियोजन वृत्तांत यह है कि छोटे लाल की पत्नी अपीलार्थी सुकुल के मकान पर खेल के दौरान बच्चों के बीच हुए झगड़े के बारे में विरोध प्रकट करने गई थी जिस कारण महिला अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज किया जाना कहा गया है । यह बात समझ से परे है कि क्यों अपीलार्थियों ने भगवान दीन की झोपड़ी पर आग लगाई होगी जिसके परिणामस्वरूप अन्य झोपड़ियों पर आग फैल गई और जिस कारण चार बच्चों की मृत्यु हो गई । यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान दीन इस मामले में साक्ष्य देने के लिए भी नहीं आया जिससे कि वृत्तांत की सम्पुष्टि हो कि अपीलार्थियों ने उसकी झोपड़ी पर आग लगाई थी । वास्तव में कोई साक्षी जिसमें लाल सिंह भी सम्मिलित है, जिसकी झोपड़ी जल गई थी और जिसके दो बच्चे कुमारी मीना और रतन लाल सहित तीन बकरियां जल गई थीं और न सुर्जन जिसकी बच्ची कुमार सोमवती की आग में मृत्यु हो गई थी, इस मामले में साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आए । यह महत्वपूर्ण है कि दो व्यक्ति छोटे लाल और मानिक को छोड़कर कोई साक्षी इस मामले को समर्थन देने के लिए आगे नहीं आया जिस मामले में 19 व्यक्तियों को आलिप्त किया गया था । अन्य व्यक्ति कांस्टेबल लखन, छिद्दन, मुरली, भगवान दास जिनके बारे में खतरे का अहसास होने पर घटना के बाद पहुंचना कहा गया है और जिन्होंने आग बुझानी चाही और जिनकी कई झोपड़ियां अग्निकांड में भी जल गई थीं जिनको अभि. सा. 1 इत्तिला देने वाला छोटे लाल तथा मानिक अभि. सा. 2 द्वारा साक्षी के रूप में नामित किया है । इस मामले में साक्ष्य देने के

लिए आगे आए । इस परिस्थिति से यह भी इंगित होता है कि इन साक्षियों ने यह अनुभव किया कि बच्चे आग में फंस गए थे और यह आग संयोग से लगी हुई थी तथा वे इस बात के लिए हितबद्ध नहीं थे कि कई अभियुक्त व्यक्तियों को मिथ्या रूप से नामनिर्दिष्ट करें । आगजनी पर मिट्टी के तेल की कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी । आगजनी की पुष्टि के लिए भी कोई अन्य परिस्थिति और उपलब्ध अभियुक्त में से किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर आग लगाने की बात की गई थी ।

13. ऐसे अपराध को किए जाने के लिए कोई हेतु भी प्रकट नहीं हुआ है । सोच-विचार करने के लिए छोटा सा कारण रहा है कि अभियुक्त जानबूझकर लाल सिंह की झोपड़ी को जलाने में हितबद्ध हो सकते हैं जिसमें चार बच्चे थे । यदि अभियुक्त के विरुद्ध कोई क्रोध था तो ऐसा वयस्क व्यक्तियों के प्रति हो सकता है जिस पर साक्षियों के बारे में यह कथन किया गया है कि पुरुष अभियुक्तों ने उन्हें लाठी और भालों से घेर लिया था और महिला अभियुक्तगण ईंटें फेंक रही थीं और दो साक्षी और अन्य लोगों को हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी गई थी तब भी अभियोजन पक्ष का एक भी वयस्क व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी, खरोंच नहीं पहुंची । कुछ साक्षी और अन्य लोग आग बुझाने की भी कोशिश कर रहे थे । परंतु उनको भी कोई क्षति नहीं पहुंची । यह अत्यधिक संभाव्य है कि साक्षियों को लाल सिंह की झोपड़ी में चार बच्चों के जाने का पता था जब आग फैल गई थी परंतु घटना के पश्चात् भी ऐसी दशा में बच्चों को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं गया । चार मृतक बच्चों के शवों का अगले दिन प्रातः झोपड़ी के अंदर होना पता लग पाया था ।

14. अंतिम परिस्थिति से भी संदेह प्रकट होता है कि क्या वास्तव में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 2 मई, 1980 को 8.05 बजे अपराह्न घटना की तारीख को दर्ज की गई थी जैसाकि अभिकथन किया गया है या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस व अन्य लोगों के साथ परामर्श से तैयार की गई थी और पूर्व दिनांकित और पूर्व समयांकित तैयार की गई थी कि बच्चे आग लगने के पश्चात् आश्रय लेने के लिए लाल सिंह की झोपड़ी में चले गए थे जहां वे जल गए और उनकी मृत्यु हो गई और यह बात पता थी जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 8.05 बजे अपराह्न दर्ज की गई थी क्योंकि इस तथ्य को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया था । यह असंभव था कि बच्चों को ढूंढा गया होगा क्योंकि अभि. सा. 1 छोटे लाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया है और उनके शव अगले

दिन प्रातः लाल सिंह की झोपड़ी में पाए जाएंगे । यदि बच्चों के अते-पते के बारे में ज्ञात था जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई तब प्रथम बात से यह प्रकट होता है कि बच्चों को ढूंढा जाए जैसाकि स्वीकार किया गया है । वहां पर कोई भय नहीं था क्योंकि रात्रि में लगभग 10.00 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पुलिस मौजूद थी और उनके शव तत्काल ढूंढ लिए गए थे । लाल सिंह की झोपड़ी में बच्चों के शव को ढूंढने के लिए अगली प्रातः तक इंतजार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । यह परिस्थिति तारीख 2 मई, 1980 को 8.05 बजे अपराह्न पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की विद्यमानता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है ।

15. शवों की ऐसी झुलसी हुई दशा देखकर जैसाकि बच्चों की शव-परीक्षा रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के बच्चों के अते-पते के बारे में कोई विचार नहीं आया, यह अभिकथन किया गया है कि यह बात जानकारी में थी कि बच्चे लाल सिंह के मकान में फंसे हुए हैं । इत्तिला देने वाले और अन्य साक्षियों की प्रथम प्रतिक्रिया बच्चों को बचाने की होनी चाहिए थी चाहे उनको अपने जीवन का जोखिम क्यों न उठाना पड़े । वे वहां नहीं गए और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना चले गए । विशेष रूप से जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि गांववासी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे इसलिए वे सभी घटनास्थल से कहीं नहीं गए थे ।

16. यह भी असंभव है कि महिला अभियुक्त ने ईंट फेंक कर ऐसी घटना में भागीदारी की होगी जब उनके घरों में विवाह अनुष्ठान की तैयारी चल रही थी और अधिक संख्या में उनके नातेदार मौजूद थे । ईंट पत्थरों का मात्र मौजूद होना जैसाकि घटनास्थल के नक्शे में दिखाया गया है का यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई महत्व नहीं है कि इस प्रकार के पत्थर के टुकड़े और टाइल्स गरीब लोगों के देहाती निवास क्षेत्रों पर बिखरे पड़े रहते हैं । अभियुक्त द्वारा लाए गए अभिकथित ईंट, पत्थर और लाठियों से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने की सम्पुष्टि नहीं हुई है ।

17. पूर्वोक्त परिस्थितियों में, हमारी यह राय है कि अभियुक्त का वृत्तांत कि जब अपने कुटुंब में विवाह के अवसर पर अपने मकान के बाहर खाना बना रहे थे तो उस वक्त कुछ आग की चिंगारियां निकलीं जिससे अभियुक्तों या उनके नजदीक रहने वालों की झोपड़ियों पर आग पकड़ गई और तब कुल मिलाकर 12 झोपड़ियां प्रचंड गर्मी के थपेड़ों के कारण जल गई थीं और दुर्भाग्यवश लाल सिंह की झोपड़ी में चार बच्चों की मृत्यु हो

गई । यह बात अधिक संभव प्रतीत होती है कि अभियोजन का यह वृत्तांत कि तीन अभियुक्तों ने जानबूझकर भगवान दीन की झोपड़ी पर आग लगा दी जिससे अन्य झोपड़ियों पर आग फैल गई और इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कुछ शरारती गांव के बैरिस्टर राम गोपाल की भांति दस्तकारी के कारण जो भूमि को अधिभोग में लेने के लिए हितबद्ध हो सकते हैं और अभियुक्तों को गांव से पलायन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं या कुछ पक्षकारों के बीच विद्यमान छोटे-मोटे झगड़े होने के कारण केवल दो समर्थित साक्षियों को परोक्ष उद्देश्य हेतु इस्तेमाल किया जाना (जैसाकि पूर्ववर्ती प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 17 मार्च, 1980 प्रदर्श क-32क से प्रकट है) । इस अभिकथित अपराध के लिए 19 व्यक्तियों का नामनिर्दिष्ट किया जिन्होंने वास्तव में कभी भी भाग नहीं लिया था ।

18. इस मामले के साक्ष्य और परिस्थितियों पर सम्पूर्ण रूप से विचार करने पर हमारी यह राय है कि केवल दो समर्थित साक्षियों का परिसाक्ष्य से यह विश्वास नहीं होता है कि विश्वास की मात्र निर्विवाद रूप से विश्वासयोग्य नहीं है जबकि विचारण न्यायाधीश द्वारा 19 व्यक्तियों की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सका । हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है ।

19. आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश जैसाकि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी जिनके संबंध में यह अपीलें बनी हुई हैं, उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है जिसके लिए उन्हें दोषी पाया गया था । वे सभी जमानत पर हैं । उन्हें उनके क्रमशः जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है ।

20. अपील मंजूर की गई ।

21. इस आदेश की प्रति और अभिलेख निचले न्यायालय को वापस भेजे जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

———————

चन्द्रशेखर चिनारा

बनाम

निलनीप्रवा शाहू उर्फ **चिनारा और एक अन्य**

तारीख 6 फरवरी, 2014

न्यायमूर्ति बी. के. नायक

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125 और 127 – भरणपोषण – वृद्धि – पक्षकारों की आय, उनकी आवश्यकता और वर्तमान निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए, पत्नी के भरणपोषण की रकम को मासिक 400/- रुपए से बढ़ाकर 3,500/- रुपए और अध्ययन कर रहे 12 वर्ष के बालक हेतु भरणपोषण की रकम को 300/- रुपए से बढ़ाकर 4,000/- रुपए किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

याची स्वीकृत रूप से विपक्षी सं. 1 का पति और विपक्षी सं. 2 का पिता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन विपक्षियों द्वारा फाइल किए गए 2003 के दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 69 में खुरदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट, परिवार न्यायालय ने तारीख 26 जून, 2004 को पारित अपने आदेश द्वारा दोनों विपक्षियों को अलग-अलग 400/- रुपए और 300/- रुपए की दर से मासिक भरणपोषण प्रदान किया था । 2003 के वैवाहिक मामले से उत्पन्न सिविल कार्यवाही (2004 के सिविल प्रकीर्ण आवेदन सं. 9) में सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ वर्ग) ने वर्तमान विपक्षियों के पक्ष में 1,000/- रुपए प्रतिमाह का अंतरिम भरणपोषण प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया था । विद्वान् मजिस्ट्रेट, परिवार न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पारित आदेश को याची द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 2004 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 511 में चुनौती दी गई । इस न्यायालय ने 1,000/- रुपए के संदाय की शर्त के साथ जैसाकि विद्वान् सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ वर्ग) द्वारा निदेशित किया गया था, भरणपोषण के आदेश को स्थगित कर दिया । उक्त स्थगनादेश बाद में समाप्त कर दिया गया और पुनरीक्षण भी अंततः खारिज हो गया । विपक्षी पक्षकारों ने मूल्यवृद्धि और विपक्षी पक्षकारों द्वारा जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में विपक्षी पक्षकारों द्वारा सहन की जा रही वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए जाने के आधार पर प्रत्येक विपक्षी के

लिए 15,000/- रुपए के बढ़े हुए भरणपोषण का दावा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के अधीन 2011 की सिविल याचिका सं. 254 फाइल की । उनके द्वारा दावा किया गया कि उनके पास जीवन-यापन और विपक्षी सं. 2 के अध्ययन के लिए आय का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है । उनके द्वारा यह दावा भी किया गया कि विपक्षी सं. 1 अनेक बीमारियों से ग्रसित थी और उसके उपचार के लिए भी धन की आवश्यकता है । उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में याची ब्रिटानिया कंपनी के वितरक और प्राक्टर एंड गेम्बल में सर्वेक्षक के रूप में कार्यरत है और इसके अतिरिक्त उसकी जेवरातों की एक दुकान भी है और वह शेयरों की खरीद-फरोख्त का कारबार भी कर रहा है । विपक्षियों के प्रकथन से इनकार करते हुए याची ने पक्षकथन किया कि विपक्षी सं. 1 की मासिक आय 15,000/- रुपए है और वह जाटनी स्थित निवेदिता इंटरप्राइजेज नामक फर्म में विक्रेता के पद पर कार्यरत है और मात्र 3,000/- रुपए उपार्जित करता है । विपक्षी पक्षकारों ने अभि. सा. 1 के रूप में विपक्षी सं. 1 को सम्मिलित करते हुए दो साक्षियों का परीक्षण कराया जबकि याची ने स्वयं का परीक्षण विपक्षी सं. 1 और भारतीय स्टेट बैंक की खुरदा शाखा के प्रबंधक का परीक्षण विपक्षी सं. 3 के रूप में कराया और कुल तीन साक्षियों का परीक्षण कराया । यह पुनरीक्षण याचिका खुरदा के विद्वान् न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा 2011 की दांडिक याचिका सं. 254 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के अधीन तारीख 1 अक्तूबर, 2012 को पारित निर्णय और आदेश जिसके द्वारा विपक्षी के पक्ष में मासिक भरणपोषण की रकम पृथक्-पृथक् रूप से 3,500/- रुपए और 4,000/- रुपए तक बढ़ा दी गई, के विरुद्ध फाइल की गई है । पुनरीक्षण आवेदन का निपटान करते हुए,

अभिनिर्धारित – विपक्षी पक्षकारों विशेष रूप से विपक्षी सं. 2 जो कि एक छात्र है की वर्तमान आवश्यकताओं और वर्तमान मंहगाई को ध्यान में रखते हुए भरणपोषण की रकम में बढ़ोतरी की मात्रा अधिक नहीं है । प्रकटतः निचले न्यायालय ने पक्षों की आय के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला है । यद्यपि याची ने जाटनी की निवेदिता इंटरप्राइजेज नामक फर्म के कर्ताधर्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को प्रदर्श-क के रूप में यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ फाइल किया है कि याची उक्त फर्म में विक्रेता के रूप में कार्यरत है और 3,000/- रुपए मासिक वेतन के रूप में पाता है और प्रदर्श-ख की शृंखला के रूप में दस्तावेज फाइल किए हैं जो निर्धारण

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के बाबत विपक्षी सं. 1 की आयकर विवरणी है और जिनको विपक्षी साक्षी सं. 3 द्वारा साबित भी किया गया है, किंतु उक्त दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है । वर्ष 2008-09 के बाबत आयकर विवरणी के आधार पर उसकी आय 1,37,600/- रुपए और निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाबत आयकर विवरण के आधार पर उसकी आय 1,56,400/- रुपए दर्शित होती है जो खर्च घटाए जाने के पश्चात् उसकी कुल आय है । आयकर विवरण विपक्षी सं. 1 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष उसके मकान के निर्माण और मरम्मत के प्रयोजनार्थ ऋण प्राप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए थे । इन आयकर विवरणियों को विपक्षी सं. 1 द्वारा विवादित नहीं किया गया है । विवरणियों से प्रकट होता है कि विपक्षी सं. 1 की 11,000/- रुपए से 13,000/- रुपए के मध्य मासिक आमदनी है । साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि विपक्षी सं. 1 ने यह आय निजी ट्यूशन पढ़ाकर और टेलरिंग का कार्य करके उपार्जित की । याची की मासिक आय की बाबत कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, यद्यपि उसने जाटनी के निवेदिता इंटरप्राइजेज द्वारा प्रदान किए गए एक आय प्रमाणपत्र को फाइल किया है जो उसकी मासिक आय 3,000/- रुपए दर्शित करता है । (पैरा 7 और 8)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की परिवार न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका सं. 117.

खुरदा के विद्वान् न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा 2011 को दांडिक याचिका सं. 254 में पारित तारीख 1 अक्तूबर, 2012 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण ।

याची की ओर से सर्वश्री सुसांत कुमार दास, ए. के. ओत्ता, ए. धालसामन्ता और बी. पी. ढल

विपक्षियों की ओर से सर्वश्री एस. बी. मोहंती, एस. के. मोहंती, ए. के. दास और पी. डी. दास

न्यायमूर्ति बी. के. नायक – यह पुनरीक्षण याचिका खुरदा के विद्वान् न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा 2011 की दांडिक याचिका सं. 254 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के अधीन तारीख 1 अक्तूबर, 2012 को

पारित निर्णय और आदेश जिसके द्वारा विपक्षी के पक्ष में मासिक भरण-पोषण की रकम पृथक्-पृथक् रूप से 3,500/- रुपए और 4,000/- रुपए तक बढ़ा दी गई, के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. याची स्वीकृत रूप से विपक्षी सं. 1 का पति और विपक्षी सं. 2 का पिता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन विपक्षियों द्वारा फाइल किए गए 2003 के दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 69 में खुरदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट, परिवार न्यायालय ने तारीख 26 जून, 2004 को पारित अपने आदेश द्वारा दोनों विपक्षियों को अलग-अलग 400/- रुपए और 300/- रुपए की दर से मासिक भरणपोषण प्रदान किया था । 2003 के वैवाहिक मामले से उत्पन्न सिविल कार्यवाही (2004 के सिविल प्रकीर्ण आवेदन सं. 9) में सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ वर्ग) ने वर्तमान विपक्षियों के पक्ष में 1,000/- रुपए प्रतिमाह का अंतरिम भरणपोषण प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया था । विद्वान् मजिस्ट्रेट, परिवार न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पारित आदेश को याची द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 2004 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 511 में चुनौती दी गई । इस न्यायालय ने 1,000/- रुपए के संदाय की शर्त के साथ जैसाकि विद्वान् सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ वर्ग) द्वारा निदेशित किया गया था, भरणपोषण के आदेश को स्थगित कर दिया । उक्त स्थगनादेश बाद में समाप्त कर दिया गया और पुनरीक्षण भी अंततः खारिज हो गया ।

3. विपक्षियों ने मूल्यवृद्धि और विपक्षी पक्षकारों द्वारा जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में विपक्षियों द्वारा सहन की जा रही वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए जाने के आधार पर प्रत्येक विपक्षी के लिए 15,000/- रुपए के बढ़े हुए भरणपोषण का दावा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के अधीन 2011 की सिविल याचिका सं. 254 फाइल की । उनके द्वारा दावा किया गया कि उनके पास जीवन-यापन और विपक्षी सं. 2 के अध्ययन के लिए आय का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है । उनके द्वारा यह दावा भी किया गया कि विपक्षी सं. 1 अनेक बीमारियों से ग्रसित थी और उसके उपचार के लिए भी धन की आवश्यकता है । उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में याची ब्रिटानिया कंपनी के वितरक और प्राक्टर एंड गेम्बल में सर्वेक्षक के रूप में कार्यरत है और इसके अतिरिक्त उसकी जेवरातों की एक दुकान भी है और वह शेयरों की खरीद-फरोख्त का कारबार भी कर रहा है । विपक्षी पक्षकारों के प्रकथन से इनकार करते हुए याची ने पक्षकथन किया कि विपक्षी सं. 1 की मासिक आय 15,000/-

रुपए है और वह जाटनी स्थित निवेदिता इंटरप्राइजेज नामक फर्म में विक्रेता के पद पर कार्यरत है और मात्र 3,000/- रुपए उपार्जित करता है ।

4. विपक्षियों ने अभि. सा. 1 के रूप में विपक्षी सं. 1 को सम्मिलित करते हुए दो साक्षियों का परीक्षण कराया जबकि याची ने स्वयं का परीक्षण विपक्षी सं. 1 और भारतीय स्टेट बैंक की खुरदा शाखा के प्रबंधक का परीक्षण विपक्षी सं. 3 के रूप में कराया और कुल तीन साक्षियों का परीक्षण कराया ।

5. खुरदा के परिवार न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश ने आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से विपक्षी सं. 1 को 3,500/- रुपए और विपक्षी सं. 2 को 4,000/- रुपए का मासिक भरणपोषण प्रदान किए जाने का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया ।

6. याची के विद्वान् काउंसेल की दलील है कि निचले न्यायालय ने याची और साथ ही विपक्षी सं. 1 की आय के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला और विपक्षी सं. 1 द्वारा फाइल की गई आयकर विवरणियों, जो प्रदर्श-ब की शृंखला में हैं और जिनको उसने गृह निर्माण ऋण प्राप्त करने के प्रयोनार्थ भारतीय स्टेट बैंक की खुरदा शाखा में फाइल किया था, का पूर्णतया अनदेखा किया और इसलिए विपक्षियों को मासिक भरणपोषण 400/- रुपए और 300/- रुपए से बढ़ाकर 3,500/- रुपए किया जाना पूर्णतया अवैध और अयुक्तियुक्त है ।

7. इसके विपरीत विपक्षियों के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि विपक्षियों, विशेष रूप से विपक्षी सं. 2 जो कि एक छात्र है की वर्तमान आवश्यकताओं और वर्तमान मंहगाई को ध्यान में रखते हुए भरणपोषण की रकम में बढ़ोतरी की मात्रा अधिक नहीं है ।

8. प्रकटतः निचले न्यायालय ने पक्षों की आय के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला है । यद्यपि याची ने जाटनी की निवेदिता इंटरप्राइजेज नामक फर्म के कर्ताधर्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को प्रदर्श-क के रूप में यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ फाइल किया है कि याची उक्त फर्म में विक्रेता के रूप में कार्यरत है और 3,000/- रुपए मासिक वेतन के रूप में पाता है और प्रदर्श-ख की शृंखला के रूप में दस्तावेज फाइल किए हैं जो निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2009-10 के बाबत विपक्षी सं. 1 की आयकर विवरणी है और जिनको विपक्षी साक्षी सं. 3 द्वारा साबित भी किया गया है, किंतु उक्त दस्तावेजों पर विचार नहीं किया

गया है । वर्ष 2008-09 के बाबत आयकर विवरणी के आधार पर उसकी आय 1,37,600/- रुपए और निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाबत आयकर विवरण के आधार पर उसकी आय 1,56,400/- रुपए दर्शित होती है जो खर्च घटाए जाने के पश्चात् उसकी कुल आय है । आयकर विवरण विपक्षी सं. 1 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष उसके मकान के निर्माण और मरम्मत के प्रयोजनार्थ ऋण प्राप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए थे । इन आयकर विवरणियों को विपक्षी सं. 1 द्वारा विवादित नहीं किया गया है । विवरणियों से प्रकट होता है कि विपक्षी सं. 1 की 11,000/- रुपए से 13,000/- रुपए के मध्य मासिक आमदनी है । साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि विपक्षी सं. 1 ने यह आय निजी ट्यूशन पढ़ाकर और टेलरिंग का कार्य करके उपार्जित की । याची की मासिक आय के बाबत कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, यद्यपि उसने जाटनी के निवेदिता इंटरप्राइजेज द्वारा प्रदान किए गए एक आय प्रमाणपत्र को फाइल किया है जो उसकी मासिक आय 3,000/- रुपए दर्शित करता है ।

9. मेरे विचार में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विपक्षी सं. 1 का मासिक भरणपोषण 400/- रुपए से 3,500/- रुपए बढ़ाया जाना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी सं. 1 की याची से अधिक आय है । जहां तक विपक्षी सं. 2 का संबंध है वह लगभग 12 वर्ष की आयु का बालक है जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अध्ययनरत है और उसका मासिक भरणपोषण 4,000/- रुपए तक बढ़ाया जाना अधिक प्रतीत नहीं होता । इसलिए पक्षों की आय और उनकी आवश्यकताओं और वर्तमान में मंहगाई को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि विपक्षी सं. 1 के पक्ष में मासिक भरणपोषण 3,500/- रुपए के स्थान पर 2,000/- रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए जैसाकि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा किया गया है और तद्नुसार मैं निचले न्यायालय के आदेश को उपांतरित करता हूं । निचले न्यायालय द्वारा विपक्षी सं. 2 के पक्ष में की गई बढ़ोतरी में किसी मध्यक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

10. तदनुसार, परिवार न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन का निपटान किया जाता है ।

पुनरीक्षण आवेदन का निपटान किया गया ।

शु.

———

सतीश कुमार और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य

तारीख 25 फरवरी, 2014

न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल, न्यायमूर्ति पी. पी. भट्ट और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) – धारा 2(ज) और 24 [सपठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 2(ट), 18 और 20] – किशोरों का विचारण – जहां किसी एक अपराध में किशोर और किशोर से भिन्न व्यक्तियों का संयुक्ततः विचारण किया जाता है वहां विचारण न्यायालय किशोर अपचारियों के विचारण हेतु उनके मामले किशोर न्यायालय को सौंपेगा, अतः किशोर और किशोर से भिन्न व्यक्तियों का संयुक्ततः विचारण किया जाना उचित और विधिसम्मत नहीं है ।

याची, जिनकी आयु स्वीकार्यतः अपराध किए जाने के समय 16 वर्ष थी, का वयस्क व्यक्तियों के साथ संयुक्ततः विचारण किया गया और मुख्यतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34, 148, 307/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए तारीख 17/22 जून, 2005 के निर्णय द्वारा दोषसिद्ध किया गया और दण्ड की मात्रा के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 के अधीन लातेहर के विद्वान् किशोर न्याय बोर्ड-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किया गया । यह निर्णय इस रिट याचिका के ज्ञापन के उपाबंध 1 पर है जिसकी चुनौती मुख्यतः निम्न आधार पर की गई है । लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, के पास जो घटना की तारीख को स्वीकार्यतः किशोर थे के साथ संयुक्ततः रिट याचिका का सेशन विचारण करने की बिल्कुल कोई अधिकारिता नहीं है । अपराध किए जाने की तारीख को सभी याचियों की आयु स्वीकार्यतः 16 वर्ष से कम थी और पूर्व अधिनियम अर्थात् किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार भी वे किशोर थे, अतः लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 24 के अनुसार वयस्क व्यक्तियों के साथ संयुक्ततः इन किशोर अपराधियों का विचारण नहीं कर सकते थे । इन रिट

याचियों को दण्ड की मात्रा के लिए मामला विद्वान् किशोर न्यायालय-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लातेहर को सौंपा नहीं जा सकता क्योंकि संयुक्त सेशन विचारण का संचालन अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय लातेहर द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उनकी शक्ति, अधिकारिता और प्राधिकार के परे है । फिर भी, ऐसे वयस्क व्यक्ति जिनको संयुक्ततः दोषसिद्ध किया गया था ने लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि और दण्डादेश के विरुद्ध 2005 की दांडिक अपील खण्ड न्यायपीठ (संख्या) 718 फाइल की जिसे इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा तारीख 13 मई, 2009 के निर्णय और आदेश द्वारा अभिखण्डित तथा अपास्त किया गया है । किशोर अपराधियों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – 1989 के सेशन मामला संख्या 172 और 172-क में जहां तक इन याचियों से संबंध है लातेहर के त्वरित निपटान न्यायालय, अपर सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तारीख 17/22 जून, 2005 तथा परिणामतः 1989 के सेशन विचारण मामला संख्या 172/2005 के किशोर न्याय विचारण संख्या 97 में लातेहर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 12 जुलाई, 2005 के निर्णय और झारखंड सरकार के गृह मंत्रालय के अवर सचिव की मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन जारी ज्ञापन संख्या 264 तारीख 7 फरवरी, 2006 को मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य कारणों से अभिखंडित और अपास्त करते हैं, (I) यह प्रतीत होता है कि इन याचियों के विरुद्ध अभिकथन अन्य किशोर व्यक्तियों के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में एक अन्य व्यक्ति की हत्या करने और घातक हथियारों से लैस होकर जीवन को क्षति पहुंचाने से संबंधित अपराध करने के बारे में है । अभियोजन के अनुसार घटना की तारीख 23 मई, 1988 है । स्वीकार्यतः लातेहर के किशोर न्यायालय-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत तारीख 31 जनवरी, 2005 की जांच रिपोर्ट के अनुसार अपराध की तारीख 23 मई, 1988 को सभी याचियों की आयु 16 वर्ष से कम थी । लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा स्वयं निर्णय में ही न्यायालय-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लातेहर द्वारा की गई पूर्वोक्त रिपोर्ट को ही स्वीकार किया । इस प्रकार यह अविवादित है कि सभी तीनों याचियों की आयु 16 वर्ष से कम थी और लातेहर के अपर सेशन न्यायालय, त्वरित निपटान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सिद्ध हुआ था । (II) इस प्रकार इस रिट याचिका में यह प्रश्न उठता है कि क्या विधि

के प्रतिकूल किशोर का विचारण उन व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है जो किशोर नहीं है ? इस प्रकार, किशोर से ऐसा लड़का अभिप्रेत है, जिसने 16 वर्ष की आयु अभिप्राप्त नहीं की है । याची यह दावा कर रहे थे कि वह 1986 के अधिनियम की धारा 2(ज) के अनुसार किशोर है जिनकी लातेहर के किशोर न्यायालय-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जांच करने का निदेश दिया । यह जांच की गई और उक्त अधिकारी द्वारा 31 जनवरी, 2005 को रिपोर्ट दी गई जिसमें यह रिपोर्ट दी गई है कि याची अपराध की तारीख अर्थात् 23 मई, 1988 को किशोर थे । लातेहर अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा यह रिपोर्ट स्वीकार की गई अतः इन तीनों याचियों का विचारण उन व्यक्तियों के साथ नहीं किया जा सकता है जो किशोर से भिन्न थे । किशोर से भिन्न व्यक्तियों के साथ किशोर अपराधियों का विचारण विद्वान् विचारण न्यायालय की त्रुटि है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ जो किशोर नहीं है इन तीनों किशोर अपचारियों का संयुक्त सेशन विचारण करने की विद्वान् विचारण न्यायालय की बिल्कुल अधिकारिता नहीं है अतः, 1989 का सेशन मामला संख्या 172 और 1989 का 172क में लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा दिया 17/22 जून, 2005 का निर्णय अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है । धारा 2(1) जो 22 अगस्त, 2006 को प्रभावी बनाया गया है, के पूर्वोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि 1986 के पुराने अधिनियम के अधीन विधि के प्रतिकूल किशोर बालक की आयु को 2000 के अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया । अतः, ऐसे अनेक मामले हैं जो ऐसे उन व्यक्तियों जिनकी आयु 16 वर्ष की आयु के किसी बालक का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है यदि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना है । इन सेशन विचारणों की बाबत 2000 के अधिनियम की धारा 20 लागू होती है क्योंकि आधा विचारण पहले ही किया जा चुका है अतः शास्तियों के पुनः परीक्षा का कोई प्रयोजन नहीं था और इस प्रकार 2000 के अधिनियम की धारा 20 सेशन न्यायालय को 16 वर्ष से अधिक आयु और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की बाबत विचारण जारी रखने की अनुज्ञा देती है । किंतु वर्तमान मामले के तथ्यों का परिशीलन करने से वर्तमान याचियों की आयु अपराध की तारीख अर्थात् 23 मई, 1988 को 16 वर्ष से कम थी और दोनों अधिनियमों के अधीन यथा उपबंधित नए और पुराने अर्थात् किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 24 और किशोर न्याय (बालकों

की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 18 के अधीन किशोर और किशोर से भिन्न व्यक्तियों का संयुक्त विचारण नहीं किया जा सकता । लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया जब इन तीन अपचारी किशोर व्यक्तियों की दोषसिद्धि उन व्यक्तियों के साथ जो किशोर थे संयुक्त विचारण संचालित कर दोषसिद्ध किया गया था । विद्वान् विचारण न्यायालय को इन तीन याची जो किशोर अपचारी हैं का विचारण किशोर से भिन्न व्यक्तियों के साथ करने की कोई शक्ति, अधिकारिता और प्राधिकार नहीं है । दूसरे मुद्दे पर, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 2(ट) में किशोर की परिभाषा के साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3 और 20 के उपबंध पर विचार करने के पश्चात् जो 1986 के अधिनियम की धारा 2 या (ट) में पुरुष किशोर की परिभाषा के प्रतिकूल हैं, प्रताप सिंह वाले मामले में बहुमत की यह राय थी कि 2000 का अधिनियम 1986 के अधिनियम के अधीन आरंभ किए गए किसी न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में लागू होगा जो तब लंबित है जब 2000 का अधिनियम प्रवृत्त किया गया । 1 अप्रैल, 2001 को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी । दूसरे शब्दों में, ऐसा पुरुष अपराधी जिसके विरुद्ध अधिनियम, 1986 के अधीन किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही आरंभ की गई थी और उसने 1 अप्रैल, 2001 को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, वह किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के उपबंध द्वारा शासित होगा । जहां तक इन अपीलार्थी की उच्च न्यायालय द्वारा यथापुष्ट दोषसिद्धि का संबंध है अपीलार्थियों की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश में किसी त्रुटि को इंगित नहीं किया गया है । जिसके द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि हुई । आक्षेपित निर्णय और अभिलेखों का परिशीलन करते हुए, न्यायालय भी यह अभिनिर्धारित करने का कोई आधार नहीं पाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अभिनिर्धारित करना न्यायसंगत नहीं था । ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मत है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम रखने में कोई त्रुटि नहीं की । अब प्रश्न दंडादेश के संबंध में उद्भूत होता है । न्यायालय के पूर्ववर्ती निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यह दो अपीलार्थी घटना की तारीख को किशोर थे और इन लोगों ने अब वयस्कता प्राप्त कर ली है । उनके दंडादेश को अपास्त करना और उन्हें छोड़ने का आदेश पारित करना उचित और समीचीन होगा क्योंकि उन्हें रिमांड होम नहीं भेजा जा सकता है । पूर्वोक्त विनिश्चय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषसिद्धि कायम रखा

और मुख्यतः इस आधार पर दंड की मात्रा को अपास्त किया कि तत्कालीन ऐसे किशोरों को तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए दंडादिष्ट करने से कोई सार्थक प्रयोजन पूरा नहीं होगा जिन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले का विनिश्चय करते समय लगभग 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है । इस मामले में भी अपराध की तारीख 23 मई, 1988 है और किशोर न्याय सह-अपर-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लातेहर द्वारा रिपोर्ट 31 जनवरी, 2005 को दी गई । इन याचियों की आयु अपराध किए जाने की तारीख को 16 वर्ष से कम थी, अतः, वे किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2(ट) के अनुसार किशोर थे और अब तक उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो गई होगी । अतः, न्यायालय इस याचिका को किसी दंड किशोर न्याय अधिनियम को नहीं भेज सकते हैं चाहे इस न्यायालय द्वारा भी उनकी दोषसिद्धि कायम रखी जाए । (पैरा 1, 2 और 4)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2009] (2009) 13 एस. सी. सी. 211 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2053 (क्रिमिनल) : **हरि राम** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य** ; 2,4

[2008] 2008 क्रिमिनल ला जर्नल. 1038 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. (सप्ली.) 356 : **बब्बन राय और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य** ; 2,4

[2005] (2005) 3 एस. सी. सी. 551 = ए. आई. आर. 2005 झार. एच. सी. आर. 1841 : **प्रताप सिंह** बनाम **झारखण्ड राज्य और अन्य** । 2,4

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 268.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री मैसर्स इन्द्रजीत सिन्हा, रोहित राय और कौशिक सरखेल

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री मैसर्स आर. आर. मिश्रा और विजयन्त वर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल ने दिया ।

न्या. पटेल – यह रिट याचिका निम्न आदेश और निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई :–

(i) 1989 के सेशन मामला संख्या 172 और 172क में लातेहर के त्वरित निपटान न्यायालय के अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए तारीख 17/22 जून, 2005 का निर्णय (रिट याचिका के ज्ञापन-क का उपाबंध 1),

(ii) 2005 के किशोर विचारण संख्या 97/1989 के सेशन विचारण संख्या 172 में लातेहर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 12 जुलाई, 2005 का निर्णय (याचिका के ज्ञापन का उपाबंध 2), और

(iii) झारखंड सरकार के गृह विभाग के अवर सचिव की मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन जारी तारीख 7 फरवरी, 2006 का ज्ञापन संख्या 264 (याचियों द्वारा फाइल अनुपूरक शपथपत्र का उपाबंध) ।

2. याची, जिनकी आयु स्वीकार्यतः अपराध किए जाने के समय 16 वर्ष थी, का वयस्क व्यक्तियों के साथ संयुक्ततः विचारण किया गया और मुख्यतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34, 148, 307/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए तारीख 17/22 जून, 2005 के निर्णय द्वारा दोषसिद्ध किया गया और दण्ड की मात्रा के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 के अधीन लातेहर के विद्वान् किशोर न्याय बोर्ड-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किया गया । यह निर्णय इस रिट याचिका के ज्ञापन के उपाबंध 1 पर है जिसकी चुनौती मुख्यतः निम्न आधार पर की गई है :–

(क) लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, के पास जो घटना की तारीख को स्वीकार्यतः किशोर थे के साथ संयुक्ततः रिट याचिका का सेशन विचारण करने की बिल्कुल कोई अधिकारिता नहीं है । अपराध किए जाने की तारीख को सभी याचियों की आयु स्वीकार्यतः 16 वर्ष से कम थी और पूर्व अधिनियम अर्थात् किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार भी वे किशोर थे, अतः लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 24 के अनुसार वयस्क व्यक्तियों के साथ संयुक्ततः इन किशोर अपराधियों का विचारण नहीं कर सकते थे ।

(ख) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 18 के अनुसार किशोर और ऐसा व्यक्ति जो किशोर नहीं है की संयुक्त कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा संचालित नहीं की जा सकती । 2000 के अधिनियम की धारा 20 उन अभियुक्त व्यक्तियों को लागू है जो 16 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम आयु समूह के हैं । ऐसा अधिनियम, 2000 की धारा 2(1) के संशोधन के कारण हैं जिसे **प्रताप सिंह** बनाम **झारखण्ड राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विनिश्चयाधार के प्रभाव को अकृत करने के लिए प्रवृत्त किया गया था ।

(ग) **हरि राम** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय, जो 22 अगस्त, 2006 को 2000 के अधिनियम की धारा 2(1) के प्रवृत्त संशोधनों के पश्चात् दिया गया निर्णय है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि क्योंकि अपीलार्थी की आयु अपराध किए जाने के समय 18 वर्ष से कम थी अतः उक्त अधिनियम के उपबंध उसके मामले में पूर्णतः लागू होंगे ।

(घ) इन रिट याचियों को दण्ड की मात्रा के लिए मामला विद्वान् किशोर न्यायालय-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लातेहर को सौंपा नहीं जा सकती क्योंकि संयुक्ततः सेशन विचारण का संचालन अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय लातेहर द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उनकी शक्ति, अधिकारिता और प्राधिकार के परे है ।

(ङ) फिर भी, ऐसे वयस्क व्यक्ति जिनको संयुक्ततः दोषसिद्ध किया गया था ने लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि और दण्डादेश के विरुद्ध 2005 की दांडिक अपील खण्ड न्यायपीठ (संख्या) 718 फाइल की जिसे इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा तारीख 13 मई, 2009 के निर्णय और आदेश द्वारा अभिखण्डित तथा अपास्त किया गया है (याचियों द्वारा फाइल तारीख 12 जुलाई 2013 के अनुपूरक शपथपत्र का उपाबंध 4) ।

(च) याची के काउंसेल ने **बब्बन राय और एक अन्य** बनाम **बिहार**

---

[1] (2005) 3 एस. सी. सी. 551 = ए. आई. आर. 2005 झार. एच. सी. आर. 1841.

[2] (2009) 13 एस. सी. सी. 211 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2053 (क्रिमिनल).

राज्य[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय का भी अवलंब लिया और यह निर्णय भी संयुक्त विचारण का था । यद्यपि किशोर व्यक्तियों के साथ विचारण किया गया था फिर भी किशोर अभियुक्त को भी दोषसिद्ध किया गया था तथा इस मामले में उनकी दोषसिद्धि कायम रखी गई । किंतु दण्डादेश को अपास्त किया गया था क्योंकि निर्णय देने के समय किशोर अभियुक्त व्यक्ति की आयु 35 वर्ष अधिक हो गई है ।

3. हमने प्रत्यर्थी राज्य के काउंसेल को भी सुना जिनका यह निवेदन है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई और दण्ड की मात्रा के लिए उन्हें उचित ही लातेहर के किशोर न्याय को निर्दिष्ट किया गया है । राज्य द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि 2000 के अधिनियम की धारा 20 के अनुसार किशोर और ऐसे व्यक्ति जिनका विचारण किशोर से अन्य व्यक्तियों के साथ एक साथ किया गया, के लिए दण्ड की मात्रा के मामले को किशोर न्याय बोर्ड को निर्दिष्ट किया जा सकता है । राज्य के काउंसेल ने आगे यह निवेदन किया है कि इन रिट याचियों के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन हत्या और व्यक्ति के प्राण को क्षति पहुंचाने के अपराध के बारे में है इन याचियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34, 148, 307/34 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है । अतः, यह न्यायालय इस रिट याचिका को ग्रहण नहीं कर सकता ।

4. दोनों पक्षों के काउंसेलों को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का परिशीलन करते हुए, हमने 1989 के सेशन मामला संख्या 172 और 172क में जहां तक इन याचियों से संबंध है लातेहर के त्वरित निपटान न्यायालय, अपर सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तारीख 17/22 जून, 2005 (रिट याचिका के ज्ञापन का उपाबंध 1) तथा परिणामतः 1989 के सेशन विचारण मामला संख्या 172/2005 के किशोर न्याय विचारण संख्या 97 में लातेहर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 12 जुलाई, 2005 के निर्णय (रिट याचिका को ज्ञापन के उपाबंध 2) और झारखंड सरकार के गृह मंत्रालय के अवर सचिव की मुद्रा

[1] 2008 क्रिमिनल ला जर्नल 1038 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. (सप्ली.) 356.

और हस्ताक्षर के अधीन जारी ज्ञापन संख्या 264 तारीख 7 फरवरी, 2006 (याचियों द्वारा फाइल अनुपूरक शपथपत्र का उपाबंध 3) को मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य कारणों से अभिखंडित और अपास्त करते हैं :–

(I) यह प्रतीत होता है कि इन याचियों के विरुद्ध अभिकथन अन्य किशोर व्यक्तियों के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में एक अन्य व्यक्ति की हत्या करने और घातक हथियारों से लैस होकर जीवन को क्षति पहुंचाने से संबंधित अपराध करने के बारे में है । अभियोजन के अनुसार घटना की तारीख 23 मई, 1988 है ।

स्वीकार्यतः लातेहर के किशोर न्यायालय-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत तारीख 31 जनवरी, 2005 की जांच रिपोर्ट के अनुसार अपराध की तारीख 23 मई, 1988 को सभी याचियों की आयु 16 वर्ष से कम थी । लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा स्वयं निर्णय में ही न्यायालय-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लातेहर द्वारा की गई पूर्वोक्त रिपोर्ट को ही स्वीकार किया । इस प्रकार यह अविवादित है कि सभी तीनों याचियों की आयु 16 वर्ष से कम थी और लातेहर के अपर सेशन न्यायालय, त्वरित निपटान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सिद्ध हुआ था ।

(II) इस प्रकार इस रिट याचिका में यह प्रश्न उठता है कि क्या विधि के प्रतिकूल किशोर का विचारण उन व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है कि जो किशोर नहीं है ।

इस मुद्दे का विनिश्चय करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 24 को निर्दिष्ट करना आवश्यक है क्योंकि अपराध की तारीख को यह अधिनियम प्रवृत्त था । अधिनियम, 1986 की धारा 24 इस प्रकार है –

"24. **किशोर का और किशोर से भिन्न व्यक्ति का संयुक्त विचारण न होना** –

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई किशोर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो किशोर नहीं है किसी अपराध के लिए

आरोपित या विचारित नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि कोई किशोर किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जिसके लिए वह किशोर और कोई अन्य व्यक्ति, जो किशोर नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, उस दशा में जब कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध न होता, एक साथ आरोपित और विचारित किया जाता तो उस अपराध का संज्ञान करने वाला न्यायालय उस किशोर और अन्य व्यक्ति के पृथक् विचारणों का निदेश देगा ।

(बल के लिए रेखांकन किया गया)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पूर्वोक्त उपबंध को ध्यान में रखते हुए ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम, 1986 की धारा 2(ज) के अनुसार किशोर है, का विचारण ऐसे व्यक्ति के साथ किसी अपराध के लिए नहीं किया जा सकता जो किशोर नहीं है ।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2(ज) इस प्रकार है –

"किशोर" से अभिप्रेत है ऐसा लड़का जिसने सोलह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है या ऐसी लड़की जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

इस प्रकार, किशोर से ऐसा लड़का अभिप्रेत है, जिसने 16 वर्ष की आयु अभिप्राप्त नहीं की है । याची यह दावा कर रहे थे कि वह अधिनियम, 1986 की धारा 2(ज) के अनुसार किशोर है जिनकी लातेहर के किशोर न्यायालय-सह-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जांच करने का निदेश दिया । यह जांच की गई और उक्त अधिकारी द्वारा 31 जनवरी, 2005 को रिपोर्ट दी गई जिसमें यह रिपोर्ट दी गई है कि याची अपराध की तारीख अर्थात् 23 मई, 1988 को किशोर थे । लातेहर अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा यह रिपोर्ट स्वीकार की गई अतः इन तीनों याचियों का विचारण उन व्यक्तियों के साथ नहीं किया जा सकता है जो किशोर से भिन्न थे । किशोर से भिन्न व्यक्तियों के साथ किशोर अपराधियों का विचारण विद्वान् विचारण न्यायालय की त्रुटि है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ जो

किशोर नहीं है इन तीनों किशोर अपचारियों का संयुक्त सेशन विचारण करने की विद्वान् विचारण न्यायालय की बिल्कुल अधिकारिता नहीं है अतः, 1989 का सेशन मामला संख्या 172 और 1989 का 172क में लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा दिया 17/22 जून, 2005 का निर्णय (रिट याचिका के ज्ञापन का उपाबंध 1) अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 का अवलंब लिया और उस आधार पर संयुक्त विचारण किया गया है और इन किशोरों को दोषसिद्ध किया गया । दण्डादेश के निर्धारण के लिए मामला लातेहर के किशोर न्याय बोर्ड-सह-अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किया गया ।

तत्काल निर्देश के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है ।

"20. लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध –

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी क्षेत्र के न्यायालय में, उस तारीख को जबकि यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, लंबित किशोर विषयक सब कार्यवाहियां उस न्यायालय में इस प्रकार चालू रखी जाएंगी, मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि किशोर ने अपराध किया है तो वह उस निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा और उस किशोर के बारे में कोई दंडादेश करने के बजाय उस किशोर को बोर्ड को भेज देगा, जो उस किशोर के बारे में आदेश इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे करेगा मानो इस अधिनियम के अधीन जांच पर उसका समाधान हो गया है कि किशोर ने वह अपराध किया है ।"

"परंतुक बोर्ड आदेश में वर्णित पर्याप्त और विशेष कारण से मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा ऐसे किशोर के हित में समुचित आदेश पारित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – किसी न्यायालय में विधि के प्रतिकूल किशोर की बाबत विचारण, पुनरीक्षण, अपील या किसी अन्य आपराधिक कार्यवाहियों सहित सभी लंबित मामलों में ऐसे किशोर की किशोरता का अवधारण

धारा 2 के खण्ड 1 के निबंधनानुसार होगा चाहे किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या इसके पूर्व किशोर नहीं रह गया और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे मानो उक्त उपबंध सभी प्रयोजनों के लिए और सभी तात्विक समयों पर जब अभिकथित अपराध किया गया था प्रवृत्त थे ।"

पूर्वोक्त धारा अर्थात् अधिनियम, 2000 की धारा 20 का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने घोर त्रुटि की । अधिनियम, 2000 की धारा 18 का कतई उचित मूल्यांकन नहीं किया गया ।

तत्काल निर्देश के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 18 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है –

"**धारा 18. किशोर और ऐसे व्यक्ति की, जो किशोर नहीं है संयुक्त कार्यवाही का न होना** – (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई किशोर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो किशोर नहीं है किसी अपराध के लिए आरोपित या विचारित नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि कोई किशोर, किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जिसके लिए वह किशोर और कोई अन्य व्यक्ति, जो किशोर नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 223 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, उस दशा में जब कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध न होता, एक साथ आरोपित और विचारित किया जाता तो अपराध का संज्ञान करने वाला बोर्ड उस किशोर और अन्य व्यक्ति के पृथक् विचारणों का निर्देश देगा ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया)

अधिनियम, 2000 की धारा 20 के बेहतर मूल्यांकन के लिए अधिनियम, 2000 की धारा 2(1) को समझना आवश्यक है जो इस प्रकार है –

"2(ठ). विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर" से ऐसा किशोर अभिप्रेत है जिनके बारे में यह अभिकथन है कि उसने अपराध कारित किया है और अपराध किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया)

धारा 2(1) जो 22 अगस्त, 2006 को प्रभावी बनाया गया है, के पूर्वोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि 1986 के पुराने अधिनियम के अधीन विधि के प्रतिकूल किशोर बालक की आयु को 2000 के अधिनियम की धारा (2)(1) के अनुसार 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया । अतः, ऐसे अनेक मामले हैं जो ऐसे उन व्यक्तियों जिनकी आयु 16 वर्ष की आयु के किसी बालक का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है यदि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना है । इन सेशन विचारणों की बाबत 2000 के अधिनियम की धारा 20 लागू होती है क्योंकि आधा विचारण पहले ही किया जा चुका है अतः शास्तियों के पुनः परीक्षा का कोई प्रयोजन नहीं था और इस प्रकार 2000 के अधिनियम की धारा 20 सेशन न्यायालय को 16 वर्ष से अधिक आयु और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की बाबत विचारण जारी रखने की अनुज्ञा देती है । किंतु वर्तमान मामले के तथ्यों का परिशीलन करने से वर्तमान याचियों की आयु अपराध की तारीख अर्थात् 23 मई, 1988 को 16 वर्ष से कम थी और दोनों अधिनियमों के अधीन यथा उपबंधित नए और पुराने अर्थात् किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 24 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 18 के अधीन किशोर और किशोर से भिन्न व्यक्तियों का संयुक्त विचारण नहीं किया जा सकता । लातेहर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया जब इन तीन अपचारी किशोर व्यक्तियों की दोषसिद्धि उन व्यक्तियों के साथ जो किशोर थे संयुक्त विचारण संचालित कर दोषसिद्ध किया गया था । याची एक त्रुटि है कि विद्वान् विचारण न्यायालय को इन तीन याची जो किशोर अपचारी हैं का विचारण किशोर से भिन्न व्यक्तियों के साथ करने की कोई शक्ति, अधिकारिता और प्राधिकार नहीं है ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया)

(III) **प्रताप सिंह** बनाम **झारखण्ड राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 14,15,16 और 17 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

[1] (2005) 2 एस. सी. सी. 551 = ए. आई. आर. 2005 झार. एच. सी. आर. 1841.

"14. श्री शरण ने धारा में दो स्थानों पर शब्द की प्रयुक्ति पर जोरदार बल दिया और यह दलील दी कि शब्द का यह संकेत है कि किशोर की आयु के अवधारण के लिए पेश किए जाने की तारीख गणना की तारीख मानी जाए क्योंकि उसकी आयु से संबंधित जांच उस तारीख से आरंभ होती है जब उस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है अन्यथा नहीं । हम इस निवेदन का समर्थन नहीं कर सकते । हमने पहले ही यह उल्लेख किया है कि अपचारी किशोर की परिभाषा के अनुसार किशोर का यह अभिप्राय है कि वह घटना की तारीख को अपराध कारित करने वाला पाया गया है । हम 1986 अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों का भी उल्लेख करते हैं । धारा 18 किशोरों की जमानत और अभिरक्षा का उपबंध करती है । यह इस प्रकार है :–

'**18. किशोरों की जमानत और अभिरक्षा** – (1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो जमानतीय या अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है और दृश्यमान रूप में किशोर है, गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है अथवा किशोर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु इस प्रकार उसे तब नहीं छोड़ा जाएगा जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसके ऐसे छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि उसका संग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या वह नैतिक खतरे के लिए उच्छन्न होगा या उसके छोड़े जाने से न्याय के उद्देश्य विफल होंगे ।

(2) जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसा अधिकारी उसे विहित रीति से संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में (किंतु किसी पुलिस थाने में या जेल में नहीं) तब तक के लिए रखवाएगा जब तक उस किशोर को न्यायालय के समक्ष न लाया जा सके ।

(3) जब ऐसा व्यक्ति किशोर-न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब वह जेल के सुपुर्द करने के बजाय उसके बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान

ऐसी कालावधि के लिए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा ।'

15. इस पर ध्यान देना होगा कि इस धारा में एक से अधिक स्थान पर शब्द का प्रयोग किया गया है । अधिकांशतः, किसी अपचारी को अपराध के अभिकथित रूप से किए जाने के तत्काल पश्चात् गिरफ्तार किया जाता है । कभी-कभी घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया जाता है ।

16. इससे भी यह प्रतीत होता है कि किशोरों की जमानत पर और उन्मुक्ति तथा अभिरक्षा हेतु किशोर की गणना की तारीख, अपराध की तारीख है न कि पेश किए जाने की तारीख ।

17. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी के काउंसेल द्वारा बलपूर्वक अवलंबित अधिनियम की धारा 32 न्यायालय में किशोर के पेश किए जाने को परिकल्पित नहीं करती ।"

पूर्वोक्त विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए घटना की तारीख को कतई यह विनिश्चय करने के लिए नहीं देखा जाए कि क्या व्यक्ति किशोर है या नहीं । 2000 के अधिनियम की धारा 2(1) का संशोधन 22 अगस्त, 2006 से प्रवृत्त किया गया और यह परिभाषित करता है कि किशोर वह है जिसने ऐसे अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है । इस प्रकार, धारा 2(1) के उक्त संशोधन के आधार पर **प्रताप सिंह** बनाम **झारखण्ड राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले के पूर्व विनिश्चय का प्रभाव इस आशय तक अकृत हो जाता है कि अपराध किए जाने की तारीख को यह विनिश्चित करने के लिए नियत तारीख माना जाएगा कि क्या व्यक्ति किशोर है या नहीं । इस मामले के तथ्यों में यह नियत तारीख 23 मई, 1988 है ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया)

(IV) **हरि राम** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामले के पैराग्राफ 10 संख्या 35, 59, 68 और 69 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है :–

---

[1] (2005) 2 एस. सी. सी. 551 = ए. आई. आर. 2005 झार. एच. सी. आर. 1841.

[2] (2009) 13 एस. सी. सी. 211 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2053 (क्रिमिनल).

"35. दूसरे मुद्दे पर, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 2(ट) में किशोर की परिभाषा के साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3 और 20 के उपबंध पर विचार करने के पश्चात् जो 1986 अधिनियम की धारा 2(ट) में पुरुष किशोर की परिभाषा के प्रतिकूल हैं, प्रताप सिंह वाले मामले में बहुमत की यह राय थी कि 2000 का अधिनियम 1986 के अधिनियम के अधीन आरंभ किए गए किसी न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही को लागू होगा जो तब लंबित है जब 2000 का अधिनियम प्रवृत्त किया गया । 1 अप्रैल, 2001 को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई थी । दूसरे शब्दों में, ऐसा पुरुष अपराधी जिसके विरुद्ध 1986 अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही आरंभ की गई थी और उसने 1 अप्रैल, 2001 को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई थी, वह किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के उपबंध द्वारा शासित होगा ।

59. धारा 2(ट) के संयुक्त पठन से अब यह विधि स्पष्ट होती है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी आयु 1 अप्रैल, 2001 पूर्व भी अपराध किए जाने की तारीख को 18 वर्ष से कम थी, किशोर माने जाएंगे चाहे किशोर होने का दावा अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पूर्व 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् की गई हो और दोषसिद्ध हो जाने पर दण्डादेश भोग रहा हो ।

68. तद्नुसार, ऐसा किशोर जिसने अपराध किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, भी किशोर न्याय अधिनियम के संशोधनों के फायदे पाने का हकदार था मानो धारा 2(ट) के उपबंध 1986 के अधिनियम के प्रर्वतन के दौरान भी विद्यमान थे ।

69. 2000 अधिनियम की धारा 20 में सम्मिलित किए गए संशोधनों के आधार पर उक्त स्थिति पर बल दिया गया जिसके द्वारा धारा 20 में परंतुक और स्पष्टीकरण जोड़ा गया था जिसने इसे और अधिक स्पष्ट किया है कि विधि के प्रतिकूल किशोर की बाबत विचारण, पुनरीक्षण, अपील और किसी अन्य आपराधिक कार्यवाहियों सहित सभी लंबित मामलों में ऐसे किशोर की किशोरता का अवधारण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (1) के निबंधनानुसार होगा और

अधिनियम के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो उक्त उपबंध प्रवृत्त थे जब अभिकथित अपराध किया गया था ।"

पूर्वोक्त विनिश्चय जो धारा 2(1) के सिद्धांत के प्रवृत्त होने के पश्चात् दिया गया था, को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि ऐसे लोग जो किशोर हैं, के मामलों का विचारण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(v) **बब्बन राय और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले के पैराग्राफ 5 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"5. जहां तक इन अपीलार्थियों की उच्च न्यायालय द्वारा यथापुष्ट दोषसिद्धि का संबंध है अपीलार्थियों की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश में किसी त्रुटि को इंगित नहीं किया गया है । जिसके द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि हुई । आक्षेपित निर्णय और अभिलेखों का परिशीलन करते हुए, हम भी यह अभिनिर्धारित करने का कोई आधार नहीं पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अभिनिर्धारित किया जाना न्यायसंगत नहीं था । ऐसी स्थिति में हमारा मत है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम रखने में कोई त्रुटि नहीं की । अब प्रश्न दंडादेश के संबंध में उद्भूत होता है । हमारे पूर्वोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यह दो अपीलार्थी घटना की तारीख को किशोर थे और इन लोगों ने जब वयस्कता प्राप्त कर ली है । उनके दंडादेश को अपास्त करना और उन्हें छोड़ने का आदेश पारित करना उचित और समीचीन होगा क्योंकि उन्हें रिमांड होम नहीं भेजा जा सकता है ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया)

पूर्वोक्त विनिश्चय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषसिद्धि को कायम रखा और मुख्यतः इस आधार पर दंड की मात्रा को अपास्त किया कि तत्कालीन ऐसे किशोरों को तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए दंडादिष्ट करने से कोई सार्थक प्रयोजन पूरा नहीं होगा जिन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले का विनिश्चय करते समय लगभग 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है । इस मामले में भी अपराध की तारीख 23 मई, 1988 है और किशोर न्याय सह-अपर-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लातेहर द्वारा रिपोर्ट 31 जनवरी, 2005

[1] 2008 क्रिमिनल ला जर्नल 1038 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. (सप्ली.) 356.

को दी गई । इन याचियों की आयु अपराध किए जाने की तारीख को 16 वर्ष से कम थी, अतः, वे किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2(ट) के अनुसार किशोर थे और अब तक उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो गई होगी । अतः, हम इस याचिका को किसी दंड किशोर न्याय बोर्ड को नहीं भेजते हैं चाहे इस न्यायालय द्वारा भी उनकी दोषसिद्धि को कायम रखा जाए ।"

5. अतः पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों और न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित को अभिखण्डित और अपास्त करते हैं :–

"(I) 1989 के सेशन न्यायालय मामला संख्या 172 और 172क में अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, लातेहर द्वारा दिया गया तारीख 17/22 जुलाई, 2005 का निर्णय (रिट याचिका के ज्ञापन का उपाबंध 1) जहां तक इसका संबंध इन रिट याचियों से है,

(II) 1989 के सेशन विचारण न्यायालय संख्या 172/2005 के किशोर विचारण संख्या 97 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लातेहर द्वारा पारित तारीख 12 जुलाई, 2005 का निर्णय, और

(III) झारखण्ड सरकार के गृह मंत्रालय के अवर सचिव के मुद्रा हस्ताक्षर के अधीन जारी 7 फरवरी, 2006 का ज्ञापन संख्या 246 ।"

6. तद्नुसार यह रिट याचिका मंजूर की जाती है और निपटाई जाती है ।

रिट याचिका मंजूर की गई ।

पां.

———

तेजा उर्फ **तेज सिंह**

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 23 नवंबर, 2013

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 148, 341, 323 और 307/149 – हत्या का प्रयत्न – अभियुक्त – अपीलार्थियों द्वारा घातक आयुधों से पीड़ित पर क्षतियां कारित किया जाना – यदि आशय के साथ उसे निष्पादित करने हेतु स्पष्ट कृत्य मौजूद हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि का औचित्य सिद्ध करने हेतु यह पर्याप्त होगा – यह आवश्यक नहीं है कि कारित की गई क्षति मृत्यु कारित करने में सक्षम हो – भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोपित अभियुक्त को केवल इस आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है कि पीड़ित को पहुंचाई गई क्षति केवल सामान्य उपहति की प्रकृति की थी ।

उक्त अपीलों के निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस तरह से है कि दिनांक 4 नवंबर, 2008 को सायंकाल लगभग 6.30 बजे आहत परिवादी अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 2 श्री जगजीत सिंह के साथ तथाकथित रूप से हुई मारपीट की घटना के संबंध में उसका पर्चा बयान आरक्षी केन्द्र कोतवाली के उप-निरीक्षक श्री हंसराज द्वारा सायंकाल 7.05 बजे प्रदर्श पी-2 के रूप में उस समय लेखबद्ध किया गया जब आहत परिवादी अलवर स्थित सामान्य चिकित्सालय के वार्ड सं. 3 की शैय्या सं. 7 पर अपने इलाज हेतु भर्ती था । पर्चा बयान में परिवादी ने अभिलिखित करवाया कि वह उस दिन सायंकाल 6.30 बजे श्री अजीत सिंह के साथ मोटर साइकिल से आ रहा था तो कटले के पास श्री तेज सिंह ने हाथ देकर मोटर साइकिल को रुकवाया तथा मोटर साइकिल रुकने पर उसने उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी तथा उसके सीने के नीचे पसलियों में चाकू से मारा तथा एक चाकू दाहिने तरफ कूल्हे पर मारा व उसके शरीर पर जगह-जगह चाकू मारे । पर्चा बयान में यह भी लिखवाया कि इसी दौरान 10-15 आदमी और आ गए जिन्होंने भी उसके हाथ पर राड मारी तथा पीठ पर चोटें मारीं । यह भी लिखवाया कि ब्रेटली यादव, भीम, नरेन्द्र, विनीत

इत्यादि ने भी उसके चाकू मारे । मारपीट कर ये लोग वहां से भाग गए । मारपीट करने वालों में अपीलार्थी महेन्द्र का नाम भी लिखवाया गया । उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली में प्रथम सूचना सं. 582008 भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 148, 323, 341, 307 सपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराधों में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं समस्त सामान्य अनुसंधान के उपरांत अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण के सेशन न्यायालय को सुपुर्द होने पर अपीलार्थीगण तेज सिंह **उर्फ** तेजा, भीम सिंह व नरेन्द्र के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 341, 323 या 232/149, 307 या 307/149 एवं आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में तथा शेष अभियुक्तगण महेन्द्र, अश्वनी कुमार व विनीत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 341, 323 या 323/149 और 307 या 307/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में आरोप विरचित किए गए । आरोपों को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई । अपीलार्थीगण ने अपने कथन के अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को गलत होना प्रकट कर विशेष रूप से कथन किया कि उन्हें रंजिशवश घटना में लिप्त किया गया है । अपीलार्थीगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत की गई । सुयोग्य विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार कर अपीलाधीन निर्णय व दंडादेश पारित किया जिससे व्यथित होकर प्रत्येक अपीलार्थी अभियुक्त ने पृथक्-पृथक् अपील उक्त प्रकार से प्रस्तुत की है । अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां तक आहत के शरीर पर पाई गई कुल चोटों की संख्या का प्रश्न है, यद्यपि पर्चा बयान में अंकित की गई कार्यवाही पुलिस में उसके शरीर पर केवल पांच चोटें होना उल्लिखित किया गया है जबकि चोट प्रतिवेदन में चोटों की संख्या दस होना प्रकट की गई हैं किंतु यह सर्वविदित है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत होने या पर्चा बयान लेखबद्ध करते समय पुलिस द्वारा प्रथमदृष्ट्या ही चोटों का परीक्षण कर इसका उल्लेख कार्यवाही पुलिस में इस तथ्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है कि पुलिस के समक्ष उपस्थित आहत के शरीर पर परीक्षण में चोटें होना पाई गईं किंतु चोटों की निश्चित संख्या एवं उनकी प्रकृति का निर्धारण विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा परीक्षण के उपरांत ही हो सकता है ऐसी सूरत में यदि वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही पुलिस एवं विशेषज्ञ द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन में आहत के शरीर पर पाई गई चोटों की संख्या में किसी तरह का कोई

अंतर आया भी है तो केवल इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वास्तव में चोटें पांच ही थीं किंतु उन्हें गलत रूप से बढ़ा चढ़ाकर चोट प्रतिवेदन में दस बता दिया गया । यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षी को प्रश्न पूछकर चोटों की संख्या में आए उक्त अंतर के संबंध में स्पष्टीकरण लेने का प्रयास अपीलार्थीगण की ओर से नहीं किया गया है, ऐसी सूरत में अपीलार्थीगण अब उक्त आधार पर किसी तरह की आपत्ति करने के अधिकारी नहीं है । अपीलार्थीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति के निर्धारण के लिए यह तथ्य भी सुसंगत नहीं है कि परीक्षण के समय परिवादी होश में था तथा उसका बी. पी. व पल्स सामान्य पाए गए । हम अधिवक्ता अपीलार्थीगण के इस तर्क से सहमत हैं कि केवल चिकित्सक/विशेषज्ञ की राय के आधार पर ही किसी चोट को प्राण घातक अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होना नहीं माना जा सकता बल्कि प्रकरण के समस्त तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर न्यायालय को स्वतंत्र रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आहत के शरीर पर पाई गई चोट अथवा चोटें प्राण घातक अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं अथवा नहीं । वर्तमान प्रकरण में आहत के शरीर पर पाई गई कुल चोटों की संख्या, शरीर के अंग जिन पर चोटें कारित की गईं, चोटों की प्रकृति तथा चोटें कारित करने के लिए उपयोग में लाए गए हथियारों की प्रकृति के आधार पर यह न्यायालय का निश्चित मत है कि अपीलार्थीगण ने परिवादी की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके साथ मारपीट कर चोटें कारित कीं । यहां इस विधिक स्थिति का उल्लेख करना भी उचित होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए चोट कारित होना कानूनन आवश्यक नहीं है, यदि उक्त अपराध के लिए आवश्यक अन्य तत्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जाहिर हो । अतः उक्त समस्त विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के समर्थन में अभिलिखित किए गए कारणों से संदेह से परे प्रमाणित है कि अपीलार्थीगण ने घटना तिथि को सायंकाल 6.30 बजे से पूर्व किसी समय परिवादी की मृत्यु कारित करने के समान उद्देश्य के लिए विधि विरुद्ध जन समूह का गठन किया तथा उन्होंने अपने उक्त समान उद्देश्य की पूर्ति में धारदार हथियार चाकू व राड से सुसज्जित होकर विधि समूह के सदस्यों के रूप में घटनास्थल पर आकर आहत के साथ मारपीट कर चोटें कारित कीं

तथा यदि इन चोटों के फलस्वरूप आहत की मृत्यु हो जाती तो अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध मानव वध के दोषी होते, ऐसी सूरत में अपीलार्थीगण तेजा **उर्फ** तेज सिंह, विनीत, नरेन्द्र, भीम सिंह व अश्वनी कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 एवं अपीलार्थी श्री महेन्द्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी करार किए जाने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने किसी तरह की कोई अवैधता, अनियमितता एवं त्रुटि नहीं की है । अब यह प्रश्न विचार कर निष्कर्ष दिए जाने हेतु शेष रहा है कि क्या प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दंड की मात्रा अनुचित है तथा इसे कम किया जाना अथवा अन्यथा परिवर्तित किया जाना न्यायोचित होगा । भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अवलोकन से जाहिर है कि इसके प्रथम भाग में दस वर्ष तक के कारावास के दंड का उल्लेख है जबकि द्वितीय भाग के अनुसार आजीवन कारावास तक का दंड भी दिया जा सकता है, यदि अभियुक्त के कृत्य के फलस्वरूप आहत के शरीर पर किसी तरह की कोई चोट कारित होती है । इस तरह से उक्त अपराध के लिए आजीवन कारावास तक के दंड का निर्धारण विधायिका द्वारा किया गया है । विधि की सुस्थापित स्थिति है कि अपराध की गंभीरता के अनुरूप तथा उसके अनुसार ही न्यायालय द्वारा दंड दिया जाना चाहिए । यद्यपि यह न्यायालय के विवेकाधिकार में है कि किसी अपराध के लिए निर्धारित दंड में से कितना दंड दिया जाए किन्तु न्यायालय मनमाने रूप से दंड का निर्धारण नहीं कर सकता बल्कि इस हेतु अपराध की प्रकृति, गंभीरता जिन परिस्थितियों में अपराध कारित किया गया है, अपराधी का व्यवहार एवं आचरण आदि ऐसे मापदंड हैं जिनको ध्यान में रख कर ही दंड की मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए । यदि उक्त विधिक स्थिति एवं वर्तमान प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि परिवादी आहत बिना किसी हथियार लिए अपने परिचित व्यक्ति के साथ मोटर साइकिल पर सवार होकर अपने निजी कार्य से घटनास्थल पर आया था तो अपीलार्थीगण ने विधि विरुद्ध जन समूह के सदस्य के रूप में विभिन्न हथियारों से सुसज्जित होकर अचानक आक्रमण करते हुए आहत के शरीर पर धारदार हथियारों से दस चोटें शरीर के विभिन्न भागों पर कारित कीं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को अनुचित एवं गलत नहीं माना जा सकता और न ही यह कहा जा सकता कि दंड की मात्रा अपराध की प्रकृति की तुलना में अधिक है । उपरोक्त

समस्त विवेचन के आधार पर हम विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 29 सितंबर, 2009 में किसी तरह की अवैधता, त्रुटि एवं अनियमितता नहीं पाते हैं । अतः अभियुक्त-अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलें आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर निरस्त की जाती हैं । चूंकि अपीलार्थीगण तेजा **उर्फ** तेज सिंह एवं विनित जेल में हैं तथा अपीलार्थीगण नरेन्द्र, भीम सिंह, अश्वनी कुमार **उर्फ** ब्रेटली व महेन्द्र वर्तमान में जमानत पर हैं, अतः उनके जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दंडादेश की अनुपालन में सजा भुगतने हेतु सात दिन की अवधि में या उससे पूर्व विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे । यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो विचारण न्यायालय उन्हें सजा भुगतने हेतु गिरफ्तारी वारन्ट सहित अन्य आवश्यक कदम उठाएगी जिससे कि वे न्यायालय द्वारा पारित दंड की अनुपालना कर सके । (पैरा 7, 8, 9, 10, 11 और 12)

विनिर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2005] (2005) 5 एस. सी. सी. 554 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **सलीम** उर्फ **चमारू और अन्य** ; 8

[2004] (2004) 1 क्रिमिनल ला जर्नल 442 (राज.) :
जय सिंह और अन्य बनाम **राजस्थान राज्य** ; 3

[1962] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 39 :
टोरी सिंह और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** । 3

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 1151, 1086, 1194 तथा 2010 की दांडिक अपील सं. 192, 256 और 257.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपीलें ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री एस. के. गुप्ता, ज्येष्ठ अधिवक्ता साथ में राहुल शर्मा, कपिल गुप्ता, सुनील कुमार जैन, गजानन्द यादव और विजय यादव

राज्य की ओर से श्री. जे. आर. बिजारनिया, लोक अभियोजक

परिवादी की ओर से श्री. गजेन्द्र सिंह राठौर

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार अग्रवाल – प्रत्येक अभियुक्त अपीलार्थी ने उक्त पृथक्-पृथक् अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सं. 1, अलवर द्वारा सेशन प्रकरण सं. 09/2009 में दिनांक 25 सितंबर, 2009 को पारित निर्णय व दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है । सुयोग्य विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी तेजा **उर्फ** तेज सिंह, भीम सिंह, नरेन्द्र, अश्वनी कुमार **उर्फ** ब्रेटली तथा विनीत कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 341 और 307 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए जबकि अभियुक्त अपीलार्थी महेन्द्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 341, 323 और 307 सपठित धारा 149 दंडनीय अपराधों के लिए दोषी करार देकर अभियुक्तगण तेजा **उर्फ** तेज सिंह, भीम सिंह, नरेन्द्र, अश्वनी कुमार **उर्फ** ब्रेटली व विनीत प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत दो वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच सौ रुपए के अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड तीन माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 341 के अंतर्गत 15 दिन का साधारण कारावास तथा धारा 307 के अंतर्गत सात वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से तथा अभियुक्त महेन्द्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत दो वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच सौ रुपए के अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड तीन माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 341 के अंतर्गत 15 दिन का साधारण कारावास, धारा 323 के अंतर्गत छः माह के साधारण कारावास तथा धारा 307 सपठित धारा 149 के अंतर्गत सात वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है । उल्लेखनीय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थीगण श्री तेजा **उर्फ** तेज सिंह, भीम सिंह एवं नरेन्द्र को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया है । यह भी आदेश दिया गया कि अपीलार्थीगण की उक्त सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी । क्योंकि उक्त सभी अपीलें विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय व आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, उनकी सुनवाई अधिवक्ता पक्षकारान की सहमति से एक साथ की गई तथा इनका निर्णय इस संयुक्त निर्णय व आदेश के माध्यम से किया जा रहा है ।

2. उक्त अपीलों के निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस तरह से हैं कि दिनांक 4 नवंबर, 2008 को सायंकाल लगभग 6.30 बजे आहत परिवादी अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 2 श्री जगजीत सिंह के साथ तथाकथित रूप से हुई मारपीट की घटना के संबंध में उसका पर्चा बयान आरक्षी केन्द्र कोतवाली के उप-निरीक्षक श्री हंसराज द्वारा सायंकाल 7.05 बजे प्रदर्श पी-2 के रूप में उस समय लेखबद्ध किया गया जब आहत परिवादी अलवर स्थित सामान्य चिकित्सालय के वार्ड सं. 3 की शैय्या सं. 7 पर अपने इलाज हेतु भर्ती था । पर्चा बयान में परिवादी ने अभिलिखित करवाया कि वह उस दिन सायंकाल 6.30 बजे श्री अजीत सिंह के साथ मोटर साइकिल से आ रहा था तो कटले के पास श्री तेज सिंह ने हाथ देकर मोटर साइकिल को रुकवाया तथा मोटर साइकिल रुकने पर उसने उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी तथा उसके सीने के नीचे पसलियों में चाकू से मारा तथा एक चाकू दाहिने तरफ कूल्हे पर मारा व उसके शरीर पर जगह-जगह चाकू मारे । पर्चा बयान में यह भी लिखवाया कि इसी दौरान 10-15 आदमी और आ गए जिन्होंने भी उसके हाथ पर राड मारी तथा पीठ पर चोटें मारीं । यह भी लिखवाया कि ब्रेटली यादव, भीम, नरेन्द्र, विनीत इत्यादि ने भी उसके चाकू मारे । मारपीट कर ये लोग वहां से भाग गए । मारपीट करने वालों में अपीलार्थी महेन्द्र का नाम भी लिखवाया गया । उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली में प्रथम सूचना सं. 582008 भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 148, 323, 341, 307 सपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराधों में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं समस्त सामान्य अनुसंधान के उपरांत अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण के सेशन न्यायालय के सुपुर्द होने पर अपीलार्थीगण तेज सिंह **उर्फ** तेजा, भीम सिंह व नरेन्द्र के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 341, 323 या 232/149, 307 या 307/149 एवं आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में तथा शेष अभियुक्तगण महेन्द्र, अश्वनी कुमार व विनीत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 341, 323 या 323/149 व 307 या 307/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में आरोप विरचित किए गए । आरोपों को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई । अपीलार्थीगण ने अपने कथन के अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को गलत होना प्रकट कर विशेष रूप से कथन किया कि उन्हें रंजिशवश घटना में लिप्त किया गया है । अपीलार्थीगण की ओर से

प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत की गई । सुयोग्य विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार कर अपीलाधीन निर्णय व दंडादेश पारित किया जिससे व्यथित होकर प्रत्येक अपीलार्थी अभियुक्त ने पृथक्-पृथक् अपील उक्त प्रकार से प्रस्तुत की है ।

आक्षेपित निर्णय व दंडादेश को चुनौती देते हुए योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए :–

"1. दिनांक 4 नवंबर, 2008 को सायंकाल लगभग 6.30 बजे तथाकथित रूप से घटित घटना के संबंध में प्रथम सूचना आहत परिवादी के पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 के आधार पर पंजीबद्ध की गई है जबकि पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से प्रकट है कि मारपीट की घटना में परिवादी को कारित चोटों से वह होश में नहीं रहा, ऐसी सूरत में परिवादी स्वयं के कथन के आधार पर पर्चा बयान लेखबद्ध किया जाना संदेहजनक है । अभियोजन पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है कि पर्चा बयान लेखबद्ध किए जाने के समय डा. राजेन्द्र कुमार जुनेजा उपस्थित थे तथा पर्चा बयान लेखबद्ध करने वाले पुलिस अधिकारी ने डाक्टर से परिवादी की बयान देने की स्थिति के बारे में लिखित में राय प्राप्त की थी किंतु न तो संबंधित डाक्टर को प्रस्तुत किया गया है और न ही उस लिखित राय को ही प्रस्तुत किया गया है । इस अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि परिवादी वास्तव में पर्चा बयान के रूप में अपने कथन लेखबद्ध कराने की स्थिति में था । इस तरह से जिस पर्चा बयान व प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर अनुसंधान किया गया है, वही संदेहजनक है तो इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही भी विधिविरुद्ध एवं दूषित है ।

2. पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य एवं स्वयं अभियोजन साक्षी द्वारा की गई स्वीकृति से जाहिर है कि घटना की सूचना टेलीफोन के माध्यम से तुरंत पुलिस थाना को प्राप्त हुई जिसे रोजनामचा आम में लेखबद्ध किया गया तथा इस सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा किंतु रोजनामचा आम की प्रतिलिपि विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई । घटना के बारे में टेलीफोन से थाने पर सूचना प्राप्त होने तथा इसका उल्लेख रोजनामचा आम किए जाने से इस सूचना को ही वस्तुतः कानूनन प्रथम सूचना माना जाना चाहिए तथा इसके बाद अस्पताल में लेखबद्ध पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध किया

गया आहत परिवादी का कथन का रूप ले लेता है तथा इस पर्चा बयान के आधार पर न तो प्रथम सूचना पंजीबद्ध की जा सकती थी और न ही इसका उपयोग परिवादी आहत के न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किए गए कथन की पुष्टि करने के लिए ही हो सकता है । वास्तविक प्रथम सूचना प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किए जाने से भी समस्त अनुसंधान एवं इसके आधार पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध की गई कार्यवाही विधिविरुद्ध एवं दूषित है । यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि प्रथम सूचना प्रत्येक आपराधिक घटना के अनुसंधान का मूल आधार है तथा इसके अभाव में अनुसंधान के रूप में खड़ा किया गया समस्त ढांचा ही विस्थापित हो जाएगा ।

3. स्वयं विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्वीकार किया है कि अनुसंधान अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अनुसंधान नहीं किया और उसने अनुसंधान में अनेक त्रुटियां की हैं, ऐसी सूरत में ऐसे दूषित, अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुसंधान का लाभ अपीलार्थीगण को दिया जाना चाहिए था । अभियोजन पक्ष पर दायित्व है कि वह संदेह से परे आरोप प्रमाणित करे । इस तथ्य के बारे में साक्ष्य एकत्रित नहीं की कि मिर्च पाउडर कहां से प्राप्त किया ।

4. स्वयं परिवादी का कथन है कि अपीलार्थी अभियुक्त श्री तेज सिंह ने घटनास्थल पर आते ही उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया किंतु अनुसंधान के दौरान न तो घटनास्थल पर और न ही परिवादी आहत के पहने हुए कपड़ों पर मिर्च पाउडर मिला तथा इस अभाव में परिवादी का उक्त कथन असत्य सिद्ध होता है तथा तथाकथित रूप से मिर्च पाउडर फेंकने के उपरांत घटित मारपीट की घटना भी संदेहजनक हो जाती है ।

5. घटना को प्रमाणित करने के लिए परिवादी आहत जगजीत सिंह के अलावा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के रूप में पी. डब्ल्यू. 1 नारायण लाल, पी. डब्ल्यू. 3 अजीत सिंह एवं पी. डब्ल्यू. 5 अमर सिंह को भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें से श्री नारायण लाल व श्री अमर सिंह ने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया तथा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है जबकि श्री अजीत सिंह ने अंशतः ही अभियोजन कथन का समर्थन किया है तथा स्वयं विचारण न्यायालय ने भी उसके कथन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया है तथा ऐसी सूरत में आहत परिवादी श्री जगजीत सिंह का एकल कथन ही अभियोजन कथन को

प्रमाणित करने के लिए शेष रहता है जिसे दोषसिद्ध का आधार तभी बनाया जा सकता है जब उसे पूर्णतः विश्वास योग्य माना जाए किंतु वर्तमान प्रकरण में आहत का कथन ऐसी श्रेणी का नहीं है क्योंकि उसके कथन के अनुसार महत्वपूर्ण एवं सारभूत विरोधाभास असंगतियां एवं विसंगतियां हैं तथा उसने अपने पर्चा बयान में प्रदर्श पी. 2, अपने प्रारंभिक बयान के अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श डी. 1 तथा अपने पूरक कथन के अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श डी. 2 से बढ़ा-चढ़ाकर कथन न्यायालय के समक्ष दिया है जिससे वह अविश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में होने से उसके एकल कथन के आधार पर अभियोजन कथन को प्रमाणित नहीं माना जाना चाहिए । किसी एकल साक्षी के कथन पर किसी आपराधिक घटना को उसी अवस्था में प्रमाणित माना जा सकता है जबकि ऐसे साक्षी का कथन पूर्ण रूप से विश्वास योग्य हो । श्री जगजीत सिंह के न्यायालय कथन पर निम्नलिखित आधार पर प्रश्न चिह्न लगाया गया है –

(1) न्यायालय में कथन किया है कि यद्यपि मिर्च से उसकी आंखें बंद हो गई किंतु मिर्च आंखों में नहीं गई जबकि अपने पूर्व कथनों में उसने स्पष्ट रूप से यह लिखवाया है कि अपीलार्थी तेज सिंह ने उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी । पूर्व कथनों में साक्षी ने यह नहीं बताया कि मिर्च उसकी आंखों में नहीं गई । परिवादी ने न्यायालय के समक्ष आंखों में मिर्ची नहीं जाने का कथन सम्भवतः इस कारण से किया है जिससे वह उसके साथ तत्पश्चात् हुई मारपीट की घटना तथा मारपीट में शामिल व्यक्तियों की भूमिका को बता सके ।

(2) न्यायालय के समक्ष बताया है कि अपीलार्थी तेज सिंह ने चाकू से पसलियों में पीछे की साइड जांघ व कूल्हों के बीच में बाईं तरफ मारी जबकि पर्चा बयान प्रदर्श पी. 2 में लिखवाया है कि सीने के नीचे पसलियों में मारी तथा एक चाकू दाहिनी तरफ कूल्हे पर जगह-जगह मारे । पर्चा बयान से जाहिर है कि परिवादी ने लगभग सभी चोटें अपीलार्थी तेज सिंह द्वारा कारित किया जाना लिखवाया है जबकि विचारण के दौरान तेज सिंह द्वारा केवल दो चोटें मारना ही बताया गया है जिसका कारण सम्भवतः यह है कि बाकी चोटें अन्य अभियुक्तगण द्वारा मारा जाना बताया जा सके ।

(3) न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी विनीत के लिए कहा है कि इसने बाईं तरफ बगल में नीचे की ओर चाकू मारा जो छाती के बीच में से निकला जबकि पर्चा बयान प्रदर्श पी. 2 में केवल चाकू मारना बताया है । अपने प्रारम्भिक कथन प्रदर्श डी. 1 में विनीत द्वारा चाकू मारना नहीं लिखवाया तथा अपने पूरक बयान में पहली बार यह कथन किया कि विनीत ने भी चाकू से मारा था किंतु यह नहीं लिखवाया कि शरीर के किस भाग पर मारा । न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाए गए अपने कथन में परिवादी ने अपीलार्थी विनीत द्वारा चाकू से जिस रूप में चोट कारित करना लिखवाया है उससे जाहिर है कि परिवादी ने चोट प्रतिवेदन में उल्लिखित चोटों के अनुरूप ही अपने बयान को परिवर्तित करते हुए अपीलार्थी विनीत की भूमिका चोट कारित करने में बताई है । न्यायालय में कथन किया है कि तेज सिंह तथा विनीत साथ-साथ घटनास्थल पर आए जबकि पर्चा बयान प्रदर्श पी. 2 तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी. 1 में ऐसा नहीं लिखवाया ।

(4) पर्चा बयान प्रदर्श पी. 2 के अंतिम भाग में यद्यपि अपीलार्थी महेन्द्र का नाम भी लिखवाया है किंतु उसके द्वारा कोई विशेष चोट कारित करना नहीं बताया जबकि न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि अपीलार्थी महेन्द्र ने राड से उसके सिर पर मारने का प्रयास किया तो उसने अपना हाथ ऊपर कर लिया जिससे उसके हाथ में लगी । इस तरह से अपीलार्थी महेन्द्र की भूमिका के संबंध में परिवादी ने महत्वपूर्ण परिवर्तन अपने न्यायालय कथन में किया है ।

(5) न्यायालय में परिवादी ने कथन किया है कि अपीलार्थी तेज सिंह ने पीछे से आवाज देकर उसे रोका जबकि पर्चा बयान में लिखवाया है कि तेज सिंह ने हाथ देकर मोटर साइकिल को रुकवाया ।

(6) पर्चा बयान प्रदर्श पी. 2 में अपीलार्थीगण के अलावा 10-15 अन्य व्यक्तियों का घटनास्थल पर आना तथा उनके द्वारा भी परिवादी के हाथ व पीठ पर राड से चोटें कारित करना लिखवाया है जबकि न्यायालय के समक्ष ऐसा कथन नहीं किया । परिवादी के शरीर पर पाई गई कुल चोटों की संख्या एवं उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सम्भवतः परिवादी ने इन 10-15

व्यक्तियों द्वारा उसके चोटें कारित किया जाना कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किया क्योंकि यदि इतने व्यक्तियों द्वारा भी मारपीट की जाती तो चोटों की संख्या कहीं अधिक होती ।

(7) पर्चा बयान प्रदर्श पी. 2 के अंत में अपीलार्थी महेन्द्र के साथ 7-8 अन्य व्यक्तियों का आना परिवादी ने लिखवाया है जबकि न्यायालय के समक्ष ऐसा कथन नहीं किया है जिसका कारण सम्भवतः यह रहा है कि मारपीट के लिए पूर्णतः अपीलार्थीगण को ही उत्तरदायी ठहराया जा सके ।

(8) अपने मुख्य परीक्षण में ही परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थी महेन्द्र से पूर्व रंजिश के कारण उसके साथ मारपीट की गई जबकि पर्चा बयान में स्वयं परिवादी ने स्पष्ट रूप से लिखवाया है कि उसकी किसी तरह की कोई रंजिश मारपीट करने वाले व्यक्तियों से नहीं है ।

(9) अपने बयान के अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श डी. 1 में परिवादी ने अपीलार्थी नरेन्द्र के लिए मात्र यह लिखवाया है कि इसने भी मारपीट की किंतु यह नहीं लिखवाया कि इसने चाकू पीठ पर मारी जबकि न्यायालय के समक्ष ऐसा कथन किया है । इसी तरह से अपीलार्थी भीम व ब्रेटली के लिए पूर्व में यह नहीं लिखवाया है कि इनके पास भी चाकू थे तथा इन्होंने भी पीठ पर चोटें कारित कीं । मेडिकल परीक्षण में परिवादी की पीठ पर भी कटे हुए घाव पाए गए हैं, संभवतः इसी कारणवश उसने पहली बार न्यायालय के समक्ष कथन कर दिया कि पीठ पर चोटें इन अपीलार्थीगण ने चाकू से कारित की ।

(10) परिवादी ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि अपीलार्थी महेन्द्र के अलावा 3-4 अन्य व्यक्तियों के पास राड थी जबकि पर्चा बयान प्रदर्श पी. 2 तथा प्रदर्श डी. 1 में ऐसा कथन नहीं किया है ।

(11) परिवादी ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना के तुरन्त उपरान्त वह घटनास्थल पर गिर गया तथा फिर वहां से उठ कर पास में स्थित एक दुकान पर गया जबकि पर्चा बयान व पुलिस बयान प्रदर्श डी. 1 में ऐसा कथन नहीं किया है ।

(12) न्यायालय में लिखवाया है कि उसने अपने मोबाइल

फोन से उमेश व नरेश को घटना के बारे में बताया तो नरेश व होशियार सिंह गाड़ी लेकर घटनास्थल पर आए तथा उसे उठाकर अस्पताल लेकर गए जबकि पर्चा बयान प्रदर्श पी. 2 में न तो मोबाइल का उल्लेख किया है और न ही यह कथन किया है कि सूचना पर श्री होशियार सिंह भी घटनास्थल पर आया था । पर्चा बयान में केवल उमेश को ही फोन करना परिवादी ने बताया है ।

6. पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि परिवादी आहत विश्व हिन्दू परिषद् एवं अन्य संगठनों का सक्रिय सदस्य है तथा अपीलार्थीगण भी अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं तथा संगठनों के चुनाव आदि को लेकर इनके मध्य पूर्व रंजिश रही है, ऐसी सूरत में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस रंजिश से वशीभूत होकर परिवादी ने वास्तविक मारपीट करने वाले व्यक्तियों के स्थान पर अपीलार्थीगण को घटना में शामिल व्यक्तियों के रूप में नामजद कर दिया । यह भी जाहिर है कि पर्चा बयान लेखबद्ध करवाते समय अन्य के अलावा अलवर के एम. एल. ए. श्री बनवारी लाल भी अस्पताल में उपस्थित थे, ऐसी सूरत में उनके प्रभाव व उनके कहने से अपीलार्थीगण को नामजद करने की पूरी-पूरी संभावना है । यदि अस्पताल में उपस्थित इन व्यक्तियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता तो, अपीलार्थीगण को प्रतिपरीक्षण कर जाहिर करने का अवसर प्राप्त होता कि पूर्व रंजिशवश लिप्त किया गया है ।

7. पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि परिवादी आदतन अपराधी है तथा उसके विरुद्ध समय-समय पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होते रहे हैं, ऐसी सूरत में उनके कथन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए अथवा उसके कथन पर तुलनात्मक रूप से अधिक सावधानी से विचार करते हुए उसके कथन में आए उक्त विरोधाभास, असंगतियों व विसंगतियों की रोशनी में उसके कथन को पूर्णतः ही नकारा जाना चाहिए ।

8. अपीलार्थीगण से अनुसंधान के दौरान तथाकथित रूप से की गई बरामदगियों को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य को स्वयं विचारण न्यायालय ने ही अविश्वसनीय माना है तथा इसके परिणामस्वरूप उन्हें आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया है । जब उक्त सीमा तक

अभियोजन साक्ष्य को विश्वास योग्य नहीं माना गया है तो शेष साक्ष्य पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं है ।

9. आहत परिवादी ने अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी. 2 में जिस प्रकार घटना का क्रमवार व खंडवार वर्णन किया है उससे जाहिर है कि घटना में शामिल बताए गए व्यक्तियों को नामजद करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव अवश्य रहा है तथा मामले में अपीलार्थीगण को अथवा कम से कम कुछ अपीलार्थीगण को झूंठा फंसाने का प्रयास किया है । यदि परिवादी ने कुछ अपीलार्थीगण को असत्य लिप्त करने का प्रयास किया है तो उसका पूर्ण कथन ही अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि अभियोजन पक्ष अन्य कोई विश्वसनीय व सम्पुष्टीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है । परिवादी के चोट प्रतिवेदन में जिस तरह से चोटों की माप व प्रकृति उल्लिखित की गई है, उससे जाहिर है कि सभी चोटों को कारित करने के लिए केवल एक ही हथियार काम में लिया गया तथा जाहिर है कि मारपीट की घटना में केवल एक ही व्यक्ति शामिल था तथा शेष व्यक्तियों को असत्य रूप से लिप्त किया गया है ।

10. अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 3 अजीत सिंह, जिसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है तथा जिसके लिए अभियोजन साक्षी का यह भी कथन है कि वह आहत परिवादी के साथ मोटर साइकिल पर गया था, ने न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी विनीत को घटना में शामिल व्यक्ति के रूप में न तो नामजद किया है और न ही उसकी पहचान घटना में शामिल व्यक्ति के रूप में की है, ऐसी सूरत में केवल परिवादी के कथन के आधार पर अपीलार्थी विनीत को घटना में शामिल व्यक्ति के रूप में माना जाना सुरक्षित नहीं होगा । यह तथ्य उल्लेखनीय है कि श्री अजीत सिंह ने पुलिस बयान प्रदर्श डी. 3 में अपीलार्थी विनीत का नाम नहीं बताया । यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी विनीत की सूचना व निशानदेही से किसी तरह की कोई बरामदगी अनुसंधान के दौरान नहीं की गई है ।

11. यद्यपि अपीलार्थी विनीत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध का भी आरोप विरचित किया गया था किंतु अन्वीक्षा के उपरांत सुयोग्य विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी विनीत को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी माना गया है जबकि

अभियोजन पक्ष प्रमाणित करने में विफल रहा है कि उसने मृत्यु कारित करने के आशय से कोई विशेष चोट कारित करने के अभाव में उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध का कानूनन दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

12. अपीलार्थी नरेन्द्र के लिए स्वयं परिवादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह घटना प्रारंभ होने के बाद आया था, ऐसी सूरत में इस अपीलार्थी के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह विधिविरुद्ध जन समूह का सदस्य था तथा सदस्य के रूप में उसने परिवादी के चोटें कारित कीं । अभियोजन साक्षी श्री अजीत सिंह ने अपीलार्थी की उपस्थिति न तो मारपीट के समय घटनास्थल पर प्रकट की है और न ही उसने न्यायालय के समक्ष ही उसकी पहचान घटना में शामिल व्यक्ति के रूप में की है, ऐसी सूरत में केवल परिवादी के कथन के आधार पर अपीलार्थी नरेन्द्र को दोषी मानना सुरक्षित नहीं है ।

13. प्रदर्श पी. 2 पर्चा बयान के अवलोकन मात्र से जाहिर है कि इसे लेखबद्ध किए जाने तथा इस पर परिवादी के हस्ताक्षर होने के बाद इसके अंतिम भाग में एक पंक्ति जोड़ते हुए अपीलार्थी महेन्द्र की उपस्थिति भी घटनास्थल पर बताई गई है । इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि स्वयं परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी महेन्द्र से उसकी पूर्व रंजिश थी, इस बात की प्रबल संभावना है कि श्री महेन्द्र का नाम बाद में सोच-समझकर जोड़ा गया है । न्यायालय के समक्ष परिवादी ने कथन किया है कि अपीलार्थी महेन्द्र ने उसके सिर पर राड से प्रहार करने का प्रयास किया किंतु उसने हाथ ऊपर किया तो उसके हाथ पर चोट कारित हुई । चोट प्रतिवेदन में चोट सं. 10 को कटे घाव के रूप में उल्लिखित किया गया है जिसका राड से आना संभव नहीं है । इस तथ्य से भी अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि होती है कि उसे बाद में सोच-समझकर लिप्त किया गया है ।

14. पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि अपीलार्थीगण ने परिवादी की मृत्यु कारित करने के लिए विधिविरुद्ध जन समूह का गठन किया तथा अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में वे एक राय होकर घटनास्थल पर पहुंचे तथा परिवादी के साथ मारपीट उक्त प्रकार से गठित विधिविरुद्ध जन समूह के सदस्यों द्वारा की गई बल्कि स्वयं परिवादी द्वारा एक से अधिक स्थानों पर स्वीकार

किया गया है अपीलार्थीगण क्रमवार पृथक्-पृथक् घटनास्थल पर पहुंचे, ऐसी सूरत में न तो भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दंडनीय अपराध घटित होना जाहिर है और न ही किसी भी अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषी ठहराया जा सकता था ।

15. पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य, परिवादी के शरीर पर पाई गई चोटों की संख्या, शरीर के अंग तथा चोटों की प्रकृति की रोशनी में अपीलार्थीगण अथवा इनमें से किसी को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 अथवा 307 सपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं माना जा सकता है । यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना के तुरंत उपरान्त परिवादी को इलाज हेतु अलवर स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया तथा उसका इलाज भी किया गया किंतु न तो अलवर अस्पताल के इलाज संबंधी कागजात ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए और न ही इलाज करने वाले चिकित्सक को ही साक्षी के रूप में पेश किया गया । अभियोजन पक्ष यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि जब अनुसंधान अधिकारी एवं उच्च पुलिस अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंच गए थे तथा परिवादी का पर्चा बयान भी लेखबद्ध कर लिया गया था तो उसकी एम. एल. आर., अलवर अस्पताल में तैयार क्यों नहीं की गई । यह सही है कि डा. अशोक कुमार माथुर ने अपने द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन एवं एक्सरे रिपोर्ट में चोटों की प्रकृति के बारे में दी गई राय को अपने कथन के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया है किंतु विचारण के दौरान न तो आपरेशन करने वाले चिकित्सक को ही साक्षी के रूप में पेश किया गया है, न ही एक्सरे प्लेट व रेडियोलोजिस्ट को प्रस्तुत किया गया और न ही मूल बैड हेड टिकट तथा आपरेशन नोट ही प्रस्तुत किया गया, ऐसी सूरत में डा. माथुर आपरेशन नोट्स व वैड हैड टिकट के आधार पर चोटों के प्राण घातक होने के बारे में राय प्रकट करने के लिए सक्षम नहीं थे तथा इनकी राय के आधार पर चोट को प्राण घातक होना नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि डा. माथुर ने स्वीकार किया है कि आहत का इलाज उनके द्वारा नहीं किया गया । विधिक स्थिति यह है कि चिकित्सक/विशेषज्ञ की राय के आधार पर ही किसी चोट को प्राण घातक अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के

लिए पर्याप्त होना नहीं माना जाना चाहिए बल्कि प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण कर न्यायालय को स्वतंत्र रूप से इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि आहत के शरीर पर पाई गई चोट अथवा चोटें प्राण घातक अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं । पर्चा बयान पर अंकित की गई कार्यवाही पुलिस में आहत के शरीर पर केवल पांच चोटें होना प्रकट किया गया है जबकि चोट प्रतिवेदन में चोटों की संख्या बढ़ कर दस हो गई । चोटों की संख्या में आए इस अंतर के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । परीक्षण के समय परिवादी होश में था तथा उसका बी. पी. तथा पल्स भी सामान्य पाए गए । पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई साक्ष्य एवं जिस परिस्थिति में घटना होना स्वयं अभियोजन पक्ष का कथन है कि रोशनी में विचार किया जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 अथवा 307 सपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध घटित होना जाहिर नहीं है ।

16. अपीलार्थीगण तेज सिंह तथा विनीत पूर्व में ही लगभग पांच वर्ष का कारावास का दंड भुगत चुके हैं तथा अन्य अपीलार्थीगण भी पर्याप्त अवधि के लिए अभिरक्षा में रह चुके हैं, ऐसी सूरत में उन्हें भुगती हुई कारावास सजा से दंडित करना न्यायोचित होगा ।"

3. अधिवक्तागण अपीलार्थीगण ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए :–

1. **टोरी सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1]

2. **जय सिंह और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[2]

4. इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादी ने आक्षेपित निर्णय व दंडादेश का समर्थन कर तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य पर विस्तार से विचार कर विस्तृत कारण अभिलिखित कर एवं संबंधित विधिक स्थिति का उल्लेख कर अपीलाधीन निर्णय व दंडादेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई कारण नहीं है । उनके अनुसार सायंकाल लगभग 6.30 बजे

---

[1] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 39.

[2] (2004) 1 क्रिमिनल ला जर्नल 442 (राज.).

घटित घटना के संबंध में पर्चा बयान तुरंत सायंकाल 7.05 बजे अस्पताल में लेखबद्ध किया गया तथा पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर नहीं है कि चोटों के फलस्वरूप परिवादी अपना पर्चा बयान लेखबद्ध करवाने में सक्षम नहीं था । घटना के तुरंत उपरांत लेखबद्ध किए गए पर्चा बयान में परिवादी ने अपीलार्थीगण को नामजद करते हुए लगभग प्रत्येक अपीलार्थी की विशिष्ट भूमिका को भी बताया है । अधिवक्ता परिवादी के अनुसार पर्चा बयान अथवा प्रथम सूचना प्रतिवेदन में आपराधिक घटना के प्रत्येक पहलू का विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती तथा यदि इसमें घटना संबंध मूलभूत तथ्यों का समावेश है तो ऐसा होना ही पर्याप्त है । यद्यपि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन साक्षी अजीत सिंह ने आंशिक रूप से ही घटना की पुष्टि की है किंतु स्वयं परिवादी ने विस्तार से घटना का वर्णन कर अपीलार्थीगण की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई है जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हुई है । यदि परिवादी के कथन के किसी तरह के विरोधाभास, असंगतियां एवं विसंगतियां प्रकट हुई हैं तथा उसने अपने पूर्व कथनों से कुछ भिन्न कथन न्यायालय के समक्ष किया है तो भी यह विरोधाभास, असंगतियां एवं विसंगतियां साधारण एवं तुच्छ श्रेणी की हैं जिनके आधार पर उसका सम्पूर्ण कथन अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यह भी सही है कि अनुसंधान अधिकारी ने कुछ तथ्यों के संबंध में त्रुटि पूर्ण अनुसंधान किया जिसे विचारण न्यायालय ने असंतोषजनक माना है किंतु सुस्थापित विधिक स्थिति की रोशनी में इसका लाभ अनुचित रूप से अपीलार्थीगण को नहीं दिया जा सकता । भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अधीन दी गई "गंभीर उपहति" की परिभाषा की ओर ध्यान आकर्षित कर अधिवक्ता परिवादी द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि चोट के कारणवश किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ता है तो इसे भी गंभीर प्रकृति की उपहति माना जाएगा । अधिवक्ता ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि परिवादी ने अपीलार्थी महेन्द्र सिंह के अलावा अन्य किसी अपीलार्थीगण से पूर्व रंजिश होना नहीं कहा है, ऐसी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि समस्त मामला असत्य है अथवा कुछ अपीलार्थीगण को गलत लिप्त किया गया है । परिवादी अथवा पर्चा बयान लेखबद्ध करने वाले अनुसंधान अधिकारी को प्रतिपरीक्षण में प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण लेने का प्रयास नहीं किया गया है, ऐसी सूरत में अपीलार्थी महेन्द्र सिंह यह कहने का अधिकारी नहीं है कि पर्चा बयान लेखबद्ध होने तथा इस पर परिवादी के हस्ताक्षर होने के बाद नए रूप से एक पंक्ति जोड़ते

हुए उसे घटना में शामिल व्यक्ति के रूप में नामजद कर दिया है । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि परिवादी की गंभीर स्थिति होने से उसे रात्रि आठ बजे ही जयपुर स्थित एस. एम. एस. अस्पताल भेज दिया गया तथा घटना की मध्य रात्रि में ही उसकी चोटों का परीक्षण कर अविलंब चोट प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया, ऐसी सूरत में अलवर में एम. एल. आर. तैयार न करने का विपरीत प्रभाव अभियोजन कथन पर नहीं पड़ता ।

5. हमने योग्य पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया, पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व दंडादेश के समर्थन अभिलिखित कारणों संबंधित विधिक प्रावधानों तथा सुस्थापित विधिक स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

6. अपीलार्थीगण की ओर से उठाए गए आधारों के संबंध में हमारा सकारण निर्णय व निष्कर्ष निम्न प्रकार से है :–

> "1. यह सही है कि मारपीट की घटना में परिवादी के धारदार हथियार से 10 चोटें कारित हुईं तथा विचारण न्यायालय के समक्ष उस चिकित्सा अधिकारी श्री राजेन्द्र जुनेजा को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिन्होंने परिवादी के बयान देने की स्थिति ज्ञात करने के लिए उसका परीक्षण किया तथा जिसने इस संबंध में अपनी लिखित राय अनुसंधान अधिकारी को दी किंतु केवल ऐसा न होने से यह नहीं माना जा सकता कि परिवादी होश में न होने से अपना बयान लेखबद्ध कराने की स्थिति में नहीं था । न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाए गए परिवादी तथा पर्चा बयान लेखबद्ध करने वाले अनुसंधान अधिकारी के कथनों से जाहिर है कि उस समय परिवादी होश में था तथा उसी के कथनानुसार पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 लेखबद्ध किया गया । उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षीगण को ऐसा कोई सुझाव अपीलार्थीगण की ओर से नहीं दिया गया कि पर्चा बयान लेखबद्ध किए जाने के समय परिवादी ऐसी स्थिति में नहीं था कि उसका कथन लेखबद्ध किया जा सके तथा अनुसंधान अधिकारी ने किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के कहने से तथा उनके बताए अनुसार पर्चा बयान लेखबद्ध कर लिया । यह सही है कि वर्तमान प्रकरण से संबंधित प्रथम सूचना उक्त पर्चा बयान के आधार पर पंजीबद्ध की गई किंतु पूर्व में उल्लिखित कारणों की रोशनी में यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी प्रथम सूचना के आधार पर किया गया अनुसंधान तथा विचारण विधिविरुद्ध एवं दूषित हो गया ।

2. यह सही है कि घटना के तुरंत उपरांत घटना के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा टेलीफोन के माध्यम से पुलिस थाना को सूचना दी गई तथा इस सूचना को रोजनामचा आम में लेखबद्ध किया गया तथा सूचना के अनुसरण में अनुसंधान अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा किंतु पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से यह भी जाहिर है कि इस सूचना में घटना का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया और न ही उन व्यक्तियों को नामजद किया गया जो घटना में अभियुक्त अथवा आहत के रूप में शामिल थे, ऐसी सूरत में रोजनामचा आम में अभिलिखित की गई सूचना को प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता तथा यह भी नहीं माना जा सकता कि तत्पश्चात् लेखबद्ध किया गया पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध किया गया आहत का कथन माना जाना चाहिए तथा इसके आधार पर न तो प्रथम सूचना पंजीबद्ध ही की जा सकती थी और न ही इसका उपयोग परिवादी के न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किए गए कथन की पुष्टि के लिए कानूनन किया जा सकता है । यह सही है कि आरोप पत्र के साथ रोजनामचा आम अथवा उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है किंतु विचारण न्यायालय के निर्णय से जाहिर है कि न्यायालय ने दिनांक 4 नवंबर, 2008 का संबंधित रोजनामचा आम तलब किया तथा उसकी प्रविष्टि का अवलोकन कर पाया कि घटना के संबंध में अपूर्ण व अपर्याप्त विवरण ही टेलीफोन से थाने पर प्राप्त हुआ था । आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त आशय का तर्क विचारण न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे विस्तार से विचारित करते हुए योग्य विचारण न्यायालय द्वारा कारण अंकित कर अस्वीकार किया गया है । प्रकरण के तथ्यों की रोशनी में विचारण न्यायालय का मत गलत अनुचित नहीं माना जा सकता ।

3. यह सही है कि विचारण न्यायालय का मत रहा है कि इस प्रकरण से संबंधित अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण समर्पण भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हुए अनुसंधान संबंधी कुछ त्रुटियां की हैं किंतु यह भी जाहिर है कि न्यायालय ने ऐसा अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल को संरक्षित न करने या सुरक्षित नहीं रखने के संबंध में ही मत व्यक्त किया है । विचारण न्यायालय ने यह मत भी व्यक्त किया है कि केवल इस आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथन को नहीं नकारा जा सकता है । हमारे मत में विचारण न्यायालय का यह मत इस कारणवश

त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता क्योंकि अपीलार्थीगण का यह कथन नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने वास्तविक घटनास्थल के स्थान पर किसी अन्य स्थान को घटनास्थल अनुसंधान के दौरान बता दिया है । अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल को संरक्षित एवं सुरक्षित न रखने का अधिक से अधिक यह प्रभाव रहा है कि घटनास्थल पर घटना संबंधी कोई चिह्न अनुसंधान के दौरान प्रकट नहीं हो सके किंतु इस आधार पर अन्य साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विधि की सुस्थापित स्थिति है कि किसी आपराधिक घटना से संबंधित घटनास्थल के निरीक्षण फलस्वरूप पाई गई साक्ष्य का उपयोग सम्पुष्टिय साक्ष्य के रूप में ही किया जा सकता है तथा यह आधारभूत अथवा सारभूत साक्ष्य की परिधि में नहीं आती । हमारा निश्चित मत है कि यदि घटनास्थल के निरीक्षण से अनुसंधान अधिकारी को घटना के संबंध में कोई चिह्न आदि प्राप्त होते तो इनका उपयोग परिवादी एवं अन्य अभियोजन साक्षीगण के कथनों की पुष्टि हेतु अवश्य किया जा सकता था किंतु इसके अभाव में कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कथन पर होना नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि घटनास्थल के संबंध में किसी तरह का विवाद अपीलार्थीगण की ओर से नहीं किया गया है ।

4. यह सही है कि परिवादी का प्रारंभ से ही कथन रहा है कि अपीलार्थी अभियुक्त श्री तेज सिंह ने घटनास्थल पर आते ही उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया तथा अनुसंधान के दौरान न तो घटनास्थल पर और न ही परिवादी के पहने हुए कपड़ों पर मिर्च पाउडर मिला है किंतु मात्र इस आधार पर न तो परिवादी के सशपथ कथन और न ही अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य सुसंगत साक्ष्य पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए उसे अस्वीकार किया जा सकता । वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा मिर्च पाउडर फेंकने के उपरांत ही घटना समाप्त हो गई हो बल्कि अभियोजन पक्ष का निश्चित कथन है कि उसके बाद परिवादी के साथ मारपीट कर चोटें कारित की गईं । प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मिर्च पाउडर फेंकने का तथ्य अत्यन्त महत्वहीन एवं तुच्छ श्रेणी का है, जिसे आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है जहां अनेक व्यक्तियों का आना जाना था, ऐसी सूरत में मौका निरीक्षण के समय मिर्च पाउडर न मिलना

असामान्य तथ्य नहीं है । यह स्पष्ट नहीं है कि मिर्च पाउडर की मात्रा क्या था तथा वह परिवादी के पहने हुए कपड़ों पर लगा अथवा नहीं ।

5. यह सही है कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण श्री नारायण लाल एवं श्री अमर सिंह ने विचारण के दौरान अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है तथा श्री अजीत सिंह ने भी आंशिक रूप से ही अभियोजन कथन का समर्थन किया है किंतु परिवादी ने विचारण के दौरान अविचलित रहते हुए अपने साथ हुई मारपीट की घटना तथा उसमें शामिल व्यक्तियों को नामजद करते हुए उनकी भूमिका का भी विस्तार से वर्णन किया है । अपीलार्थीगण की ओर से परिवादी के कथन में आए जिन विरोधाभासों, विसंगतियों, असंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, वे महत्वहीन एवं तुच्छ प्रकृति की हैं जिनका न्यायालय के समक्ष कथन लेखबद्ध करवाते समय आना स्वाभाविक है । जिन सुधारों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है वे भी ऐसी श्रेणी के नहीं हैं जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथन को ही अस्वीकार किया जा सके । परिवादी का मूल कथन है कि घटना तिथि व समय पर वह अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 3 श्री अजीत सिंह के साथ मोटर साइकिल पर घटनास्थल पर पहुंचा तो अपीलार्थी तेज सिंह ने उसकी आंखों की ओर मिर्च पाउडर फेंका तथा उसके बाद अपीलार्थीगण ने उसके साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाईं । यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मारपीट की घटना में परिवादी के दस चोटें धारदार हथियार से कारित की गईं तथा उसे इलाज हेतु अलवर स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया । यद्यपि पर्चा बयान लेखबद्ध करवाते समय परिवादी होश में था किंतु उसके शरीर पर कारित की गई चोटों की संख्या व प्रकृति को देखते हुए उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह घटना एवं घटना में शामिल व्यक्तियों की स्पष्ट भूमिका का विस्तार से वर्णन करते हुए अपना पर्चा बयान लेखबद्ध करवाता । मूल घटना तथा घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम व उनकी भूमिका के संबंध में किसी तरह का कोई विशेष परिवर्तन अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध किए गए परिवादी के कथनों की तुलना में न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किए गए परिवादी के कथन में नहीं हुआ है । पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे यह माना जा सके कि परिवादी की आंखों में फेंकी गई मिर्च के फलस्वरूप परिवादी इस स्थिति में नहीं रहा कि वह उसके

साथ हुई घटना तथा उसमें शामिल व्यक्तियों को तुरंत देखने में समर्थ नहीं था, ऐसी सूरत में यह तथ्य महत्वहीन है कि मिर्च डालने से उसकी आंखें बंद हुई अथवा नहीं । यद्यपि यह जाहिर है कि परिवादी ने कुछ सीमा तक चोट प्रतिवेदन में उल्लिखित चोटों की प्रकृति तथा शरीर के भागों के अनुरूप न्यायालय के समक्ष अपना कथन करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा उसे पहुंचाई गई चोटों का वर्णन करने का प्रयास किया है किंतु इस कारणवश भी उसका कथन संदेहजनक माना जाकर पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि परिवादी ने सामान्य मानव स्वभाव के अनुसार ही न्यायालय के समक्ष ऐसा किया है, जिससे अधिक बल के साथ वह यह प्रकट कर सके कि उसके साथ इतने व्यक्तियों द्वारा मारपीट किए जाने के बावजूद उसे प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा निर्वाह की गई भूमिका का ध्यान है तथा वह तुलनात्मक रूप से अधिक सच्चा साक्षी है । किसी व्यक्ति के साथ अचानक हुई मारपीट की घटना जिसमें अनेक हथियारबंद व्यक्ति शामिल हों, ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन, अनुसंधान एवं विचारण के दौरान लेखबद्ध किए गए अपने कथनों में घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका का वर्णन करे । इतना ही पर्याप्त है कि मूल घटना तथा घटना में शामिल व्यक्तियों को नामजद किया जाए । किसी भी आहत अथवा प्रत्यक्षदर्शी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वह घटना का चलचित्र की भांति वर्णन किसी भी प्रक्रम पर करे । यह सही है कि अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 में परिवादी ने अपीलार्थी श्री महेन्द्र द्वारा विशिष्ट रूप से उसके चोटें कारित करना नहीं लिखवाया है जबकि न्यायालय के समक्ष उसने कथन किया है कि अपीलार्थी महेन्द्र ने राड से उसके सिर पर मारने का प्रयास किया किंतु उसके चोट हाथ के अंगूठे पर लगी लेकिन मारपीट की घटना में शामिल व्यक्तियों की संख्या के प्रकाश में यदि बयान में अपीलार्थी श्री महेन्द्र की कोई विशिष्ट भूमिका प्रकट नहीं भी की गई तो इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी श्री महेन्द्र को असत्य रूप से घटना में लिप्त किया गया है तथा परिवादी ने महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में अपने कथन को न्यायालय के समक्ष विकसित किया है । यह विरोधाभास भी तुच्छ व महत्वहीन है कि परिवादी को अपीलार्थी तेज सिंह ने पीछे से आवाज देकर रोका अथवा उसने हाथ देकर मोटर साइकिल

रुकवाई । दोनों ही परिस्थितियों में यह तथ्य स्पष्ट है कि उस समय परिवादी श्री अजीत सिंह के साथ मोटर साइकिल पर सवार था । किसी मोटर साइकिल पर सवार होकर जाते हुए व्यक्ति को पीछे से आवाज देकर तथा हाथ से इशारा करके एक साथ रोका जा सकता है । इसमें किसी तरह की कोई अस्वाभाविकता नहीं है । परिवादी के कथन को इस आधार पर भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपने मुख्य परीक्षण में तो उसने कथन किया है कि अपीलार्थी महेन्द्र से पूर्व रंजिश होने के कारण उसके साथ मारपीट की गई जबकि पर्चा बयान में किसी तरह की कोई रंजिश न होने का उल्लेख किया है । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि घटना उपरांत परिवादी ने घटना के बारे में अपने परिचित श्री उमेश व श्री नरेश को सूचित किया तथा इस सूचना के अनुसरण में श्री नरेश व श्री होशियार सिंह घटनास्थल पर आए जो उसे अस्पताल ले गए, ऐसी सूरत में यह तथ्य सुसंगत नहीं है कि पर्चा बयान में न तो मोबाइल फोन से सूचना देने का उल्लेख किया और न ही लिखवाया कि श्री होशियार सिंह घटनास्थल पर आया था । अनुसंधान अधिकारी के कथन से भी जाहिर है कि जब वह टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसरण में घटनास्थल पर पहुंचा तो उसे वहां ज्ञात हुआ कि घटना में आहत हुए व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने परिवादी के कथन एवं सुस्थापित विधिक स्थिति पर विस्तार से विवेचन करते हुए परिवादी को पूर्ण रूप से विश्वसनीय श्रेणी का होना माना है । सुयोग्य विचारण न्यायालय ने यह भी माना है कि उसके कथन की पुष्टि कुछ सीमा तक श्री अजीत सिंह के कथन तथा चिकित्सीय साक्ष्य से भी हुई है । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य एवं पूर्व में वर्णित कारणों को देखते हुए विचारण न्यायालय के इस मत व निष्कर्ष को गलत व अनुचित नहीं माना जा सकता ।

6. जिन कारणों व आधारों पर अपीलार्थीगण ने यह कहने का प्रयास किया है कि पूर्व रंजिशवश परिवादी ने वास्तविक हमलावरों के स्थान पर अपीलार्थीगण को असत्य रूप से घटना में लिप्त कर दिया है, उसे भी पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य एवं सुसंगत विधिक स्थिति की रोशनी में स्वीकार नहीं किया जा सकता । जब तक कि कोई विशेष कारण साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कर दिया जाए, यह सामान्य मानव स्वभाव व आचरण के विपरीत है कि वास्तविक मारपीट

करने वालों के स्थान पर निरापराध व्यक्तियों को घटना के लिए उत्तरदायी ठहरा दिया जाए । वर्तमान प्रकरण से संबंधित घटना सायंकाल 6.30 बजे घटित हुई है तथा परिवादी का पर्चा बयान अविलंब सायंकाल 7 बजकर 05 मिनट पर अस्पताल में लेखबद्ध हुआ है जिसमें सभी अपीलार्थीगण को घटना में शामिल व्यक्तियों के रूप में नामजद किया । यह सही है कि पर्चा बयान लेखबद्ध करते समय अलवर एम. एल. ए. श्री बनवारी लाल तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति जाहिर है किंतु अपीलार्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह माना जा सके कि पर्चा बयान लेखबद्ध करते समय उपस्थित इन अन्य व्यक्तियों की अपीलार्थीगण अथवा इनमें से किसी की पूर्व रंजिश थी तथा उन्होंने परिवादी को प्रभावित करते हुए उसे बाध्य कर दिया कि वह वास्तविक मारपीट करने वाले व्यक्तियों के स्थान पर अपीलार्थीगण को नामजद कर दे । रंजिश एक दुधारू तलवार की भांति होती है जिसके फलस्वरूप एक ओर जहां इस बात की प्रबल संभावना होती है कि वास्तविक अपराधी के स्थान पर अभियुक्त को घटना कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में नामजद कर दिया गया है, दूसरी ओर इस बात की भी प्रबल संभावना होती है कि रंजिश से वशीभूत होकर नामजद अभियुक्त ने ही घटना कारित की । यदि अभियुक्त द्वारा इस आशय की प्रतिरक्षा ली जाती है कि उसे रंजिशवश घटना में शामिल किया गया है तो उस पर दायित्व है कि वह अपने इस कथन का न्यायालय की संतुष्टि में प्रमाणित करे किंतु अपीलार्थीगण वर्तमान प्रकरण में ऐसा करने में विफल रहे हैं । उल्लेखनीय है कि न तो पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई है और न ही अपीलार्थीगण का कथन है कि परिवादी की अनेक व्यक्तियों से रंजिश व विवाद रहे हैं ।

7. यदि तर्क हेतु यह स्वीकार भी किया जाए कि परिवादी आदतन अपराधी है तथा उसके विरुद्ध समय-समय पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होते रहे हैं किन्तु मात्र इस आधार पर उसे अविश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता और न ही इस आधार पर उसके कथन को सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार ही किया जा सकता है । परिवादी के कथन में आए जिन विरोधाभासों, असंगतियों एवं विसंगतियों की ओर अपीलार्थीगण द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है, उन पर पूर्व में विस्तार से विचार किया जा चुका है । जैसा

पूर्व में मत व्यक्त किया जा चुका है ये विरोधाभास, विसंगतियां व असंगतियां महत्वहीन व तुच्छ प्रकृति की हैं जिनके आधार पर परिवादी के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।

8. यह सही है कि पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य के आधार पर आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दंडनीय अपराध प्रमाणित होना विचारण न्यायालय ने नहीं माना है किंतु मात्र इस आधार पर परिवादी के साथ हुई मारपीट की घटना तथा उसमें शामिल व्यक्तियों के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपराध बिना अनुज्ञा पत्र निषेध हथियार अपने आधिपत्य में रखने के संबंध में होता है । यदि अभियोजन पक्ष न्यायालय की संतुष्टि में उक्त तथ्य प्रमाणित न कर सका तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि परिवादी के साथ घटना कारित ही नहीं हुई अथवा अपीलार्थीगण इसमें शामिल नहीं थे ।

9. यह सही है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 में परिवादी ने क्रमवार एवं खंडवार घटना का वर्णन व घटना में शामिल व्यक्तियों को नामजद किया है किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि स्वयं परिवादी ने ऐसा नहीं लिखवाया तथा पर्चा बयान लेखबद्ध कराने में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका व प्रभाव रहा है । चोट प्रतिवेदन में उल्लिखित चोटों की माप व प्रकृति के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जाना भी संभव नहीं है कि चोटें कारित करने में केवल एक ही व्यक्ति शामिल था अथवा एक ही हथियार का प्रयोग चोटें कारित करने के लिए किया गया । परिवादी के कथनानुसार अपीलार्थीगण द्वारा चाकू जैसे धारदार हथियार का उपयोग चोटें कारित करने के लिए मुख्य रूप से किया गया । एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार के हथियार से चोटें कारित करने से एक ही माप व प्रकृति की चोटें कारित होना स्वाभाविक है । यह सही है कि अपीलार्थी महेन्द्र के लिए कथन किया गया है कि उसने राड का उपयोग किया जबकि परिवादी के हाथ के अंगूठे पर पाई गई चोट को भी कटे हुए घाव के रूप में बताया गया है किंतु इस कारण से भी यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी महेन्द्र घटना में शामिल नहीं था । ऐसी कोई विधिक अथवा चिकित्सीय स्थिति नहीं है कि राड से प्रहार करने से कटे हुए घाव के रूप में चोट कारित नहीं हो सकती । किस हथियार से किस प्रकृति की चोट कारित होगी, वह अनेक कारकों जैसे चोट

मारने के समय मारने वाले एवं पीड़ित व्यक्ति की स्थिति, कोण जिससे हथियार शरीर से टकराता है, शरीर का भाग जहां चोट कारित हुई है तथा बल जिसका उपयोग प्रहार करने के लिए किया गया आदि पर निर्भर होती है । इसके लिए कोई निश्चित अवधारणा नहीं की जा सकती ।

10. यह सही है कि अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा अपीलार्थी श्री विनीत को घटना में शामिल व्यक्ति के रूप में नामजद नहीं किया गया है और न ही उसकी पहचान घटना में शामिल व्यक्ति के रूप में विचारण के दौरान की है किंतु इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि परिवादी ने इस अभियुक्त को विशिष्ट रूप से मारपीट की घटना में शामिल व्यक्ति के रूप में नामजद करते हुए उसकी विशिष्ट भूमिका भी बताई है, केवल श्री अजीत सिंह के कथन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि यह अपीलार्थी घटना में शामिल नहीं था । यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के अनुसार दस व्यक्ति घटना में शामिल थे । यह निष्कर्ष उन सभी अपीलार्थीगण के लिए भी है जिन्हें इस साक्षी ने नामजद नहीं किया ।

11. अपीलार्थी श्री महेन्द्र की ओर से किया गया यह तर्क कि पर्चा बयान के अवलोकन से जाहिर है कि इसे लेखबद्ध किए जाने तथा इस पर परिवादी के हस्ताक्षर होने के बाद इसके अंतिम भाग में पंक्ति जोड़ते हुए उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर बताई गई है इस कारणवश स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि परिवादी तथा पर्चा बयान लेखबद्ध करने वाले अनुसंधान अधिकारी को प्रतिपरीक्षण में प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण लेने का प्रयास नहीं किया गया है । यदि प्रदर्श पी-2 पर्चा बयान के अवलोकन से अपीलार्थी श्री महेन्द्र को यह आभास हो रहा था कि उसका नाम बाद में जोड़ा गया है तो उसका दायित्व था कि वह प्रतिपरीक्षण में प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण लेने का प्रयास करता तथा इस अभाव में अब वह यह कहने का अधिकारी नहीं है कि पर्चा बयान में उसका नाम बाद में जोड़ा गया है ।

12. जहां तक परिवादी की मृत्यु कारित करने के समान उद्देश्य से विधिविरुद्ध जन समूह का गठन करने तथा अपीलार्थीगण द्वारा इस जन समूह के सदस्य के रूप में परिवादी के साथ मारपीट कर उक्त उद्देश्य से चोटें कारित करने का प्रश्न है, यद्यपि पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से यह प्रकट नहीं है कि सभी अपीलार्थीगण ने एक साथ

परिवादी पर प्रहार कर चोटें कारित कीं बल्कि यह जाहिर है कि सर्वप्रथम तेज सिंह ने फिर अपीलार्थी विनीत ने तथा इसके उपरांत अन्य अपीलार्थीगण ने घटनास्थल पर उपस्थित होकर परिवादी के साथ मारपीट कर चोटें कारित कीं किंतु अपीलार्थीगण द्वारा क्रमवार व खंडवार घटना किए जाने से यह नहीं माना जा सकता कि वे विधि-विरुद्ध जन समूह के सदस्य नहीं थे तथा इस रूप में उनके द्वारा घटना कारित नहीं की गई । अपीलार्थीगण द्वारा क्रमवार घटनास्थल पर उपस्थित होकर परिवादी के साथ मारपीट करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्होंने अपने समान उद्देश्य के अनुसरण में घटना कारित की है । विधि की सुस्थापित स्थिति है कि किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा विधिविरुद्ध जन समूह का गठन किए जाने संबंधी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य प्रस्तुत करना आसान नहीं है तथा इस तथ्य को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी प्रमाणित किया जा सकता है । वर्तमान प्रकरण में जिस तरह से अपीलार्थीगण द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होकर परिवादी से मारपीट की गई है, उससे यह निष्कर्ष आसानी से दिया जा सकता है कि उनके द्वारा अपने समान उद्देश्य की पूर्ति में ही ऐसा किया गया । सुयोग्य विचारण न्यायालय ने भी इस प्रश्न पर समुचित रूप से विचार कर सुस्थापित विधिक स्थिति को आधार बनाकर उक्त आशय का निष्कर्ष दिया है जिसे प्रकरण के समक्ष तथ्यों व परिस्थितियों की रोशनी में गलत व अनुचित नहीं माना जा सकता ।

13. सुयोग्य विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य जिन परिस्थितियों में परिवादी के चोटें कारित की गईं, घटना में शामिल व्यक्तियों की संख्या, परिवादी के शरीर पर कारित की गई चोटों की संख्या एवं उनकी प्रकृति को आधार बनाकर निष्कर्ष दिया है कि परिवादी की मृत्यु कारित करने के आशय से अपीलार्थीगण ने उसके साथ मारपीट कर चोटें कारित कीं । यह सही है कि घटना उपरांत परिवादी को इलाज हेतु अलवर स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया किंतु इसके बावजूद भी उसके इलाज संबंधी कागजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए और न ही इलाज करने वाले चिकित्सक को ही साक्षी के रूप में पेश किया गया तथा न ही उसका चोट प्रतिवेदन अलवर में तैयार करने का प्रयास किया गया किंतु पत्रावली पर विद्यमान

साक्ष्य से जाहिर है कि परिवादी की स्थिति बेहद गंभीर पाई गई तथा रात्रि 8.00 बजे ही उसे जयपुर स्थित एस. एम. एस. अस्पताल अग्रिम इलाज हेतु प्रेषित कर दिया गया । दिनांक 4 नवंबर, 2008 को सायंकाल 6.30 बजे घटना होने के बाद सायंकाल 7 बजकर 05 मिनट पर परिवादी का पर्चा बयान लेखबद्ध किया गया तथा रात्रि 8.00 बजे ही उसे जयपुर प्रेषित किए जाने से परिवादी के शरीर पर पाई गई चोटों पर उक्त आधार पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि जयपुर स्थित एस. एम. एस. अस्पताल में उसकी चोटों का परीक्षण मध्य रात्रि 1.15 बजे डा. अशोक माथुर द्वारा चोट प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया । पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे लेशमात्र भी यह जाहिर हो कि जो चोट डा. माथुर द्वारा परिवादी के शरीर पर पाई गई, वे मारपीट की घटना में कारित न होकर अन्य किसी प्रकार से कारित की गई । यह सही है कि आपरेशन करने वाले चिकित्सक को तथा एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर में परिवादी का इलाज करने वाले चिकित्सक को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया किंतु डा. अशोक माथुर ने आपरेशन नोट्स तथा परिवादी के इलाज संबंधी प्रलेखों को आधार बनाकर चोट सं. 1 व 3 को प्राण घातक होना बताया है । उल्लेखनीय है कि साक्षी के समक्ष आपरेशन नोट व बैड हैड टिकट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई । सरकारी अस्पताल में तैयार आपरेशन नोट व बैड हैड टिकट को सार्वजनिक प्रलेख की श्रेणी का माना जाएगा तथा इनकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी उतनी विश्वसनीय होती है जितने मूल प्रलेख । जहां तक एक्सरे प्लेट तथा एक्सरे रिपोर्ट तैयार करने वाले रेडियोलोजिस्ट को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने का प्रश्न है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि किसी भी चोट में अस्थिभंग होना नहीं पाया गया है, यह तथ्य महत्वहीन हो जाता है कि एक्सरे प्लेट एवं इनको तैयार करने वाले चिकित्सक को पेश नहीं किया गया ।'

7. जहां तक आहत के शरीर पर पाई गई कुल चोटों की संख्या का प्रश्न है, यद्यपि पर्चा बयान में अंकित की गई कार्यवाही पुलिस में उसके शरीर पर केवल पांच चोटें होना उल्लिखित किया गया है जबकि चोट प्रतिवेदन में चोटों की संख्या दस होना प्रकट की गई हैं किंतु यह सर्वविदित है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत होने या पर्चा बयान लेखबद्ध करते समय पुलिस द्वारा प्रथमदृष्ट्या ही चोटों का परीक्षण कर इसका उल्लेख कार्यवाही

पुलिस में इस तथ्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है कि पुलिस के समक्ष उपस्थित आहत के शरीर पर परीक्षण में चोटें होना पाई गईं किंतु चोटों की निश्चित संख्या एवं उनकी प्रकृति का निर्धारण विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा परीक्षण के उपरांत ही हो सकता है ऐसी सूरत में यदि वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही पुलिस एवं विशेषज्ञ द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन में आहत के शरीर पर पाई गई चोटों की संख्या में किसी तरह का कोई अंतर आया भी है तो केवल इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वास्तव में चोटें पांच ही थीं किंतु उन्हें गलत रूप से बढ़ा-चढ़ाकर चोट प्रतिवेदन में दस बता दिया गया । यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षी को प्रश्न पूछकर चोटों की संख्या में आए उक्त अंतर के संबंध में स्पष्टीकरण लेने का प्रयास अपीलार्थीगण की ओर से नहीं किया गया है, ऐसी सूरत में अपीलार्थीगण अब उक्त आधार पर किसी तरह की आपत्ति करने के अधिकारी नहीं है । अपीलार्थीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति के निर्धारण के लिए यह तथ्य भी सुसंगत नहीं है कि परीक्षण के समय परिवादी होश में था तथा उसका बी. पी. व पल्स सामान्य पाए गए । हम अधिवक्ता अपीलार्थीगण के इस तर्क से सहमत हैं कि केवल चिकित्सक/विशेषज्ञ की राय के आधार पर ही किसी चोट को प्राण घातक अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होना नहीं माना जा सकता बल्कि प्रकरण के समस्त तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर न्यायालय को स्वतंत्र रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आहत के शरीर पर पाई गई चोट अथवा चोटें प्राण घातक अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं अथवा नहीं ।

8. वर्तमान प्रकरण में आहत के शरीर पर पाई गई कुल चोटों की संख्या, शरीर के अंग जिन पर चोटें कारित की गईं, चोटों की प्रकृति तथा चोटें कारित करने के लिए उपयोग में लाए गए हथियारों की प्रकृति के आधार पर यह न्यायालय का निश्चित मत है कि अपीलार्थीगण ने परिवादी मृत्यु कारित करने के आशय से उसके साथ मारपीट कर चोटें कारित कीं । यहां इस विधिक स्थिति का उल्लेख करना भी उचित होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए चोट कारित होना कानूनन आवश्यक नहीं है, यदि उक्त अपराध के लिए आवश्यक अन्य तत्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जाहिर हो । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **सलीम** उर्फ

चमारू और अन्य[1] में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

"इस धारा के अधीन दोषसिद्धि को न्यायसंगत ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित किए जाने के लिए शारीरिक क्षति समर्थ है जिसे कारित किया गया होगा । यद्यपि क्षति की प्रकृति जो वास्तविक रूप से कारित की गई इस निष्कर्ष में पहुंचने के लिए प्रायः पर्याप्त सहायता दे सकती है कि अभियुक्त का आशय, ऐसा आशय का अन्य परिस्थितियों से भी परिणाम निकाला जा सकता है । कुछ मामलों में भी, वास्तविक घावों के बारे में तनिक भी कोई निर्देश निकाले बिना यह सुनिश्चित किया जा सकता है । यह धारा अभियुक्त के कार्य और इसके परिणाम यदि कोई हैं के बीच विभेद प्रकट करता है । ऐसा किसी कार्य का कोई परिणाम नहीं हो सकता, जहां तक चोट लगे व्यक्ति का संबंध है, परंतु फिर भी ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिसमें अपराधी इस धारा के अधीन दायी होगा । यह आवश्यक नहीं है कि हमले से आहत व्यक्ति को कारित की गई वास्तविक क्षति से चोट लगे व्यक्ति की मृत्यु किए जाने के लिए साधारण परिस्थितियों के अधीन पर्याप्त होना चाहिए । न्यायालय को यह देखना चाहिए कि ऐसा कार्य उसके परिणाम को ध्यान में लाए बिना आशय या जानकारी के साथ किया गया था और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के अर्थात् अपराध किए जाने का प्रयास पूर्वान्तिम कार्य माना जाना जरूरी नहीं है । विधि में यह पर्याप्त है, यदि ऐसे प्रत्यक्ष कार्य जिसके निष्पादन में आशय मौजूद हो ।

धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि को न्यायसंगत ठहराना पर्याप्त है यदि ऐसे प्रत्यक्ष कार्य जिसके निष्पादन में आशय मौजूद हो । यह आवश्यक नहीं है कि शारीरिक क्षति मृत्यु किए जाने में समर्थ हो, जिसे कारित किया गया हो । यह धारा अभियुक्त के कार्य तथा इसके परिणाम के बारे में विभेद प्रकट करता है, यदि कोई हो । न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा कार्य जिसके परिणाम को ध्यान में लाए बिना आशय या जानकारी के साथ किया गया था और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन । इसलिए अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोपित किया गया था, आहत पर कारित की गई क्षतियों के मात्र कारण से दोषमुक्त नहीं किया जा

[1] (2005) 5 एस. सी. सी. 554.

सकता, जो साधारण प्रकृति की क्षति थी ।"

9. अतः उक्त समस्त विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के समर्थन में अभिलिखित किए गए कारणों से संदेह से परे प्रमाणित है कि अपीलार्थीगण ने घटना तिथि को सायंकाल 6.30 बजे से पूर्व किसी समय परिवादी की मृत्यु कारित करने के सामान्य उद्देश्य के लिए विधिविरुद्ध जन समूह का गठन किया तथा उन्होंने अपने उक्त सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में धारदार हथियार चाकू व राड से सुसज्जित होकर विधिविरुद्ध समूह के सदस्यों के रूप में घटनास्थल पर आकर आहत के साथ मारपीट कर चोटें कारित कीं तथा यदि इन चोटों के फलस्वरूप आहत की मृत्यु हो जाती तो अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध मानव वध के दोषी होते, ऐसी सूरत में अपीलार्थीगण तेजा **उर्फ** तेज सिंह, विनीत, नरेन्द्र, भीम सिंह व अश्वनी कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 एवं अपीलार्थी श्री महेन्द्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी करार किए जाने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने किसी तरह की कोई अवैधता, अनियमितता एवं त्रुटि नहीं की है ।

10. अब यह प्रश्न विचार कर निष्कर्ष दिए जाने हेतु शेष रहा है कि क्या प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दंड की मात्रा अनुचित है तथा इसे कम किया जाना अथवा परिवर्तित किया जाना न्यायोचित होगा ।

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अवलोकन से जाहिर है कि इसके प्रथम भाग में दस वर्ष तक के कारावास के दंड का उल्लेख है जबकि द्वितीय भाग के अनुसार आजीवन कारावास तक का दंड भी दिया जा सकता है, यदि अभियुक्त के कृत्य के फलस्वरूप आहत के शरीर पर किसी तरह की कोई चोट कारित होती है । इस तरह से उक्त अपराध के लिए आजीवन कारावास तक के दंड का निर्धारण विधायिका द्वारा किया गया है । विधि की सुस्थापित स्थिति है कि अपराध की गंभीरता के अनुरूप तथा उसके अनुसार ही न्यायालय द्वारा दंड दिया जाना चाहिए । यद्यपि यह न्यायालय के विवेकाधिकार में है कि किसी अपराध के लिए निर्धारित दंड में से कितना दंड दिया जाए किन्तु न्यायालय मनमाने रूप से दंड का निर्धारण नहीं कर सकती बल्कि इस हेतु अपराध की प्रकृति, गंभीरता जिन

परिस्थितियों में अपराध कारित किया गया है, अपराधी का व्यवहार एवं आचरण आदि ऐसे मापदंड है जिनको ध्यान में रख कर ही दंड की मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए । यदि उक्त विधिक स्थिति एवं वर्तमान प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि परिवादी आहत बिना किसी हथियार लिए अपने परिचित व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने निजी कार्य से घटनास्थल पर आया था तो अपीलार्थीगण ने विधिविरुद्ध जन समूह के सदस्य के रूप में विभिन्न हथियारों से सुसज्जित होकर अचानक आक्रमण करते हुए आहत के शरीर पर धारदार हथियारों से दस चोटें शरीर के विभिन्न भागों पर कारित कीं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को अनुचित एवं गलत नहीं माना जा सकता और न ही यह कहा जा सकता कि दंड की मात्रा अपराध की प्रकृति की तुलना में अधिक है ।

12. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 29 सितंबर, 2009 में किसी तरह की अवैधता, त्रुटि एवं अनियमितता नहीं पाते हैं । अतः अभियुक्त-अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलें आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर निरस्त की जाती हैं । चूंकि अपीलार्थीगण तेजा **उर्फ** तेज सिंह एवं विनीत जेल में हैं तथा अपीलार्थीगण नरेन्द्र, भीम सिंह, अश्वनी कुमार **उर्फ** ब्रेटली व महेन्द्र वर्तमान में जमानत पर हैं, अतः उनके जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दंडादेश की अनुपालन में सजा भुगतने हेतु सात दिन की अवधि में या उससे पूर्व विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें । यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो विचारण न्यायालय उन्हें सजा भुगतने हेतु गिरफ्तारी वारन्ट सहित अन्य आवश्यक कदम उठाएगी जिससे कि वे न्यायालय द्वारा पारित दंड की अनुपालना कर सकें ।

अपीलें खारिज की गईं ।

आर्य

एस. एम. कटवाल

बनाम

वीरभद्र सिंह और एक अन्य

तारीख 21 मार्च, 2014

न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 499 और 500 – मानहानि – परिस्थितियां – यदि विद्यमान परिस्थितियां उस व्यक्ति की पहचान स्पष्ट निश्चितता के साथ उजागर करती है जिसकी मानहानि आशयित थी तो मानहानि का निष्कर्ष निकाला जाना पर्याप्त होगा ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 499 और 500 [सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 199] – मानहानि व्यक्तियों के समूह और समूह के प्रत्येक सदस्य का मानहानि के विरुद्ध परिवाद फाइल करने का अधिकार यदि व्यक्तियों के किसी समूह के विरुद्ध लांछन लगाए गए हों, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को ऐसे लांछनों द्वारा, यदि असत्य हों, युक्तियुक्त रूप से अपमानित हुआ माना जा सकता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 397 – पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग – सेशन न्यायालय द्वारा अवर दांडिक न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की परीक्षा किया जाना – पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नैत्यिक और संयोगिक रीति में नहीं किया जा सकता बल्कि केवल ऐसी स्थिति में किया जा सकता है जब यह दर्शित कर दिया जाए कि दांडिक कार्यवाही या आरोप की विरचना या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथाकथित तथ्यों को देखने से और उनको समग्रता से स्वीकार किए जाने पर वह अपराध गठित नहीं होता जिसके बाबत अभियुक्त को आरोपित किया गया ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 102 – मानहानि – सबूत का भार – कोई ऐसा लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण में है, तो इसे साबित करने का भार उसी पर होगा जिसने लांछन लगाया ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 81 – समाचारपत्र में प्रकाशित विवरण की विधिक साक्ष्य में स्वीकार्यता – समाचारपत्र में प्रकाशित विवरण विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य गठित नहीं करते – मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य के अभाव में समाचारपत्र में प्रकाशित विवरण का कोई महत्व नहीं होता ।

याची ने तारीख 3 दिसंबर, 2003 को कांगड़ा जिले के रोहरा ग्राम में आयोजित सार्वजनिक बैठक में अभियुक्त द्वारा दिए गए भाषण से अपमानित महसूस किया । यह भाषण हिंदी दैनिक पंजाब केसरी के तारीख 4 दिसंबर, 2003 के अंक में प्रकाशित हुआ था । उसने ऊना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन परिवाद फाइल किया । मजिस्ट्रेट ने याची के कथन और पंजाब केसरी के प्रेस रिपोर्टर बृजेश कौशल, नवदीप कश्यप, मनोहर सिंह, सफी मोहम्मद और धर्म सिंह के कथन लेखबद्ध किए और साथ ही प्रकाशित समाचार का विश्लेषण किया । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन अपराध कारित किए जाने के बाबत प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट होने के पश्चात् तारीख 11 मार्च, 2005 के आदेश द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने का आदेश जारी किया गया । इस आदेश को ऊना के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 16 दिसंबर, 2005 को यह निष्कर्ष निकालते हुए अभिखण्डित कर दिया गया कि लांछन याची से संबंधित नहीं था और यह साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि प्रत्यर्थी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण से लेकर अपनी कालावधि की समाप्ति तक सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के बाबत कोई सिफारिश नहीं की और चूंकि प्रत्यर्थी ने तत्समय मुख्यमंत्री होते हुए भ्रष्टाचार की बुराई के बारे में आम जनता को जागरुक करने के अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लांछन लगाए थे, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 197 की उपधारा (1) का संरक्षात्मक आवरण इस मामले में लागू होता है अतः विद्वान् मजिस्ट्रेट को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपराध का संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं थी, अतः आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में कायम रखे जाने योग्य न होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है । उक्त आदेश से व्यथित होकर याची ने प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका फाइल की । पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को इस

आधार पर अभिखंडित कर दिया कि लगाए गए लांछन किसी भी प्रकार से परिवादी से संबंधित नहीं हैं क्योंकि वह पहले ही बोर्ड के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो चुका था जब वे लांछन लगाए गए और लांछन बोर्ड के विरुद्ध हैं, इसलिए परिवादी व्यथित व्यक्ति नहीं है । न्यायालय को इस बिन्दु का न्यायनिर्णयन करना है जो याची के अनुरोध पर परिवाद की संधार्यता और उसे फाइल किए जाने के अधिकार से संबंधित है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है कि अभिकथित लांछन प्रतिवादी से संबंधित नहीं है बल्कि बोर्ड के विरुद्ध हैं अतः परिवादी इस कारण से व्यथित व्यक्ति नहीं है कि उपनिर्दिष्ट लांछन वर्तमान में नहीं लगाए गए बल्कि भूतकाल में लगाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सत्तावधि से संबंधित हैं जब श्री प्रेम कुमार धूमल राज्य के मुख्यमंत्री थे, जबकि परिवादी आरंभतः अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का सदस्य बना रहा और तत्पश्चात् इसका अध्यक्ष बना । न केवल यही बल्कि उसके और बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध मामले राज्य सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो में भी रजिस्ट्रीकृत थे । अतः यह कहना गलत होगा कि अभिकथित लांछन परिवादी से संबंधित नहीं हैं । यह सत्य है कि उसका नाम किसी समाचार में भी नहीं लिया गया और उसका नाम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार तथा उस अवधि के दौरान जब श्री प्रेम कुमार धूमल राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाहरी व्यक्तियों को नौकरियां बेचने से संबंधित है । तथापि, इस प्रक्रम पर प्रथमदृष्ट्या यह साबित हो जाता है कि परिवादी अभिकथित समाचार में निर्दिष्ट अवधि के दौरान आरंभतः बोर्ड का सदस्य, तत्पश्चात् अध्यक्ष होने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 के अर्थान्तर्गत इन कारणोंवश व्यथित व्यक्ति है कि प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लगाए गए लांछन प्रथमदृष्ट्या यह प्रकट करते हैं कि वही मानहानि किए जाने के लिए आशयित व्यक्ति था । इस प्रक्रम पर यह सुस्थापित हो जाता है कि यदि हुलिया और विद्यमान परिस्थितियां उस व्यक्ति की पहचान स्पष्ट निश्चितता के साथ उजागार करती हैं जिसकी मानहानि आशयित थी, तो मानहानि का अपराध किए जाने के लिए निष्कर्ष निकाला जाना पर्याप्त होगा । (पैरा 18, 19, और 20)

केवल यही नहीं बल्कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व्यक्तियों का समूह होने के कारण शेष समूहों से आत्यांतिक रूप से अभिज्ञेय और विशेषणीय है और क्योंकि अभिकथित लांछन के अनुसार बोर्ड में भ्रष्टाचार व्याप्त था इसलिए प्रथमदृष्ट्या परिवादी सहित बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी को ऐसे

लांछनों द्वारा, यदि वे असत्य हैं युक्तियुक्त रूप से अपमानित हुआ माना जा सकता है और इस प्रकार वे (कर्मचारी) परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम हैं और फाइल करने का अधिकार रखते हैं । (पैरा 21)

प्रश्न यह है कि क्या निचले न्यायालय ने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया किए जाने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने की गलती की है, और इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर विमर्शित विधि के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए । दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नैत्यिक और संयोगिक रीति में नहीं किया जा सकता बल्कि केवल ऐसी स्थिति में किया जा सकता है जब यह दर्शित कर दिया जाए कि दांडिक कार्यवाही या आरोप की विरचना या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथाकथित तथ्यों को देखने से ही और उनको समग्रता में स्वीकार किए जाने पर वह अपराध गठित नहीं होता जिसके बाबत अभियुक्त को आरोपित किया गया है या उसके विरुद्ध प्रक्रिया जारी की गई है । निस्संदेह रूप से किसी अपराधी के विरुद्ध प्रक्रिया जारी किए जाने से उसके विरुद्ध कार्रवाई आरंभ हो जाती है और उसे इस प्रकार आरंभ आदेशित कार्यवाही का सामना करना होता है । इसलिए न्यायालय को अपराधी के विरुद्ध सावधानी और चौकसी के साथ तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मध्य संतुलन बनाए रखने के द्वारा विवेक का सम्यक् प्रयोग और विधि के नियम को प्रवृत्त करने के लिए उस पर डाले गए कर्तव्य का पालन कर प्रक्रिया जारी करनी चाहिए । अतः जब विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस मामले में आगे कार्यवाही करने का विचार बनाया तो विद्वान् सेशन न्यायाधीश को आक्षेपित आरोप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वह भी सीमित पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में । अतः विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन उनमें निहित सीमित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तथ्यों और परिस्थितियों और साथ ही प्रारंभिक साक्ष्य का मूल्यांकन ऐसी रीति में, जैसे कि मामले के अंतिम प्रक्रम पर किया जाता है, पारित आदेश अभिखंडित किया जाना न्यायोचित नहीं था । मेरे विवेक में ऐसा दृष्टिकोण न तो विधितः और न ही तथ्यतः कायम रखे जाने योग्य है । अतः इस याचिका में आक्षेपित आदेश विधिक संवीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और इस प्रकार निष्पक्षतः और न्यायहित में अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है । यह न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित

आदेश, मामले में आगे कार्यवाही किए जाने या प्रक्रिया जारी किए जाने से संबंधित आदेश की वैधता और विधिमान्यता के बाबत संतुष्ट हैं । अतः स्थिर विधिक स्थिति, जिस पर ऊपर विचार विमर्श किया गया, के प्रकाश में विद्वान् सेशन न्यायाधीश को पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई अधिकारिता नहीं थी । (पैरा 43, 44, 52, 53 और 45)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 के प्रथम अपवाद का लाभ भी अभियुक्त को इस प्रक्रम पर इस कारणवश उपलब्ध नहीं है कि यद्यपि लगाया गया लांछन मान-हानिजनक है फिर भी सही है और लोक हित में है और इसे साबित करने का भार उसी पर है । परिवादी को हमीरपुर के विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्ध किया गया और उसकी दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई, मात्र यही कारण उसको उन्मोचित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है । यदि उसको अभिकथित अपराध के बाबत आरोपित किया जाता है और उसका विचारण किया जाता है तो इस भार का उन्मोचन केवल साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही से संबंधित अभिलेख, दोषसिद्धि का निर्णय और हमीरपुर के विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाने के द्वारा ही किया गया कहा जा सकता है । (पैरा 50)

इस मामले में यह मताभिव्यक्ति कि साक्षियों के माध्यम से और किसी सबूत के बिना समाचारपत्र में प्रकाशित लेख का कोई मूल्य नहीं होता, निर्णय के अंतिम प्रक्रम पर गुणागुण के आधार पर अभिलिखित की गई थी न कि इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वर्तमान मामले की भांति जहां ऐसी मताभिव्यक्ति प्रारंभिक प्रक्रम पर अभिलिखित की गई है । (पैरा 49)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2007]	(2007) 1 एस. सी. सी. 1 : **प्रकाश सिंह बादल और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** ;	30
[2006]	(2006) 1 एस. सी. सी. 557 : **राकेश कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ;	26
[2004]	ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 730 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **एम. पी. गुप्ता** ;	27

[2004] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1923 :
बी. सिंह बनाम **भारत संघ** ; 48

[2002] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 107 :
मुन्ना देवी बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य** ; 40

[2001] ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3253 :
एस. एम. दत्ता बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य** ; 41

[2001] (2001) 6 एस. सी. सी. 30 :
जॉन थॉमस बनाम **डा. के. जगदीशन** ; 24

[1994] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1733 :
कमरुल इस्लाम बनाम **एस. के. कान्ता** ; 49

[1993] 1993 क्रिमिनल ला जर्नल 499 :
बिधी सिंह बनाम **एम. एस. मंडायला और एक अन्य** ; 28

[1987] (1987) 2 क्राइम्स 548 (केरल) :
सुबेर बनाम **सुधाकरन** ; 20

[1986] 1986 क्रिमिनल ला जर्नल 2002 :
एम. पी. नारायणन पिल्लई बनाम **एम. पी. चाको** ; 16

[1983] (1983) 1 एस. सी. सी. 11 :
बी. एस. शम्भू बनाम **टी. एस. कृष्णास्वामी** ; 32

[1981] (1981) 3 एस. सी. सी. 208 :
सेवक राम शोभानी बनाम **आर. के. करानजिया, मुख्य संपादक, विकली बिलटज़ और अन्य** ; 42

[1980] 1980 क्रिमिनल ला जर्नल 154 :
दर्शन कुमार बनाम **सुशील कुमार मल्होत्रा और अन्य** ; 31

[1976] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1947 :
श्रीमती नागव्वा बनाम **वीरन्ना शिवालिंगप्पा कॉनजलगी और अन्य** ; 38

[1976] 1976 क्रिमिनल ला जर्नल 1300 :
दलीप चक्रबोर्ती और एक अन्य बनाम **लोक अभियोजक और एक अन्य** ; 46

[1973] 1973 क्रिमिनल ला जर्नल 1795 :
पुखराज बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य ;** 32

[1972] ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2609 :
जी. नरसिमहन और अन्य बनाम **टी. वी. चौकाप्पा ;** 22

[1970] ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1661 :
भगवान प्रसाद श्रीवास्तव बनाम **एन. पी. मिश्रा ;** 29

[1968] ए. आई. आर. 1968 कलकत्ता 266 :
सुनीलाख्या चौधरी बनाम **एच. एम. जाडवेट और एक अन्य ;** 12

[1965] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1451 :
साहिब सिंह मेहरा बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;** 23

[1962] 1962 केरल एल. टी. 538 :
रमन नंबूदरी बनाम **गोविंदन** । 16

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 19.

ऊना के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 16 दिसम्बर, 2005 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका ।

आवेदक की ओर से श्री विवेक ठाकुर के साथ सुश्री टपरने

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री एन. एस. चन्देल

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से सर्वश्री श्रवण डोगरा महाधिवक्ता, डी. एस. नन्ता, विरेन्द्रर वर्मा अपर महाधिवक्ता के साथ मैसर्स आर. एम. बिष्ट, पी. एम. नेगी, पुष्पिंदर सिंह जायसवाल और विवेक अटरी उप महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी – ऊना के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 16 दिसम्बर, 2005 को पारित आदेश जिसके द्वारा दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 11/2005 मंजूर किया गया और परिवाद संख्या 373-1-04/157-II/2004, में ऊना के विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित

आदेश, जिसके द्वारा यह समाधान होने के पश्चात् कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन प्रत्यर्थी (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) के विरुद्ध आगे कार्यवाही किए जाने के पर्याप्त आधार विद्यमान है अपास्त किया गया, को इस पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी गई है ।

2. याची जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवादी कहा गया है ने तारीख 3 दिसंबर, 2003 को कांगड़ा जिले के रोहरा में सार्वजनिक बैठक में अभियुक्त द्वारा दिए गए भाषण से अभिकथित रूप से अपमानित महसूस किया था । हिन्दी दैनिक पंजाब केसरी के तारीख 4 दिसंबर, 2003 के अंक में प्रकाशित उक्त भाषण का सुसंगत भाग जिसका अंग्रेज़ी पाठ इस प्रकार है :–

> *"..... राज्य में हजारों लाखों बेरोज़गार व्यक्तियों होने के बावजूद नौकरियां पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार के लोगों को बेची गईं और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के सक्षम और बुद्धिमान लोगों के साथ विश्वासघात किया गया । उन्होंने (मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने) कहा कि धूमल सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर दी हैं । अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जांच कराई गई जिसमें कोई भी व्यक्ति बेदाग नहीं मिला । इस सप्ताह न्यायालय में बोर्ड में घपलेबाजी में संलिप्त पाए व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ....."

3. अतः परिवादी ने ऊना के विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

> "…. Despite there being thousands-lakhs of unemployed persons in the State, jobs have been sold to people of Punjab, Uttar Pradesh and Bihar, and thus committed breach of faith of competent and intelligent people of Himachal. He (Chief Minister Virbhadra Singh) said the Dhumal Government had surpassed all limits of corruption. The Subordinate Services Selection Board, Hamirpur has become a den of corruption the inquiry got made into which will bare the faces of many. A charge-sheet against the persons found involved in the board bungling would be presented in Court in this week ……"

अधीन परिवाद फाइल किया । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने परिवादी के कथन और साथ ही पंजाब केसरी के प्रेस रिपोर्टर परिवादी साक्षी 2 बृजेश कौशल, नवदीप कश्यप, मनोहर सिंह, सफी मोहम्मद और धर्म सिंह के कथनों वाले प्रारंभिक साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात् उनका और साथ ही समाचार के विषय का विश्लेषण किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन अपराध किए जाने के बारे में प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट होने के पश्चात् तारीख 11 मार्च, 2005 के आदेश द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने का आदेश जारी किया गया । ऊना के विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इसे अभिखण्डित कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि लांछन प्रतिवादी से संबंधित नहीं था, यह साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि प्रत्यर्थी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने से लेकर अपनी कालावधि की समाप्ति पर पद छोड़ने तक सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के बाबत कोई सिफारिश नहीं की थी और चूंकि अभियुक्त ने तत्समय मुख्यमंत्री होते हुए भ्रष्टाचार की बुराई के बारे में आम जनता को जागरुक करने के अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लांछन लगाए, भारतीय दंड संहिता की धारा 197 की उपधारा 1 का संरक्षात्मक आवरण इस मामले में प्रभावी होता है, इस प्रकार विद्वान् मजिस्ट्रेट को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपराध का संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं थी अतः आक्षेपित आदेश विधितः कायम रखे जाने योग्य न होने के कारण अपास्त किए जाने की ईप्सा की गई ।

4. आक्षेपित आदेश की वैधता और विधिमान्यता को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है :–

> "(ख). ..... निरंतरता में यह अभियोग लगाया गया कि घूमल सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर ली थीं । हमीरपुर स्थित अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था । आवेदक कथन में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष था और याची की सेवानिवृत्ति के पश्चात् और आक्षेपित कथन किए जाने की अवधि के मध्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा सरकार को कोई सिफारिश कभी नहीं भेजी गई थी और यहां तक कि श्री वीरभद्र सिंह के राज्य के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात् सरकार द्वारा बोर्ड को कोई अध्यपेक्षा भी नहीं भेजी गई थी । ये समस्त परिस्थितियां याची के कथन के साथ सम्बद्ध किए जाने के लिए पर्याप्त हैं विशेषकर प्रारंभिक साक्ष्य के इस प्रक्रम और अपराध का संज्ञान लिए जाने के प्रक्रम पर । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने साक्ष्य

पर उसी प्रकार चर्चा की है जैसे कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने मामले के अंतिम प्रक्रम पर की थी जबकि विद्वान् सेशन न्यायाधीश पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था न कि अपीली अधिकारिता का । आक्षेप पूर्व साक्ष्य अभी प्रस्तुत किए जाने हैं और सम्पूर्ण साक्ष्य पर आक्षेप विरचित किए जाने के प्रक्रम पर विचर किया जाना था/विचार किया जाना चाहिए । अतः विद्वान् सेशन न्यायाधीश का हस्तक्षेप इस प्रक्रम पर अनापेक्षित, अवैध और अधिकारिता से परे था । अतः आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।"

5. आक्षेपित आदेश को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष उद्धृत की गई निर्णयज विधियों पर न तो विचार किया और न ही उनको आक्षेपित निर्णय में निर्दिष्ट किया और विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में अधिकारितागत त्रुटि या घोर अन्याय या अन्य प्रकट त्रुटि या कमी न होने के कारण इसमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था । आक्षेपित आदेश को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि ऐसे प्रक्रम पर जब विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट ने केवल प्रारंभिक साक्ष्य का मूल्यांकन किया हो तो आक्षेपित आदेश पुनरीक्षण अधिकारिता की विषयवस्तु नहीं हो सकता । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के संरक्षण का विस्तार अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता था चूंकि लगाए गए लांछनों का उसके पदीय कर्तव्यों के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था । अभियुक्त का पदीय कर्तव्य यह कभी भी नहीं था कि परिवादी के विरुद्ध नितांत अपमानजनक और अशिष्ट टिप्पणियां करता । आक्षेपित आदेश को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि केवल प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य पर विचार किया गया है न कि किसी तथ्य के निश्चायक साक्ष्य पर जैसे कि इस प्रकृति के किसी मामले के अंतिम प्रक्रम पर अभियुक्त के विरुद्ध आगे कार्यवाही किए जाने के लिए राय गठित किया जाना अपेक्षित होता है ।

6. यह इंगित किया गया है कि न तो कोई अधिकारितागत त्रुटि थी न ही अभियुक्त को घोर अन्याय का सामना करना पड़ा था और न ही कोई अन्य प्रकट गलती या त्रुटि अभिलेख को देखने से प्रतीत होती थी जिसके कारण विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को विखंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग अपेक्षित था । यह भी बताया गया है कि पुनरीक्षण अधिकारिता का उद्देश्य अभिलेख को देखने मात्र से हुई प्रकट

गलती या त्रुटि को ठीक करना होता है, न कि निचले न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को आरंभिक प्रक्रम पर ही बाधित करना । अतः इस आवेदन में आक्षेपित आदेश को अभिखण्डित और अपास्त किए जाने की मांग की गई है ।

7. आवेदक-परिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा अपने भाषण में लगाए गए लांछन परिवादी की सत्यनिष्ठा, ख्याति और बेदाग सेवा को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होते हुए आरंभिकतः हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का सदस्य और तत्पश्चात् अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसने भाषण में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था और इस प्रकार वह व्यथित व्यक्ति है और उसे परिवाद फाइल करने का विधिक अधिकार है । उसके अनुसार अन्यथा भी बोर्ड व्यक्तियों का समूह होने के कारण और परिवादी उसका सदस्य और तत्पश्चात् अध्यक्ष होने के कारण परिवाद फाइल करने का अधिकारी है । आवेदक-परिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन भी किया कि इस तरह लगाए गए लांछन और पदीय कर्तव्य के बीच कोई संबंध न होने के कारण वर्तमान मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का संरक्षण प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता । उन्होंने आगे यह भी अभिकथित किया कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पुनरीक्षण अधिकारिता का अतिक्रमण किया है क्योंकि विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश न तो किसी अवैधता से ग्रस्त है न ही घोर अन्याय के समान है और इस प्रकार ऐसी अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था ।

8. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से हाजिर विद्वान् काउंसेल श्री नरेश्वर चन्देल ने दृढ़तापूर्वक दलील दी कि अभिकथित लांछन देखने मात्र से प्रतिवादी से संबंधित प्रतीत नहीं होते और अभियुक्त ने जो कुछ भी अपने भाषण में कहा और समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ, उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में था और इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन कार्यवाही वर्जित होने के कारण मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का संज्ञान नहीं लिया जा सकता था । विद्वान् काउंसेल के अनुसार अन्यथा भी परिवादी को हमीरपुर के विद्वान् विशेष न्यायाधीश, द्वारा सिद्धदोष ठहराए जाने और इस न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि किए जाने को ध्यान में रखते हुए उसके विरुद्ध अभियुक्त द्वारा लगाए गए लांछन सत्य हैं और लोक हित में हैं क्योंकि जब

प्रोफेसर प्रेम कुमार घूमल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो हमीरपुर के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के बारे में आम जनता को अवगत कराना उसका कर्तव्य था । आगे यह निवेदन किया गया कि समाचारपत्र की प्रति तब तक साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती जब तक वह विधि अनुसार साबित नहीं हो जाती ।

9. यद्यपि प्रत्यर्थी-राज्य एक औपचारिक पक्षकार है फिर भी विद्वान् उप महाधिवक्ता ने अभियुक्त की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय परिवादी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हमीरपुर के विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा संचालित विचारण के दौरान सिद्ध हो गए हैं और उसे दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट भी किया गया है । इस न्यायालय ने उसके द्वारा की गई अपील में उनकी दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि भी की है । अतः यह दलील दी गई है कि अभिकथित लांछन के सही पाए जाने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता और इस प्रकार विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उसके विरुद्ध प्रक्रिया जारी किए जाने से संबंधित विद्वान् मजिस्ट्रेट के आदेश को न्यायतः अभिखण्डित किया है । उन्होंने यह दलील भी दी कि अभिकथित लांछन किसी भी प्रकार से परिवादी से संबंधित नहीं है बल्कि अभियुक्त ने लोक सेवक होने के नाते अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार के मुद्दे को आम जनता के समक्ष ठीक ही उज़ागर किया । इस आधार पर भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का संरक्षण अभियुक्त को उपलब्ध होना बताया गया है ।

10. दोनों पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्कों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बिन्दु अवधारणार्थ उद्भूत होते हैं :–

(1) क्या अभिकथित लांछन प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः परिवादी से संबंधित है या नहीं और क्या वह अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद फाइल करने का अधिकार प्राप्त होने के कारण व्यथित व्यक्ति है ?

(2) क्या अभियुक्त ने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में परिवादी के विरुद्ध अभिकथित लांछन लगाए और इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन यथा परिकल्पित संरक्षण का अधिकारी है ?

(3) अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा किसी सामग्री पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है और

पुनरीक्षण अधिकारिता में इस प्रकृति के आदेश में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की क्या गुंजाइश होती है ?

11. पूर्वोक्त बिन्दुओं पर न्यायनिर्णयन आरंभ करने के पूर्व इस बात पर विचार किया जाना उपयुक्त समझा गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन दण्डनीय मानहानि का अपराध कारित होने के क्या तत्व हैं । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 में समाविष्ट उपबंधों जो वर्तमान विवाद के प्रयोजनार्थ सुसंगत हैं को निदेशित किया जाना चाहिए । यह इस प्रकार हैं :–

"**499. मानहानि** – जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है ।

स्पष्टीकरण 1. .....

स्पष्टीकरण 2. किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा ।

स्पष्टीकरण 3. .....

कब कोई लांछन मानहानि की कोटि में नहीं आएगा, संहिता की धारा 499 के नीचे उल्लिखित अपवादों से समझा जा सकता है । हमारे प्रयोजन के लिए दिए गए तर्कों के अलोक में निम्नलिखित प्रथम तीन अपवाद वर्तमान विवाद के लिए सुसंगत हैं –

पहला अपवाद – सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है – किसी ऐसी बात का लांछन लगाना, जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है, यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाए जाएं या प्रकाशित किया जाए । वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है ।

दूसरा अपवाद – लोक सेवकों का लोकाचरण – उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहां तक उसके शील या आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

तीसरा अपवाद – किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण – किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण और उसके शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो न कि उससे आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

* * * *"

12. अतः यह दृष्ट्व्य है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन दण्डनीय अपराध के आवश्यक तत्व ये हैं कि किसी व्यक्ति के संबंध में कोई लांछन लगाया गया या प्रकाशित होना चाहिए, ऐसा लांछन शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा होना चाहिए और ऐसा लांछन यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए सआशय होना चाहिए कि ऐसे लांछन से संबंद्ध व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी । इस बाबत मैंने **सुनीलाख्या चौधरी** बनाम **एच. एम. जाडवेट और अन्य**[1] वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त किया ।

13. तथापि, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन दण्डनीय अपराध किए जाने से संबंधित अभिवचन और स्रोत के बावजूद यदि अभियुक्त अपना बचाव साबित करने में सफल रहता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 के किसी भी अपवाद के संरक्षणात्मक आवरण का हकदार है और संदेह का लाभ पाने और अंततः दोषमुक्त होने का हकदार होगा । तथापि, अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान किसी भी अपवाद का संरक्षण इस बाबत अभिवाक् द्वारा अपने बचाव में लिया जा सकता है ।

14. यह ऐसा मामला है जहां अभियुक्त द्वारा श्री धूमल और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के विरुद्ध लगाए गए लांछन ऊना जिला के रोहरा में

---

[1] ए. आई. आर. 1968 कलकत्ता 266.

सार्वजनिक बैठक में किए गए उसके भाषण का अभिन्न भाग हैं । वस्तुतः भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) उपबंधित करता है कि युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता है । इसका यह अर्थ है कि ऐसी स्वतंत्रता का अभिप्राय किसी व्यक्ति को कुछ भी कहने या लिखने या किसी व्यक्ति के सम्मान और ख्याति पर ध्यान दिए बिना लापरवाही से कुछ कहने या लिखने के रूप में नहीं लिया जा सकता । अतः अधिकार की अपनी निजी नैसर्गिक सीमाएं होती हैं ।

15. यदि ऊपरनिर्दिष्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 पर विचार किया जाए तो केवल ऐसे लांछन जो दुर्भावपूर्ण और अविचारी हैं और लोक कल्याण, प्रशान्ति या शान्ति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए नहीं हैं और सद्भाव में नहीं किए गए हैं, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग में होने के कारण अपहानि के परिधि के भीतर लाए गए हैं । अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन दण्डनीय हैं ।

16. प्रथम अपवाद के पढ़ने मात्र से यह प्रकट होता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 सत्य को बचाव के रूप में अनुध्यात करती है और मानहानि के किसी आपराधिक मामले में विधिमान्य प्रतिरक्षा के रूप में क्रियान्वित होती है । इस धारा के अपवाद 1 और 2 यह अनुध्यात करते हैं कि यदि लांछन सत्य है तो यह मानहानि नहीं है क्योंकि किसी व्यक्ति के संबंध में जो सत्य है, ऐसी किसी बात का लांछन लगाया जाना लोक कल्याण के लिए है, ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसे लांछन लगाए गए हैं या प्रकाशित किए गए हैं, मानहानि का दावा नहीं कर सकता तथापि, यदि अभियुक्त जिसने लांछन प्रकाशित किए हैं या लगाए हैं इसके सत्य होने को साबित करने में असफल रहता है, तो वह प्रथम अपवाद का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा । मानहानि करने के उद्देश्य के साथ परिवादी की पहचान अभिलेख पर साबित किए जाने की आवश्यकता होती है । वस्तुतः मानहानि के अभियोजन के मामले में यह साबित किया जाना आवश्यक होगा कि मानहानि की गई है । उसकी पहचान भी लिखित सामग्री के पढ़ने से साबित किया जाना अपेक्षित होता है । यह **एम. पी. नारायणन पिल्लई** बनाम **एम. पी. चाको**[1] और **रमन नम्बूदरी** बनाम **गोविंदन**[2] वाले मामलों में यही अभिनिर्धारित किया गया है ।

17. उपरोक्त सिद्धांतों कि चर्चा यह धारणा बनाने के लिए की गई है

---

[1] 1986 क्रिमिनल ला जर्नल 2002.

[2] 1962 केरल एल. टी. 538.

कि किन परिस्थितियों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया कहा जा सकता है क्योंकि वर्तमान कार्रवाई में यह न्यायालय मामले के गुणागुण पर विचार नहीं करेगा न ही उस पर टिप्पणी करना चाहता है ।

बिन्दु संख्या 1

18. प्रक्रिया जारी किए जाने से संबंधित तारीख 11 मार्च, 2005 का आदेश जो ऊना के विद्वान् सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में चुनौतीधीन था, से प्रकट होता है कि ऊना के विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद की अंतर्वस्तु के परिशीलन, परिवादी-याची द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक साक्ष्य और अधिवक्ता द्वारा उद्धृत विधि का परिशीलन करते हुए निष्कर्ष निकाला था कि अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं और इस प्रकार उनके विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि लगाए गए लांछन किसी भी प्रकार से परिवादी से संबंधित नहीं है क्योंकि वह पहले ही बोर्ड के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो चुका था जब वे लांछन लगाए गए और लांछन बोर्ड के विरुद्ध है, इसलिए परिवादी व्यथित व्यक्ति नहीं है । हमें इस बिन्दु का न्यायनिर्णयन करना है जो याची के अनुरोध पर परिवाद की संधार्यता और उसे फाइल किए जाने के अधिकार से संबंधित है ।

19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूं कि अभिकथित लांछन प्रतिवादी से संबंधित नहीं है बल्कि बोर्ड के विरुद्ध है अतः परिवादी इस कारण से व्यथित व्यक्ति नहीं है कि ऊपरनिर्दिष्ट लांछन वर्तमान में नहीं लगाए गए बल्कि भूतकाल में लगाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सत्तावधि से संबंधित हैं जब श्री प्रेम कुमार धूमल राज्य के मुख्यमंत्री थे, जबकि परिवादी आरंभतः अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का सदस्य बना रहा और तत्पश्चात् इसका अध्यक्ष बना । न केवल यही बल्कि उसके और बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध मामले राज्य सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो में भी रजिस्ट्रीकृत थे । अतः यह कहना गलत होगा कि अभिकथित लांछन परिवादी से संबंधित नहीं है । यह सत्य है कि उसका नाम किसी समाचार में भी नहीं लिया गया और उसका नाम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार तथा उस अवधि के दौरान जब श्री प्रेम कुमार धूमल राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाहरी व्यक्तियों को नौकरियां बेचने से

संबंधित है । तथापि, इस प्रक्रम पर प्रथमदृष्ट्या यह साबित हो जाता है कि परिवादी अभिकथित समाचार में निर्दिष्ट अवधि के दौरान आरंभतः बोर्ड का सदस्य, तत्पश्चात् अध्यक्ष होने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 के अर्थान्तर्गत इन कारणोंवश व्यथित व्यक्ति है कि प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लगाए गए लांछन प्रथमदृष्ट्या यह प्रकट करते हैं कि वही मानहानि किए जाने के लिए आशयित व्यक्ति था ।

20. इस प्रक्रम पर यह सुस्थापित हो जाता है कि यदि हुलिया और विद्यमान परिस्थितियां उस व्यक्ति की पहचान स्पष्ट निश्चितता के साथ उजागार करती हैं जिसकी मानहानि आशयित थी, तो मानहानि का अपराध किए जाने के लिए निष्कर्ष निकाला जाना पर्याप्त होगा । इस बाबत मैं **सुबेर** बनाम **सुधाकरन**[1] वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेता हूं ।

21. केवल यही नहीं बल्कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व्यक्तियों का समूह होने के कारण शेष समूहों से आत्यांतिक रूप से अभिज्ञेय और विशेषणीय है और क्योंकि अभिकथित लांछन के अनुसार बोर्ड में भ्रष्टाचार व्याप्त था इसलिए प्रथमदृष्ट्या परिवादी सहित बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी को ऐसे लांछनों द्वारा, यदि वे असत्य हैं युक्तियुक्त रूप से अपमानित हुआ माना जा सकता है और इस प्रकार वे (कर्मचारी) परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम हैं और फाइल करने का अधिकार रखते हैं ।

22. याची का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस दलील के समर्थन में कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड व्यक्तियों का समूह है परिवादी को सुसंगत समय पर इसका अध्यक्ष होने के कारण उसे परिवाद फाइल करने का अधिकार है, **जी. नरसिमहन और अन्य** बनाम **टी. वी. चौकाप्पा**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया :–

> "14. ..... दण्ड संहिता की धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है, अधिकथित करती है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों या संकेतों द्वारा या दृष्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है, ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति कि ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या यह

---

[1] (1987) 2 क्राइम्स 548 (केरल).

[2] ए. आई. आर 1972 एस. सी. 2609.

विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है, तो ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी । धारा का यह भाग किसी व्यक्ति के बाबत मानहानि का अपराध करने के बारे में है । किंतु धारा का स्पष्टीकरण (2) इस नियम को अधिकथित करता है कि किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आएगा । इस प्रकार व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध अपमानजनक लांछन मानहानि की परिभाषा के भीतर आता है । स्पष्टीकरण की भाषा व्यापक है, अतः कंपनी या संगम के अलावा व्यक्तियों का कोई समूह भी इसके अंतर्गत आएगा । किंतु व्यक्तियों के ऐसे समूह को पहचान योग्य निकाय होना चाहिए जिससे कि निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि विशिष्ट व्यक्तियों के किसी समूह, जो शेष समुदाय से भिन्न था अपमानित हुआ । अतः ऐसे मामले में जहां स्पष्टीकरण (2) का अवलंब लिया जाता है, कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह की पहचान स्थापित की जानी चाहिए जिससे कि मानहानिजनक शब्दों या लांछनों से उसे जोड़ा जा सके । जहां कोई लेख आम या किसी विशिष्ट मानव जाति अर्थात् लबादा पहने हुए व्यक्ति की घोर निंदा करता है, वह अपमान लेख नहीं है । इसे अपमान लेख बनाने के लिए विशिष्टगत और व्यक्तिगत करना चाहिए । **रतन लाल और धीरज लाल**, ला आफ क्राइम्स (22 वां संस्करण 1317 में उद्धृत) (1699) 3 बाक 224 इंग्लैण्ड में भी किसी वर्ग के विरुद्ध अपमान लेख के मामले में कार्यवाही की जाएगी बशर्ते ऐसे वर्ग अनिश्चित न हों अर्थात् बौद्धिक व्यक्ति किंतु इसी प्रकार किसी निश्चित वर्ग जैसे कि डायोसीज आफ डरहम के पुजारी मिडलसैक्स काउंटी के शंति के न्यायमूर्ति (देखें कैनी का आउटलाइन आफ क्रिमिनल ला 19 वां संस्करण 235) । यदि किसी सुपरिभाषित वर्ग की मानहानि की जाती है तो उस वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति परिवाद फाइल कर सकता है चाहे प्रश्नगत मानहानिगत लांछन में उसका उल्लेख नाम का है ।"

23. **साहिब सिंह मेहरा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुनः इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"9. अवधारणीय अगला प्रश्न है कि क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन अपराध के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि अपमानित व्यक्ति कोई व्यक्ति होना चाहिए और अलीगढ़ या

[1] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1451.

उत्तर प्रदेश राज्य के अभियोजन स्टाफ को "व्यक्ति" होना नहीं कहा जा सकता जिसे अपमानित किया जा सके । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है और अन्य बातों के साथ-साथ उपबंधित करती है कि जो कोई किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है । स्पष्टीकरण 2 यह उपबंध करता है कि किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा । अतः यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति विशेष और इसी प्रकार व्यक्तियों के समूह की भी मानहानि हो सकती है । तब अपीलार्थी की दलील इस प्रश्न तक सीमित रह जाएगी कि क्या अलीगढ़ के अभियोजन स्टाफ को व्यक्तियों के समूह के रूप में विचारित किया जा सकता है जैसा कि स्पष्टीकरण 2 में अनुध्यात है । स्पष्टीकरण 2 की भाषा साधारण है और इसके अंतर्गत व्यक्तियों का कोई समूह आएगा । वस्तुतः, व्यक्तियों का समूह इस भाव में पहचान किए जाने योग्य होना चाहिए कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से कह सके कि विशिष्ट व्यक्तियों के इस समूह की मानहानि की गई है जो समुदाय के शेष वर्ग से विभेद्य है । अलीगढ़ का अभियोजन स्टाफ या उत्तर प्रदेश राज्य का अभियोजन स्टाफ निश्चित रूप से इसी प्रकार पहचान किए जाने योग्य समूह या व्यक्तियों का समूह है । इसके बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है । इस समूह में उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में अभियोजन स्टाफ के सभी सदस्य समाविष्ट हैं । अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य के लोक अभियोजकों के इस सामान्य समूह के भीतर पुनः लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों को समाविष्ट करने वाले अभियोजन स्टाफ की पहचान रखने वाला पुनः एक समूह है । व्यक्तियों का यह समूह स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत आएगा, अतः उनकी मानहानि मामले की विषयवस्तु होगी ।"

24. पुनः माननीय उच्चतम न्यायलय ने **जॉन थॉमस** बनाम **डा. के.**

जगदीशन[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया जो निम्नलिखित है :–

11. विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा दी गई दलील यह है कि प्रत्यर्थी, जिसने परिवाद फाइल किया, को परिवाद फाइल करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह के. जे. अस्पताल का मात्र एक निदेशक है जिसके बारे में प्रकाशन किया गया और प्रकाशन में परिवादी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई अपमान लेख समाविष्ट नहीं था । यह विवादित नहीं है कि परिवादी के. जे. अस्पताल का निदेशक है । भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का स्पष्टीकरण 2 इस प्रकार है –

> **स्पष्टीकरण 2** – किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटी में आ सकेगा ।

12. उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह विवादित नहीं कहा जा सकता कि किसी कंपनी के विरुद्ध मानहानिजनक लांछन समाविष्ट करने वाले प्रकाशन मानहानि के अपराध की परिधि के अंतर्गत नहीं आएंगे । यदि मानहानि व्यक्तियों के समूह निगमित निकाय के संबंध में है तो परिवादी कौन होगा ? इसका उत्तर संहिता की धारा 199 के प्रति निदेश द्वारा दिया जा सकता है । उक्त धारा की पहली उपधारा सुसंगत है । यह इस प्रकार है –

> "199. **मानहानि के लिए अभियोजन** – (1) कोई न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध का संज्ञान दण्डनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं ।"

13. "कुछ व्यथित व्यक्तियों" द्वारा शब्दों का विन्यास निश्चित रूप से यह उपदर्शित करता है कि निश्चित रूप से यह आवश्यक नहीं है कि परिवादी स्वयं अपमानित व्यक्ति हो । क्या परिवादी को प्रकाशन के कारण महसूस करने का कारण उत्पन्न हुआ, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा विचारणीय विषय है । यदि किसी कंपनी को जघन्य क्रियाकलापों में अंतर्वलित रहने के

---

[1] (2001) 6 एस. सी. सी. 30.

रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से कंपनी के सभी निदेशकों पर पड़ेगा और इसलिए वे विधिसम्मत रूप से इससे तकलीफ महसूस करेंगे । इसी प्रकार, यदि किसी प्रकाशन में किसी फर्म का उल्लेख आपत्तिजनक व्यापार करने के रूप में प्रकाशित किया जाता है तो युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि फर्म का प्रत्येक कार्यरत भागीदार इससे व्यथित महसूस करेगा । यदि के. जे. अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इससे इनकार किया जाना अत्यंत अस्वाभाविक होगा कि इसके निदेशकों में से कोई एक भी कंपनी पर लगाए गए निंदात्मक कथनों के कारण व्यथित महसूस नहीं करेगा । अतः अपीलार्थी न्याय संगत रूप से यह दलील नहीं दे सकता कि के. जे. अस्पताल का निदेशक संहिता की "किसी व्यथित व्यक्ति" की व्यापक परिधि के भीतर नहीं आएगा, जैसा कि संहिता की धारा 199(1) में यथा परिकल्पित है ।

25. अतः मामले के गुणागुण पर अधिक विचार किए बिना और विचारण के अनुक्रम के दौरान याची के परिवाद को कायम रखे जाने और अवधारण किए जाने के लिए सक्षमता के प्रश्न पर अभिलेख की सावधानीपूर्वक संवीक्षा और उपवर्णित विचारणीय विधि को देखे बिना प्रथमदृष्ट्या यह प्रकट होता है कि याची भारतीय दण्ड संहिता की धारा 199 के अर्थान्तर्गत व्यथित व्यक्ति है और इस प्रकार परिवाद संस्थित करने का उसे अधिकार है ।

बिन्दु संख्या 2

26. अब हम इस मामले में दूसरे बिन्दु अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के उपयोग पर विचार करते हैं । इस मामले में याची के दावे के अनुसार किसी सार्वजनिक सभा में प्रत्यर्थी द्वारा लगाया गया तथाकथित मानहानिजनक लांछन उसके कर्तव्य का अभिन्न भाग नहीं था, प्रत्यर्थी की ओर से यह दलील दी गई कि हिमाचल प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते अभियुक्त का यह कर्तव्य था कि वह आम जनता को अधीनस्थ कर्मचारी सेवा बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराता और इस प्रकार उसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना अभियोजित नहीं किया जा सकता । उच्चतम न्यायालय ने **राकेश कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

[1] (2006) 1 एस. सी. सी. 557.

"10. उपबंध की प्रकृति ऐसी होने के कारण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अभिव्यक्ति 'अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए' उसके द्वारा किया गया अभिकथित कोई अपराध को किस प्रकार समझा जाना चाहिए ? इसका क्या अर्थ है ? शब्दकोश के अनुसार 'पदीय' का अर्थ किसी कार्यालय से संबंधित और 'पदीय कार्य' या पदीय कर्तव्य का अर्थ है अपनी पदीय हैसियत में किसी अधिकारी द्वारा किया गया कोई कार्य या कर्तव्य । बी. शाह **बनाम** एम. एस. कोचर (1979) 4 एस. सी. सी. 177 = (1979) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 939 वाले मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया (एस. सी. सी. का पृष्ठ 184-85 पैरा 17) –

> '17. संहिता की धारा 197(1) में प्रयुक्त किसी ऐसे अपराध जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया जब वह 'अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था' शब्दों का संकीर्ण और व्यापक निर्वचन किया जा सकता है । यदि इन शब्दों का अत्यधिक संकीर्ण अर्थान्वयन किया जाता है, तो यह धारा बिल्कुल ही सारहीन हो जाएगी क्योंकि अपराध कारित करना पदीय कर्तव्य का भाग नहीं होता और न ही कभी हो सकता है । व्यापक अर्थ में यह शब्द अपनी परिधि के भीतर उस प्रत्येक कार्य को ले लेंगे जो समान संव्यवहार के अनुक्रम में कारित किया गया है जिसमें पदीय कर्तव्य का पालन किया गया या पालन किया जाना तात्पर्यित था । इन शब्दों के आशय के अर्थान्वयन का सही दृष्टिकोण इन दो अन्त्यों के बीच आता है । जबकि एक तरफ अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किसी लोक सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, जो धारा 197(1) के संरक्षण के अंतर्गत आता है, अपराध नहीं होता, वहीं उसके पदीय कर्तव्य से प्रत्यक्षतः और युक्तियुक्ततः जुड़े हुए प्रत्येक अपराध को गठित करने वाले कार्य के बाबत अभियोजन के लिए उक्त उपबंध के अधीन मंजूरी की अपेक्षा होगी ।'

11. अभिव्यक्ति 'पदीय कर्तव्य' के उपयोग की यह विवक्षा है कि कार्य या लोप लोक सेवक द्वारा उसकी सेवा के अनुक्रम में किया जाना चाहिए और यह उसके कर्तव्य के निर्वहन में होना चाहिए । यह धारा लोक सेवक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य या लोप को अपनी संरक्षणात्मक परिधि के भीतर नहीं लाती किंतु इसके क्रियान्वयन की

परिधि को केवल उन कार्यों या लोपों तक निर्बंधित करती है जो लोक सेवक द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए हैं ।"

27. इसी प्रकार की विधि को उच्चतम न्यायालय द्वारा **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **एम. पी. गुप्ता**[1] वाले मामले में अधिकथित किया गया है ।

28. **बिधी सिंह** बनाम **एम. एस. मंडायला और एक अन्य**[2] वाले मामले में उच्च न्यायालय ने भी इस पहलू के संदर्भ में इसी प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"23. हम एच. एच. बी. गिल **बनाम** किंग (ए. आई. आर. 1948 प्रिवी कौंसिल 128 = 49 क्रिमिनल ला जर्नल 503) वाले मामले में लार्ड सायमंड द्वारा व्यक्त किए गए विचार से शब्द उद्धृत करते हैं जब उन्होंने (पैरा 30 में) अभिनिर्धारित किया –

'किसी लोक सेवक के बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करता है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, यदि उसका कार्य इस प्रकार है जो उसके पदीय कर्तव्य की परिधि के भीतर आता है । अतः कोई न्यायाधीश न तो रिश्वत प्राप्त करने के लिए कार्य करता और न ही कार्य करने का तात्पर्य रखता है यद्यपि निर्णय, जो वह सुनाता है, ऐसा कार्य हो सकता है और न ही लोक सेवक के रूप में कोई चिकित्सा अधिकारी किसी ऐसे रोगी जिसकी वह जांच कर रहा है, की जेब से पैसे ऐंठने का कार्य करता है और न ही करने का तात्पर्य रखता है, यद्यपि जांच स्वयं में ही ऐसा कार्य हो सकता है । यहां पर प्रश्न जिसका विनिर्धारण किया जाना चाहिए यह होगा कि क्या लोक सेवक युक्तियुक्त रूप से यह दावा कर सकता है कि उसने जो कुछ किया, अपने पद के कारण.....।'

24. पीठासीन न्यायाधीश से प्रत्याशा की जाती है कि वह उसके समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में न्यायालय की मर्यादा का ध्यान रखे । उससे आत्मसंयम के साथ कार्य करने की भी प्रत्याशा की जाती है । उससे शालीन, शांत बने रहने और संतुलित भाषा का प्रयोग करने की प्रत्याशा की जाती है जब वह ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां

---

[1] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 730.

[2] 1993 क्रिमिनल ला जर्नल 499.

उनके समक्ष उपस्थित होने वाले अपना आत्मसंयम भी खो सकते हैं । यह सत्य है कि पीठासीन अधिकारी को न्यायालय की मर्यादा बनाए रखने के लिए दृढ़ रहना चाहिए और ऐसे लोगों से दृढ़तापूर्वक निपटना चाहिए जो अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखे बिना न्यायालय के समक्ष पेश होते हैं (अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप न्यायालय के समक्ष आचरण नहीं करते) फिर भी हम दोहराते हैं कि न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली कार्यवाही प्रतिष्ठा के उस उच्च मान से संगत होनी चाहिए जिस पर समाज ने, जब वह न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, उसे प्रतिष्ठित किया है । कहने का तात्पर्य यह है कि पीठासीन अधिकारी की ओर से लगाई गई निंदात्मक फटकार, चाहे उसे कितना भी उत्तेजित क्यों न किया गया हो, को उसके द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के रूप में अनुचित नहीं ठहराया जा सकता 'जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए' किया जाता है ।"

29. **भगवान प्रसाद श्रीवास्तव** बनाम **एन. पी. मिश्रा**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त किए जाने के लिए जोर तभी दिया जाना चाहिए जब उस लोक सेवक पर आरोप लगाए गए हों न कि उसके कर्तव्य पर और धारा 197 का निर्वचन न तो अत्यधिक व्यापक भाव में और न ही अत्यधिक संकीर्ण भाव में किया जाना चाहिए और आगे यह अभिनिर्धारित किया :–

"5. इस धारा में सम्मिलित सिद्धांत सुज्ञात प्रतीत होता है कठिनाई सामान्यतः किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों पर इसके प्रयोग में होती है । यह प्रश्न कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किसी लोक सेवक द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है, सारतः प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर अवधारण किए जाने वाले तथ्यों में से एक तथ्य होता है । वर्तमान मामले में अभिकथित अपराध में मानहानिजनक और निंदात्मक शब्दों का प्रयोग और परिवादी को रसोइए द्वारा आपरेशन थिएटर से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया जाना समाविष्ट है । यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि यह सिविल सर्जन के रूप में अपीलार्थी के पदीय कर्तव्य का भाग था या यह उसके पदीय कर्तव्य के पालन से प्रत्यक्षतः इस प्रकार जुड़ा हुआ था कि वह ऐसा कार्य किए बिना अपने कर्तव्य का उचित

[1] ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1661.

रूप से निर्वहन नहीं कर सकता था ।

6. जैसा कि इस न्यायालय ने प्रभाकर वी. सिनरी **बनाम** शंकर अनंत वर्लेकर, 1967 की दांडिक अपील संख्या 152 तारीख निर्णय 29 नवम्बर, 1963 = ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 686 वाले मामले में सुझाव दिया है, अपीलार्थी को यह अधिकार होगा, कि वह विचारण के दौरान यह दर्शित करने के लिए सिविल सर्जन के रूप में उसके क्या कर्तव्य थे और आक्षेपित कार्य उसके पदीय कर्तव्य से पारस्परिक रूप से जुड़े हुए थे जिस कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 द्वारा प्रदत्त संरक्षण लागू होते हैं, अभिलेख पर सामग्री प्रस्तुत करें । हम यह इंगित करने वाली कोई सामग्री विद्यमान अभिलेख पर नहीं पाते कि अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित कार्य उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए थे या वे आक्षेपित कार्य उसके पदीय कर्तव्य से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं ।"

30. उच्चतम न्यायालय ने **प्रकाश सिंह बादल और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में पुनः इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"बैजनाथ **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [1966] एस. सी. आर. 210 वाले मामले में स्थिति को सुस्पष्टतः वर्णित किया गया है जो निम्नलिखित है –

'..... यह अधिनियम का गुण है जोकि महत्वपूर्ण है और यदि यह पदीय कर्तव्य कि परिधि और व्याप्ति के भीतर आती है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 द्वारा अनुध्यात संरक्षण लागू होगा ।'"

31. **दर्शन कुमार** बनाम **सुशील कुमार मल्होत्रा और अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय की समन्वित न्यायपीठ ने भी इसी प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"13. अतः मामले का सार यह है कि यह अवधारित किए जाने के प्रयोजनार्थ कि क्या किसी विशिष्ट मामले में लोक सेवक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के संरक्षण का हकदार है, समग्र रूप से इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या किसी लोक सेवक

---

[1] (2007) एस. सी. सी. 1.

[2] 1980 क्रिमिनल ला जर्नल 154.

जिसके विरुद्ध अपराध गठित करने के प्रयोजनार्थ शिकायत अभिकथित है, द्वारा किया गया कार्य उसके अपने पदीय कर्तव्य में कारित किया गया था और ऐसे कार्य का उसके पदीय कर्तव्य से युक्तियुक्त संबंध था । यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या ऐसे पदीय कर्तव्य का निर्वहन करते हुए लोक सेवक ने अपनी सीमा से कुछ आगे बढ़कर कोई कार्य किया ।"

32. उच्चतम न्यायालय द्वारा **पुखराज** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] और **बी. एस. शम्भू** बनाम **टी. एस. कृष्णास्वामी**[2] वाले मामलों में भी इसी आशय को ध्यान में रखते हुए विधि अधिकथित कि गई है ।

33. अतः विचारण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या अंततः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन कोई आरोप अभियुक्त के विरुद्ध बनता है और क्या सार्वजनिक बैठक में अभियुक्त द्वारा दिए गए भाषण को उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में दिया गया भाषण कहा जा सकता है या नहीं । अभियुक्त विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर और न्यायालय को इस बाबत संतुष्ट करके कि उसने लांछन अपने कर्तव्य के निर्वहन में लगाए थे, संरक्षणात्मक आवरण की ईप्सा कर सकता है ।

34. इस मामले में यह न्यायालय "पदीय कर्तव्य" और साथ ही "पदीय" शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट करना चाहता है । **ब्लैक** के शब्द कोश के अनुसार "पदीय" शब्द का अर्थ "कार्यालय विषयक" है और "पदीय कार्य" या "पदीय कर्तव्य" से आशय ऐसे कार्य या कर्तव्य से है जो अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है । किसी लोक सेवक को आपराधिक क्रियाकलापों में अंतर्वलित नहीं होना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 197 का अर्थान्वयन संकीर्ण और निर्बंधित रीति में किया जाना चाहिए किंतु यदि एक बार यह सिद्ध हो जाए कि लोक सेवक द्वारा किया गया कोई कार्य या लोप उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था, तो उस कार्य या लोप की व्याप्ति पदीय कर्तव्य के अंतर्गत आने के कारण अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि इस धारा का संरक्षण लोक सेवक के पक्ष में हो अन्यथा मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना लोक सेवक को संरक्षण प्रदाने करने का संपूर्ण

---

[1] 1973 क्रिमिनल ला जर्नल 1795.

[2] (1983) 1 एस. सी. सी. 11.

प्रयोजन विफल हो जाएगा ।

35. इस धारा का आशय लोक सेवक को अनावश्यक रूप से तंग होने से बचाना है और साथ ही यह लोक सेवक के पदीय कर्तव्य का भाग नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से लांछन लगाकर किसी को गाली दे, जब तक कि मामले की विषयवस्तु का न्यायनिर्णयन अंतिम रूप से न्यायालयों द्वारा नहीं कर दिया जाता है और मामला इस कारणवश विचाराधीन है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करने का अधिकार प्रदान करता है और यहां तक कि किसी अभियुक्त को भी प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है । जब तक अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग अधिक्रम में उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्य नहीं ठहरा दिया जाता, उसे मात्र अभिकथित अपराध कारित करने के कारण निंदित नहीं किया जा सकता है ।

36. तथापि, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उपरोक्त स्थिरीकृत विधिक सिद्धांत पर विचार नहीं किया बल्कि लापरवाही पूर्वक अभिनिर्धारित किया कि विद्वान् मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन मंजूरी के अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन आगे की कार्यवाही किए जाने का आदेश इस कारणवश पारित नहीं कर सकता था कि इस प्रक्रम पर अभियुक्त के विरुद्ध केवल प्रक्रिया जारी किए जाने का आदेश पारित किया गया है और अभी उसका विचारण किया जाना है । जब अभिकथित लांछन ऊना जिला के रोहरा की आम सभा में अभियुक्त द्वारा किया जाना प्रथमदृष्ट्या साबित हो गया, तो विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक साक्ष्य की ग्राह्यता का अवलंब लिया जाना इस कारणवश न्यायोचित नहीं था कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी किए जाने के प्रक्रम पर अपराध कारित किए जाने पर प्रथमदृष्ट्या विचार किया जाना चाहिए था और इस प्रश्न का परीक्षण किया जाना चाहिए था और विचारण के अनुक्रम के दौरान साबित किया जाना चाहिए था कि क्या समाचार या रिपोर्ट विधितः ग्राह्य है या नहीं और अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का संरक्षण उपलब्ध है या नहीं, जैसा कि ऊपर उद्धृत बी. पी. श्रीवास्तव वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है ।

बिन्दु संख्या 3

37. दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा

197 के अधीन निहित पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की परिधि पर जोरदार दलीलें दीं । इस बिन्दु पर दी गई दलीलों पर विचार करने के पूर्व इस पर चर्चा किया जाना उचित प्रतीत किया जाता है कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने और प्रक्रिया जारी करने की राय गठित किए जाते समय किसी सामग्री का अभिलेख पर उपलब्ध होना अपेक्षित होता है ।

38. इस बिन्दु पर **श्रीमती नागव्वा** बनाम **विराना शिवालिंगप्पा कॉनजलगी और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों द्वारा विचार किया गया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया :–

> "2. ..... इस न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों की शृंखला द्वारा यह सुस्थापित हो गया है कि मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का प्रक्रम पर मुख्यतः परिवाद में किए गए अभिकथनों या इसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने से संबद्ध होता है और उसको प्रथमदृष्ट्या मात्र इस बाबत संतुष्ट होना होता है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किए जाने के पर्याप्त आधार हैं । यह मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वह मामले के गुणागुण या अवगुण पर विस्तारपूर्वक विचार करे और न ही उच्च न्यायालय इस बाबत पुनरीक्षण अधिकारिता जो बहुत सीमित हैं, का प्रयोग कर सकता है ।
>
> 5. यह सही है कि विनिश्चय पर पहुंचने से पूर्व कि क्या प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए मजिस्ट्रेट परिवाद को देखने मात्र से उत्पन्न होने वाली अंतर्निहित संभाव्यताओं या अभिकथनों के समर्थन में परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार कर सकता है किंतु अभियुक्त की दोषसिद्धि की संभाव्यता और उसके विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामले के साबित होने के बीच फासला बहुत सूक्ष्म है । मजिस्ट्रेट को मामले में निश्चय ही विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है और उसके द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसम्मत रूप से किया जाना चाहिए । एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किए जाने के पश्चात् न तो उच्च न्यायालय को और न ही इस न्यायालय को यह अधिकार है कि मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार को अपने निजी विवेकाधिकार से प्रतिस्थापित करे या

---

[1] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1947.

यह पता लगाने के बाबत कि क्या परिवाद में लगाए गए अभिकथनों, यदि साबित हो जाएं, के आधार पर अभियुक्त को अंततः दोषसिद्ध किया जा सकता है या नहीं, मामले का परीक्षण गुणागुण के आधार पर करें । हमारी राय में यह विचार, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अधीन आदेश का बल रखता है, संहिता की धारा 202 के अधीन जांच की व्याप्ति और परिधि के बिल्कुल परे है । अतः निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि निम्नलिखित मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को अभिखण्डित या अपास्त किया जा सकता है –

1. जहां परिवाद में किए गए अभिकथन या इसके समर्थन में अभिलिखित साक्षियों के कथनों को देखने मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला बिल्कुल नहीं बनता या परिवादी ऐसे अपराध, जो अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित हैं, के आवश्यक तत्वों को प्रकट नहीं करता ;

2. जहां परिवाद में किए गए अभिकथन प्रकटतः बेतुके हैं और स्वाभाविक रूप से असंभाव्य हैं जिस कारणवश कोई प्रज्ञावान व्यक्ति कभी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के पर्याप्त आधार हैं ;

3. जहां प्रक्रिया जारी किए जाने में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार स्वेच्छाकारी और मनमाना है और या तो किसी साक्षी पर आधारित नहीं है या ऐसी सामग्री पर आधारित है जो पूर्णतः अंसगत या अग्राह्य है ;

4. जहां परिवाद तात्विक विधिक कमी से ग्रसित है जेसे कि मंजूरी का अभाव या विधिक रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवाद फाइल न किया जाना और इसी प्रकार की अन्य कमियां ।"

39. अतः, पूर्वोक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि प्रक्रिया जारी किए जाने के प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट मुख्यतः परिवाद में किए गए अभिकथनों से सम्बद्ध होता है और प्रथमदृष्ट्या मात्र इस बाबत संतुष्ट होने की अपेक्षा की जाती है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार विद्यमान है । इस प्रक्रम पर न तो मजिस्ट्रेट द्वारा गुणागुण या अवगुण पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाना अपेक्षित होता है और न ही न्यायालय पुनरीक्षण अधिकारिता का

प्रयोग करते हुए इस प्रश्न पर विचार कर सकता है । उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय में संपूर्ण विधि का मूल्यांकन करने के पश्चात् ऐसे मामलों के बार में स्पष्टतः इंगित किया जहां अभियुक्त के विरुद्ध जारी प्रक्रिया को पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभिखण्डित किया जा सकता है ।

40. अब मैं दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों के दूसरे भाग पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा **मुन्ना देवी** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में पुनरीक्षण अधिकारिता की परिधि पर विचार करता हूं, जो इस प्रकार है :–

> "3. हम अपीलार्थी की ओर से किए गए निवेदन में सार पाते हैं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुनरीक्षण का प्रयोग नैत्यिक और असावधानीपूर्वक नहीं किया जा सकता । ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को ऐसी रीति में साक्ष्य का मूल्यांकन का कोई प्राधिकार नहीं है जैसी रीति में विचारण और अपील न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है । पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब यह दर्शित किया जाए कि आपराधिक कार्यवाही के चलाए जाने या आरोप विरचित किए जाने या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित तथ्य, चाहे उन पर देखने के आधार पर विचार किया गया है और समग्रता में स्वीकार कर लिया गया है और वे वह अपराध गठित नहीं करते जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया गया है, के विरुद्ध विधिक वर्जन है ।'

41. उच्चतम न्यायालय ने पुनः **एस. एम. दत्ता** बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामले में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता के संबंध में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "9. हम ससम्मान आपराधिक कार्यवाहियों के साथ अपनी सहमति अभिलिखित करते हैं, सामान्य अनुक्रम में आरंभिक प्रक्रम पर तब तक हस्तक्षेप नहीं जाना चाहिए जब तक कि वह विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग में न हो । अतः घटना के सामान्य अनुक्रम में परिवाद का अभिखण्डित किया जाना एक अपवाद और सामान्य नियम की तुलना में विरल होना चाहिए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में समाविष्ट प्रकथनों की शुद्धता पर संभवतः विचार नहीं किया जा सकता और

---

[1] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 107.

[2] ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3253.

दस्तावेज़ को समग्रता में पढ़ा जाना चाहिए जिससे कि उसके बनाने वाले के आशय का अर्थ निकाला जा सके । यह ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिस पर यथातथ्य विनिश्चय अपेक्षित होता है, न ही यह ऐसा दस्तावेज़ है जिसकी यथातथ्य शुद्धता और बारीकी अपेक्षित होती है किंतु वह मोटे तौर पर किसी अपराध के प्रकटन की संसूचना या दिग्दर्शक के समर्थ होना चाहिए और उक्त कोटी पर खरा उतरने की दशा में परिवाद के अभिखण्डित करने का प्रश्न नहीं उठेगा । तथापि, इस संदर्भ में यह एक लक्षण है जिसका इस परिस्थिति में उल्लेख किया जाना चाहिए कि ऐसा कोई मार्गदर्शक कारक संभव नहीं हो सकता जिसके आधार पर आरंभिक प्रक्रम पर अन्वेषण में कटौती की जा सके और ऐसे कौन से अन्वेषण हैं जिनमें कटौती नहीं की जा सकती । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और यदि उसके परिशीलन से यह उत्तर निकलता है जिसके परिणामस्वरूप व्यापक तौर पर किसी अपराध के प्रकटन का पता चलता है तो विधि न्यायालय पुलिस की अधिकारिता को हथियाने से वर्जित है क्योंकि राज्य के दो अंग दो विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के क्रियाकलापों में क्रियाशील होते हैं और उन्हें एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।'

42. **सेवक राम शोभानी** बनाम **आर. के. करानजिया, मुख्य संपादक, विकली बिलटज़ और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन परिवाद की सम्पूर्ण कार्यवाही को अभियुक्त के अनुरोध पर की गई एक पक्षीय गोपनीय जांच के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट का परिशीलन करके अभिखण्डित कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कथन अभिलिखित किए जाने के तुरन्त पहले उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप विप्रतीत था अतः अपास्त किया जाता है । निर्णय का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

"6. संहिता की धारा 482 के अधीन अभियोजन अभिखण्डित करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित आदेश पूर्णतः विप्रतीत है और सुस्पष्ट न्याय की विफलता को प्रकट करता है । उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के विचारण के बिना ही संपूर्ण विवाद्यक का पूर्व निर्णय

[1] (1981) 3 एस. सी. सी. 208.

कर दिया है । मामला संहिता की धारा 251 के अधीन अभियुक्तों का अभिवाक् अभिलिखित किए जाने के प्रक्रम पर था । धारा 251 की अपेक्षाओं का पालन किया जाना बाकी था । विद्वान् मजिस्ट्रेट को यह अभिनिश्चित करना था कि क्या प्रत्यर्थी आरोप या उसके भाग जिसका विचारण किया जाना है, का दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने की मांग करता है । परिस्थितियों के आधार पर स्पष्टतया दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी संहिता की धारा 500 के अधीन दण्डनीय मानहानि का प्रथमदृष्ट्या दोषी है जब तक वह संहिता की धारा 499 के किसी अपवाद का अभिवचन नहीं करता ।"

43. अतः प्रश्न यह है कि क्या निचले न्यायालय ने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी किए जाने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने की गलती की है, और इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर विमर्शित विधि के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए ।

44. यह देखा गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नैत्यिक और संयोगिक रीति में नहीं किया जा सकता बल्कि केवल ऐसी स्थिति में किया जा सकता है जब यह दर्शित कर दिया जाए कि दांडिक कार्यवाही या आरोप की विरचना या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथाकथित तथ्यों को देखने से ही और उनको समग्रता में स्वीकार किए जाने पर वह अपराध गठित नहीं होता जिसके बाबत अभियुक्त को आरोपित किया गया है या उसके विरुद्ध प्रक्रिया जारी की गई है ।

45. यह न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश, मामले में आगे कार्यवाही किए जाने या प्रक्रिया जारी किए जाने से संबंधित आदेश की वैधता और विधिमान्यता के बाबत संतुष्ट है । अतः, स्थिर विधिक स्थिति जिस पर ऊपर विचार-विमर्श किया गया है, के प्रकाश में विद्वान् सेशन न्यायाधीश को पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई अधिकारिता नहीं थी ।

समाचारपत्र के अंक को प्रारंभिक साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना और उसकी ग्राह्यता

46. अभियुक्त की ओर से यह दलील दी गई है कि समाचारपत्र मात्र प्रस्तुतीकरण के आधार पर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होता । इस बिन्दु पर

कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा **दलीप चक्रबोर्ती और एक अन्य** बनाम **लोक अभियोजक और एक अन्य**[1] वाले मामले में विचार किया गया जो इस प्रकार है :–

> "6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 उपबंधित करती है कि न्यायालय समाचारपत्र को सम्मिलित करते हुए इस धारा में उल्लिखित दस्तावेज़ों की शुद्धता के बाबत उपधारणा करेगा और जब न्यायालय अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी तथ्य की उपधारणा करेगा तो ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं कर दिया जाए । अतः जब अभियोजन ने तारीख 26 अक्तूबर, 1973 के "बांग्लादेश" के अंक की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और यह साबित किया कि उक्त प्रति विक्रय के लिए उपलब्ध थी तो धारा 81 लागू हो गई और विद्वान् न्यायाधीश द्वारा उक्त समाचारपत्र को साक्ष्य में स्वीकार किया जाना पूर्णतः न्यायसंगत था । यदि एक बार समाचारपत्र साक्ष्य में स्वीकार कर लिया गया तो याचियों को यह साबित करना था कि उक्त समाचारपत्र "बांग्लादेश" नामक समाचारपत्र की सही प्रति नहीं है जो 26 अक्तूबर, 1973 को प्रकाशित की गई थी ।
>
> 7. श्री मित्रा द्वारा उद्धृत विनिश्चयों का विनिश्चयानुपात यह था कि किसी समाचारपत्र में प्रकाशित तथ्य आधारित कथन मात्र अनुसृत था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 के अधीन उपधारणा के अधीन समाचारपत्र में समाविष्ट तथ्यों का सबूत नहीं माना जा सकती ।
>
> 8. प्रस्तुत मामले में विवादित बिन्दु 26 अक्तूबर, 1973 के अंक के पृष्ठ 1 और 11 में समाविष्ट तथ्यों के कथन की सत्यतता या अन्य बातों पर आधारित नहीं है । प्रश्न जिसका अवधारण किया जाना है, यह है कि क्या उक्त लेख में समाविष्ट लांछनों के आधार पर बर्दवान जिला के जिला मजिस्ट्रेट की मानहानि हुई थी । यदि लांछनों को प्रथमदृष्ट्या मानहानिजनक दर्शाया गया है, तो याची यह दलील देने के लिए स्वतंत्र है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का कोई भी अपवाद लागू होता है । यदि एक बार याची औचित्य का अभिवचन करते हैं तो यह

[1] 1976 क्रिमिनल ला जर्नल 1300.

साबित करने का भार उन पर आ जाता है कि समाचारपत्र में जो कुछ प्रकाशित था सही था या उन्हें हेतुक के साथ छापा गया था । अतः श्री मित्रा की प्रथम दलील असफल होती है ।"

47. उपरोक्त सिद्धांतों को विचारण के अनुक्रम के दौरान पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मामले के अंतिम प्रक्रम पर स्थिरीकृत किया गया था । तथापि, प्रस्तुत मामले में समाचारपत्र प्रारंभिक साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है । समाचार चाहे मानहानि की प्रकृति का है या समाचारपत्र में प्रकाशित किया गया है के समर्थन में साक्ष्य की आवश्यकता होती है जिसको पक्षों को विचारण के दौरान प्रस्तुत करना होता है । इस प्रक्रम पर जब आदेश केवल मामले में आगे कार्यवाही बढ़ाए जाने के बाबत पारित किया गया आदेश है और अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी की जा चुकी है, प्रारंभिक साक्ष्य में अन्य साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया समाचारपत्र मामले में आगे कार्यवाही किए जाने की राय बनाने हेतु पर्याप्त था । अतः इस प्रक्रम पर उठाया गया बिन्दु अभियुक्त की कोई सहायता नहीं करता ।

48. इसमें कोई संदेह नहीं है कि **बी. सिंह** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि किसी जानकारी या तथ्य के बारे में बहुत अधिक प्रमाणिकता या विश्वसनीयता मात्र इस कारणवश प्रदर्शित नहीं की जा सकती कि यह जानकारी या तथ्य किसी समाचारपत्र या पत्रिका या मैग्ज़ीन या संसूचना के किसी अन्य रूप में प्रकाशित हो चुकी थी, क्योंकि समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्टें विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य गठित नहीं करती । तथापि, ऐसी मताभिव्यक्तियां ऐसे प्रक्रम पर आई हैं जब उच्चतम न्यायालय में मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय गुण दोष के आधार पर कर दिया है । प्रस्तुत मामले में वह प्रक्रम अभी नहीं आया है, क्योंकि विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रारंभ में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी किए जाने के द्वारा आगे कार्यवाही किए जाने का मात्र निश्चय किया है । अभियुक्त समुचित प्रक्रम पर अपने विरुद्ध कार्यवाहियों में पूर्वोक्त निर्णयों में अधिकथित विधि का अवलंब ले सकेगा ।

49. अभियुक्त ने **कमरुल इस्लाम** बनाम **एस. के. कान्ता**[2] वाले

---

[1] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1923.

[2] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1733.

मामले के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलम्ब लिया जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मामला होने के कारण प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कतई लागू नहीं होता और इस मामले में यह मताभिव्यक्ति कि साक्षियों के माध्यम से और किसी सबूत के बिना समाचारपत्र में प्रकाशित लेख का कोई मूल्य नहीं होता, निर्णय के अंतिम प्रक्रम पर गुणागुण के आधार पर अभिलिखित की गई थी न कि इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वर्तमान मामले की भांति जहां ऐसी मताभिव्यक्ति प्रारंभिक प्रक्रम पर अभिलिखित की गई है ।

50. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 के प्रथम अपवाद का लाभ भी अभियुक्त को इस प्रक्रम पर इस कारणवश उपलब्ध नहीं है कि यद्यपि लगाया गया लांछन मानहानिजनक है फिर भी सही है और लोक हित में है और इसे साबित करने का भार उसी पर है । परिवादी को हमीरपुर के विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्ध किया गया और उसकी दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई, मात्र यही कारण उसको उन्मोचित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है । यदि उसको अभिकथित अपराध के बाबत आरोपित किया जाता है और उसका विचारण किया जाता है तो इस भार का उन्मोचन केवल साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही से संबंधित अभिलेख दोषसिद्धि का निर्णय और हमीरपुर के विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाने के द्वारा ही किया गया कहा जा सकता है स्वीकृततः याची के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का निर्णय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौतीधीन है ।

51. अतः परिवादी के विरुद्ध इस प्रकार से अभिलिखित दोषसिद्धि और दण्डादेश का निष्कर्ष भी अंतिम नहीं हुआ है । जब तक निर्णय अंतिम नहीं हो जाता, यह नहीं कहा जा सकता कि याची के विरुद्ध लगाए गए लांछन सही हैं । अतः मानहानिजनक नहीं कहे जा सकते या अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता । अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 के पहले और चौथे अपवादों का संरक्षण भी इस प्रक्रम पर अभियुक्त को उपलब्ध नहीं है ।

52. निस्संदेह रूप से किसी अपराधी के विरुद्ध प्रक्रिया जारी किए जाने से उसके विरुद्ध कार्रवाई आरंभ हो जाती है और उसे इस प्रकार आरंभ आदेशित कार्यवाही का सामना करना होता है । इसलिए, न्यायालय

को अपराधी के विरुद्ध सावधानी और चौकसी के साथ तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मध्य संतुलन बनाए रखने के द्वारा विवेक का सम्यक् प्रयोग और विधि के नियम को प्रवृत्त करने के लिए उस पर डाले गए कर्तव्य का पालन कर प्रक्रिया जारी करनी चाहिए । अतः जब विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर इस मामले में आगे कार्यवाही करने का विचार बनाया तो विद्वान् सेशन न्यायाधीश को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, वह भी सीमित पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में ।

53. अतः विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन उनमें निहित सीमित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तथ्यों और परिस्थितियों और साथ ही प्रारंभिक साक्ष्य का मूल्यांकन ऐसी रीति में जैसे कि मामले के अंतिम प्रक्रम पर किया जाता है, पारित आदेश को अभिखण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं था । मेरे विवेक से ऐसा दृष्टिकोण न तो विधितः और न ही तथ्यतः कायम रखे जाने योग्य है । अतः इस याचिका में आक्षेपित आदेश विधिक संवीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और इस प्रकार निष्पक्षतः और न्यायहित में अभिखण्डित और अपास्त किए जाने योग्य है ।

54. परिणामतः यह याचिका सफल होती है और तद्नुसार मंजूर की जाती है । अतः याचिका में आक्षेपित आदेश को अभिखण्डित तथा अपास्त किया जाता है ।

55. ऊपर व्यक्त की गई मताभिव्यक्तियां (विचारण न्यायालय के समक्ष) मामले के गुणागुण पर विचार किए जाते समय कोई प्रभाव नहीं डालेंगी और इस याचिका के निष्पादन तक ही सीमित रहेंगी ।

56. अभिलेख निचले न्यायालयों को वापस भेजा जाए । विद्वान् विचारण न्यायाधीश मामले में आगे कार्यवाही किए जाने के प्रयोजनार्थ तारीख नियत करने और नियत की गई तारीख के बाबत पक्षकारों को निदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र है ।

57. क्योंकि यह मामला वर्ष 2004 का है इसलिए प्रत्याशा की जाती है कि विचारण न्यायालय इसे यथा संभव शीघ्रतापूर्वक निपटाएगा ।

पुनरीक्षण याचिका मंजूर की गई ।

शु./पां.

———————

विरेन्दर सिंह

बनाम

अनीता रानी और एक अन्य

तारीख 9 अप्रैल, 2014

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482, 320 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 498क] – उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता – विवाह संबंधी विवादों से संबंधित अशमनीय अपराधों में भी यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकारों ने किसी दबाव के बिना सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को सुलझा लिया है तो न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के अधीन उक्त अपराधों की बाबत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद या पश्चात्वर्ती आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित किया जा सकता है ।

इस याचिका में न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच 20 नवंबर, 2009 को विवाह सम्पन्न हुआ था । प्रत्यर्थी संख्या 1 ने गगरेट पुलिस थाने में याची के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जिसके आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन 20 दिसम्बर, 2008 को 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 181 दर्ज की गई । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय संख्या 2 के समक्ष चालान पेश किया गया । याची ने भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरुद्ध ज्वाली के कैंप में धर्मशाला के विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश (2), कांगड़ा के समक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i क)(i ख) के अधीन याचिका फाइल की । याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विवाद को सुलझा लिया और विवाह के विघटन पर सहमत हो गए और इसके बदले में याची प्रत्यर्थी संख्या 1 को 15,00,000/- रुपए की रकम संदत्त करने के लिए भी सहमत हुए और उसके पुत्र पर उनके बीच बराबर की साझेदारी होगी । समझौता-विलेख उपाबंध पी. 2 है । प्रत्यर्थियों को रकम भी प्राप्त हो गई जैसा क्रमशः उपाबंध पी. 3 और पी. 4 से स्पष्ट है । प्रत्यर्थी संख्या 1 और याची के कथनों को क्रमशः उपाबंध पी. 5 और पी. 6 द्वारा अभिलिखित किया गया । विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश ने पक्षकारों

के बीच किए गए समझौता-विलेख के आधार पर न्याय के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 13(1)(ik)(ikh) के अधीन पक्षकारों के बीच विवाह के विघटन की डिक्री पारित की । पक्षकारों के बीच हुआ समझौता वास्तविक है । समझौता-विलेख उपाबंध पी. 2 के पैरा 2 के अनुसार पक्षकार अपनी स्वतंत्रता, इच्छा से, और सहमति से विवाह विघटन के लिए और प्रत्येक एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में लंबित अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, एम्ब के न्यायालय के समक्ष लंबित मामला तथा तारीख 20 दिसम्बर, 2008 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 181/2008, वापस पुलिस थाने, गगरेट, जिला ऊना वाले मामले को भी वापस लेने के लिए सहमत हुए । याची ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की ईप्सा करते हुए यह याचिका फाइल की । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों के बीच हुआ समझौता-विलेख उपाबंध पी. 2 और विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 28 दिसम्बर, 2013 के आदेश को ध्यान में रखते हुए तारीख 20 दिसम्बर, 2008 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन जिला ऊना के पुलिस थाने गगरेट में दर्ज 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 181 और हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के एम्ब के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय संख्या 2 के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या 52-1/2009 शीर्षक राज्य बनाम विरेन्दर सिंह वाले मामले की परिणामी कार्यवाहियां अभिखण्डित और अपास्त किए जाने योग्य हैं । विवाह संबंधी विवादों के वास्तविक समझौतों को प्रोत्साहित करना न्यायालय का कर्तव्य है । माननीय न्यायाधीश ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 और 482 के अधीन अभिखण्डित करने की शक्ति के प्रयोग पर अवरोध नहीं होगी । विवाह संबंधी विवादों से संबंधित अशमनीय अपराधों के मामलों में भी यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण और किसी दबाव के बिना विवाद का समाधान कर लिया है तो न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन से उक्त अपवाद की बाबत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद या पश्चात्वर्ती आपराधिक कार्यवाहियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अभिखंडित किया जा सकता है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन जिला ऊना के पुलिस थाना गगरेट में दर्ज तारीख 20 दिसम्बर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 181 को

अभिखण्डित तथा अपास्त किया जाता है । हिमाचल प्रदेश जिला, ऊना के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय के समक्ष लंबित अपराध मामला संख्या 52-1/2009, राज्य बनाम विरेन्दर सिंह, को बंद करने का आदेश किया जाता है । यदि कोई आवेदन लंबित है का भी निपटारा किया जाता है । खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है । (पैरा 4, 5, 8 और 9)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 4 एस. सी. सी. 58 :
जितेंद्र रघुवंशी और अन्य बनाम **बबिता रघुवंशी और एक अन्य** । 8

निर्दिष्ट निर्णय

[2013] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 518 :
डिम्पी गुजराल और अन्य बनाम **प्रशासक, चण्डीगढ़ संघ क्षेत्र के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र और अन्य** ; 7

[2010] (2010) 10 एस. सी. सी. 705 :
शिजी उर्फ **पप्पू और अन्य** बनाम **राधिका और एक अन्य** ; 6

[2003] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1388 :
बी. एस. जोशी और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य** । 5

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 30.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से श्री एन. के. ठाकुर वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री इशिता भंडारी

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री पवन गौतम

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से श्री नीरज कुमार शर्मा, उप महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा – याची ने इस याचिका के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482क के अधीन ऊना जिले के गगरेट पुलिस थाने में दर्ज तारीख 20 दिसम्बर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 181क तथा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय संख्या 2 के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या 52-1/2009 शीर्षक राज्य बनाम विरेन्दर सिंह वाले मामले में आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने की ईप्सा की है ।

2. इस याचिका में न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच 20 नवंबर, 2009 को विवाह सम्पन्न हुआ था । प्रत्यर्थी संख्या 1 ने गगरेट पुलिस थाने में याची के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जिसके आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन 20 दिसम्बर, 2008 को 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 181 दर्ज की गई । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय संख्या 2 के समक्ष चालान पेश किया गया । याची ने भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरुद्ध ज्वाली के कैंप में धर्मशाला के विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश (2), कांगड़ा के समक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ik)(ikh) के अधीन याचिका फाइल की । याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विवाद को सुलझा लिया और विवाह के विघटन पर सहमत हो गए और इसके बदले में याची प्रत्यर्थी संख्या 1 को 15,00,000/- रुपए की रकम संदत्त करने के लिए भी सहमत हुए और उसके पुत्र पर उनके बीच बराबर की साझेदारी होगी । समझौता-विलेख उपाबंध पी. 2 है । प्रत्यर्थियों को रकम भी प्राप्त हो गई जैसा क्रमशः उपाबंध पी. 3 और पी. 4 से स्पष्ट है । प्रत्यर्थी संख्या 1 और याची के कथनों को क्रमशः उपाबंध पी. 5 और पी. 6 द्वारा अभिलिखित किया गया । विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश ने पक्षकारों के बीच किए गए समझौता-विलेख के आधार पर न्याय के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 13(1)(ik)(ikh) के अधीन पक्षकारों के बीच विवाह के विघटन की डिक्री पारित की । पक्षकारों के बीच हुआ समझौता वास्तविक है ।

3. समझौता-विलेख उपाबंध पी. 2 के पैरा 2 के अनुसार पक्षकार अपनी स्वतंत्रता, इच्छा से, और सहमति से विवाह विघटन के लिए और प्रत्येक एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में लंबित अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, एम्ब के न्यायालय के समक्ष लंबित मामला तथा तारीख 20 दिसम्बर, 2008 को

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 181/2008, वापस पुलिस थाना, गगरेट, जिला ऊना वाले मामले को भी वापस लेने के लिए सहमत हुए ।

4. न्यायालय का यह विचारित मत है कि पक्षकारों के बीच हुआ समझौता-विलेख उपाबंध पी. 2 और विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 28 दिसम्बर, 2013 के आदेश को ध्यान में रखते हुए तारीख 20 दिसम्बर, 2008 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन जिला ऊना के पुलिस थाने गगरेट में दर्ज 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 181 और हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के एम्ब के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय संख्या 2 के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या 52-1/2009 शीर्षक राज्य बनाम विरेन्दर सिंह वाले मामले की परिणामी कार्यवाहियां अभिखण्डित और अपास्त किए जाने योग्य हैं ।

5. **बी. एस. जोशी और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया कि विवाह संबंधी विवादों के वास्तविक समझौतों को प्रोत्साहित करना न्यायालय का कर्तव्य है । माननीय न्यायाधीश ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 और 482 के अधीन अभिखण्डित करने की शक्ति के प्रयोग पर अवरोध नहीं होगी । माननीय न्यायमूर्ति ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "8. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मधु लिमय वाला मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 में निहित आपराधिक कार्यवाहियों या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या शिकायत को अभिखण्डित करने की शक्ति को सीमित करते हुए सामान्य प्रतिपादना का अभिकथन नहीं करता । अतः, हमारा यह मत है कि यदि न्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखण्डित किया जाना आवश्यक हो तो धारा 320 अभिखण्डित करने की शक्ति पर कोई रोक नहीं लगाएगी । तथापि, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न है कि क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाए या नहीं ।
>
> 12. ऐसे विवाह संबंधी मामलों जे. टी. 1988 (1) एस. सी. 279 = (1988) 1 एस. सी. सी. 692 का यह विशेष लक्षण है कि

[1] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1388.

न्यायालय विवाह संबंधी विवादों के वास्तविक समझौतों को प्रोत्साहित करने के अपने कर्तव्य का पालन करें ।

15. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय अपने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद अभिखंडित कर सकता है और संहिता की धारा 320 और 482 के अधीन शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करती ।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने **शिजी** उर्फ **पप्पू और अन्य** बनाम **राधिका और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि मात्र इस कारण कि कोई अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अधीन शमनीय नहीं है, स्वयं उच्च न्यायालय के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है । माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"17. यह स्पष्ट है कि मात्र इस कारण कि कोई अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के अधीन शमनीय नहीं है स्वयं उच्च न्यायालय के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है । हमारी राय में उस शक्ति का प्रयोग ऐसे मामलों में किया जा सकता है जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित करने की कोई संभावना न हो और विचारण का संपूर्ण प्रयास निरर्थक लगता हो । एक और विचारण न्यायालय या अपील के पक्षकारों द्वारा अपराधों के शमन और दूसरी ओर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अभियोजन को अभिखण्डित करने हेतु शक्ति के प्रयोग के बीच सूक्ष्म अंतर है । जहां अभियुक्त का विचारण कर रहा या दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर रहा न्यायालय, ऐसे मामलों में पक्षकारों के बीच हुए समझौते पर आधारित अपराध का शमन करने की अनुज्ञा देने में सक्षम नहीं हो सकता है जहां अपराध धारा 320 के अधीन शमनीय नहीं है वहां उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में भी अभियोजन को अभिखण्डित कर सकता है जहां ऐसा अपराध जिससे अभियुक्त आरोपित है शमनीय है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की

[1] (2010) 10 एस. सी. सी. 705.

धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 द्वारा नियंत्रित उस प्रयोजन के लिए नहीं है ।"

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायपीठ ने **डिम्पी गुजराल और अन्य** बनाम **प्रशासक, चण्डीगढ़ संघ क्षेत्र के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाहियों का जारी रहना इन परिस्थितियों में न्यायालय की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सके सिवाय कि अपराधों में से एक अपराध अशमनीय था तब पक्षकारों ने समझौता किया था । माननीय न्यायाधीश ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"4. अब यह प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित अपराधों में से एक अपराध शमनीय है, तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किया जा सकता है । पक्षकारों द्वारा किए गए समझौते को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को कतिपय विनिश्चयों में इस न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्टों को अभिखण्डित किया यद्यपि कुछ अपराध अशमनीय थे । इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने इन विनिश्चयों को औचित्य पर संदेह व्यक्त किया । विद्वान् न्यायाधीशों ने यह महसूस किया कि इन विनिश्चयों में इस न्यायालय में अशमनीय अपराधों का समन करने की अनुज्ञा दी थी । अतः, उक्त मुद्दे को वृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया । वृहत्तर न्यायपीठ ने ज्ञान सिंह **बनाम** पंजाब राज्य और अन्य, अन्य संबद्ध मामलों के साथ 2010 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) संख्या 8989 वाली में, जिसका विनिश्चय 24 सितम्बर, 2012 को किया गया था, संहिता के सुसंगत उपबंधों और इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला –

57. उपरोक्त चर्चा से जो स्थिति प्रकट होती है उसे संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है; अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट परिवाद को अभिखण्डित करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधों के शमन करने के लिए दण्ड न्यायालयों को दी गई शक्ति से भिन्न है । अंतर्निहित शक्ति परिसीमा से रहित होते हुए काफी व्यापक है

[1] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 518.

किंतु इसका प्रयोग ऐसी शक्ति अर्थात् (1) न्याय के प्रयोजनों को पूरा करने या (2) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु अंकित मार्गदर्शित सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए । क्या ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाहियां या परिवाद या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखण्डित करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का समाधान कर लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होगा और ऐसा कोई प्रवर्ग विहित नहीं किया जा सकता है । तथापि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर सम्यक् रूप से विचार करना चाहिए । जघन्य और मानसिक विप्रतीपता के गंभीर अपराधों को और हत्या, बलात्संग, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से तब तक अभिखण्डित नहीं किया जा सकता है चाहे पीड़ित या पीड़ित के कुटुम्ब और अपराधी ने विवाद का समाधान कर लिया हो । ऐसे अपराध प्राइवेट प्रकृति के नहीं हैं इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है । इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या लोक सेवकों द्वारा उस हैसियत में काम करते समय किए गए अपराधों आदि, जैसे विशेष कानूनों के अधीन अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच किए गए किसी समझौते को ऐसे अपराधों की आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने का कोई आधार नहीं बनाया जा सकता । किंतु, अत्यधिक और प्रबल सिविल रुझान वाले आपराधिक मामलों को स्थित विशेषकर व्यापारिक वित्तीय, वाणिज्यिक, सिविल, भागीदारी या इस तरह के संव्यवहार या दहेज, आदि से संबंधित वैवाहिक मामले से उद्भूत अपराध या पारिवारिक विवाद जहां दोष मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षकारों ने अपने पूरे विवाद को सुलझा लिया है अभिखंडित करने का भिन्न आधार होता है । ऐसे प्रवर्ग के मामलों में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित कर सकेगा, यदि उसकी दृष्टि में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और अल्पतम है तथा आपराधिक मामले को जारी रहने से अभियुक्त को काफी प्रताड़ना और पक्षपात झेलना होगा और

पीड़ित के साथ पूर्ण और सम्पूर्ण बंदोबस्त और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को अभिखण्डित न करने से उसे काफी अन्याय उठाना पड़ेगा । दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से न्याय के हित में अनुचित या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से पीड़ित और दोषकर्ता के बीच बंदोबस्त और समझौते के बावजूद विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति हो, यह तर्कसंगत है कि आपराधिक मामले को ही समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को अभिखण्डित करना उसकी अधिकारिता के भीतर होगा ।

5. ज्ञान सिंह वाले मामले में इस न्यायालय के उपरोक्त मताभिव्यक्तियों के आलोक में हम यह महसूस करते हैं कि यह ऐसा मामला है जहां आपराधिक कार्यवाहियों का जारी रखना न्याय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर है क्योंकि अभिकथित अपराध गंभीर विप्रतीपता दर्शाने वाले जघन्य अपराध नहीं हैं न ही वे समाज के विरुद्ध हैं । वे व्यक्तिगत प्रकृति के अपराध हैं और उन्हें दूर करना दो पक्षों के बीच शान्ति और मित्रता बढ़ाएगा । मामले की परिस्थितियों में, चण्डीगढ़ के पुलिस थाने सैक्टर-3 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 307, 452 और 506 के अधीन दर्ज तारीख 26 अक्तूबर, 2006 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 173 और संहिता की धारा 173 के अधीन प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट सहित उससे उद्भूत सभी पारिणामिक कार्यवाहियों और विचारण न्यायालय द्वारा विरचित आरोपों को अभिखण्डित किया जाता है ।"

8. **जितेंद्र रघुवंशी और अन्य** बनाम **बबिता रघुवंशी और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विवाह संबंधी विवादों से संबंधित अशमनीय अपराधों के मामलों में भी यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण और किसी दबाव के बिना विवाद का समाधान कर लिया है तो न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन से उक्त अपवाद की बाबत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या

[1] (2013) 4 एस. सी. सी. 58.

परिवाद या पश्चात्वर्ती आपराधिक कार्यवाहियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अभिखंडित किया जा सकता है । माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार मत व्यक्त किया :–

"15. हमारे मतानुसार, विवाह संबंधी विवाद विशेषकर जब उनकी काफी वृद्धि हो रही है, के वास्तविक समाधान को प्रोत्साहित करना न्यायालयों का कर्तव्य है । यदि अपराध अशमनीय हैं और यदि वे विवाह संबंधी विवादों से संबंधित हैं और न्यायालयों का यहां समाधान हो जाता है कि पक्षकार इसे सौहार्दपूर्वक और किसी दबाव के बिना सुलझा लिया है तो हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए संहिता की धारा 320 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, परिवाद, या पश्चात्वर्ती आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने की शक्ति के प्रयोग में कोई अवरोध पैदा नहीं करेगी ।

16. हाल में विवाह संबंधी विवादों की बाढ़ सी आ गई है । विवाह का एक महत्वपूर्ण स्थान है और समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है । अतः, व्यक्तियों के हित में उनका जीवन व्यवस्थित करने और शांतिपूर्वक जीने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु प्रत्येक प्रयास किए जाने चाहिए । यदि पक्षकार अपनी खामियों पर विचार करते हैं और न्यायालय में लड़ाई करने के बजाय पारस्परिक सहमति से सौहार्दपूर्वक अपने विवाद समाप्त करते हैं तो विवाह संबंधी मामलों में सम्पूर्ण न्याय करने के लिए न्यायालयों को अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए । बार-बार यह कहना आवश्यक नहीं है कि धारा 482 के अधीन शक्ति का कभी-कभार और इस सतर्कता से प्रयोग किया जाना चाहिए जब न्यायालय को अभिलेख की सामग्री के आधार पर यह विश्वास हो जाए कि कार्यवाहियों को जारी रखने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के प्रयोजनों की यह अपेक्षा है कि कार्यवाहियों को अभिखण्डित किया जाए । हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसी शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होगा और समुचित मामलों में इसका प्रयोग वास्तविक और सारभूत न्याय प्रशासन के लिए किया जाना चाहिए । जिसके लिए ही न्यायालय बनाए गए हैं । विवाह संबंधी विवादों के वास्तविक समझौतों को प्रोत्साहित करना न्यायालयों का कर्तव्य है और संहिता की धारा

482 उच्च न्यायालय को तथा संविधान के अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को ऐसे आदेश पारित करने हेतु समर्थ बनता है ।"

9. तद्नुसार, उपरोक्त की गई चर्चा और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, याचिका मंजूर की जाती है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन जिला ऊना के पुलिस थाने गगरेट में दर्ज तारीख 20 दिसम्बर, 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 181 को अभिखण्डित तथा अपास्त किया जाता है । हिमाचल प्रदेश जिला, ऊना के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय के समक्ष लंबित अपराध मामला संख्या 52-1/2009, राज्य बनाम विरेन्दर सिंह, को बंद करने का आदेश किया जाता है । यदि कोई आवेदन लंबित है का भी निपटारा किया जाता है । खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

याचिका मंजूर की गई ।

पां.

संसद् के अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[15 जून, 2005]

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है ;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है ;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवत: अन्य लोक हितों, जिनके अन्तर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है ;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है ;

अत:, अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : –

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) धारा 4 की उपधारा (1) धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन* को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "समुचित सरकार" से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो –

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है –

---

* 12 अक्तूबर, 2005.

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति ;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक ;

(च) "सूचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से, –

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत, –

(i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है ;

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार,

द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।

(झ) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल ;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति ;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) ; और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या़ किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री ;

(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच यो़ग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है –

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ;

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना ;

(ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के

अधीन गठित राज्य् सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ड) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा 1 के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(ढ) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है ।

अध्याय 2
सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. **सूचना का अधिकार** – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा ।

4. **लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं** – (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी –

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके ;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर,-

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट ;

(xii) सहायिका कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं ;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों

के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा ।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो ।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक

निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए ।

स्पष्टीकरण – उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है ।

5. **लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम** – (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा :

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी ।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा ।

6. **सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध** – (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, –

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके ।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है, –

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है ; या

(ii) जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा :

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

7. **अनुरोध का निपटारा** – (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है ।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, –

(क) उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत

के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा ।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो ।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी ।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11

के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा ।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, –

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण ;

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी ; और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा ।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।

8. **सूचना के प्रकट किए जाने से छूट** – (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी –

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो ;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा ;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;

(छ) सूचना जिसकी प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी ;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं :

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे :

परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे ;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा ।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी,

किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खंड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

9. **कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार** – धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित करेगा ।

10. **पृथक्करणीयता** – (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक् की जा सकती है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि –

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को, जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक् करने

के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी हैं ;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम ;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है ; और

(ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अंतर्गत यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है ।

11. **पर व्यक्ति सूचना** – (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है ।

अध्याय 3
केन्द्रीय सूचना आयोग

12. **केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन** – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं ।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी –

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है ।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

13. **पदावधि और सेवा शर्तें** – (1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त

करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्तों को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें –

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं :

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़ कर, सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना

आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी नियम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है, तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(6) केन्दीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

14. **सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना** – (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किये गये किसी निर्देश पर जाँच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

क्रमश: आगामी अंक में....